VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material 2019

(September 2018 to June 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी देश (India and its Neighbours) 3

1.1. भारत-पाकिस्तान 3

1.1.1. सिंधु जल संधि विवाद 3

1.1.2. सर क्रीक विवाद 4

1.2. भारत एवं बांग्लादेश 6

1.3. भारत-अफगानिस्तान 8

1.3.1. अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 10

1.4. भारत-भूटान (India-Bhutan) 13

1.5. भारत का बिम्सटेक की ओर झुकाव 14

1.6. दक्षिण एशियाई व्यापार की असाधित सम्भावना 16

2. हिन्द महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) 19

2.1. इंडो-पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन 19

2.2. भारत- हिंद महासागर में निवल सुरक्षा प्रदाता 24

2.3. भारत-मालदीव 27

3. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी-एशिया (South East And East Asia) 30

3.1. भारत-जापान संबंध 30

3.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध 32

3.3. भारत और दक्षिण कोरिया संबंध 34

4. मध्य एशिया (Central Asia) 38

4.1. प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता 38

5. पश्चिम एशिया/मध्य-पूर्व (West Asia/Middle East) 41

5.1. भारत-पश्चिम एशिया 41

5.2. भारत-सऊदी अरब सम्बन्ध 41

5.3. भारत और ईरान 43

6. अफ्रीका (Africa) 49

6.1. भारत-अफ्रीका 49

6.2. भारत और दक्षिण अफ्रीका 52

VISION IAS

7. यूरोप (Europe) 54

7.1. भारत और यूरोपीय संघ 54

7.2. ब्रेक्जिट 56

8. रूस (Russia) 62

8.1. भारत-रूस संबंध 62

8.1.1. RIC ट्राईलैटरल 65

9. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 67

9.1. भारत-अमेरिका सम्बन्ध: एक अवलोकन 67

9.2. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध 69

10. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठन और सम्मेलन (Important International/Regional Groups and Summits) ... 72

10.1. विश्व व्यापार संगठन 72

10.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित सुधार 74

10.3. संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल 75

10.4. शंघाई सहयोग संगठन 78

10.5. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 81

10.6. विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधी सुधार 83

10.7. आर्कटिक काउंसिल 85

10.8. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी 87

10.9. इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक 88

10.10. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय 90

11. विविध (Miscellaneous) 92

11.1. दक्षिण-दक्षिण सहयोग 92

11.2. भारत की विकास भागीदारी 94

11.3. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 96

11.4. प्रत्यर्पण 99

11.5. प्रारूप उत्प्रवास विधेयक - 2019 101

11.6. स्पेस डिप्लोमेसी 103

VISION IAS

1. भारत और उसके पड़ोसी देश (India and its Neighbours)

1.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

भारत-पाक संबंधों का इतिहास मुख्य रूप से संघर्ष और असामंजस्य, परस्पर अविश्वास व संदेह का साक्षी रहा है। दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- **सीमा विवाद (Territorial Disputes):** पाकिस्तान, भारत के साथ कई सीमा विवादों में उलझा हुआ है, जैसे- कश्मीर विवाद, सर क्रीक विवाद आदि।
- **जल विवाद:** दोनों देशों के मध्य कश्मीर (वर्तमान में भारतीय अधिकार क्षेत्र में शामिल कश्मीर) से प्रवाहित होने वाली और पाकिस्तान में सिंधु नदी बेसिन में समाहित होने वाली नदियों के जल के उपयोग के संबंध में असहमति बनी हुई है। पाकिस्तान के अनुसार भारत नदियों के उपरी प्रवाह (upstream) पर बैराज और बांधों के निर्माण के द्वारा अनुचित रीति से नदियों का जल मार्ग परिवर्तित करता है। हालांकि, भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है।
- **आतंकवाद:** पाकिस्तान और उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद ने स्थिर संबंधों के निर्माण हेतु प्रारंभ विभिन्न पहलों को गंभीर रूप से सीमित एवं बाधित किया है।

1.1.1. सिंधु जल संधि विवाद

(Indus Waters Treaty Dispute)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने विश्व बैंक के समक्ष भारत द्वारा सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।

सिंधु जल संधि के विषय में

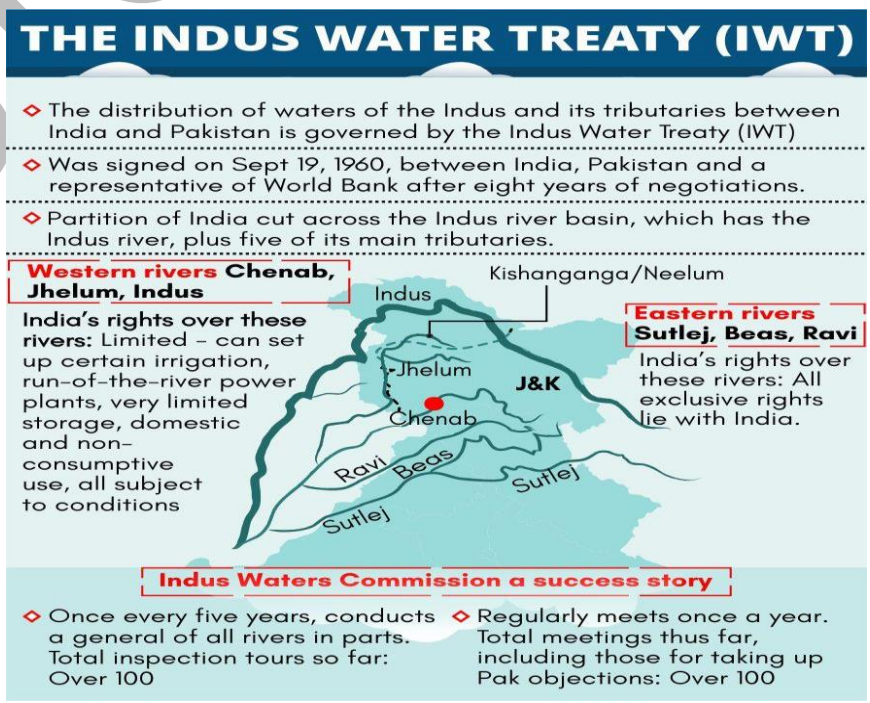

- भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के जल का वितरण सिंधु जल संधि (IWT) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। **(इन्फोग्राफिक देखें)**
- इस संधि पर विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस संधि का कार्यान्वयन और प्रबंधन करने हेतु द्विपक्षीय आयोग के रूप में एक **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** गठित किया गया था। यह आयोग जल विभाजन से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है। आयोग की पिछली बैठक मार्च 2017 में इस्लामाबाद में संपन्न हुई थी।

VISION

- IWT से संबंधित "विवादों" और "मतभेदों" के संबंध में विश्व बैंक की भूमिका, किसी एक या दोनों पक्षों के अनुरोध पर, संधि से संबंधित कुछ भूमिकाओं के संपादन हेतु नियुक्तियां करने तक ही सीमित है।
- इसे विश्व की **सर्वाधिक सफल जल संधि** माना जाता है क्योंकि, विभिन्न भारत-पाक युद्धों और अन्य मुद्दों के दौरान भी यह संधि बाधित नहीं हुई है। अधिकांश असहमतियों और विवादों को संधि की रूपरेखा के तहत उपलब्ध कराई गई कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान किया गया है।

सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याएं और मुद्दे

- **जटिल प्रावधान:** अत्यधिक तकनीकी जटिलताओं के कारण इस संधि की आलोचना की जाती है जो विविध प्रकार की व्याख्याओं और असहमतियों का सृजन करती है।
  - चूंकि, यह संधि स्थायी एवं अंतिम समाधान प्रदान नहीं करती है, इसी कारण दोनों देशों ने प्राय: समय नष्ट करने वाली और अधिक व्ययकारी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आश्रय लिया है।
  - यह संधि नदी जल प्रवाह की कमी के दौरान जल विभाजन की समस्या के समाधान में भी विफल रहती है।
- **नई चुनौतियां:** जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी उभरती चुनौतियों के संदर्भ में इस संधि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिन्हें इस संधि के मूल प्रावधानों में शामिल नहीं किया गया था।
  - वर्तमान में, सिंधु नदी बेसिन में जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने हेतु कोई संस्थागत ढांचा या विधायी साधन विद्यमान नहीं है।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंधु नदी विश्व में सर्वाधिक दबावग्रस्त जल स्रोतों में से एक है। इसके बावजूद भी इस संधि में सीमा पार जल निकायों से संबद्ध कोई खंड नहीं है तथा साझा भूजल के आवंटन और प्रबंधन हेतु भी किसी भी सहमत नियम को उपबंधित नहीं किया गया है।
- **आंकड़े साझा करना:** सिंधु नदी बेसिन के देश (भारत एवं पाकिस्तान) आंकड़े साझा करने और समय से पूर्व योजनाबद्ध जलविद्युत परियोजनाओं की घोषणा करने में भी सक्षम नहीं हुए हैं।

क्यों भारत को यह संधि निरस्त नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान में जल के प्रवाह को बाधित नहीं करना चाहिए?

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता को मानवाधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विभिन्न समीक्षकों ने "जल के अधिकार" को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) से संबद्ध कर, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी बताया है।
- **अतिरिक्त जल का भंडारण:** भारत का पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) के जल को रोकने संबंधी का कोई भी प्रयास इन नदियों पर इसकी अपर्याप्त भंडारण क्षमता के आलोक में पूर्णतः सफल नहीं होगा।
- **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द नॉन-नेविगेशनल यूज़ेज ऑफ़ इंटरनेशनल वॉटरकोर्सेज का उल्लंघन (संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेंशन):** यह वर्ष 2014 में लागू हुआ था। हालांकि, भारत इस कन्वेंशन में सम्मिलित नहीं हुआ है। परन्तु इस कन्वेंशन के कुछ प्रावधानों ने लगभग अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रचलित मानकों की स्थिति प्राप्त कर ली है, जैसे जल का समान आबंटन और जलमार्गों पर योजनाबद्ध उपायों के लिए नदी तट पर सह-स्थित राज्यों को पूर्व अधिसूचना।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि (IWT) में "भविष्यगामी सहयोग" हेतु एक खंड का समावेश किया गया है। यह खंड दोनों देशों को जलवायु-प्रेरित जल परिवर्तनशीलता या भूजल साझाकरण जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने हेतु संधि का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करता है। परन्तु अतीत से ही, दोनों देशों के मध्य विश्वास की कमी ने सार्थक वार्ता को बाधित किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि ये नई चुनौतियां सिंधु नदी बेसिन के दोनों देशों से परस्पर निर्भरता स्वीकार करने और संयुक्त समाधानों पर चर्चा करने की मांग करती हैं।

1.1.2. सर क्रीक विवाद

(Sir Creek Dispute)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पाकिस्तान द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सर क्रीक क्षेत्र में एक अतिरिक्त मरीन (नौसैनिक) बटालियन तैनात करने के साथ-साथ दो नई चौकियों की स्थापना की गई है।

सर क्रीक के बारे में

- सर क्रीक, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 कि.मी. लंबा ज्वारनदमुख है। अरब सागर तक विस्तारित यह क्रीक भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पृथक करता है।
- **सर क्रीक विवाद:** सर क्रीक विवाद का मूल कारण कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या में निहित है। हालांकि यह विवाद केवल कुछ वर्ग मील के क्षेत्र से ही संबंधित है, किंतु **स्थलीय सीमा का सीमांकन दोनों देशों की समुद्री सीमाओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है**, जिसमें कुछ वर्ग मील का समुद्री राज्यक्षेत्र भी सम्मिलित है।
  - **पाकिस्तान का पक्ष**
    - पाकिस्तान "**ग्रीन लाइन**" द्वारा सीमांकित और इससे संबंधित वर्ष 1914 के मानचित्र पर निरूपित सर क्रीक के पूर्वी तट के साथ सम्पूर्ण सर क्रीक पर दावा करता है।
    - "ग्रीन लाइन" पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार करने का अर्थ **भारत के लिए लगभग 250 वर्ग मील की EEZ की हानि** होगी।
  - **भारत का पक्ष**
    - भारत का दावा है कि ग्रीन लाइन एक सांकेतिक रेखा (indicative line) है और सीमा को **क्रीक के "मध्य-चैनल"** से निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि 1925 के मानचित्र पर दर्शाया गया है।
    - भारत **अंतर्राष्ट्रीय कानून के थाल्वेग सिद्धांत** का उदाहरण देते हुए अपने पक्ष का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के मध्य प्रवाहित नदी की सीमाएँ, नदी के **मध्य चैनल** के रूप में (यदि दोनों देश सहमत हो) निर्धारित की जानी चाहिए।
    - पाकिस्तान का मत है कि इस प्रकरण में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि यह मुख्यत: **गैर-ज्वारीय नदियों** पर लागू होता है और **सर क्रीक, ज्वारनदमुख** है।

सर क्रीक का महत्व

- **सुरक्षा संबंधी महत्व:** सर क्रीक को मुख्य रूप से समुद्री या सामरिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है।
  - विगत वर्षों के दौरान यह क्षेत्र भारत में मादक द्रव्यों (ड्रग्स), हथियारों और पेट्रोलियम उत्पाद की तस्करी का मुख्य मार्ग बन गया है।
- **समुद्री सीमा:** सर क्रीक विवाद का समाधान अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता करेगा।
- **आर्थिक मूल्य:** इसके अधिकांश क्षेत्र में **समुद्र तल के नीचे तेल और गैस के समृद्ध** भंडार विद्यमान हैं, और क्रीक पर नियंत्रण प्रत्येक राष्ट्र की ऊर्जा क्षमता को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा।
  - सर क्रीक क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के सैकड़ों मछुआरों के लिए मत्स्यन हेतु महत्वपूर्ण स्थल है।
- **पारिस्थितिकीय मूल्य:** इस क्षेत्र का पारिस्थितिकीय महत्व और बढ़ती जलवायविक चिंताएं, इस विवाद को सीमापारीय सहयोग के अद्वितीय अवसर के रूप में निर्धारित करती हैं।
  - पाकिस्तान ने 2002 में सर क्रीक के पश्चिमी भाग को रामसर स्थल घोषित कर दिया था, परंतु भारत ने विवादित सीमा के अपनी ओर के क्षेत्र में अभी तक ऐसा नहीं किया है।
  - सर क्रीक के सम्पूर्ण क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित होने से क्षेत्र के दोनों ओर के निवासियों को बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह संयुक्त इको-टूरिज्म के अवसर सृजित करने में सहायता कर सकता है।

आगे की राह

- सर क्रीक की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के कारण, दोनों देश इस क्षेत्र को **समुद्री संवेदनशील क्षेत्र (maritime sensitive zone)** के रूप में नामित कर सकते हैं।
- सर क्रीक के प्रति सीमा-पार प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना निर्धन मछुआरों की दुर्दशा में सुधार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मछुआरे यहाँ प्रवाह के साथ अक्सर विवादित सीमांकन के पार चले जाते हैं, जिसके कारण प्रायः उन्हें (भारत अथवा पाकिस्तान द्वारा) हिरासत में ले लिया जाता है।
- सीमा गश्ती बलों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा संदर्भित "ग्रीन हेलमेट" के रूप में स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय प्रणालियों की निगरानी संबंधी अतिरिक्त दायित्व प्रदान किये जा सकते हैं।

VISION IAS

1.2. भारत एवं बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं बांग्लादेश ने सयुंक्त रूप से बांग्लादेश में विविध परियोजनाओं का शुभारंभ किया है।

भारत हेतु बांग्लादेश का महत्व

भू-राजनीतिक

- **पूर्वोत्तर भारत के साथ सम्बद्धता:** पूर्वोत्तर भारत के सभी सात राज्य स्थलरुद्ध हैं तथा इनके लिए समुद्र तक पहुँच का सबसे छोटा मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौते से पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सेतु:** बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक स्वाभाविक स्तंभ है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करने के संदर्भ में एक "सेतु" के रूप में कार्य कर सकता है। बिम्सटेक (BIMSTEC) और BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) पहलों में बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा समर्थन भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में पहुंच का पूरक है।
- **दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ बनाना:** आर्थिक विकास तथा सामरिक हितों को सुरक्षित करने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जैसे संगठनों का लाभ उठाकर, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।
- **समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना:** बांग्लादेश हिन्द महासागरीय क्षेत्र का एक प्रमुख देश है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप अवस्थित है। दक्षिण-पूर्व हिन्द महासागर समुद्री डकैती हेतु एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। इसे नियंत्रित करने में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **आतंकवाद का मुकाबला करना तथा कट्टरता की रोकथाम**: दोनों ही देश धर्म आधारित कट्टरपंथी संगठनों द्वारा प्रचारित की जाने वाली विचारधारा के प्रति सुभेद्य बने हुए हैं। अतः दोनों देश कट्टरता की रोकथाम करने हेतु प्रयासों, आसूचनाओं के साझाकरण और अन्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए परस्पर सहयोग कर सकते हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को नियंत्रित करना:** एक मित्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की भारत-विरोधी आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां संचालित होने नहीं देगा।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता को नियंत्रित कर सकेगा और उसकी स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स नीति को भी प्रतिसंतुलित करने में सहायक होगा।

आर्थिक महत्व

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वर्तमान में, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुल **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है जबकि दोनों देशों के मध्य व्यापार संभावनाएं वर्तमान **स्तर से कम से कम चार गुना अधिक** हैं।
- **निवेश के अवसर:** रक्षा क्षेत्र (जैसे- सैन्य उपकरण), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
- **ब्लू इकोनॉमी में सहयोग:** हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण, डीप-सी फिशिंग (गहरे सागरीय क्षेत्रों में मत्स्यन), समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग।
- **सामाजिक क्षेत्र का विकास:** बांग्लादेश गरीबी कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि हासिल करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए गए कार्यों के लिए विकासशील विश्व के लिए वर्तमान में एक रोल मॉडल है।

सांस्कृतिक संबंध

- भारत और बांग्लादेश के मध्य **साझा इतिहास, एक साझी विरासत**, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध तथा संगीत, साहित्य और कला के लिए समान अभिरुचि विद्यमान है। **लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क** में वृद्धि से अन्य क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को (विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप) प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से बांग्लादेश के एक छोटे पड़ोसी होने की भावना से उत्पन्न हुई **वैमनस्यता और विश्वास में कमी के निराकरण** में भी सहायता प्राप्त होगी।

भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जल विवाद :

गंगा नदी विवाद

- वर्ष 1996 में, दोनों देशों द्वारा गंगा के जल के साझाकरण पर सफलतापूर्वक सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि, विवाद का प्रमुख विषय भारत द्वारा **फरक्का बैराज** (हुगली नदी में जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु) का निर्माण एवं संचालन रहा है।

VISION IAS

- बांग्लादेश द्वारा इस संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया है कि उसे शुष्क मौसम के दौरान जल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत मानसून के दौरान भारत द्वारा अतिरिक्त जल छोड़ने पर बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं।

तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना

- बांग्लादेश द्वारा अपनी पूर्वी सीमा पर बराक नदी पर **तिपाईमुख** जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई है।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना पर उसके द्वारा कोई भी ऐसा एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जायेगा, जो बांग्लादेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

तीस्ता नदी जल साझाकरण से संबंधित मुद्दा

तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में पौहुनरी (या तिस्ता कंग्से) हिमनद से होता है तथा यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना कहलाती है) में मिल जाती है। यह नदी बांग्लादेश के विस्तृत रंगपुर क्षेत्र में धान की कृषि हेतु सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है।

- वर्ष 1983 में दोनों देशों के मध्य जल साझाकरण से संबंधित एक अस्थायी समझौता किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश को 36% तथा भारत को 39% जल आपूर्ति की जानी थी, जबकि शेष 25% जल को गैर-आवंटित रखने का निर्णय किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस अस्थायी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।
- बांग्लादेश ने वर्ष 1996 की गंगा जल संधि की भांति तीस्ता के जल के भी न्यायसंगत वितरण की मांग की है।
- वर्ष 2011 में भारत तथा बांग्लादेश ने एक समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया था। इसके तहत भारत को नदी जल का 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% भाग प्राप्त होना था, जबकि शेष 20% नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित रूप से प्रवाहित होते रहना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे।

बांग्लादेश में चीन की कुछ प्रमुख पहलें

- चीन द्वारा बांग्लादेश में 1,320 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ-साथ **25 ऊर्जा परियोजनाओं** का वित्तपोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह बांग्लादेश के दूसरे नाभिकीय विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु सहायता प्रदान कर रहा है।
- म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश को युन्नान प्रान्त से जोड़ने वाले राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का निर्माण।
- चीनी सरकार द्वारा बांग्लादेश के **प्रथम संचार उपग्रह "बंगबंधु-1"** के लिए वार्ता की गई और वित्तपोषित प्रदान किया गया है।

भारत बांग्लादेश संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **नदी विवाद:** भारत बांग्लादेश के साथ 54 बड़ी और छोटी सीमापारीय नदियों को साझा करता है। (विवाद संबंधी तथ्यों के लिए बॉक्स देखें)
- **सीमा प्रबंधन:** भारत-बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो तस्करी और हथियारों, मादक द्रव्यों तथा लोगों के दुर्व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है।
- **अवैध आप्रवासी:** 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात् जब बांग्लादेश का एक नए देश के रूप में गठन हुआ था, तब लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों (जिसमें से अधिकांश अवैध प्रवासी थे) ने भारत में प्रवेश किया था। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी परिवर्तित हो रही है, जो इस क्षेत्र में अशांति का कारण है।
- **चाइना फैक्टर (चीनी कारक):** भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश भारत के विरुद्ध अपनी सौदेबाज़ी क्षमता के पूरक के रूप में *"चाइना कार्ड (अपने हितों की पूर्ति हेतु चाइना से संबंध स्थापित करना)'* का उपयोग कर रहे हैं।
- **रोहिंग्या संकट:** लगभग 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत द्वारा रोहिंग्या संकट के समय 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत मानवीय सहायता प्रदान की गयी थी, परंतु बांग्लादेश भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वह रोहिंग्याओं की स्वदेश वापसी हेतु म्यांमार पर दबाव डाले।
- **उग्रवादी समूहों की मौजूदगी:** हरकत-उल जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI), जमात-ए-इस्लामी और HUJI-B जैसे आतंकवादी समूह बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार सीमा-पार भी प्रसारित हो सकता है।

VISION IAS

संबंधों में सुधार लाने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **व्यापार:** सीमा शुल्क और प्रवास संबंधी दस्तावेजों में कटौती, 49 **भू-अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क केन्द्रों की स्थापना, बांग्लादेश सीमा से संलग्न एकीकृत चेक पोस्टों** (उदाहरणार्थ- असम में सुतारकंडी और पश्चिम बंगाल में घोजदंगा) इत्यादि द्वारा बांग्लादेश के साथ बाह्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी ।
  - भारत बांग्लादेश के साथ **बॉर्डर हाट** का विकास कर रहा है। इसमें स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के **विपणन की पारंपरिक प्रणाली** पर बल देना भी सम्मिलित है।
- **कनेक्टिविटी: BBIN** पहल का लक्ष्य वस्तुओं के ट्रांस-शिपमेंट (वाहनांतरण) की आवश्यकता के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है।
  - **प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वॉटर ट्रांजिट एंड ट्रेड (PIWTT)** के माध्यम से भारत बांग्लादेश की उसकी इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी एवं इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी, दोनों से संबद्ध जलमार्गों की क्षमता से लाभान्वित होने में सहायता कर रहा है।
  - बांग्लादेश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत द्वारा **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क** का विस्तार किया गया है।
- **उर्जा: रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना** बांग्लादेश में भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है। भारत, बांग्लादेश में परियोजना स्थल पर **कार्मिक प्रशिक्षण, परामर्श समर्थन, स्थापना एवं निर्माण कार्य में भागीदारी** तथा नॉन क्रिटिकल सामग्रियों की आपूर्ति में सहयोग प्रदान करेगा।
  - वर्तमान में भारत दैनिक आधार पर बांग्लादेश को **660 मेगावाट विद्युत का निर्यात** करता है। हाल ही में भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करने हेतु एक परियोजना का उद्घाटन किया गया था।
  - एक अन्य प्रारंभ की गई परियोजना में तेल के परिवहन हेतु 130 किलोमीटर लंबी **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन** परियोजना का निर्माण सम्मिलित है।
- **रक्षा:** रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क समझौते के माध्यम से, भारत सामरिक और परिचालन अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए **सैन्य उपकरण** उपलब्ध करा रहा है और **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** भी कर रहा है।
- **अंतरिक्ष:** आपदा प्रबंधन, टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन और अंतरसरकारी नेटवर्कों के क्षेत्रों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु **साउथ एशियन सेटेलाइट (SAARC सेटेलाइट)** का प्रक्षेपण किया गया।

आगे की राह

- भारत को विशेष रूप से चीन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे पड़ोसी देशों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एकपक्षीय समर्थन प्रदान करने संबंधी **गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine)** को अपनाना चाहिए।
- भारत को दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ संबंध स्थापित करने हेतु **साझा सांस्कृतिक इतिहास** और आर्थिक पूरकताओं का **लाभ उठाना** चाहिए तथा दोनों देशों के लोगों के मध्य परस्पर सुदृढ़ संबंधों का निर्माण करना चाहिए।
- भारत को तीस्ता जल संधि जैसे लंबित मुद्दों का अग्रसक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए।

1.3. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

भारत और अफगानिस्तान के मध्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबद्धता पर आधारित सुदृढ़ संबंध विद्यमान हैं। प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान तथा भारत के लोग व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से एक-दूसरे के साथ परस्पर अंतर्संबंधित हैं तथा अपने साझा सांस्कृतिक मूल्यों एवं समानताओं के आधार पर शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व बनाए हुए हैं।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व

- **आर्थिक महत्व**
  - **प्राकृतिक संसाधन:** अफगानिस्तान के पास प्रचुर मात्रा में **तेल एवं गैस भंडार और दुर्लभ मृदा पदार्थों के समृद्ध स्रोत उपलब्ध हैं।**
  - अफगानिस्तान के लिए वृहद पैमाने पर पुनर्निर्माण योजनाएं, भारतीय कंपनियों को **निवेश** का वृहत अवसर प्रदान करती हैं।
  - यह TAPI पाइपलाइन परियोजना का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसका लक्ष्य तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना है।
- **सुरक्षा:** जम्मू और कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए काबुल में स्थिर सरकार की स्थापना आवश्यक है। इस प्रकार, अफगानिस्तान के मामलों में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य पाकिस्तान को केंद्रीय भूमिका पुन: प्राप्त करने से रोकना है।
- **ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया का प्रवेश द्वार:** अफगानिस्तान दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया एवं मध्य पूर्व के केंद्र (crossroad) में स्थित है।

भारत एवं अफगानिस्तान द्वारा ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

- **व्यापारिक संबंध**
  - अफगान द्वारा किये जाने वाले निर्यातों के लिए **भारत दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य** है।
  - **भारत से** अफगानिस्तान को **निर्यात की जाने वाली वस्तुओं** में कपड़ा, दवाएं, तंबाकू, लौह एवं इस्पात तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी सम्मिलित हैं, जबकि अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं में फल, बादाम (nuts), गोंद, किशमिश, कॉफी, चाय और मसाले सम्मिलित हैं।
- **अवसंरचना विकास:** भारत, अफगानिस्तान को अवसंरचना, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाला छठा सबसे बड़ा दानकर्ता देश है।
  - कुछ प्रमुख परियोजनाओं में सम्मिलित हैं:
    - ईरानी सीमा तक वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए ज़रांज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण।
    - हेरात प्रांत में अफगान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) का निर्माण।
    - अफगान संसद का निर्माण।
  - **नई विकास सहभागिता:** भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी गई 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास और आर्थिक सहायता के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के कारण दोनों देशों ने अगली पीढ़ी की 'नई विकास सहभागिता' प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि के क्षेत्रों में 116 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।
- **कनेक्टिविटी संबंधी पहलें**
  - **चाबहार पत्तन:** भारत चाबहार पत्तन के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सहयोग कर रहा है। यह पत्तन **अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करता है। इस संदर्भ में, चाबहार के माध्यम से समुद्र तक पहुंच पर आधारित त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - **हवाई माल भाड़ा गलियारा:** भारत और अफगानिस्तान ने **2017 में समर्पित हवाई माल भाड़ा गलियारा सेवा** का उद्घाटन किया था। यह अफगानिस्तान को **भारत के बाजारों तक अधिक व्यापक पहुंच प्रदान** कर सकता है।
  - अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 2011 में **अफगानिस्तान-पाकिस्तान पारगमन एवं व्यापार समझौते (Afghanistan Pakistan Transit and Trade Agreement: APTTA)** पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता प्रत्येक देश को दोनों की राष्ट्रीय सीमाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में, पाकिस्तान द्वारा भारत में वस्तुएं ले जाने वाले अफगान ट्रकों को केवल वाघा में अपने अंतिम चेकपॉइंट तक ही जाने की अनुमति प्रदान की गयी है जबकि वह मात्र एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित भारतीय चेकपॉइंट अटारी तक जाने की अनुमति नहीं देता है। भारत APTTA में सम्मिलित होने का इच्छुक है और अफगानिस्तान ने APTTA का सदस्य बनने की भारत की इच्छा का समर्थन किया है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** अफगानिस्तान, **2000 वर्षों** से फारस, मध्य एशिया की सभ्यताओं को भारत से जोड़ते वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और शिल्प केंद्र रहा है। अफगानिस्तान के पुनर्गठन कार्यक्रम में भाग लेने का भारत का लक्ष्य नियमित रूप से ऐसी परियोजनाएं आरम्भ करना रहा है जो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने में सहायक होंगी।
- **अफगानिस्तान में भारतीय डायस्पोरा:** वर्तमान में, अफगानिस्तान में लगभग **2500** भारतीयों के होने का अनुमान है।
- **राजनीतिक और सुरक्षा संबंध:**
  - सोवियत-अफगान युद्ध (1979-89) के दौरान, भारत **अफगानिस्तान को सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता देने वाला** एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था। भारत ने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता भी प्रदान की थी। सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद, भारत ने नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा।
  - भारत ऐसा **प्रथम देश था जिसका चयन अफगानिस्तान द्वारा रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हेतु किया गया।** भारत ने "अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, सामरिक उपकरण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों" में सहायता के लिए 2011 में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

VISION IAS

- भारत आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन की समस्या का सामना करने हेतु **अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों** को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत, अफगानिस्तान की अगुवाई और अफगान स्वामित्व वाली शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है।
- भारत ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के भाग के रूप में अफगानिस्तान को तालिबान का मुकाबला करने हेतु तीन **MI-25 हमलावर हेलीकॉप्टर** प्रदान किए हैं।

1.3.1. अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

(American Retrenchment from Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आगामी 2 माह में अफगानिस्तान से 15,000 अमेरिकी सैनिकों में से 50% सैनिकों की अमेरिका वापसी के माध्यम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश जारी किया है।

पृष्ठभूमि एवं अफगानिस्तान में संघर्ष

- अफ़ग़ान युद्ध वर्ष **1978** में प्रारंभ हुआ था, जब **अफगानिस्तान** में सोवियत संघ के प्रभाव के अधीन एक प्रकार की **साम्यवादी सरकार** की स्थापना हुई थी।
- मुजाहिद्दीनों के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हुआ और सोवियत संघ ने वर्ष 1979 में साम्यवादी सरकार की रक्षा के लिए सैनिकों के साथ अफगानिस्तान में प्रवेश किया।
- वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण और 1989 में उनकी वापसी सहित अफगानिस्तान, पिछले 40 वर्षों से उथल-पुथल की स्थिति में रहा है।
- **तालिबान, एक चरम कट्टरपंथी राजनीतिक और धार्मिक गुट** है जिसका उदय अफगानिस्तान में हुआ था। तालिबान वर्ष 1996 में सत्ता में आया और बाद में वर्ष 2001 में अल-कायदा का मुकाबला करने के प्रयास में **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (International Security Assistance Force: ISAF)** द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया।
- US और NATO सेना द्वारा औपचारिक रूप से 2014 के अंत में अपने युद्ध मिशन की समाप्ति के बाद से **तालिबान ने अपनी पहुंच का तीव्रता से विस्तार किया** है। हालांकि, अभी भी 14 से अधिक जिले (देश का 4% हिस्सा) इसके नियंत्रणाधीन हैं।

अफगान समस्या को बढ़ाने वाले कारक

- **ग्रेट गेम**
  - **वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप,** उदाहरणार्थ- अमेरिका-रूस के मध्य तनाव, दोनों के मध्य अफगानिस्तान में छद्म युद्ध के लिए स्थान बना रहा है। इसी प्रकार अल-कायदा और IS से संबंधित आतंकवादी समूहों द्वारा किए जाने वाले हमले ईरान और अरब जगत के मध्य बड़े युद्ध में परिणत हो सकते हैं।
  - भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण अफगानिस्तान में भारत द्वारा विकास कार्यों के लिए दी जा रही सहायता भी प्रभावित हुई है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति में विफलता:** संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता, अफगानिस्तान में सेना की उपस्थिति, वायु सेना का अंधाधुंध प्रयोग या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में एक समेकित रणनीति विकसित करने में असफल रहा है।
- **सैन्य कारक:** अमेरिका और पश्चिमी देशों की सरकारों ने अफगानिस्तान में पश्चिमी सैन्य बलों की बड़ी संख्या में तैनाती और अत्यधिक मात्रा में सहायता प्रदान करने के माध्यम से अफगानों हेतु युद्ध जीतने का प्रयास किया था, जिससे देशज जनजातियों में असंतोष व्याप्त हो गया था। भू-भाग और नियोजित युद्ध (set-piece battle) से बचने हेतु तालिबान द्वारा अपनाई गयी युक्तियों के कारण, वायु शक्ति का निरंतर प्रयोग युद्ध की दिशा को परिवर्तित करने में असफल रहा।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान में तालिबान का शरण स्थल और पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से प्राप्त समर्थन वरिष्ठ तालिबानी नेताओं को अपेक्षित सुरक्षा में युद्ध के संचालन हेतु सहायता प्रदान करता है।
- **निम्नलिखित कारणों से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की वैधाता को भी पर्याप्त बल नहीं मिला है:**
  - मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के मध्य संघर्ष;
  - भ्रष्टाचार व निर्वाचन सुधारों के कार्यान्वयन का अभाव; तथा

VISION IAS

- तालिबान द्वारा अफगान सरकार से वार्ता करने से मना करना। तालिबान का मानना है कि वर्तमान अफगान सरकार एक कृत्रिम सरकार है, विदेशों द्वारा थोपी गई सरकार है और यह सरकार अफगानिस्तान के लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि सरकार नहीं है।

- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** अफगानिस्तान में चलवासी और जनजातीय राज्यव्यवस्था में पश्तून, तुर्क और फ़ारसी जैसी विविध जनजातियाँ शामिल हैं। ये जनजातियाँ अपनी परम्पराओं और संस्कृति को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। जनजातीय गुटबंदी ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के स्थायित्व को अनुमति प्रदान नहीं की है।
- **IS का उदय:** आतंकवादियों पर कार्यवाही करने के अफगान सरकार के दावों के बावजूद, IS और तालिबान के खतरों में वृद्धि हुई है। इन दोनों का लक्ष्य राष्ट्र को अस्थिर करना तथा अराजकता की ओर ले जाना है।
- 2014 के अंत में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (ISAF) द्वारा अफगानिस्तान में अपने मिशन की समाप्ति के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों द्वारा अफगान बलों को "सलाह, प्रशिक्षण और सहायता" के लिए 'ऑपरेशन रिसोल्यूट सपोर्ट' शुरू किए जाने के पश्चात आत्मघाती बमबारी के कारण **युद्ध और मारे गए नागरिकों की संख्या में वृद्धि** हुई है।

संबंधित तथ्य- सीरिया से अमेरिका की वापसी

- अमेरिका ने **सीरिया से अपने सैन्य बलों की वापसी** का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां ये कुर्दिश नेतृत्व में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) गठबंधन के विद्रोही लड़ाकों को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
- **वापसी हेतु उत्तरदायी कारण**
  - **इस्लामिक स्टेट (IS) को पराजित** करने का उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका है, इसका किसी भी स्थान पर अधिपत्य शेष नहीं है तथा इराक और सीरिया के सभी नगरीय केन्द्रों को इनके अधिपत्य से मुक्त करा लिया गया है।
  - **असद शासन को समाप्त करने** और ईरानी प्रभाव में कमी करने संबंधी **अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्य** के पूर्ण होने की संभावना कम है।
  - विशेष रूप से उत्तरी सीरिया में **तुर्की और कुर्द** के मध्य **संतुलन स्थापित करने के अमेरिकी कार्य** को दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त नहीं हुई।
- **नकारात्मक परिणाम**
  - **सेना की वापसी के कारण इस क्षेत्र में IS की वापसी की संभावना है।** यद्यपि IS का नियंत्रण सभी क्षेत्रों से समाप्त हो गया है किन्तु वर्तमान में भी सीरिया और इराक में इसके लड़ाकों की संख्या क्रमशः लगभग 14,000 और 17,000 है।
  - सीरियाई कुर्दिश बलों और तुर्की के मध्य **संघर्ष में वृद्धि हो सकती है** क्योंकि तुर्की सीरियाई कुर्दिश बलों को आतंकवादी समूह मानता है।
  - सीरिया, तुर्की और ईरान के भागों को शामिल करते हुए **एक स्वायत्त कुर्दिश राज्य की स्थिति** पर अनिश्चितता में वृद्धि हो सकती है।
  - सीरिया के भीतर 'प्रभाव क्षेत्र' के संबंध में **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त वृद्धि** हो सकती है। उदाहरणार्थ- पश्चिमी अफगानिस्तान से भूमध्यसागर तक एक 'शिया क्रिसेंट' निर्मित करने का ईरान का प्रयास।

अमेरिका की वापसी के कारण (Why US is pulling out?)

- सैनिकों में की गयी यह कमी राष्ट्रपति ट्रंप की **अमेरिका फर्स्ट की नीति** के अनुरूप है।
  - ट्रंप के अनुसार अमेरिका स्वयं के पुनर्निर्माण के स्थान पर दूरस्थ संघर्षों में अपने **"मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों"** का अपक्षय कर रहा है।
  - वर्ष 2001 में प्रारंभ अफगानिस्तान संघर्ष अमेरिका का अब तक का सर्वाधिक लम्बा युद्ध अर्थात 17 वर्षों के पश्चात् भी जारी युद्ध, है जिसमें अत्यधिक धन और मानव बल की क्षति हुई है।
  - मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों के दीर्घकालिक निवेश के बावजूद राजनीतिक समाधान अभी भी निलम्बित अवस्था में है तथा इसके परिणामस्वरूप सैन्य संलिप्तता की निरर्थकता

पर **अमेरिकी प्रशासन के भीतर अविश्वास में वृद्धि** हुई है।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति द्वारा **सुरक्षा लागतों के विषम वितरण पर** अपने तर्क में एक व्यापार आयाम का भी समावेश किया है। अत्यधिक व्यापार अधिशेषों का लाभ उठाने के बावजूद जर्मनी, जापान, भारत इत्यादि जैसे अमेरिका के मित्र राष्ट्र अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त व्यय नहीं कर रहे हैं।
- वर्ष 2017 में प्रतिपादित नवीन **अफगान-पाक (Afpak) नीति** के तहत, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या में अल्प वृद्धि की गयी थी और वापसी हेतु किसी अनिश्चित समयसीमा के साथ ओपन-एंडेड संलिप्तता की घोषणा की गयी तथा पाकिस्तान के विरुद्ध अभूतपूर्व कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया। इसमें शांति और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय भूमिका में वृद्धि की भी मांग की गयी थी। परन्तु पाकिस्तान-चीन धुरी के प्रभावस्वरूप इसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई।
- यह वापसी **इन तथ्यों की स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध में विजयी होने में असक्षम सिद्ध हो रहा था।** पुनः, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से स्थिति भी उसके पक्ष में परिवर्तित नहीं होगी।

सेना की वापसी के परिणाम

- **शांति प्रक्रियाओं पर प्रभाव:** कूटनीतिक शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति अत्यावश्यक है। वर्तमान में अमेरिकी अधिकारी तालिबान के साथ वार्ता में संलग्न हैं। हालांकि इस समय सैन्य वापसी एक समझौते हेतु तालिबान के लिए प्रोत्साहन को कम करेगी।
- **लोकतांत्रिक सरकार का पतन तथा तालिबान का पुनरुत्थान:** जैसा कि वर्ष 2017 की संयुक्त राज्य अमेरिका की अफगानिस्तान-पाकिस्तान नीति (AfPak policy) में परिलक्षित हुआ था कि राष्ट्रीय एकता सरकार की पुनर्स्थापना हेतु प्रतीकात्मक उपस्थिति आवश्यक थी। यदि अमेरिका की वापसी हो जाती है तो पाकिस्तान के समर्थन और रूस एवं ईरान से सीमित सहायता के साथ तालिबान देश के शेष सभी शहरों में नियंत्रण स्थापित कर सकता है जो वर्तमान में उनके नियंत्रण में नहीं हैं।
- **आतंकवाद में वृद्धि:** एक त्वरित अमेरिकी निकास से अफगानिस्तान, वैश्विक आतंक के मुख्य केंद्र के रूप में उभर सकता है जैसा कि 1990 के दशक के दौरान हुआ था। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान (इस्लामिक स्टेट का स्थानीय प्रान्त), भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (अलकायदा का स्थानीय संबद्ध समूह) तथा हक्कानी नेटवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में मुक्तरूप से परिचालन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- **अफगान बलों की दोषपूर्ण क्षमता:** सैन्य बलों की वापसी के साथ, अफगानी सैन्यबलों को प्रशिक्षित करने, युद्धक्षेत्र में उन्हें सलाह देने और तालिबान एवं अन्य आतंकवादी समूहों के विरुद्ध एक हवाई अभियान के संचालन सहित वर्तमान में जो मिशन परिचालन में हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे अत्यंत कमजोर अफगान बलों की संघर्ष करने की इच्छाशक्ति कमजोर होगी।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** सैन्य वापसी, भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय अस्थिरता में और अधिक वृद्धि कर सकती है। अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन देश में पाकिस्तान को एक केन्द्रीय अभिकर्ता के रूप में स्थापित करेगा।
- **शरणार्थी संकट:** नागरिक अशांति, देश से पलायन करने का प्रयास करने वाले अफगानी लोगों के व्यापक निर्गमन का कारण बन सकती है, जिससे एक अन्य शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है।

भारत हेतु परिणाम

- अस्थिर और तालिबान अधिकृत अफगानिस्तान, **जम्मू और कश्मीर में हिंसा** के अभ्युत्थान का कारण बन सकता है तथा इस देश का प्रयोग **शेष भारत पर हमले करने** हेतु एक स्टेजिंग पोस्ट के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि 1990 के दशक के अंत में हुआ था (IC84 विमान का अपहरण)।
- अफगानिस्तान में **भारत द्वारा किये गए निवेशों** और विकसित संरचनाओं के समक्ष **आसन्न सुरक्षा संकट** उत्पन्न हो सकता है।
- चूँकि भारत चाबहार, INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) आदि जैसी संयोजक परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में अपनी भौतिक उपस्थिति में वृद्धि कर रहा है, परन्तु प्रतिकूल राष्ट्रीय सरकार **संयोजक प्रयासों में अवरोध उत्पन्न करेगी, शरणार्थी संकट** में वृद्धि करेगी तथा मध्य पूर्व में **भारत की ऊर्जा सुरक्षा** क्षेत्रीय गठबन्धनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।
- गैर-हस्तक्षेपवादी विदेश नीति के माध्यम से अमेरिका की पृथकतावादिता अफगानिस्तान में **चीनी सैन्य हस्तक्षेप हेतु आधार तैयार करेगी।**
- भारत को इस्लामिक स्टेट के **पुनरुत्थान** तथा काबुल में सत्ता में **तालिबान की संभावित वापसी** सहित अपरिहार्य भू-राजनीतिक अशांति हेतु तैयारियां आरम्भ करनी होंगी।

VISION IAS

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि **पश्चिमी देश अफगानिस्तान का वित्त पोषण और अपने सैन्य बलों की तैनाती जारी रखें** ताकि अफगान बलों द्वारा तालिबान लडाकों को पराजित करने की सम्भावना बनी रहे।
- यदि अमेरिका पीछे हटता है तो **यह क्षेत्र को प्रभावित करने हेतु रूस और ईरान के लिए स्थान छोड़ देता है।** अब शांति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने हेतु भारत को **दोनों देशों के साथ सहयोग करने की** आवश्यकता है।
- भारत ने भावी कदम उठाते हुए, अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया के संबंध में **तीन नई "रेड लाइन्स"** का उल्लेख किया है, यथा:
    - "सभी पहलों और प्रक्रियाओं में विधिक रूप से निर्वाचित सरकार सहित अफगान समाज के सभी वर्गों को शामिल करना"। इसका अर्थ यह भी है कि तालिबान से वार्ता करना भारत को स्वीकार्य है क्योंकि तालिबान "अफ़ग़ान समाज के एक वर्ग" का प्रतिनिधित्व करता है।
    - "किसी भी प्रक्रिया को संवैधानिक विरासत और राजनीतिक अधिदेश का सम्मान करना चाहिए।" इसका अर्थ है कि महिलाओं के अधिकारों सहित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों की स्थापना की उपलब्धि का सम्मान किया जाना चाहिए।
    - किसी प्रक्रिया को "किन्हीं ऐसे अनियंत्रित स्थानों पर सम्पन्न नहीं किया जाना चाहिए जहां आतंकवादी और उनके प्रतिनिधि पुनर्प्रभावी हो सकते हैं।" यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट सहित विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न किये जा सकने वाले खतरे को इंगित करता है, जिनकी गतिविधियों को उस स्थान से अवरुद्ध किया जाना चाहिए। साथ ही, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों की पुनर्स्थापना को भी अवरुद्ध किया जाना चाहिए।

संबंधित तथ्य

भारत ने तालिबान के साथ रूस द्वारा प्रायोजित शांति वार्ता में भाग लिया है।

- रूस, अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष के लिए शांति प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु **विभिन्न पक्षकारों को एकसाथ** लाने का प्रयास कर रहा है।
- वर्तमान में, **"मॉस्को फॉर्मेट / मॉस्को टॉक्स"** के नाम से जानी जाने वाली वार्ताओं में तालिबान के **"उच्च-स्तरीय" प्रतिनिधिमंडल** के साथ -साथ अफगानिस्तान के **"हाई पीस काउंसिल (HPC)"** के प्रतिनिधिमंडल के अतिरिक्त 12 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- **पहली बार किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा,** अनौपचारिक रूप से, भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। जबकि मॉस्को स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने भी अपने एक प्रतिनिधि को वार्ताओं में एक पर्यवेक्षक के रूप में भेजा।

भारत द्वारा सम्मेलन में भागीदारी करने के निम्नलिखित कारण हैं:

- परिवर्तित होते क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुरूप वर्तमान नीति को पुनः संशोधित करने की आवश्यकता है। इसी के चलते भारत ने **तालिबान के साथ प्रतिकूल संबंधों** के बावजूद मॉस्को में बहुपक्षीय सम्मलेन में भाग लिया।
- इसके अतिरिक्त, भारत की चिंताओं में भी वृद्धि हुई है क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन और यहां तक कि अफगान सरकार ने भी यह संकेत दिया है कि **वे तालिबान के साथ वार्ता करने हेतु तैयार हैं।**
- इन वार्ताओं में भाग लेने के संबंध में भारत का मानना था कि **हाई पीस काउंसिल (HPC) के माध्यम से अफगान सरकार** की उपस्थिति के कारण किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उल्लेखनीय है कि HPC एक सरकारी निकाय है जो तालिबान के साथ सुलह संबंधी प्रयासों के लिए उत्तरदायी है।
- भारत द्वारा सम्मलेन में भाग लेने संबधी निर्णय वस्तुतः **"अफगानिस्तान सरकार के साथ घनिष्ठ वार्ता"** का परिणाम था तथा इस सम्मलेन में भारत की उपस्थिति भी आवश्यक थी।
- मास्को वार्ता में भाग लेने के लिए भारत को रूस का आमंत्रण **भारत के हितों और उसकी भूमिका को मान्यता** प्रदान करता है। भारत की भागीदारी **एक स्थिर, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान** के सिद्धांत के **प्रति प्रतिबद्धता** को दर्शाती है।

1.4. भारत-भूटान (India-Bhutan)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सम्पन्न हुए चुनाव के पश्चात् भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपनी प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में भारत की यात्रा की।

VISION IAS

भारतीय विदेश नीति के लिए भूटान का महत्व

- **एक विश्वसनीय सहयोगी**: भारत-भूटान संबंध,1949 की मैत्री संधि (2007 में संशोधित) द्वारा अधिशासित किए जाते हैं। इस संधि में उल्लिखित किया गया है कि दोनों देश स्थायी शांति, मैत्री तथा एक-दूसरे के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
  - भूटान , दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके भारत के साथ संबंध सत्तारूढ़ दल के आधार पर चीन या भारत के मध्य परिवर्तित नहीं होते हैं।
  - इस प्रकार, भारत सरकार ने अपनी प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में भूटान की यात्रा करके या डोकलाम संकट के दौरान भूटान का दृढ़तापूर्वक समर्थन करते हुए अपना सम्मान प्रकट किया है। **अत: दोनों देशों द्वारा एक अच्छे पड़ोसी के रूप में मैत्रीपूर्ण संबंधों संचालन में पूर्ण सहयोग किया गया है।**
- **रणनीतिक प्रासंगिकता:** भूटान, भारत और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियों के मध्य एक बफर स्टेट की भूमिका का निर्वहन करता है। चीन द्वारा लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना दावा किया जाता है। यह दावा भारत और भूटान की संप्रभुता के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है। इस प्रकार, भूटान और भारत दोनों के लिए मिलकर चीन के इन क्षेत्रीय दावों का विरोध करना अनिवार्य हो गया है।
- **आर्थिक अतिव्यापन**: भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापार एवं विकास भागीदार बना हुआ है। भारत द्वारा 1961 से ही भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं हेतु उदारतापूर्वक योगदान दिया गया है।
  - आर्थिक संबंधों के मुख्य स्तंभ के रूप में **जलविद्युत परियोजनाओं में सहयोग** में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है और यह भूटान की प्रमुख निर्यात मद तथा उसके राजस्व के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। जल विद्युत् संबंध भारत को ऊर्जा संकट से निपटने और भूटान की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं।
  - भूटान में भारतीय सहायता से विकसित तीन जलविद्युत परियोजनाओं यथा- ताल जलविद्युत परियोजना, चूखा जलविद्युत परियोजना, कुरिचू जलविद्युत परियोजना, को पूर्ण किया जा चुका है।

संबंधों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- ऐसी धारणा है कि भारत कभी-कभी भूटान की निष्ठा पर संदेह व्यक्त करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, शासन का प्रबंधन और आर्थिक दबाव (2013 की नाकाबंदी) भारत के उद्देश्यों के प्रति भूटान के अविश्वास में वृद्धि करते हैं।
- एक अन्य मुद्दा भूटान की अवस्थिति का भौगोलिक रूप से गैर-लाभप्रद होना भी है, जिसने इसकी अर्थव्यवस्था को भारत पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है। इससे भूटान के साथ व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों में भारत को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है।
- भारत-भूटान संबंधों में चीन एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। हालिया वर्षों में चीन ने भूटान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया है। यह चुंबी घाटी और डोकलाम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी भौतिक उपस्थिति से प्रकट होती रही है।

आगे की राह

- **मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनः समीक्षा करना:** भारत द्वारा संधि की मूल भावना का अक्षरशः अनुपालन (न कि अवसरवादिता दृष्टिकोण के आधार पर) करते हुए अपने प्रति भूटान के विश्वास में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **रणनीतिक संतुलन:** भूटान और भारत द्वारा भू-क्षेत्रीय समावेशन के सभी मामलों के संबंध में द्विपक्षीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए। भारत को चीनी दृष्टिकोण से मुक्त एक स्वतंत्र भूटान नीति का विकास करने की आवश्यकता है।
- **समावेशी आर्थिक संबंध**: भारत को भूटान की ऋण संबंधी आशंकाओं को कम करने हेतु प्रयास करने चाहिए। लंबित परियोजनाओं के संचालन से आशंकाओं को कम किया जा सकता है।
  - किसी अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण स्वरूप प्रदान करने में कोई हानि नहीं है और भारत द्वारा इसे भूटान को साझेदार बनाने के नए अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए साथ ही इस विविधतापूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। इसके माध्यम से अपने संबंधों को अनुदान प्रदाता से एक निवेश आधारित विकासकर्ता के रूप में परिवर्तित करने में सहायता प्राप्त होगी। भूटान के युवाओं में कौशल-विकास करना, एक द्विपक्षीय पर्यटन नीति विकसित करना और निजी निवेश में वृद्धि दोनों देशों हेतु लाभप्रद हो सकता है।
  - प्रधानमंत्री की हालिया भूटान यात्रा उपर्युक्त वर्णित मुद्दों के निवारण हेतु एक प्रारंभिक आधार बन सकती है।

1.5. भारत का बिम्सटेक की ओर झुकाव

(India's Shift towards BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, BIMSTEC के नेताओं को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इसे भारत की अपने पड़ोसियों (पाकिस्तान को छोड़कर) के

VISION IAS

साथ संलग्नता के सूचक के रूप में प्रदर्शित किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क (SAARC) के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

पृष्ठभूमि

विगत कुछ समय से भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के कारण, नई दिल्ली ने SAARC से BIMSTEC की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस परिवर्तन को दर्शाने वाली उल्लेखनीय घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- काठमांडू सार्क सम्मेलन (2014): पाकिस्तान ने भारत द्वारा प्रारंभ किए गए संबद्धता समझौतों (connectivity agreements) को वीटो कर अवरुद्ध कर दिया था, जबकि अन्य सभी देश इस पर हस्ताक्षर करने हेतु सहमत थे।
- वर्ष 2016 के उरी हमले के पश्चात् भारत ने इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में आयोजित होने वाले SAARC सम्मेलन का बहिष्कार किया। SAARC के अन्य सदस्य देशों द्वारा भी शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया तथा बाद में इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया।
- इसके तत्काल पश्चात्, भारत द्वारा वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित BRICS आउटरीच समिट में भाग लेने हेतु BIMSTEC के नेताओं को आमंत्रित किया गया।
- वर्ष 2017 के BIMSTEC शिखर सम्मेलन में, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि, **"यह नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत निर्धारित हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु एक स्वभाविक मंच (नेचुरल प्लेटफ़ॉर्म) है।"**
- इसके पश्चात् वर्ष 2018 में नेपाल में आयोजित BIMSTEC शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन या वित्त प्रदान करने वाले तथा आतंकवादियों एवं आतंकवादी समूहों को शरण प्रदान करने वाले देशों को आतंकवादी गतिविधियों हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

भारत के BIMSTEC की ओर झुकाव के कारण

- **SAARC की निष्क्रियता** भारत द्वारा BIMSTEC तक अपनी पहुंच में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह निष्क्रियता भारत की बढ़ती आर्थिक आकांक्षाओं के दायरे के साथ-साथ क्षेत्रीय अभिशासन में सुधार करने की इसकी भूमिका को भी सीमित कर देती है।
- BIMSTEC निम्नलिखित **आर्थिक हितों** की भी पूर्ति करता है:
  - BIMSTEC देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर है।
  - प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय परिवेश की उपस्थिति के बावजूद, सभी सात देश वर्ष 2012 से 2016 तक 3.4 से 7.5 प्रतिशत के मध्य आर्थिक संवृद्धि की औसत वार्षिक दरों को बनाए रखने में सक्षम थे।
  - बंगाल की खाड़ी क्षेत्र **अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों** से समृद्ध है, जिसमें गैस रिज़र्व और अन्य समुद्री खनिज, तेल एवं मत्स्यन के प्रचुर भंडार सम्मिलित हैं।
- BIMSTEC देशों के साथ **बेहतर कनेक्टिविटी**, भारत के तटीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं का दोहन करने हेतु अवसरों का सृजन करती है।

- **रणनीतिक रूप से**, BIMSTEC का उपयोग दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से व्यापक मात्रा में निवेश किया है।

BIMSTEC की ओर झुकाव होने के बावजूद SAARC अभी भी क्यों प्रासंगिक है?

- एक संगठन के रूप में SAARC ऐतिहासिक और समकालीन रूप से इस क्षेत्र के देशों की **दक्षिण एशियाई पहचान** को प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी अपनी एक भौगोलिक पहचान भी है। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक एवं खान-पान संबंधी समानता भी विद्यमान है। ये तत्व दक्षिण एशिया को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। अपनी उपलब्धियों के बावजूद BIMSTEC, सदस्य **राष्ट्रों को एक साझी पहचान** प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाया है।
- दक्षिण एशियाई देश अपनी **सामाजिक-राजनीतिक राज्य** की पहचान के अंतर्गत बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा एकसमान रूप से आतंकवाद, समान आर्थिक चुनौतियों, आपदा इत्यादि जैसे **खतरों एवं चुनौतियों** का सामना किया जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। इस सन्दर्भ में **यूरोपीय संघ (EU) एवं आसियान (ASEAN)** का अनुभव देशों की आर्थिक वृद्धि हेतु क्षेत्रीय सहयोग का एक बेहतर प्रमाण है।
- अपनी स्थापना के पश्चात् से ही BIMSTEC को विभिन्न **चुनौतियों** का सामना करना पड़ा है। यह SAARC के समान **संस्थागत** नहीं हुआ है, जबकि अपने सबसे बड़े सदस्यों के मध्य राजनीतिक तनाव विद्यमान होने के बावजूद SAARC के पास सहयोग हेतु विभिन्न संस्थाएँ उपलब्ध हैं। SAARC के नियमित सम्मेलनों के आयोजन में विलंब होने के बावजूद भी SAARC के तहत वार्ता हेतु कुछ तंत्र मौजूद हैं, जैसे- **दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, दक्षिण एशिया उपग्रह** आदि जो वर्तमान में भी SAARC को प्रासंगिकता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

- दोनों संगठन (SAARC एवं BIMSTEC) **भौगोलिक रूप से अतिव्यापी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित** करते हैं। हालांकि, यह कारक उन्हें एक-दूसरे के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत नहीं करता है। BIMSTEC द्वारा SAARC को तब तक निरर्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह दक्षिण एशिया में **क्षेत्रीय सहयोग हेतु नवीन अवसरों** का सृजन नहीं करता है।
- BIMSTEC का **संस्थापक सिद्धांत** है- BIMSTEC के अंतर्गत सहयोग। यह सदस्य देशों के लिए केवल एक परिशिष्ट तैयार करता है न कि सदस्य देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग के एक विकल्प को संदर्भित करता है। इसे आधिकारिक तौर पर **"दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु (संपर्क सूत्र)"** तथा "SAARC और ASEAN के मध्य अंतर-क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक प्लेटफॉर्म" के रूप में वर्णित किया जाता है।
- भारत को क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप **अनौपचारिक वार्ताओं, औपचारिक मध्यस्थता** एवं समस्या समाधान तंत्रों हेतु एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि SAARC एवं BIMSTEC दोनों संगठनों के अंतर्गत द्विपक्षीय मुद्दे व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण में अवरोध उत्पन्न न कर सकें।

1.6. दक्षिण एशियाई व्यापार की असाधित सम्भावना

(Unrealized Potential of South Asian Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने "ए ग्लास हाफ फुल: द प्रॉमिस ऑफ़ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

दक्षिण एशिया में व्यापारिक प्रवृत्तियाँ

- **अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार-** यह दक्षिण एशिया में कुल व्यापार के 5% से कुछ अधिक, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कुल व्यापार के 50% तथा उप-सहारा अफ्रीका में 22% हेतु उत्तरदायी है।
- **क्षेत्रीय GDP के भाग के रूप में अन्तः-क्षेत्रीय व्यापार -** दक्षिण एशिया की अपेक्षाकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार उनकी GDP का केवल 1% है। इसके विपरीत यह उप-सहारा अफ्रीका में 2.6 प्रतिशत और पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 11 प्रतिशत है।
- **व्यापार प्रतिबंधात्मकता -** वैश्विक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशिया से आयातों हेतु व्यापार प्रतिबंधात्मक सूचकांक (trade restrictiveness index) भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के मामले में शेष विश्व की तुलना में 2 से 9 गुना उच्च है।
- **व्यापार की लागत का विषमतापूर्ण होना-** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यापार लागत, ASEAN की तुलना में 20% अधिक है।

VISION IAS

इस विषम प्रवृत्ति के कारण

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA) का क्रियाशील न होना

- **पैरा टैरिफ्स (प्रशुल्क)-** ये घरेलू उत्पादन को छोड़कर आयातों पर आरोपित शुल्क होते हैं। इनको SAFTA से बाहर रखा गया है तथा इस प्रकार ये कृत्रिम उच्च प्रशुल्कों का कारण बनते हैं। उदाहरणार्थ- बांग्लादेश में पैरा टैरिफ के कारण सामान्य औसत प्रशुल्क वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग दोगुना (13.3% से 25.6%) हो गया था।
- **संवेदनशील सूची-** यह सूची उन वस्तुओं को शामिल करती है जिन्हें प्रशुल्क तर्कसंगतता से छूट प्रदान की गई है। दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 35% संवेदनशील सूची प्रशुल्कों के अधीन है। इस सूची को चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु SAFTA में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- **गैर-प्रशुल्क उपाय-** स्वच्छता, श्रम, फाइटो सैनिटरी (पादप-स्वच्छता) आदि के रूप में आरोपित गैर-प्रशुल्क अवरोध (NTBs) दक्षिण एशिया में विशिष्ट उत्पादों तथा बाजार संयोजनों हेतु असाधारण रूप से उच्च हैं। ये 75% से 2000% तक परिवर्तित होते रहते हैं।
- **सीमा अवसंरचना का अभाव तथा प्रक्रियात्मक विलम्ब-** सम्पूर्ण दक्षिण एशिया सीमा क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना अत्यंत ख़राब है। अपर्याप्त कस्टम और सीमा प्रक्रियाएं व्यापार को धीमा बनाती हैं जिससे व्यापार लागत बढ़ जाती है। उदाहरण- औषधियों (pharma) के आयात हेतु उत्पाद पंजीकरण तथा आवश्यक अनुमति की जटिल प्रक्रियाएं।
- **निम्न स्तरीय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी-** क्षेत्र में वायु, स्थल और जल परिवहन का अभाव है। प्रतिकूल वीज़ा प्रणालियों के कारण सेवा व्यापार वृहद स्तर पर बाधित है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास को अवरुद्ध करता है।
- **भारत और पाकिस्तान के मध्य सामान्य व्यापार का अभाव-** भारत और पाकिस्तान के मध्य जटिल व्यापार संबंध दक्षिण एशिया के व्यापार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। दोनों देश क्षेत्र की GDP के 88% हेतु उत्तरदायी हैं। दोनों देशों के मध्य 37 बिलियन डॉलर की व्यापार सम्भावना है, जो वर्तमान में केवल 2 बिलियन डॉलर पर स्थिर है।
- **विश्वास की कमी-** क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में भारत के विशाल आकार के कारण दक्षिण एशिया में सुरक्षा सम्बन्धी दुविधा विद्यमान है। यह भय और असुरक्षा की भावना एवं अविश्वास में वृद्धि करती है जो परस्पर लोगों के मध्य संपर्कों और सहभागिता के अभाव के द्वारा और अधिक सुदृढ़ होती है।

भारत-पाकिस्तान व्यापार संबंध- शांति हेतु उपाय

वर्तमान स्थिति- ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति के साथ व्यापार में धीमी प्रगति

- यद्यपि वर्ष 2000-05 के मध्य व्यापार में 3.5 गुना वृद्धि हुई थी, परन्तु यह बहुत धीमी थी। यह व्यापार वर्ष 2013-14 के 2.70 बिलियन डॉलर से गिरकर वर्ष 2017 में 2.40 बिलियन डॉलर हो गया।
- वर्ष 2012 में आयात नीति में पाकिस्तान द्वारा किए गए परिवर्तनों के पश्चात् **भारतीय निर्यातों में न्यूनतम वृद्धि** हुई है। वर्ष 2016-17 में नवीन निर्यात पाकिस्तान को किए गए भारत के कुल निर्यात का केवल 12% था।
- पूर्ण व्यापारिक संबंधों की अनुपस्थिति में पश्चिम एशिया और नेपाल के माध्यम से अनियंत्रित **अवैध व्यापार** संचालित हो रहा है।
- संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से **अप्रत्यक्ष व्यापार** सामान्य द्विपक्षीय व्यापार का 10 गुना है।

आवश्यक परिवर्तन

- वस्त्र, औषधियों और खेल के सामानों में **क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का विकास**। वस्त्र उद्योग केन्द्रों जैसे कि लाहौर, सूरत इत्यादि के मध्य संपर्कों का विकास।
- **व्यापार संबंधों का सामान्यीकरण** अर्थात् ये प्रकृति में गैर-भेदभावपूर्ण हों ताकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन किया जा सके।
- दोनों देशों की ओर से **संवेदनशील सूची की मदों को कम किया जाना** तथा गैर-प्रशुल्क अवरोधों को कम किया जाना।
- **व्यवसाय स्तरीय संवाद-** इसमें शामिल हैं- व्यापारिक समुदायों में सामाजिक पूँजी का निर्माण, नेशनल चैम्बर्स के माध्यम से बिज़नेस टू बिज़नेस लिंकेज का विकास तथा सार्क (SAARC) वीज़ा व्यवस्था का क्रियान्वयन।

व्यापार में वृद्धि के लाभ

- **सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां-** दक्षिण एशियाई क्षेत्र निर्धनता, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव इत्यादि समान समस्याओं से पीड़ित है। क्षेत्र में सभी देश क्षेत्रीय व्यापार से लाभ अर्जित कर सकते हैं क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायता करेगा।
- **विभिन्न हितधारकों को लाभ-** उपभोक्ता खाद्य उत्पादों, सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच से लाभ अर्जित कर सकते

VISION IAS

हैं।उत्पादक और निर्यातक आगतों, निवेशों एवं उत्पादन नेटवर्क के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- **स्थल-रुद्ध देशों तथा उप-क्षेत्रों तक पहुंच में वृद्धि-** अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे स्थल-रुद्ध देशों व पृथक उप-क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर भारत और खैबर-पख्तूख्वाह तथा पाकिस्तान में संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र आदि परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स लागतों में कमी होने से लाभ अर्जित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप पहुंच में वृद्धि होगी।

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- **SAFTA का पुनर्गठन-** SAFTA की संवेदनशील सूची को आगामी दस वर्षों में समाप्त किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में इसे छोटा करने से शुरुआत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पैरा टैरिफ कटौती के उन्मूलन और गैर-संवेदनशील सूची से पैरा टैरिफ को शीघ्र हटाये जाने पर निर्णय हेतु विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया जाना चाहिए।
- **गैर-प्रशुल्क अवरोधों (NTBs) में कमी-** सूचना अंतरालों को भरने, सीमा अवसंरचना के विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के माध्यम से NTBs का समाधान किया जा सकता है। सम्पूर्ण क्षेत्र में एक जागरुकता कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र अनिवार्य है। सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान-प्रदान, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और सिंगल विंडो की स्थापना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि-** कनेक्टिविटी व्यापार संबंधों का मुख्य घटक है।द्विपक्षीय वायु सेवा नीतियों तथा सरलीकृत वीजा प्रणालियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। भारत-श्रीलंका वायु सेवा समझौते की सफलता इसका उदाहरण है।
- **विश्वास निर्माण-** विश्वास व्यापार को प्रेरित करता है तथा व्यापार के परिणामस्वरूप शान्ति एवं समृद्धि आती है। उदाहरण: भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट। इसने दोनों देशों के मध्य सामाजिक पूँजी को विकसित करने में सहायता की है।

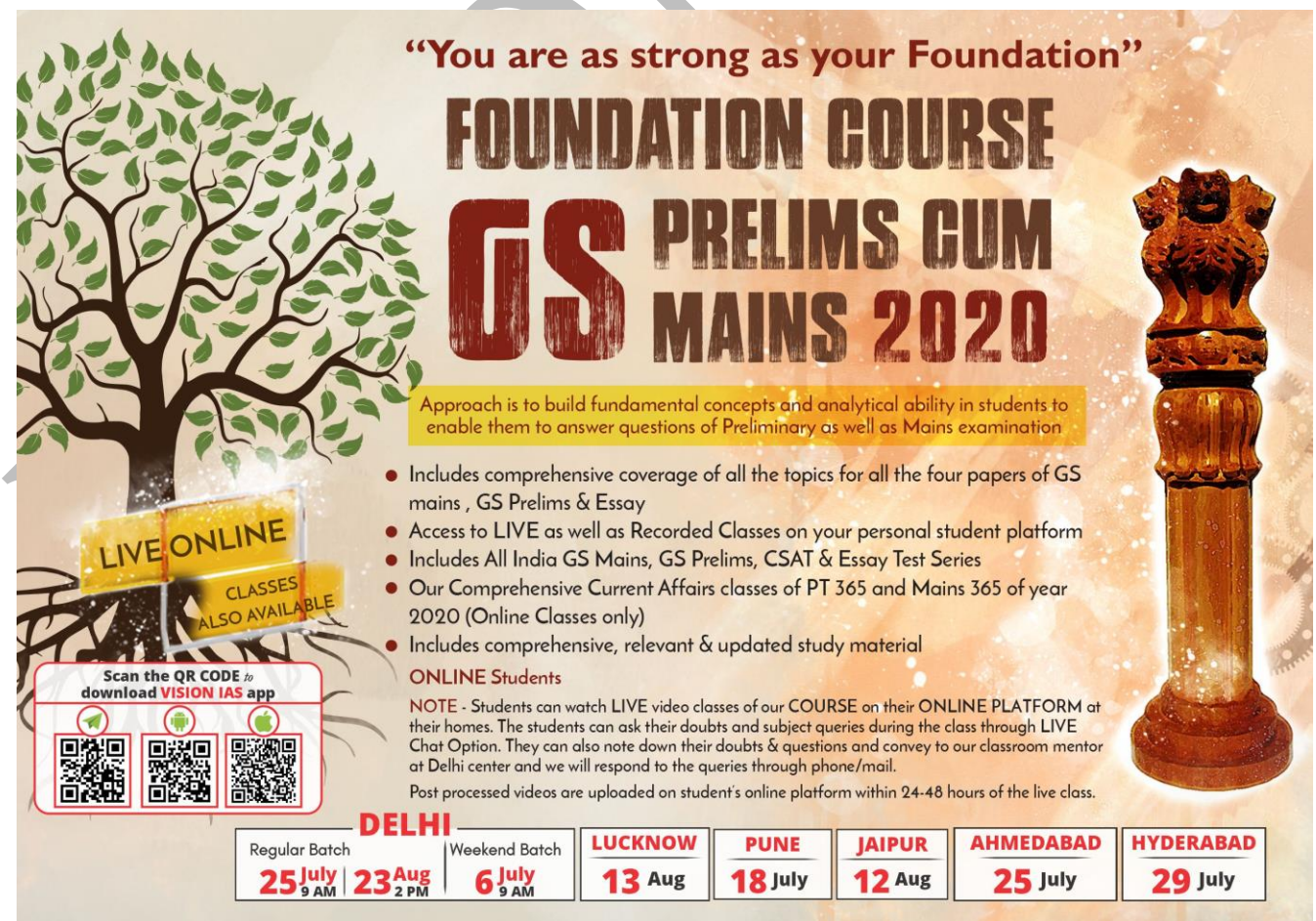

2. हिन्द महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region)

2.1. इंडो-पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन

(Indo-Pacific Regional Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने **इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत)** से संबंधित मामलों के लिए एक समर्पित **इंडो-पैसिफिक डिवीजन** की स्थापना की है।

पृष्ठभूमि

- **"इंडो-पैसिफिक"** के विचार की कल्पना मूल रूप से 2006-07 में की गयी थी। 'इंडो-पैसिफिक' पद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संलग्न सागरों को शामिल करते हुए **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** को एक **एकल क्षेत्रीय संरचना** के रूप में प्रस्तुत करता है।
- हाल ही में, इस धारणा को निम्नलिखित कारणों से महत्ता प्राप्त हुई है:
    - भू-आर्थिक के सन्दर्भ में हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर दोनों के मध्य भू-राजनीतिक संबंधों में वृद्धि करना;
    - विश्व के आर्थिक रूप से "महत्वपूर्ण केन्द्रों" का पूर्व (एशियाई महाद्वीप) की ओर स्थानांतरण;
    - भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा; और
    - चीन की राजनीतिक-सैन्य आक्रामकता।

एक पृथक इंडो-पैसिफिक विंग के लाभ

- **एकीकृत दृष्टिकोण का निर्माण:** पूर्व में इस क्षेत्र के साझे दृष्टिकोण को विभाजित करते हुए आसियान क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए पृथक कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया था। अतः नियमों को अधिक स्पष्ट करने और इंडो-पैसिफिक के विचार को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के पश्चात् इस एकीकृत डिवीजन द्वारा अधिक सामंजस्य एवं फोकस हेतु सभी संबंधित मुद्दों को एक ही मंच पर लाया जाएगा।
- **बेहतर नीति निर्माण:** यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित भारत की तैयारियों और प्रारूपों को तीव्र करने में सहायक होगा।
- **सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक:** अन्य देशों द्वारा इंडो-पैसिफिक के प्रति अपने दृष्टिकोण के पुन: अभिमुखीकरण के आलोक में, विदेश मंत्रालय के ये क्षेत्रीय विभाग अन्य देशों के एक **समर्पित विभाग** के साथ सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।
- **इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करना:** प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग की अध्यक्षता एक पृथक संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है, जिससे नीति को एक सुसंगत स्वरूप प्रदान करना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **इस क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा का लाभ पहुँचाना:** ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, फिजी और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत (पड़ोसी) देशों व भारत के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मुक्त मार्ग प्रदान करते हैं।

इंडो-पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण

शांगरी ला डायलॉग में, भारत ने इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है:

- यह एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो प्रगति और समृद्धि के साझे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी संबंधित पक्षों को सम्मिलित करता है। यह इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी देशों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के उन देशों को भी शामिल करता है जिनके हित इस क्षेत्र में निहित हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया इसके केंद्र में स्थित है और साथ ही इसके भविष्य के निर्धारण में आसियान (ASEAN) की केंद्रीय भूमिका है।
- वार्ता के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए एक सामान्य नियम-आधारित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। ये नियम और मानदंड सभी की सहमति पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल कुछ की शक्तियों पर।
- भारत इस क्षेत्र में संरक्षणवाद की वृद्धि के स्थान पर सभी के लिए समान प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही भारत मुक्त और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है और भारत इसके लिए दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर, अफ्रीका, पश्चिम एशिया एवं अन्य क्षेत्रों में स्वयं तथा अन्य देशों (जैसे- जापान) के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

भारत के दृष्टिकोण को हिंदी में पाँच 'स' (अंग्रेजी में 'S') में संक्षेपित किया जा सकता है: **सम्मान** (रिस्पेक्ट); **संवाद** (डायलॉग); **सहयोग** (कोऑपरेशन), **शांति** (पीस) तथा **समृद्धि** (प्रॉस्पैरिटी)।

भारत के लिए इंडो-पैसिफिक का महत्व

- **इस क्षेत्र में व्यापक भूमिका:** यह अवधारणा वस्तुतः **एशिया-पैसिफिक** {जिसमें उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया (OCEANIA) शामिल हैं} से स्थानान्तरण (शिफ्ट) को इंगित करता है, जहाँ भारत के लिए एक बड़ी भूमिका के निर्वहन हेतु विशेष अवसर नहीं था। वर्ष 1989 में स्थापित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) और वर्ष 1996 में स्थापित एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) में भारत को शामिल नहीं किया गया था (हालांकि वर्ष 2006 में ASEM में भारत को शामिल किया गया)। अमेरिका APEC में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन इसके बावजूद यह APEC का सदस्य नहीं है, **जबकि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक प्रमुख अभिकर्ता है।**
- **एक सक्षम सुरक्षा प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करता है-** भारत से अपेक्षित है कि वह इस क्षेत्र में **क्षमता निर्माण, सैन्य कूटनीति, सैन्य सहायता और प्रत्यक्ष तैनाती के माध्यम से स्थिरता स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।**
- **आर्थिक क्षमता विकसित करने में सहायक-** भारत द्वारा 7.5-8% आर्थिक संवृद्धि दर बनाए रखने और 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंडो-पैसिफिक इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्न प्रकार से सहायक हो सकता है-
  - **प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति-** दक्षिण चीन सागर में तेल और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति, जो भारत को अपनी आयात बास्केट में विविधता लाने में सहायता प्रदान कर सकती है।
  - **उच्च बाजार संभावनाएँ-** भारतीय निर्यात जैसे अभियांत्रिकी सेवाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं आदि के लिए उच्च निर्यात क्षमता की उपस्थिति।
  - **पूर्वोत्तर राज्यों का विकास-** जो इस क्षेत्र को एकीकृत करने हेतु भारत का प्रवेश द्वार बन सकते हैं।
  - **ब्लू इकोनॉमी सम्बन्धी आकांक्षाओं का एकीकरण-** महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर्याप्त, न्यायसंगत और संधारणीय तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक लाभ के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम हैं।
- **नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार हेतु मलक्का जलडमरूमध्य सहित कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और विश्व के महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स विद्यमान हैं। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है।
- **एक सुरक्षा संरचना विकसित करना:** इस क्षेत्र में देशों के मध्य क्षेत्रीय और जल संबंधी विवाद, समुद्री डकैती संबंधी चिंताएं, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता तथा क्षेत्र के सैन्यीकरण में विस्तार जैसे मुद्दे विद्यमान हैं।
- **चीन का प्रतिउत्तर: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव**, **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी** सहित चीन की आक्रामक विस्तारवादी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र चीन की प्रमुख रणनीतिक सुभेद्यता (अर्थात् इसकी एनर्जी लाइफलाइन हिंद महासागर से गुजरती है) का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह भारतीय नौसेना की क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करके चीन के व्यवहार को उदार बनाने और उसकी भविष्य की आक्रामकता में कमी करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है-**
  - **यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार में सहायक है।**
  - परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे **बहुपक्षीय समूहों में प्रवेश** और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में सहायक।
  - **छोटी शक्तियों के साथ गठबंधन-** क्योंकि यह पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सुदृढ़ आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन विकसित करते हुए चीन के साथ निरंतर संपर्क को बनाए रखेगा।
  - **बंदरगाहों की बढ़ती भूमिका-** विभिन्न देशों द्वारा इस क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों पर अपने सैन्य अड्डों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे- भारत द्वारा सैन्य उपयोग के लिए मॉरीशस में अगालेगा द्वीप का विकास और ओमान में डुक्म बंदरगाह को विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में एक लॉजिस्टिक सुविधा प्राप्त की है जो इसे ईंधन भरने (refuel) और सैन्य सामग्री उपलब्ध (rearm) कराने का अवसर प्रदान करेगी तथा वियतनाम में भी इसी प्रकार की सुविधा का विकास किया गया है।

VISION IAS

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हेतु अन्य देशों द्वारा किए गए प्रयास

- **क्वाड-प्लस (QUAD Plus):** इस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आसियान (ASEAN) के देश एक साथ आगे आए हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया:** वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा श्वेत पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से प्रथम बार इंडो-पैसिफिक शब्दावली की औपचारिक अभिव्यक्ति की गई थी तथा इसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया था।
- **संयुक्त राज्य अमेरीका:**
  - हाल ही में अमेरिका ने अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैसिफिक कमांड (PACOM) का **US इंडो-पैसिफिक कमांड** के रूप में नाम परिवर्तित कर यह संकेत दिया है कि अमेरिकी सरकार के लिए पूर्वी एशिया और हिंद महासागर का क्षेत्र उत्तरोत्तर एकल प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा भारत इस रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है।
  - अमेरिका की वर्ष 2018 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति भी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करती है तथा इंडो-पैसिफिक के प्रति अमेरिका के संकल्प और स्थायी प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
- **जापान** की मुक्त और खुली इंडो-पैसिफिक रणनीति "दो महासागरों" (हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर) तथा "दो महाद्वीपों" (अफ्रीका व एशिया) पर आधारित है।
- **इंडोनेशिया** ने एक खुले, पारदर्शी और समावेशी संवाद में सहयोग पर बल दिया है।

आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक (AOIP) के बारे में

हाल ही में, **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान)** द्वारा **'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक'** नामक एक विजन दस्तावेज को अंगीकृत किया गया है।

- यह **आसियान केंद्रित क्षेत्रीय संरचना** को सुदृढ़ बनाने हेतु एक पहल है। जिसका उद्देश्य नए तंत्रों का सृजन एवं पहले से कार्यरत व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है।
- इसका लक्ष्य **आसियान की कम्युनिटी बिल्डिंग प्रॉसेस (सामुदायिक विकास प्रक्रिया)** को बढ़ावा देना है। साथ ही, पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) आदि सहित **आसियान के नेतृत्व वाले मौजूदा तंत्रों** को अधिक सुदृढ़ बनाना एवं गति प्रदान करना है।
- इसमें **चार कार्यात्मक क्षेत्रों** को सूचीबद्ध किया गया है। आसियान का मानना है कि इनके माध्यम से सहयोग एवं समन्वय को निश्चित रुप से और बेहतर बनाया जा सकता है। **AOIP के चार कार्यात्मक क्षेत्र** निम्नलिखित हैं:
  - समुद्री सहयोग;
  - कनेक्टिविटी (संयोजकता);
  - सतत विकास तथा
  - आर्थिक व सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र।

भारतीय पहलें

- मालाबार, RIMPAC जैसे संयुक्त रक्षा अभ्यास के माध्यम से **रक्षा सहयोग;** एवं **अंतर-संचालनीयता (inter-operability)** जिसमें देश एक-दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों का प्रयोग कर सकते हैं।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर:** यह भारत, जापान और अनेक अफ्रीकी देशों की सरकारों के मध्य एक आर्थिक सहयोग समझौता है।
- **SAGAR दृष्टिकोण:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास।
- **प्रोजेक्ट मौसम:** इसका उद्देश्य बहुआयामी हिंद महासागर क्षेत्र में सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक संबंधों की विविधता को ज्ञात करने के लिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोध संचालित करना है।
- **इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग:** इस क्षेत्र के लिए भारत-प्रशांत के महत्व को स्वीकारते हुए, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2018 में इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया था।
- **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM-PLUS), आसियान क्षेत्रीय मंच, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और मेकांग-गंगा आर्थिक गलियारा** जैसे तंत्रों में **भारत** एक सक्रिय भागीदार रहा है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी**, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की नौ सेनाएँ भाग लेती हैं।

VISION IAS

- **भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC)** के माध्यम से भारत, प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ परस्पर संपर्कों में वृद्धि कर रहा है।

चुनौतियां

- **क्षमता निर्माण की आवश्यकता:** भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को चीन के प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित होने से रोकने हेतु प्रयासरत है, किंतु इसके पास इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।** न तो भारत के पास चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए विश्वसनीय विकल्प प्रदान करने हेतु पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं और न ही सभी संबंधित पक्षों जैसे अमेरिका एवं रूस के साथ एक ही समय में सार्थक संबद्धता बनाए रखने हेतु पर्याप्त राजनयिक क्षमता है। चीन की आक्रामकता और ऋण जाल कूटनीति (जो राष्ट्रों की संप्रभुता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है) भारतीय कूटनीति के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- **अबाध संपर्क:** इस क्षेत्र के देशों के मध्य अबाध संपर्क एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।
- **पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका:** जब तक ये राज्य पर्याप्त स्तर तक विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **क्षेत्र में व्याप्त विषमता:** आकार, नृजातीयता तथा आकांक्षाओं के संदर्भ में विद्यमान विषमता के कारण विभिन्न देशों के साथ एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना अत्यधिक कठिन है।
- **डी-ग्लोबलाइजेशन:** पश्चिमी विश्व द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति एक साझे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए आयात शुल्क, तेल आयात आदि जैसे मुद्दों पर इस प्रकार के सहयोग में अवरोध उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **APEC में भारत के प्रवेश** की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- **अवसंरचनात्मक निवेश पहलों का विकास:** अन्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रों के बीच संपर्क और अंतर-संचालनीयता का विकास करना।
- **कूटनीतिक समन्वय क्षेत्र** को वर्तमान क्वाड देशों (अर्थात् भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) की व्यवस्था से **अधिक विस्तृत क्षेत्र तक विस्तारित किया जाना चाहिए,** ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की साझी चिंताओं पर व्यापक सहमति निर्मित की जा सके।
- **भू-रणनीतिक अवधारणा** के रूप में इंडो-पैसिफिक का उद्भव एक सकारात्मक विकास है। हालाँकि, इसे और अधिक राजनयिक गतिशीलता तथा आर्थिक मुद्दों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है।

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन

सुर्खियों में क्यों ?

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) पापुआ न्यू गिनी में सम्पन्न शिखर सम्मेलन के दौरान एक संवाद पर सर्वसम्मति विकसित करने में असफल रहा।

इस संबंध में अन्य जानकारी

- APEC के इतिहास में यह ऐसा पहला उदाहरण है जबकि अंतिम घोषणा पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्याप्त तनाव के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व गतिरोध की स्थिति भारत को एक सदस्य के रूप में APEC में सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार से लाभप्रद है- पहला, एक प्रमुख बाजार के तौर पर भारत की वर्तमान स्थिति को मान्यता तथा दूसरा, भविष्य में इस तरह के गतिरोध से बचने का एक साधन।

भारत और APEC के मध्य वर्तमान संबंध

- 2011 में APEC शिखर सम्मेलन में भारत को एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भाग लेने की अनुमति मिली थी।
- हालांकि भारत 1993 से APEC में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा है, किन्तु अभी तक इसे सदस्यता नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि:
  - भारत की **भौगोलिक अवस्थिति** APEC में भारत की सदस्यता के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि भारत, प्रशांत महासागर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित नहीं है।
  - कुछ APEC सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि भारत के सदस्यता प्राप्त करने से समूह का फोकस प्रशांत रिम से दूर हो सकता है।
  - **भारत की आर्थिक नीतियों** को सामान्य तौर पर संरक्षणवादी और बंद अर्थव्यवस्था वाली माना जाता है जिसे APEC के उदारीकृत और मुक्त बाजार सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है।
  - **द्विपक्षीय और साथ ही विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार समझौतों में भारत के रिकॉर्ड को देखते हुए,** कुछ APEC अर्थव्यवस्थाएं इस बात से चिंतित हैं कि भारत को सम्मिलित करने से फोरम के उद्देश्यों को प्राप्त करने की गति धीमी पड़ सकती है।
  - **1997 में सदस्यता को दस वर्ष की अवधि के लिए स्थगित** रखा गया था जिसे 2010 तक बढ़ाया गया। हालांकि वर्तमान में सदस्यता पर कोई स्थगन नहीं है।

परिवर्तित होती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में APEC के समक्ष नई चुनौतियां

- **नए व्यापार समझौते: कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप (CPTPP) अथवा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)** जैसी उभरती व्यापार व्यवस्थाएं APEC के प्रभुत्व और अस्तित्व के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं।
- **एशिया-पैसिफिक के दृष्टिकोण में परिवर्तन:** भौगोलिक इकाई के रूप में एशिया-पैसिफिक के दृष्टिकोण में समय के साथ परिवर्तन हुआ है और यह हिंद महासागर क्षेत्र के साथ एकीकृत होकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के रूप में एक एकल इकाई के रूप में विकसित हो रहा है।
- **चीन की आक्रामकता**: हाल के दिनों में चीन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र (दक्षिण चीन सागर) में आक्रामक रुख अपनाया है और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों (जैसे- UNCLOS आदि) का भी उल्लंघन किया है।
- **अमेरिकी नीति में परिवर्तन:** ट्रम्प प्रशासन ने बंद बाजार दृष्टिकोण वाली नीतियों को अपनाया है, उदाहरणार्थ- USA ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप (TPP) से बाहर हो गया और लेन-देन आधारित संबंधों पर अधिक केंद्रित हो गया है।
- **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन:** चीन द्वारा व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गयी 'बेल्ट एंड रोड' पहल को प्रोत्साहन प्राप्त होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व घटा है।

भारत को APEC का सदस्य क्यों होना चाहिए?

- **आर्थिक दृष्टिकोण**:
  - **अर्थव्यवस्था का आकार:** भारत विश्व की छठी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में, **भारत, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विकास के एक दीर्घकालिक स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है।** यह APEC जैसे अर्थव्यवस्था आधारित मंच को भारत की सदस्यता पर विचार करने हेतु अधिदेशित करता है।
  - **भारत में अवसर**: ऐसा अनुमान है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा और अगले दशक तक **इसे अवसंरचना में 1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक निवेश** की आवश्यकता होगी। भारत में तेजी से बढ़ते मध्य वर्ग के 2030 तक 450 मिलियन होने का अनुमान है, यह **APEC देशों के लिए विशाल अवसर प्रदान करेगा जो मंद संवृद्धि के दौर से गुजर रहे हैं।**
  - **बदली हुई परिस्थितियां**: APEC की शुरुआत के समय (1989), भारत में उदारीकरण का प्रारम्भ नहीं हुआ था और यह समकालीन APEC के आर्थिक मानकों पर खरा नहीं उतरता था। **हालांकि, 1991 में भारत ने उदारीकरण को प्रारंभ किया और वर्तमान में भारत का व्यापार, सकल घरेलू उत्पाद का 40% है।** यहां तक कि भारत का सभी APEC सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध भी है।
  - **आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ बनाना:** उभरती व्यापार व्यवस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा अपनाए गए मानकों और नीतियों तथा गैर-सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों के मध्य अंतराल निर्मित कर सकते हैं। भारत जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करके,

APEC इस तरह के अंतराल को समाप्त करने में सहायता करके रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

- **चीन के विकल्प के रूप में: APEC सदस्यों के लिए, भारत के साथ अधिक एकीकरण विनिर्मित वस्तुओं** के लिए वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत का बड़ा श्रम बाजार (2030 तक विश्व में सबसे बड़ा) APEC अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती जनसंख्या और कार्यबल की कमी के प्रभाव को दूर करने में सहायता करेगा और सेवाओं (IT, वित्तीय सेवाओं आदि में) के स्रोत के रूप में लाभ प्रदान करेगा।

- **सामरिक दृष्टिकोण**
  - **सामरिक संतुलन**: भारत को सम्मिलित करना सामरिक संतुलन ला सकता है और समूह के भीतर व्याप्त तनाव को कम कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य गतिरोध को देखते हुए **भारत की गुट निरपेक्षता का रिकॉर्ड** APEC के छोटे सदस्यों के मध्य विश्वास उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त प्रयास अमेरिका और चीन के मध्य तनाव को कम कर सकते हैं।
  - **चीन को राजनीतिक रूप से प्रतिसंतुलित करना:** अमेरिका की वैकल्पिक कठोर नीतियों से चिंतित छोटे एशियाई देशों के लिए हिंद महासागर की एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत चीन के प्रतिसन्तुलक की भूमिका निभा सकता है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका की नई इंडो-पैसिफिक नीति:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रम्प शासन के अंतर्गत एशिया प्रशांत के विचार को इंडो-पैसिफिक के रूप में परिवर्तित किया है। **APEC में भारत को सम्मिलित करना इस क्षेत्र में अमेरिका के नए दृष्टिकोण के अनुरूप है।**

भारत के लिए लाभ

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** उच्च व्यापार मात्रा और वृहत भौतिक संपर्क के माध्यम से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, APEC की सदस्यता व्यापार से संबंधित वार्ताओं को मानकीकृत करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।
- **समन्वय बनाना:** अपनी प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के माध्यम से, APEC आर्थिक सुधारों, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और व्यवसाय करने में सुगमता के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। APEC की सदस्यता भारत को TPP **(अब CPTPP)** जैसे उभरते व्यापार समझौतों में संभावित प्रवेश के लिए तैयार करने में मदद करेगी, यदि भारत भविष्य में इनमें सम्मिलित होने का विचार करता है।
- **आर्थिक संवृद्धि**: भारत का वर्तमान आर्थिक कार्यक्रम, विनिर्माण को बढ़ाने और भारत में रोजगार के सृजन हेतु विदेशी बाजारों, निवेश स्रोतों और मूल्य श्रृंखलाओं तक अधिक पहुंच प्राप्त करने पर निर्भर है।
- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध**: भारत को APEC में सम्मिलित करने का समर्थन, अमेरिका के सामरिक साझेदार भारत को वैश्विक शासन (global governance) के संस्थानों में बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

आगे की राह

- **कूटनीतिक प्रयास:** APEC की अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे प्रमुख सदस्यों के साथ कूटनीतिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत मौखिक समर्थन और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करने के लिए चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से निवेदन कर सकता है।
- **सम्मिलित होने से पूर्व व्यापक अध्ययन**: भारत को सदस्य के रूप में प्रवेश देने के लाभ और लागत का आकलन करने के लिए APEC द्वारा अध्ययन किया जा सकता है जो भारत की सदस्यता के प्रश्न पर सर्वसम्मति विकसित करने में सहायता करेगा।
- **संक्रमणकालीन सदस्यता**: APEC की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने से पूर्व एक संक्रमणकालीन सदस्यता प्रदान की जा सकती है। संक्रमणकालीन सदस्यता क्रमिक रूप में भारत को उन उपायों के बारे में अनुकूलित कर सकती है जो वर्तमान सदस्यों को संतुष्ट कर सकते हैं और भारत को APEC की प्रक्रियाओं और तकनीकी सहायता से लाभान्वित होने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

2.2. भारत- हिंद महासागर में निवल सुरक्षा प्रदाता

(India- Net Security Provider in Indian Ocean)

भारत की क्षेत्रीय, वैश्विक शक्ति के रूप में पहचाने जाने की महत्वाकांक्षा के साथ-साथ बढ़ती आर्थिक एवं राजनीतिक प्रस्थिति और हिंद महासागर (IO) में बढ़ती हिस्सेदारी एवं इस पर बढ़ती निर्भरता भारत को व्यापक उत्तरदायित्व प्रदान करती है। यह उत्तरदायित्व निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को स्वीकार करके, समुद्र तटीय पड़ोसी देशों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

VISION IAS

निवल सुरक्षा प्रदाता से क्या तात्पर्य है?

निवल सुरक्षा प्रदाता एक ऐसे राष्ट्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो न केवल स्वयं की बल्कि पड़ोसी देशों और दूरस्थ अन्य देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान कर सकता है। निवल सुरक्षा प्रदाता का सामान्यत: अर्थ समान सुरक्षा चिंताओं जैसे- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती से निपटना या आपदाओं के प्रति अनुक्रिया करना आदि का समाधान करके एक से अधिक देशों की साझी सुरक्षा में वृद्धि करना है। इसमें, विशेष रूप से चार विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हैं:

- क्षमता निर्माण;
- सैन्य कूटनीति;
- सैन्य सहायता; तथा
- सहायता करने या किसी स्थिति को स्थिर बनाने के लिए सैन्य बलों की प्रत्यक्ष तैनाती।

क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता की आवश्यकता क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिचालकों (देशों) को जोड़ने वाले **वैश्विक व्यापार के केंद्र में** स्थित हिंद महासागर की अवस्थिति विशिष्ट है।
- वर्तमान में, विश्व की **लगभग 40 प्रतिशत तेल आपूर्ति** और **64 प्रतिशत तेल का व्यापार** हिंद महासागर के माध्यम से होता है।
- मलक्का एवं होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंडेब जैसे **रणनीतिक चेक पॉइंट** हिंद महासागर में निर्बाध यातायात एवं सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- ये सभी हिंद महासागर को पायरेसी (समुद्री डकैती); समुद्र में सशस्त्र डकैती; समुद्री आतंकवाद; स्वापक द्रव्यों, हथियारों और मानव तस्करी; अवैध मत्स्यन; वस्तुओं के अवैध व्यापार जैसे **गैर-पारंपरिक खतरों,** प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु-परिवर्तन द्वारा उत्पन्न खतरों के प्रति सुभेद्य बनाते हैं।
- ये खतरे व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार, मिसाइल क्षमताओं में वृद्धि और विदेशी सेनाओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन जैसे **पारंपरिक खतरों** के अतिरिक्त है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं।
- यह न केवल इस क्षेत्र में वाणिज्य के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि **शांति एवं क्षेत्रीय स्थिरता**, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।
- साथ ही, इस क्षेत्र के देश रणनीतिक चिंताओं के बजाय **अभिशासन, निर्धनता, बीमारियों से संबंधित स्थानीय मुद्दों और अन्य आंतरिक मुद्दों के संबंध में अधिक चिंतित हैं**। यह सुरक्षित, स्वतंत्र, खुले समुद्री संचार मार्गो हेतु भारत जैसे देश के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करना आवश्यक बनाता है।

इस क्षेत्र में भारत की निवल सुरक्षा प्रदाता की स्थिति के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता:** अप्रभावी उत्पादन दर, भारतीय सैन्य उपकरणों की निर्यात क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार, अन्य देशों द्वारा भारत से सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु संपर्क किए जाने की स्थिति में भारत इस सीमित क्षमता के कारण उसे प्रभावी रूप से पूर्ण करने में सक्षम नहीं होगा।
- **क्षेत्रीय सीमाओं पर अधिक ध्यान:** चीन और पाकिस्तान के साथ इसके लंबित क्षेत्रीय विवादों के कारण, भारतीय सेनाओं का ध्यान अभी भी मुख्य रूप से अपनी सीमाओं पर केंद्रित है। परिणामस्वरूप, भारत अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों से निपटने पर अल्प ध्यान दे पाता है।
- **चीन संबंधी कारक:** चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स (हिंद महासागर में पत्तनो का अधिग्रहण करना) के माध्यम से और साथ ही मालदीव संकट में प्रदर्शन करने जैसे अभूतपूर्व तरीकों से हिंद महासागर में भारत की स्थिति को चुनौती देता है। चीन ने जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे का उद्घाटन किया, जिससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है।
- **अन्य देशों का विरोध:** मालदीव में संकट और असम्पशन द्वीप परियोजना के प्रति सेशेल्स की संसद में विरोध ने यह प्रदर्शित किया है कि भारत को अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ बेहतर सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय और सहयोग:** कई लोगों द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों में तत्काल संस्थागत सुधार किए जाने का तर्क दिया गया है। सैन्य सहायता, क्षेत्र से बाहर की आकस्मिकताओं तथा समग्र राजनीतिक-सैन्य-कूटनीतिक रणनीति जैसे मुद्दों पर स्पष्टता और स्वामित्व का अभाव विद्यमान है।
- **अराजक घरेलू राजनीति:** अन्य लोकतंत्रों की भांति भारत की विदेश नीति के संचालन को इसकी घरेलू राजनीति द्वारा प्रभावित किया जाता है।

VISION IAS

- किसी भी सैन्य अभियान/गठबंधन में "कनिष्ठ सहभागी" के रूप में भागीदारी के प्रति प्रबल विरोध है। जैसे U.S. के साथ सहभागिता का विरोध।
- सैन्य सहायता से संबंधित मुद्दों पर सर्वसम्मति का अभाव है। उदाहरण के लिए, यह ऐसा महत्वपूर्ण कारक था जिसके तहत भारत ने LTTE के विरूद्ध अपने अभियान के दौरान श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को खुलकर सैन्य सहायता प्रदान नहीं की।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- वर्ष 2015 में **"सागर का उपयोग करने की स्वतंत्रता- भारत की समुद्रीय सैन्य रणनीति"** नामक शीर्षक से प्रकाशित भारत की समुद्री रणनीति में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं:
  - **हिंद महासागर, भारत की समुद्री रणनीति के केंद्र में स्थित है** क्योंकि यह इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत व्यापक भूमिका निभाने तथा निवल सुरक्षा प्रदाता संबंधी भारत के उद्देश्यों को व्यक्त करता है।
  - यह अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिक हित क्षेत्रों के रूप में जबकि अफ्रीका के पश्चिमी तट एवं उसके तटवर्ती क्षेत्रों को द्वितीयक हित क्षेत्रों के रूप में दर्शाती है।
- **नौसैनिक अड्डों का विकास:**
  - **भारत द्वारा चांगी नौसैनिक अड्डे** तक अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - भारत दोहरे उपयोग वाली लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ मॉरीशस में स्थित **अगलेगा** के विकास में भी योगदान करता है।
  - भारत ने सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए **ओमान के दुक्म पत्तन** तक भी पहुँच सुनिश्चित की है। दक्षिण-पूर्व ओमान में स्थित यह पत्तन, ईरान के चाबहार पत्तन से लगभग 400 किलोमीटर दूर है जो भारत को प्रत्यक्ष रुप से ओमान की खाड़ी के पार अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है।
- **अन्य देशों के साथ सहयोग:**
  - **भारत और फ्रांस** ने हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, "पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन" समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके भाग के रूप में दोनों राष्ट्रों के युद्धपोतों को एक-दूसरे के नौसैनिक अड्डों तक पहुंच प्राप्त होगी।
  - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2016 में **लॉजिस्टिक विनिमय समझौता ज्ञापन (लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम आफ एग्रीमेंट)** पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत दोनों राष्ट्रों ने ईंधन भरने और आपूर्ति के लिए निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की।
- **स्वदेशी नौसैनिक विकास**: INS अरिहंत (नाभिकीय पनडुब्बी), INS विक्रांत (भारत द्वारा निर्मित विमान वाहक), प्रमुख महासागरीय शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं।
  - भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु-संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत द्वारा अपनी पहली प्रतिरोधी गश्त को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद **लंबे समय से प्रतीक्षित न्यूक्लियर ट्रायड (nuclear triad) संबंधी महत्वाकांक्षा को पूरा** किया।
- **क्षेत्रीय समूहन:** इस क्षेत्र में सांझी चिंताओं का समाधान करने तथा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, बिम्सटेक, जैसे क्षेत्रीय समूह, इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन।
- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR),** जिसमें भूमि एवं समुद्री क्षेत्रों और हितों की सुरक्षा हेतु क्षमता में वृद्धि करना; तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना; प्राकृतिक आपदाओं एवं समुद्री खतरों जैसे कि समुद्री डकैती, आतंकवाद से निपटने के लिए कार्रवाई करना सम्मिलित है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में मालाबार, कॉर्पैट (CORPAT) (भारत इंडोनेशिया के बीच) जैसे **सैन्य अभ्यासों का संचालन।**
- **सैन्य सहायता** जिसमें उपकरण की आपूर्ति और सैन्य हथियारों का संयुक्त विकास सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण स्लॉट में वृद्धि करने के अतिरिक्त, भारत ने म्यांमार के लिए चार अपतटीय गश्ती वाहन बनाने और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए वियतनाम को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का प्रस्ताव दिया है।
- मानवीय और आपदा राहत (HADR) अभियानों, खोज और बचाव, निकासी अभियानों में भारतीय नौसैनिक जहाजों की तैनाती। उदाहरण के लिए, हाल ही में मोजाम्बिक में इदाई चक्रवात के दौरान भारत ने सबसे पहले अनुक्रिया की थी।

VISION IAS

निष्कर्ष

भारत को अपनी पहुंच बढ़ाने तथा चीन की उपस्थिति का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग करना होगा। श्रीलंका में हंबनटोटा पत्तन संबंधी ऋण जाल ने चीनी ऋण जाल कूटनीति के सम्बन्ध में आशंकाएं बढ़ा दी हैं। यह भारत को अपनी स्थिति को स्थिर करने का अवसर प्रदान करता है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र (जैसे कि क्वाड) में भी भारत अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है, जो दर्शाता है कि यह केवल एक हिंद महासागरीय और दक्षिण एशियाई शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी शक्ति है जिसमें हिन्द महासागर में अपनी स्थापित उपस्थिति से लेकर दक्षिण चीन सागर, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों हेतु इंडो-पैसिफिक के व्यापक क्षेत्र को आकार प्रदान करने की क्षमता एवं अपेक्षाएं विद्यमान है।

2.3. भारत-मालदीव

(India-Maldives)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने हाल ही में मालदीव में सम्पन्न राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की जीत का स्वागत किया है। इस विजय के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम यामीन के पांच वर्षीय विवादास्पद कार्यकाल का अंत हो गया है। हाल ही में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा अपनी प्रथम विदेश यात्रा के रूप में भारत की यात्रा की गयी।

भारत-मालदीव संबंध

- भारत ने 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के पश्चात मालदीव के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
- 1988 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के विद्रोही समूहों के सशस्त्र हमले के दौरान भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को **सैन्य सहायता** प्रदान की थी।
- 2016 में राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह (CMAG) की बैठक में भारत ने 'समावेशी राष्ट्र' और "वास्तविक लोकतंत्र" के निर्माण में विफलता के कारण विभिन्न देशों को मालदीव पर दंडनीय प्रतिबंधों को कार्यान्वित करने से रोका था।
- भारत ने मालदीव की अवसंरचना में सुधार हेतु **उदार आर्थिक सहायता** एवं सहयोग प्रदान किया है।
- भारत दो हेलीकॉप्टर बेस, रडारों के एकीकरण और भारतीय तट रक्षक निगरानी के माध्यम से मालदीव के साथ अत्यंत नजदीकी सैन्य संबंध साझा करता है। भारत का उद्देश्य मालदीव के लिए एक निवल सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में बने रहना है।
- भारत ने वायु कनेक्टिविटी, शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के मध्य संपर्कों में वृद्धि की है। संख्या की दृष्टि से भारतीय लोग वहां के दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं।
- मालदीव के मौजूदा शासन के तहत वर्ष 2013 से ही भारत-मालदीव संबंधों में गिरावट आई है।

मालदीव में भारत की दावेदारी

मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित एक देश है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के एक प्रमुख शक्ति होने तथा मालदीव के सामरिक महत्व को देखते हुए भारत इसकी स्थिरता हेतु प्रयासरत रहता है, जैसे-

- समुद्री संचार मार्ग की सुरक्षा करना, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद का सामना करना, चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स नीति को प्रतिसंतुलित करना।
- हिन्द महासागर को एक विवाद मुक्त क्षेत्र बनाना और इसकी स्थिति को शांत समुद्र (sea of tranquil) के रूप में पुनःबहाल करना।
- नीली अर्थव्यवस्था का अन्वेषण करना और व्यापार में वृद्धि करना।
- वहां कार्य करने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा।

- मालदीव में शासन परिवर्तन का महत्व: मालदीव में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना से दोनों देशों के मध्य परस्पर विश्वास बहाली और संबंधों में सुधार होने की अपेक्षा की गई है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नव-निर्वाचित सरकार का आग्रह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- विवादास्पद निर्णयों का संभावित व्युत्क्रमण: जैसे कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता का त्याग करना, चीन को सुस्पष्ट रूप से निवेश हेतु आमंत्रित करना और भारत के साथ पारम्परिक संबंधों को कमजोर बनाना, उदाहरणार्थ: माले विमान पत्तन के आधुनिकीकरण हेतु भारतीय कंपनी GMR के अनुबंध को रद्द करना, मालदीव में भारतीय श्रमिकों के वीज़ा के नवीनीकरण को अस्वीकृत करना तथा संयुक्त नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने से इंकार करना।

संबंधों में पुनर्संतुलन को दर्शाने वाले हालिया घटनाक्रम

- हाल ही में भारत ने मालदीव हेतु 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था को ऋण-जाल से बाहर निकाला जा सके।
- हाल ही में मालदीव को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य बनाया गया है (भारत द्वारा मालदीव की सदस्यता का समर्थन किया गया था)। इसके अतिरिक्त, भारत मालदीव को राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित होने हेतु भी सहायता प्रदान कर रहा है।
- दोनों देशों के मध्य आधिकारिक यात्राओं की बढ़ती संख्या के अतिरिक्त (मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान भारत यात्रा से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की थी), दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ निकटतम संबंधों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

मालदीव में चीन संबंधी कारक

- चीन और मालदीव ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) सहित 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा मालदीव ने चीन की महत्वाकांक्षी मेरीटाइम सिल्क रोड पहल का समर्थन भी किया है। मालदीव चीन के साथ FTA समझौता करने वाला पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा देश बन गया है।
- चीन द्वारा मालदीव को प्रदत्त ऋण **देश के कुल ऋण का 70% है,** जिससे प्रदर्शित होता है कि मालदीव **गंभीर ऋण जाल** में फंस चुका है।
- मालदीव ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं; चीन को अपने कुछ प्रमुख द्वीपों को पट्टे पर देने हेतु कानूनों में परिवर्तन किए हैं; तथा देश के (मालदीव के) सुदूर-पश्चिम में स्थित प्रवालद्वीप **मकुनुधू (Makunudhoo)** में एक निरीक्षण चौकी के निर्माण हेतु बीजिंग को अनुमति प्रदान की है (यह प्रवालद्वीप भारत से अधिक दूर स्थित नहीं है)।
- मालदीव में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं हेतु चीनी कंपनियों के साथ अनुबंध करना। उदाहरणार्थ- हाल ही में माले को हुलहुले द्वीप से जोड़ने वाले सिनामाले पुल तथा हुलहुमाले (बीजिंग द्वारा सागर के निकट व्यर्थ भूमि पर निर्मित एक उपनगर) में 1000 फ्लैट्स से युक्त आवासन परियोजना का उद्घाटन।

चुनौतियां

- **राजनीतिक अनिश्चितता:** श्रीलंका में लोकतांत्रिक सरकार की विजय पर उत्साह प्रकट करने के तत्पश्चात अनेक प्रतिकूल घटनाक्रम (श्रीलंका राजनीतिक संकट) घटित हुए, जिसके कारण मालदीव की गठबंधन सरकार के संबंध में भी इसी प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो गयी हैं। अतः भारत पूर्ण रूप से मालदीव की सरकार पर विश्वास नहीं कर सकता है।
- **चीन से संबंधित कारक:** हालांकि मालदीव सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह मुक्त व्यापार समझौता को पुनः क्रियान्वित करेगी, परंतु चीन से लिया गया भारी बकाया ऋण भार मालदीव को चीन का विरोध किए बिना सावधानीपूर्वक व्यापार करने हेतु बाध्य कर सकता है। इस प्रकार, भारत, मालदीव में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के कारण अपने इस पड़ोसी देश को चीन के साथ सक्रिय अंतःक्रिया से नहीं रोक सकता।
- **आतंकवाद संबंधी चिंताएं:** विगत दशक में राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक-आर्थिक अल्पविकास के कारण उत्पन्न इस्लामिक स्टेट (ISIS) जैसे आतंकवादी समूहों से जुड़ने वाले मालदीव नागरिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह भारत के लिए सुरक्षा संबंधी प्रमुख चिंताओं में से एक है।

VISION

- **एक स्वतंत्र द्वीप नीति का अभाव:** हालांकि भारत IORA एवं त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना की दिशा में कार्यरत है, परंतु इसमें हिन्द महासागर में अवस्थित द्वीपसमूहों (archipelago) जैसे-सेशेल्स, मालदीव, मेडागास्कर और मॉरीशस से संबंधित कोई स्वतंत्र नीति मौजूद नहीं है, ध्यातव्य है कि इन द्वीपीय देशों में चीन की उपस्थिति में वृद्धि हो रही है।

आगे की राह

- भारत को **मालदीव सहित दक्षिणी पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय एवं राजनयिक रूप से जुड़ने** की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक समर्थन** एवं जनसामान्य के मध्य भागीदारी में वृद्धि की जानी चाहिए।
- एक द्वीपसमूह से संबंधित एक स्वतंत्र विदेश नीति को भी विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि उनके साथ व्यवस्थित ढंग से सहयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हिन्द महासागर में परिवर्तित होती शक्ति संरचनाओं का समाधान करने हेतु त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों द्वारा मिलकर विश्वास के परिवेश में **विकसित सामाजिक-आर्थिक विकास समर्थक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी निवेश नीतियां**, परस्पर संबंधों के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकती हैं।
- भारत, मालदीव के प्रति अपने **गैर-हस्तक्षेप के दृष्टिकोण** को अधिक सशक्त कर सकता है, ताकि विगत शासन के दौरान घटित परिघटना से उत्पन्न राजनयिक प्रभाव को प्रबंधित किया जा सके। इससे भारत को इस क्षेत्र में अपने प्रति विश्वास में वृद्धि करने तथा क्षेत्र में अपनी बिग ब्रदर की छवि को सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

3. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी-एशिया (South East And East Asia)

3.1. भारत-जापान संबंध

(India-Japan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 13वें भारत-जापान वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु टोक्यो की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भविष्य के लक्ष्यों पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया।

संबंधित तथ्य

- हाल ही में, बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने हेतु जापान-भारत द्वारा अपना **पहला वार्षिक द्विपक्षीय अंतरिक्ष संवाद** का संचालन किया गया है। इस संवाद के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:
  - पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग (Positioning, Navigation, and Timing: PNT) संबंधी प्रणालियों और अंतरिक्ष अन्वेषण के मध्य सामंजस्य के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के संबंध में जागरूकता (Maritime Domain Awareness: MDA) तथा उपग्रह आवीक्षण से संबंधित क्रियाकलाप।

- **उपग्रह और राडार प्रेषित सूचनाओं** के साथ-साथ स्थलीय अवसंरचना का साझाकरण।
- **वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली,** अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित मानदंडों पर चर्चा की गई।

इस सम्मेलन का महत्व/परिणाम

- **इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के हितों का समन्वय -** भारत एवं जापान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समान हितों को साझा करते हैं, अतः दोनों देश एक **मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम आधारित और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण की मांग करते हैं**। दोनों देश आसियान को इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र का केंद्र मानते हैं, किन्तु साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों की उपस्थिति भी चाहते हैं।
  - विगत वर्ष के शिखर सम्मेलन में भी, **"एक मुक्त, खुले और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र की ओर"** शीर्षक नामक संयुक्त वक्तव्य में इस पर बल दिया गया था। इसने **भारत-प्रशांत क्षेत्र** में **"नियम-आधारित आदेश"** का आह्वान किया, जहां **"संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाता हो और मतभेदों को वार्ता के माध्यम से हल किया जाता हो तथा साथ ही जहां बड़े या छोटे सभी देशों** को नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट, संधारणीय विकास व एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुली व्यापार एवं निवेश प्रणाली की स्वतंत्रता प्राप्त हो।
- **आर्थिक सहयोग में वृद्धि:** इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जापान द्वारा भारत के समक्ष रखा गया 75 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय (currency swap) का प्रस्ताव है। यह पिछले प्रस्ताव की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक था।
  - दोनों देशों द्वारा 2011 में हस्ताक्षरित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के अंतर्गत हुए विकास की सराहना की गयी क्योंकि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुआ है।
  - जापान सरकारी एवं निजी क्षेत्रक के निवेशों हेतु **33800 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है**।
  - **अप्रैल 2000 से जून 2018 के मध्य 28.16 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** के साथ जापान भारत में **निवेशों के अंतर्वाह का एक प्रमुख स्रोत** रहा है।
- **वृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी**
  - **भारत में -** आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA) के माध्यम से जापान भारत में अग्रणी वित्त प्रदाता रहा है।
    - इसने दिल्ली-मुंबई फ्रेट गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा तथा अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल प्रणाली जैसी भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु उच्च स्तरीय अभिरुचि तथा समर्थन प्रदर्शित किया है।
    - **पूर्वोत्तर का एकीकरण-** पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में रखा गया है। जापान ने नॉर्थ-ईस्ट फोरम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की घोषणा की है।
  - **भारत के बाहर-** 2017 में एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGR) की घोषणा तथा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं अफ्रीका इत्यादि जैसे तीसरे देशों में संयुक्त रूप से परियोजनाओं का संचालन करना।
- **रक्षा संबंध- क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित की जाने वाली एक रणनीतिक वार्ता है।
  - **मालाबार अभ्यास** त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा भारत सम्मिलित हैं। इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
  - अब तक भारत एवं जापान के मध्य **'2+2' वार्ता** का आयोजन केवल सचिव स्तर पर किया जाता था परंतु अब '2+2' वार्ता का आयोजन रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के मध्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य मौजूदा राजनयिक, सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग का राजनीतिक सुदृढ़ीकरण करना है। दोनों देशों ने जापान की रक्षा प्रौद्योगिकी को भारत के साथ साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
  - दोनों देशों ने एक्वीजीशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट के संबंध में वार्ताएं आरम्भ करने की घोषणा की है। इस समझौते के प्रभावी होने से जापानी जहाज भारतीय नौसैनिक अड्डों पर ईंधन एवं सर्विसिंग प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।
- **वैश्विक साझेदारी-** इसके अंतर्गत दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC), जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन तथा सतत विकास लक्ष्यों इत्यादि हेतु परस्पर सहयोग करेंगे।

VISION IAS

भारत-जापान संबंधों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- CEPA की उपस्थिति के बावजूद भारत-जापान व्यापार अपेक्षित परिणामों का सृजन नहीं कर पाया है। 2011-12 में द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा 18.43 बिलियन डॉलर थी जो 2016-17 में गिरकर 13.48 बिलियन डॉलर रह गई।
- रक्षा प्रौद्योगिकी का साझाकरण अभी भी एक अवरोधक के रूप में विद्यमान है। US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के समझौते पर भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP) के संबंध में दोनों देशों के हितों में मतभेद है।
- दोनों देशों के पास चीन से निपटने हेतु कोई विशिष्ट नीति मौजूद नहीं है।
- भारत को चीन से निपटने के लिए अपनी नौसैन्य क्षमता को सुदृढ़ करने और हिंद महासागर में अपनी लंबित परियोजनाओं को गति प्रदान करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- यह स्पष्ट है कि सरकार ने भारत-जापान संबंधों को एक त्वरित भू-राजनीतिक कार्यप्रणाली के आधार पर संचालित किया है, जो ऐसे समय में जब अमेरिका इस क्षेत्र से पीछे हट रहा है, विश्व के शेष भाग, विशेष रूप से चीन के साथ व्यवहार करने में एक प्रमुख कारक होगा।
- हालांकि, रणनीतिक साझेदारी हेतु सुदृढ़ आर्थिक संबंधों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जापान भारत का सबसे बड़ा दाता देश है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख देश है, तथापि वर्ष 2013 के पश्चात् से द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर गिरावट आई है।
  - वर्तमान में, भारत-जापान व्यापार लगभग 15 बिलियन डॉलर पर स्थिर बना हुआ है, जो चीन के साथ व्यापार का केवल एक-चौथाई है, जबकि जापान एवं चीन के मध्य लगभग 300 बिलियन डॉलर का व्यापार है।
- उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के आलोक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, कुछ मुद्दों जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण, US-2 एम्फीबियस विमानों की आपूर्ति में विलंब आदि का अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
- दोनों देशों को व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि एक सुदृढ़ भारत-जापान संबंध इस क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त कर सकेगा तथा इस क्षेत्र के साथ-साथ विश्व में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देगा।

3.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

(India-Australia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने **"इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035"** के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह एक विज़न दस्तावेज है जो भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करेगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत-ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में सकारात्मक दिशा में और सौहार्दपूर्ण साझेदारी के साथ विकास के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य कुछ सामान्य विशेषताएं विद्यमान हैं, जिन्हें बहुलवादी, वेस्टमिंस्टर-शैली आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रमंडल परंपरा, विस्तारित होते आर्थिक संबंध और परस्पर बढ़ती उच्च स्तरीय सहभागिता के साझा मूल्यों द्वारा सुदृढ़ता प्रदान की गई है। दोनों राष्ट्रों के संबंधों के विभिन्न पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राजनीतिक सहभागिता:** पहली बार 1941 में ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा एक व्यापार कार्यालय के रूप में सिडनी में **कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया (CGI)** की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के साथ स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी।
  - विभिन्न उच्च स्तरीय यात्राओं के अतिरिक्त, दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं सीमापारीय संगठित अपराध, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पर्यावरण आदि से निपटने में सहयोग करने सहित विविध क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - दोनों देश **विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग** करते हैं। विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों राष्ट्रमंडल, IORA, आसियान क्षेत्रीय मंच, स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया-प्रशांत साझेदारी के सदस्य हैं तथा दोनों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सहभागी देश भी हैं।

- **सुरक्षा और स्थिरता:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया है, जिसमें 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र भी शामिल है। दोनों देश "क्वाड ग्रुप" में शामिल हैं।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** सितंबर 2014 में दोनों देशों के मध्य एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस सन्दर्भ में ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा "सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल 2016" भी पारित किया गया है।
- **कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** एक ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष (2006) स्थापित किया गया है। दोनों देशों द्वारा कृषि अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- **व्यापार:** भारत ऑस्ट्रेलिया का दसवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्तमान में दोनों देशों द्वारा एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA) पर चर्चा की जा रही है जो वस्तुओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित निर्यातकों को व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करेगा।

"एन इंडिया इकनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035" क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- **तीन स्तंभों वाली एक रणनीति-** यह रिपोर्ट भारत के संबंध में एक संधारणीय दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति निर्माण पर फोकस करती है। इस रिपोर्ट में उभरते हुए भारतीय बाजार के 10 क्षेत्रकों और 10 राज्यों की पहचान की गई है जिनमें ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध हैं। अतः रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को इन क्षेत्रकों व राज्यों में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये क्षेत्रक एक फ्लैगशिप क्षेत्रक (शिक्षा), तीन मुख्य क्षेत्रकों (कृषि-व्यवसाय, संसाधन और पर्यटन) और छह सम्भावनापूर्ण क्षेत्रकों (ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, अवसंरचना, खेल, विज्ञान एवं नवाचार) में विभाजित हैं।
  - **प्रथम स्तंभ- "आर्थिक संबंध"-** भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंधों की प्रथम श्रेणी में है। पिछले दो दशकों से ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में भारत उच्च प्राथमिकता पर रहा है परन्तु दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध द्वितीय श्रेणी में स्थिर हैं। इसलिए यह विज़न दस्तावेज़ संबंधों को पूर्ण विकसित आर्थिक साझेदारी में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात 2017 के **14.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर अगले 20 वर्षों में 45 बिलियन डॉलर होने की सम्भावना** है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई निवेश 10.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। यह परिदृश्य संबंधों में हुए परिवर्तनों के विस्तार को दर्शाता है।
    - **व्यापार संबंधों का आधार ऊर्जा संसाधन** है और अब ऑस्ट्रेलिया **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत निर्धारित यूरेनियम आपूर्ति प्रदान** करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **द्वितीय स्तंभ- "भू-सामरिक संलग्नता"**
    - **भारत-प्रशांत क्षेत्र: एक वैश्विक सामरिक क्षेत्र-** भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक रणनीतिक अवस्थिति हैं और इसलिए इस क्षेत्र में इनके साझा हित इन्हें प्राकृतिक सहयोगी बनाते हैं।
    - **यथास्थिति को संरक्षित करना-** ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था पर संकट बढ़ता जा रहा है। इसके संरक्षकों की संख्या कम हो रही है और इसे चुनौती देने वालों की संख्या बढ़ रही है।
    - **चीन का संशोधनवाद (Chinese revisionism)-** चीन इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को निरंतर संशोधित कर रहा है। चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जाना और सैन्य नीति को अपनाना इस क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया को निवल सुरक्षा प्रदाता (नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर) होने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार ये दोनों देश पुनःसंतुलन सुनिश्चित कर सकते हैं।
    - **अमेरिकी नेतृत्व का अस्पष्ट दृष्टिकोण-** इंडो-पैसिफिक बिज़नेस फोरम के दौरान अमेरिका ने अपने मित्र देशों को आश्वस्त करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी आधारित आर्थिक अनुबंध का प्रस्ताव रखा है। इसके बावजूद ये देश इसकी 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी' को लेकर सशंकित हैं।
  - **तीसरा स्तंभ- "रीथिंकिंग कल्चर- सॉफ्ट पावर कूटनीति पर बल"**
    - पिछले दशक में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा का व्यापक पैमाने पर विस्तार देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा की संख्या लगभग 700,000 है। यह ऑस्ट्रेलिया में एक सशक्त और सर्वाधिक तीव्र वृद्धि करने वाला डायस्पोरा समूह है। यह डायस्पोरा भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यवसाय, कला, शिक्षा, राजनीति और सिविल सोसाइटी में व्यक्तिगत संपर्कों का सृजन कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

VISION IAS

चिंताएँ

- **ऑस्ट्रेलिया की द्विभाजित विदेश नीति-** ऐतिहासिक रूप से, ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों के साथ एक प्रमुख समस्या यह रही है कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों का उसके राजनीतिक-सुरक्षा हितों के साथ संरेखण नहीं रहा है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड-US संधि के माध्यम से अमेरिका पर निर्भर है वहीं इसकी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में चीन की विशाल हिस्सेदारी है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां-** भारत के विकास की प्रवृत्ति रैखिक न होकर जटिल रही है। ऑस्ट्रेलिया को भारत की आर्थिक प्रगति के विषय में संदेह रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक संघ की माँग के अनुरूप आवश्यक राजनीतिक समझौतों, अपर्याप्त संसाधन प्राप्त संस्थाओं, एक दखल देने वाली नौकरशाही और भ्रष्टाचार के कारण अवरुद्ध हुई है।
- **भारत के लिए व्यापार निहितार्थ-** निकट भविष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA) के संपन्न होने की संभावना अभी अत्यधिक क्षीण है।
- **इंडो-पैसिफिक की अवधारणा-** वास्तव में एक सुसंगत इंडो-पैसिफिक रणनीति का अभाव है क्योंकि विभिन्न देशों का इस क्षेत्र के संबंध में कोई एक निश्चित विज़न नहीं है। इसे मुख्य रूप से चीन के उदय को रोकने हेतु शेष विश्व की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है।

आगे की राह

- भारत-ऑस्ट्रेलिया को **एक व्यापक साझा इंडो-पैसिफिक विज़न** तैयार करने की आवश्यकता है जो समावेशन, पारदर्शिता, खुलापन और नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करता हो।
- भारत को विभिन्न **अभिशासन सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना होगा** और त्वरित संलग्नता सुनिश्चित करनी होगी। अप्रयुक्त व्यापार क्षमता का लाभ उठाने के लिए CECA को शीघ्रातिशीघ्र सपन्न किये जाने की आवश्यकता है।
- दोनों पक्षों द्वारा **बढ़ते सहयोग के लाभों को** समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।

3.3. भारत और दक्षिण कोरिया संबंध

(India-South Korea Relations)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने ओसाका (जापान) में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

- ओसाका बैठक के दौरान, दोनों देशों के नेताओं ने नई चुनौतियों का सामना करने हेतु नए सिरे से "परस्पर सामंजस्य (synergy)" स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- दक्षिण कोरिया द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की अपनी "रणनीतिक पुनर्रचना" के माध्यम से, भारत को अपनी **"न्यू सदर्न पॉलिसी"** के मुख्य आधारों में से एक बनाने तथा इस नीति एवं भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के मध्य समन्वय स्थापित करने की मांग की है।

भारत के प्रति दक्षिण कोरिया के दृष्टिकोण में परिवर्तन:

भारत के प्रति दक्षिण कोरिया के दृष्टिकोण में परिवर्तन के निम्नलिखित दो प्रमुख कारण हैं:

- प्रथम, दक्षिण कोरिया भारत और आसियान देशों को नए आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है: इन देशों के साथ संबंधों को सदृढ़ करके, दक्षिण कोरिया अपने पारम्परिक व्यापार सहयोगियों (traditional trade allies) अर्थात् चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने की आकांक्षा रखता है।
- द्वितीय, दक्षिण कोरिया बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भारत और आसियान देशों के साथ गठबंधन करके भारत-प्रशांत भू-राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठा रहा है। हालांकि, इस परिवर्तन का मुख्य कारण चीन संबंधी जोखिमों को कम करना है।

न्यू सदर्न पॉलिसी (New Southern Policy: NSP)

- यह **"नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रेस्पोंसिबिलिटी (NEAPC)"** को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत अनुसरण की जाने वाली नीतिगत उन्मुखता है।

VISION IAS

- NSP, NEAPC के 3 खण्डों में से एक है, जिसमें भारत के साथ-साथ आर्थिक-क्षेत्र सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सुदृढ़ संबंध सम्मिलित हैं।
- NSP का उद्देश्य आर्थिक-सहयोग को सुदृढ़ करना तथा समृद्ध एवं जन-केंद्रित शांतिपूर्ण समुदाय का निर्माण करना है जबकि भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय स्तरों पर सतत संबद्धता के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा नए रणनीतिक संबंधों का विकास करना है।
- ये दोनों नीतियां अपने उद्देश्यों में समेकन को प्रदर्शित करती हैं तथा भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए।

व्यापार युद्ध के परिणाम: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध ने भारत-दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया है क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनियों को अपने उत्पादों को अमेरिका (जब भी इनका उत्पादन चीनी शाखाओं में किया जाता है) में बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते व्यापार तनावों ने दक्षिण कोरियाई कंपनियों को अपनी उत्पादन ईकाइयों को चीन से बाहर स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने हेतु विवश किया है।
भारत यहां एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर रहा है, इसका कारण न केवल भारतीय घरेलू बाजार का विशाल होना है अपितु सस्ता श्रम और स्थिर विधिक प्रणाली का विद्यमान होना भी है।

भारत- दक्षिण कोरिया संबंध: एक अवलोकन

भारत और दक्षिण कोरिया दोनों समान रूप से मुक्त समाज, लोकतंत्र और उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मूल्यों के पक्षधर रहे हैं तथा उनका पारस्परिक जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व स्तर पर है। हालांकि, भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही 2015 में 'विशिष्ट रणनीतिक साझेदार' देश बन गए थे, परन्तु दोनों ही देश अभी तक द्विपक्षीय संबंधों में निहित संभावनाओं का पूर्णतया लाभ नहीं उठा पाए हैं।

- 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के पश्चात **राजनीतिक रूप से** भारत ने कोरियाई मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसके पश्चात 1962 में द्विपक्षीय दूतावास संबंध स्थापित किए गए थे, जिन्हें 1973 में राजदूत-स्तर तक उन्नत किया गया था।
- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** पहली बार 2018 में भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने लोग (पीपुल), समृद्धि (प्रोस्पेरीटी) और शांति (पीस) के लिए सहयोग के माध्यम से भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु **'3P प्लस'** की संकल्पना प्रस्तुत की।
- **आधिकारिक नीतिगत साधन:** दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन की **"न्यू सदर्न पॉलिसी (NSP)** द्वारा भारत के साथ देश के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता प्रदान की गई। यह पहली बार है कि दक्षिण कोरिया द्वारा स्पष्ट रूप से भारत के संदर्भ में एक विदेश नीति पहल को तैयार किया गया है और आधिकारिक तौर पर इसका दस्तावेजीकरण किया गया है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है:**
  - भारतीय विज्ञान संस्थान और कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मध्य सहयोग के माध्यम से वर्ष 2010 में बेंगलुरु में स्थापित **"इंडो-कोरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर"** इस सन्दर्भ में एक सर्वोत्तम उदाहरण है।
  - विगत वर्ष में, दक्षिण कोरिया द्वारा नोएडा में **सैमसंग द्वारा स्थापित** विश्व के सबसे बड़े **मोबाइल विनिर्माण संयंत्र का** उद्घाटन किया गया है।
- **इस क्षेत्र में उभरते शक्ति संतुलन ने भी रक्षा संबंधों के विकासक्रम को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया है:**
  - **K9 थंडर होइटसर का सह-उत्पादन** वर्तमान रक्षा सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। दक्षिण कोरिया से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ, भारत के लार्सन एंड टुब्रो द्वारा 'मेक इन इंडिया' के भाग के रूप में घरेलू स्तर पर इन हथियार प्रणालियों के प्रमुख घटकों का विनिर्माण करके 50% से अधिक स्थानीयकरण प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।
  - चीन के बाद दक्षिण कोरिया **दूसरा देश** होगा जिसके साथ भारत द्वारा **अफगानिस्तान में संयुक्त परियोजना** का निर्माण किया जाएगा।

VISION IAS

- **भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा:** दक्षिण कोरिया द्वारा भारत से कहा गया है कि वह इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कोरिया की आसूचना (खुफिया) एजेंसियों के मध्य नियमित सुरक्षा संवाद संचालित होता है।
- **आर्थिक संबंध:** चूंकि भारत द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया गया था, इसलिए 2018 के अंत में भारत-दक्षिण कोरिया के व्यापार संबंध कुछ सौ मिलियन डॉलर से बढ़कर, 2018 के अंत में 22 बिलियन डॉलर हो गए हैं।
    - व्यापार उदारीकरण (झींगा, मोलस्क और प्रसंस्कृत मछली सहित) के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CEPA) का उन्नयन करने हेतु चल रही वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-दक्षिण **कोरिया 2018 में उन्नत CEPA के अंतर्गत अर्ली हार्वेस्ट पैकेज को लांच किया गया था।**
    - **भारत द्वारा दक्षिण कोरिया को किए जाने वाले निर्यात** में खनिज ईंधन, तेल आसवन के उपोत्पाद (मुख्य रूप से नेफ्था), अनाज तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं। **दक्षिण कोरिया द्वारा भारत को किए जाने वाले मुख्य निर्यातों** में ऑटोमोबाइल पार्ट्स और दूरसंचार उपकरण इत्यादि सम्मिलित हैं।
    - भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने हेतु भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा जून 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित पहल **'कोरिया प्लस'** की शुरुआत की गई थी।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:** दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध 2,000 वर्षों से अधिक पुराने हैं। कोरियाई किंवदंती के अनुसार, अयोध्या की राजकुमारी, सुरीरत्ना, 48 ईस्वी में कोरिया गईं थी और वहां के राजा किम-सुरो से विवाह किया था। कोरियाई लोगों की एक बड़ी संख्या स्वयं को पौराणिक राजकुमारी सुरीरत्ना का वंशज मानती है। दोनों देशों के मध्य नियमित रूप से शैक्षणिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया संचालित होती रही है।
- **सामरिक संबंध:** भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) में दक्षिण कोरिया को एक अपरिहार्य साझेदार के रूप में देखता है। दोनों देश अब **2 + 2 प्रारूप** के तहत नए राजनयिक तंत्र की दिशा में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति मून द्वारा इस पर भी बल दिया गया है कि भारत अब इस क्षेत्र में उनके देश का "प्रमुख भागीदार" है और भारत को प्रमुख शक्ति माना जाना चाहिए।

चिंता सम्बन्धी मुद्दे:

- सुदृढ़ संबंधों के बावजूद, दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों का संचालन निर्धारित योजना के अनुसार नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त प्रयासों के अभाव के कारण, **2030 तक 50 बिलियन डालर के निर्धारित व्यापार लक्ष्य** को प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रयासों को तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
    - **दक्षिण कोरिया के पक्ष में व्यापक व्यापार घाटे** ने भारत को अपनी व्यापार नीति को और अधिक उदार बनाने के सम्बन्ध में सजग किया है। इसके विपरीत, 2015 में प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा स्थापित एक विशेष "कोरिया प्लस" डेस्क के बावजूद, कोरियाई कंपनियों द्वारा भारत में व्यापार करने में आ रही बाधाओं को उद्धृत किया गया है।
- आठ वर्षों से स्थापित **"इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (ICCK)", आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपना उचित स्थान प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रहा है** तथा साथ ही इसके द्वारा अधिकांश समय सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में व्यतीत किया जाता है। **इसके समाधान हेतु एक नए, सशक्त वाणिज्यिक निकाय की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए।**
- **लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क की कमी:** दस वर्ष से स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, आम दक्षिण कोरियाई लोगों तक पहुंचने में विफल रहा है। उल्लेखनीय है कि अभी भी कोरियाई लोग, भारत और इंडोनेशिया के लोगों के मध्य अंतर नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण कोरिया में कार्य करने और निवास करने वाले भारतीयों के साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का होना अभी भी एक नियमित घटना बनी हुई है।

आगे की राह

- **व्यापार: 2010 के व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CEPA) के तहत "अर्ली हार्वेस्ट" उपबंध** को बढ़ावा देने संबंधी समझौता, दोनों देशों के मध्य 11 क्षेत्रों में प्रशुल्कों को समाप्त करेगा। यह समझौता भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ दक्षिण कोरियाई पेट्रोरसायन कंपनियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

VISION IAS

- **निवेश:** स्टील कंपनी पॉस्को द्वारा ओडिशा में संयंत्र की स्थापना की विफलता के प्रत्युत्तर में और अधिक कोरियाई कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रगति वस्तुतः क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी इत्यादि समझौतों पर निर्भर करेगी।
- **सामरिक मोर्चा:** सामरिक मोर्चे पर, **भारत ने कोरियाई शांति प्रक्रिया में एक "हितधारक" के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।** दक्षिण कोरिया ने भी भारत-प्रशांत नीति के संबंध में वार्ता करने में रुचि दिखाई है।
    - दक्षिण कोरिया के साथ इस प्रकार का जुड़ाव, विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सामरिक लाभों में वृद्धि करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया, एशिया के दो प्रमुख लोकतांत्रिक देश और प्राकृतिक भागीदार हैं तथा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मिलकर कार्य करना चाहिए।

4. मध्य एशिया (Central Asia)

4.1. प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता

(1st India-Central Asia Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अफगानिस्तान, किर्गिज़ गणतंत्र, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा कज़ाख़स्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था।
- भारत ने भी **चाबहार बंदरगाह** परियोजना में **भाग लेने हेतु** मध्य एशियाई गणतंत्रों (CAR) को आमंत्रित किया है।
- भारत द्वारा आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर बेहतर समन्वय हेतु **एक क्षेत्रीय विकास समूह के गठन** का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।
- भारत ने मध्य एशिया के भू-आबद्ध देशों के साथ **एयर कॉरिडोर्स के निर्माण हेतु एक वार्ता** भी प्रस्तावित की है। मुख्यतः पाकिस्तान (जो स्थलीय व्यापार पर नियंत्रण रखता है) द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचने हेतु भारत और विभिन्न अफगान शहरों के मध्य भारतीय वस्तुओं एवं शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के परिवहन हेतु पहले से ही एयर कॉरिडोर्स का प्रयोग किया जा रहा है।

भारत और मध्य एशिया

- भारत पांच मध्य एशियाई राष्ट्रों को मान्यता प्रदान करने वाले सर्वप्रथम देशों में से एक था।
- 1990 के दशक में इनके सोवियत संघ से पृथक होने के पश्चात् भारत द्वारा इन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। भारत द्वारा वर्तमान में मध्य एशियाई देशों को इसके **'विस्तारित और रणनीतिक पड़ोस'** के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- वर्तमान में इन मध्य एशियाई गणतंत्रों का भारत के साथ **व्यापार केवल 2 बिलियन डॉलर का है**। यह चीन के साथ 50 बिलियन डॉलर व्यापार की तुलना में अत्यल्प है। ज्ञातव्य है कि चीन ने इन देशों को अपने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल के महत्वपूर्ण भाग का दर्जा दिया है।

मध्य एशिया का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** इन देशों की भौगोलिक **अवस्थिति** ने इन्हें एशिया के विभिन्न क्षेत्रों तथा यूरोप और एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में स्थापित कर दिया है।
  - मध्य एशियाई गणतंत्र (CAR) देशों द्वारा चीन, अफगानिस्तान, रूस और ईरान के साथ सीमा साझा की जाती है। हालांकि ताजिकिस्तान पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) के निकट अवस्थित है।
  - भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य एयरबेस फरखोर (ताजिकिस्तान) में स्थित है, जिसे भारतीय वायुसेना और ताजिक एयर फ़ोर्स द्वारा संचालित किया जाता है।

VISION IAS

- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशिया के देश महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और हाइड्रोकार्बनों से सम्पन्न हैं तथा भौगोलिक रूप से भारत के निकट स्थित हैं। उदाहरणार्थ-
  - **कजाखस्तान, यूरेनियम** का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा यहाँ विशाल **गैस और तेल भंडार** भी विद्यमान हैं।
    - किर्गिस्तान के साथ-साथ उज्बेकिस्तान भी स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक देश है। हाल ही में, भारत और उज्बेकिस्तान ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कजाकिस्तान के बाद, अब उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला दूसरा मध्य एशियाई देश बन जाएगा।
  - **ताजिकिस्तान** में तेल निक्षेपों के अतिरिक्त व्यापक **जलविद्युत क्षमता** भी विद्यमान है तथा विश्व का चौथा **सबसे बड़ा गैस भंडार** तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है।
  - **कजाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान** कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश हैं, जो **कैस्पियन के निकट स्थित अन्य ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ** सम्पर्क स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- **सुरक्षा:** अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के गंभीर क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ होंगे। मध्य एशियाई देशों को अफीम उत्पादन के **'गोल्डन क्रेसेंट'** (ईरान-पाक-अफगानिस्तान) से संचालित अवैध ड्रग्स व्यापार से उत्पन्न गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये हथियारों के अवैध व्यापार से भी ग्रसित हैं। मध्य एशिया में उत्पन्न अस्थिरता पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, धार्मिक अतिवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद मध्य एशियाई देशों के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करने के साथ-साथ क्षेत्रीय अस्थिरता भी उत्पन्न कर रहे हैं।
- **व्यापार और निवेश संभावनाएं:** मध्य एशिया विशेष रूप से कज़ाख़स्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के आर्थिक विकास ने निर्माण गतिविधियों में वृद्धि की है तथा सूचना प्रौद्योगिकी, औषध और पर्यटन जैसे क्षेत्रकों के विकास को तीव्रता प्रदान की है। भारत को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है तथा व्यापक सहयोग इन देशों के साथ व्यापार संबंधों को अत्यधिक प्रोत्साहित करेगा।

मध्य एशियाई गणतंत्रों के संदर्भ में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **भू-आबद्ध क्षेत्र:** मध्य एशिया भू-आबद्ध क्षेत्र है जिसके कारण मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध बाधित हुए हैं। निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी ने भी भारत और मध्य एशिया के बीच अल्प व्यापार में योगदान दिया है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत किसी भी मध्य एशियाई देश के साथ **प्रत्यक्षतः स्थलीय सीमा साझा नहीं** करता। **अफगानिस्तान में अस्थिरता तथा** क्षेत्र में **पाकिस्तान** के भू-रणनीतिक महत्त्व ने भारत द्वारा मध्य एशिया के साथ संबंधों का लाभ प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न किया है।
- **चीन की उपस्थिति:** मध्य एशिया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल का भाग है। हालांकि शिनजियांग प्रांत के उइगर क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरतावाद के खतरे ने चीन को मध्य एशियाई सुरक्षा मामलों में सुदृढ़ व्यवस्था करने हेतु प्रेरित किया है, जिससे भारत के हित अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।
- **इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र** में "यूथ बल्ज" (युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि) **के साथ** सीमित आर्थिक अवसरों; गंभीर और बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार; ड्रग्स तस्करी; सुदृढ़ सरकार या दल आदि के बिना स्वेच्छाचारी राज्यों में उत्तराधिकार के प्रबंधन **जैसी घरेलू चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।**

क्षेत्र से संपर्क स्थापित करने हेतु भारत के प्रयास

- **कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी:** इस नीति को वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था। इसमें शामिल हैं-
  - उच्च स्तरीय यात्राओं और बहुपक्षीय सहभागिताओं के माध्यम से सुदृढ़ राजनीतिक संबंधों की स्थापना।
  - सैन्य प्रशिक्षण, नियमित ख़ुफ़िया सूचनाओं के साझाकरण, आतंकवाद-विरोधी प्रयासों में समन्वय और अफगानिस्तान की समस्या पर गंभीर विचार-विमर्श के माध्यम से रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग।
  - ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक भागीदारी।

VISION IAS

- क्षेत्र में एक व्यवहार्य बैंकिंग अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना।
- मध्य एशियाई देशों में निर्माण एवं विद्युत् क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति में वृद्धि।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC), वायु सेवाओं, व्यक्तियों के परस्पर संपर्क और सांस्कृतिक विनिमयों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार।

- **शंघाई सहयोग संगठन:** SCO की पूर्ण सदस्यता के साथ, भारत और मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेतृत्व के मध्य अधिक शीर्ष स्तरीय संपर्क स्थापित होंगे।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** भारत INSTC का संस्थापक सदस्य है। यह एक परियोजना है जो समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत और ईरान को और तत्पश्चात ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया से जोड़ती है।
- **ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास:** यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह के माध्यम से भू-आबद्ध अफगानिस्तान तथा ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया तक संपर्क स्थापित करने में सहायक होगा।
- **अश्गाबात समझौता:** भारत ने अश्गाबात समझौते को स्वीकार कर लिया है। यह मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे हेतु एक समझौता है।
- **तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI):** यह एक प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो गलकिनिश (तुर्कमेनिस्तान) - हेरात - कंधार - मुल्तान - फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) से होकर गुजरेगी।
- **यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन (EEU):** भारत यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता कर रहा है। EEU के सदस्य देश हैं- बेलारूस, कज़ाख़स्तान, रूस, अर्मेनिया और किर्गिस्तान।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** एक प्रभावशाली उपकरण है। इसके तहत इन देशों के युवा पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा मानव क्षमता विकास से लाभान्वित होंगे।

आगे की राह

- भारत को द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अपनी सॉफ्ट पावर और मध्य एशिया में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता का लाभ उठाना चाहिए।
- अत्यधिक विविधता के बावजूद, भारत के पास विरोधी चरमपंथी प्रभावों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता है, जो मध्य एशियाई देशों के समक्ष अनुसरण योग्य एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत और मध्य एशिया अपने सामाजिक, अंतर-जातीय, अंतर-नस्लीय संरचनाओं के आधार को सुदृढ़ करने हेतु पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं ताकि चरमपंथी एवं विभाजनकारी दबावों को नियंत्रित और कम किया जा सके।
- भारत और इस क्षेत्र के मध्य **'सूचना अंतराल' को समाप्त** करने के लिए चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स के साथ-साथ आधिकारिक सरकारी एजेंसियों को और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। यह आर्थिक समझौतों से संबंधित अप्रयुक्त संभावनाओं का दोहन करने में सहायता करेगा। भारत इन देशों को उनकी ऊर्जा, कच्चे माल, तेल एवं गैस, यूरेनियम, खनिज, पनबिजली आदि के लिए एक **सुनिश्चित और प्रतिस्पर्धी बाजार प्रदान करता है।**
- इसके अतिरिक्त, **निजी क्षेत्र की भागीदारी** को भी व्यापार मेलों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इन देशों के प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्रों में एकल देश व्यापार मेलों का आयोजन करना चाहिए।
- भारत की **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी'** के तहत एक दूरदर्शी दृष्टिकोण (अभिमुखता) भी शामिल है जिसका उद्देश्य एक ही समय में इस क्षेत्र में भारत के भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।

भारत और मध्य एशिया दोनों, इस क्षेत्र एवं विश्व में शांति, स्थिरता, संवृद्धि एवं विकास की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकते हैं। इनके मध्य सुदृढ़ संबंध इन देशों सहित विश्व की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा।

VISION IAS

5. पश्चिम एशिया/मध्य-पूर्व (West Asia/Middle East)

5.1. भारत-पश्चिम एशिया

(India West Asia)

भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आयात करता है।
- **भू-सामरिक महत्व:** अरब सागर और पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के संदर्भ में इस क्षेत्र को सामरिक महत्व प्राप्त हुआ है। चीन द्वारा OBOR पहल के माध्यम से पश्चिम एशिया में निरंतर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है।
  - पश्चिम एशिया ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध एवं स्थलरुद्ध मध्य एशिया तक पहुँचने का मार्ग उपलब्ध कराता है।
- **भारतीय समुदाय की सुरक्षा:** भारत **पश्चिम एशिया से सर्वाधिक विप्रेषण (remittances)** प्राप्त करता है। पश्चिम एशिया में लगभग 11 लाख भारतीय कार्यरत हैं। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना भारत के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- **कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु:** कट्टरपंथ का सामना करने के लिए पश्चिम एशियाई देशों के साथ घनिष्ट सहयोग आवश्यक है।

पश्चिम एशिया में विद्यमान चुनौतियां:

- **राजनैतिक अस्थिरता:** दिसंबर 2010 में *अरब स्प्रिंग* के प्रारंभ होने के बाद से पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। उदाहरणार्थ- सीरिया, इराक और यमन संकट।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों की संलग्नता:** पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे क्षेत्रातीत (extra-regional) अभिकर्ताओं की भागीदारी ने संघर्ष में और वृद्धि की है।
- **आतंकवाद:** इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद, सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभरा है। *इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया* (ISIS) का उदय सर्वाधिक चिंताजनक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।
- **क्षेत्रीय संघर्ष:** उदाहरणार्थ- अरब-इजरायल संघर्ष और सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत को पश्चिम एशिया की सभी तीन क्षेत्रीय शक्तियों (ईरान, इजरायल और सऊदी अरब) के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।
- **ईरान पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध:** हाल ही में, अमेरिका द्वारा ईरान-परमाणु समझौते से बाहर निकलते हुए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित करने की धमकी दी गई थी। यह वार्ता प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है, रूढ़िवादी लोगों को उत्साहित कर सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत के ईरान के साथ तेल व्यापार संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा यह चाबहार बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करने में सहयोग कर रहा है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान कई पश्चिम एशियाई देशों विशेष रूप से GCC का घनिष्ट सहयोगी है।

5.2. भारत-सऊदी अरब सम्बन्ध

(India-Saudi Arabia Relations)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 3 देशों (जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे) के अपने दौरे के एक भाग के रूप में भारत की यात्रा की।

सऊदी अरब का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - सऊदी अरब भारत के कच्चे तेल (कुल आयात का ~ 19%) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत अपनी LPG आवश्यकताओं का भी लगभग 32% सऊदी अरब से प्राप्त करता है।
  - हाल ही में सऊदी अरब की मुख्य तेल कंपनी ARAMCO ने (संयुक्त अरब अमीरात की ADNOC के साथ) रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट लिमिटेड (44 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का) के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त उद्यम माना जा रहा है।
- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश**
  - कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी निर्यात का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के FDI में भी निवेश किया है।
  - दोनों देशों ने 2006 में द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्द्धन समझौते तथा दोहरे कराधान से बचाव के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- **भारतीय कामगारों के अधिकार**
  - पश्चिम एशिया में काम करने वाले 11 मिलियन भारतीयों में से लगभग 3 मिलियन सऊदी अरब में हैं।
  - भारत इस देश से विदेशी विप्रेषण (लगभग 11 बिलियन डॉलर वार्षिक) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- **रणनीतिक सहयोग**
  - **दिल्ली घोषणा-पत्र (2006)** द्वारा आतंकवाद पर सहयोग की आधारशिला रखी गयी है जबकि **रियाद घोषणा-पत्र (2010)** द्वारा रणनीतिक साझेदारी के स्तर को बढ़ावा दिया गया था तथा अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग को शामिल करने के लिए संबंधों को विविधता प्रदान की है।
  - हाल ही में वैश्विक मंदी के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप, सऊदी घाटे को देखते हुए तेल से परे जाते हुए विविधीकरण और गतिविधियों की आवश्यकता है। इसने भारत के लिए सऊदी में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और आउटरीच को सुदृढ़ करने के अवसर उत्पन्न किए हैं, जैसे- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग।
  - प्रमुख निवेशकों में से एक होने के कारण सऊदी अरब पाकिस्तान को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति को त्यागने के लिए विवश कर सकता है।
- **सुरक्षा संबंध**
  - हाल के वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक सुरक्षा आयाम भी जुड़ गया है और दोनों देश आतंकवाद-रोधी गतिविधियों तथा खूफिया सूचनाओं में सहयोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़े हैं।
  - रियाद ने कई संदिग्ध आतंकवादियों को भारत को प्रत्यर्पित भी किए हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध**
  - भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या (इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद) निवास करती है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों (मक्का और मदीना) का संरक्षक होने के कारण सऊदी अरब भारत की रणनीतिक गणना में महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - सऊदी अरब प्रत्येक वर्ष लगभग 1,75,000 से अधिक भारतीयों को हज यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

- **सऊदी - पाकिस्तान संबंध:** पाकिस्तान सऊदी अरब का एक "ऐतिहासिक सहयोगी" है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से स्वच्छंद सैन्य और राजनीतिक समर्थन से सऊदी अरब को लाभ प्राप्त होता है जबकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब द्वारा दिए गए धन से लाभ प्राप्त करता है। साथ ही दोनों देशों के सम्बन्ध साझा धार्मिक जुड़ाव से भी प्रेरित हैं।
- **आतंकवाद को वैचारिक समर्थन:** सऊदी अरब के धन पर सम्पूर्ण विश्व में वहाबी इस्लामी समूहों के वित्तपोषण का आरोप लगाया जाता है। यह धन अंततः भारत और ईरान के विरुद्ध सक्रिय आतंकवादी समूहों को भी प्राप्त होता है। कई चरमपंथी संगठन इस्लाम की वहाबी शाखा से प्रेरित हैं।
- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रही है और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर रही है। ईरान में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को दोनों देशों के मध्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति:** यह क्षेत्रीय स्थिरता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रही है, जो इस क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
  - सीरिया में विद्रोहियों के लिए सऊदी समर्थन ने शासन को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ।

VISION IAS

- यमन में युद्ध ने अराजकता और एक मानवीय त्रासदी को उत्पन्न किया है, जिससे कट्टरपंथ के उदय की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- **द्विपक्षीय मुद्दे:** सऊदी अरब में भारतीय ब्लू कॉलर मजदूरों के लिए काम करने की स्थिति एक प्रमुख द्विपक्षीय चिंता का विषय रही है। प्रतिबंधित वीजा और भर्ती संबंधी नीतियां, कड़े श्रम कानून, मानवाधिकारों का अभाव और न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान न होने के कारण भारतीय श्रमिकों के शोषण के कई मामले सामने आए हैं।
  - 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, सऊदी अरब ने कई श्रम सुधारों की घोषणा की, जैसे- घरेलू कामगारों के लिए एक एकीकृत मानक अनुबंध, महिला घरेलू कामगारों के लिए दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, श्रम वर्गीकरण के लिए नया प्रारूप आदि।

आगे की राह

- चूंकि सऊदी अरब अपनी अतिरूढ़िवादी छवि से निकलने और अधिक खुली तथा उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है अतः **भारत को इसके एक प्रमुख सहयोगी और बाजार के रूप में देखा जा रहा है।**
- सऊदी अरब ने भारत की पहचान उन आठ रणनीतिक साझेदारों में से एक के रूप में की है जिसके साथ वह राजनीतिक जुड़ाव, सुरक्षा, व्यापार और निवेश एवं संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को गहन बनाना चाहता है। इस संबंध के भाग के रूप में दोनों पक्ष मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक **रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना** को अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं।
- **भारत को पश्चिम एशिया में संतुलनपूर्ण गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता** है, जो इसके लिए सऊदी अरब, ईरान और इजरायल (इस क्षेत्र में शक्ति के तीन ध्रुव, जो लगातार एक दूसरे के साथ द्वंद्व की स्थिति में हैं) के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना संभव बनाती हैं।
- साथ ही साथ, **क्षेत्रीय अवरोधों और संघर्षों से दूरी बनाए रखने के माध्यम से भारत** इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और भू-रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकेगा।

5.3. भारत और ईरान

(India and Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से स्वयं को पृथक कर ईरान पर पुन: प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं, जो अन्य मुद्दों के साथ-साथ भारत-ईरान संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है।

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

- **पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान तक पहुँच स्थापित करना:** यह ईरान में बंदरगाह का विकास, अफगानिस्तान तक पहुँच स्थापित करने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर सकता है।
  - यह अफगानिस्तान द्वारा भारत को निर्यातित शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जैसे- फल एवं सब्जियां) और सूखे मेवों के व्यापार सहित अन्य वस्तुओं के व्यापार में भी वृद्धि करेगा। वर्तमान में इस बंदरगाह की अनुपस्थिति में इन वस्तुओं को भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर कस्टम क्लीयरेंस से गुजरना पड़ता है, जिसमें अत्यधिक समय लगता है।
  - भारत, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य अफगानिस्तान स्थित **हाजीगक खदानों** से निष्कर्षित लौह-अयस्क का निर्यात कर सकता है।

- **अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव में कमी:** इससे भू-आबद्ध अफगानिस्तान की समुद्री व्यापार हेतु कराची बंदरगाह पर निर्भरता में कमी आएगी।
- **मध्य एशिया तक पहुंच:** भारत की अफगानिस्तान में उपस्थिति मध्य एशियाई गणतंत्रों (CARs) तक पहुँच बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। उदाहरणार्थ, उज्बेकिस्तान से संपर्क स्थापित करने हेतु **जरांज-डेलारम राजमार्ग** के विस्तार की योजना।
- अफगानिस्तान का क्षेत्रीय एकीकरण: बढ़ते क्षेत्रीय सहयोग के परिणामस्वरूप सभी हितधारकों द्वारा अफगानिस्तान को एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के बजाय सहयोग के क्षेत्र के रूप में देखा जायेगा, जिससे अफगानिस्तान में स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

VISION IAS

भारत-ईरान संबंधों का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ईरान, भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। इसके पास प्राकृतिक गैस का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार भी है जिसका भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु लाभ उठाया जा सकता है।
- **कनेक्टिविटी:**
  - **चाबहार बंदरगाह:** भारत द्वारा ईरान में विकसित किया जा रहा यह बंदरगाह भारत हेतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
  - वर्तमान में भारत द्वारा 560 मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। यह ईरान के **बंदरगाह को दक्षिण अफगानिस्तान के हाजीगक से जोड़ती है** जो कि **जरांज-डेलाराम राजमार्ग** के समीप स्थित है।
  - **इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)** के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- **व्यापार और निवेश:** भारत द्वारा **चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ)** में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और धातुशोधन (metallurgy) आदि से संबंधित संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यह ईरान को वित्तीय संसाधनों और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगा।
  - **फरजाद बी गैस क्षेत्र** का दोहन करने हेतु वार्ता की जा रही है।
  - भारत द्वारा **ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (IPI) गैस** पाइपलाइन परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु सक्रिय रूप से प्रयास किया जा रहा है।
  - भारत के कृषि उत्पादों, सॉफ्टवेयर सेवाओं, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों इत्यादि के लिए ईरान एक **बड़ा बाजार** है और इन उत्पादों के व्यापार की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत को, तेहरान द्वारा निरंतर गैर-डॉलर मुद्रा में तेल के निर्यात की सुविधा प्रदान करने सहित, कई अनुकूल शर्तों को प्रस्तावित किया जाता रहा है।
- **भू-राजनीतिक-** ईरान समग्र पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख राष्ट्र है तथा विशेषकर भारत के संबंध में, शिया-सुन्नी संघर्ष और अरब-इजराइल संघर्ष के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में जहाँ ईरान एक प्रमुख हितधारक है, समुद्री डकैती का सामना करने के लिए **समुद्री संचार मार्ग (SLoC) को सुरक्षित करने हेतु** भारत एक **प्रमुख सुरक्षा प्रदाता** बनने की आकांक्षा रखता है। हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स को प्रतिसंतुलित करने में भी ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।
  - **आतंकवाद:** अल-कायदा, ISIS, तालिबान जैसे अन्य वैश्विक आतंकवादी समूहों का सामना करने में ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अतिरिक्त, ईरान अन्य संगठित अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार आदि से निपटने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आधिकारिक रूप से एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है।
- यह पहला अवसर है जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा औपचारिक तौर पर किसी अन्य देश की सेना को आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- यह एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में **संस्थापक सदस्यों के रूप में ईरान, रूस और भारत के हस्ताक्षर के साथ की गई थी।**
- इसका विस्तार करके इसमें 11 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, यथा: अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस, ओमान और बुल्गारिया।
- इसका उद्देश्य **भारत को समुद्री मार्ग से ईरान और फिर ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर होते हुए मध्य एशिया से जोड़ना है।**

VISION IAS

भारत-ईरान के मध्य भुगतान की नवीन व्यवस्था

- भारत ने भुगतान प्रणाली का उत्तरदायित्व यूको बैंक को प्रदान किया है, क्योंकि इसका अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है।
- तेल भुगतान, पूर्ववर्ती व्यवस्था के स्थान पर केवल रुपये में किए जा रहे हैं। इससे पहले ये भुगतान रुपये (45% भुगतान) तथा यूरो (55% भुगतान) में किए जा रहे थे।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत भारत को ईरान को कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, दवाएं और चिकित्सा संबंधी उपकरणों के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। ईरान, भारत से किए जाने वाले आयातों का भुगतान रुपये में कर सकता है।
- फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) मोड के विपरीत भारत कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट (CIF) मोड के विकल्प का पुनः चयन कर सकता है।

इस व्यवस्था (arrangement) का क्या अर्थ है?

- रुपये में तेल खरीद करने संबंधी समझौता रुपये को सुदृढ़ करने में सहायता करेगा, क्योंकि अब भारत को तेल आयात हेतु अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी।
- चूँकि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए, एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का विनिमय सामान्यतः डॉलर के विनिमय के माध्यम से किया जाता है।
- हालांकि, समझौते के प्रभाव में आने पर, तेल की खरीद हेतु भारत में डॉलर की मांग में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए समग्र मांग में गिरावट आने से मुद्रा अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा सुदृढ़ होगी।

कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट (CIF) और **फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB)** दो व्यापारिक देशों के मध्य शिपिंग समझौते हैं। इनका उपयोग किसी क्रेता और विक्रेता के मध्य वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है। पारगमन के दौरान वस्तुओं की ज़िम्मेदारी किसके द्वारा वहन की जाती है, इस परिप्रेक्ष्य में दोनों समझौते पृथक-पृथक हैं। CIF में, विक्रेता जिम्मेदारी ग्रहण करता है (इस मामले में ईरान द्वारा) और FOB में क्रेता जिम्मेदारी का वहन करता है।

CIF में, निर्यातक लागत वहन करता है तथा माल ढुलाई और बीमा शुल्क का भुगतान करता है, जबकि FOB में, कच्चे माल के परिवहन के लिए पोत की व्यवस्था क्रेता द्वारा की जाती है। हालांकि, यदि भारत CIF मोड अपनाता है, तो यह तेल की खरीद को और अधिक महंगा बना सकता है।

ईरान-अमेरिका के मध्य विवाद की पृष्ठभूमि:

- अमेरिका वर्ष 2015 के "ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA)" से पृथक हो गया है और इसने ईरान पर पुनः प्रतिबंध आरोपित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अमेरिका द्वारा निम्नलिखित कारणों को प्रस्तुत किया गया है:
  - अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** के निरीक्षकों के कार्यों पर प्रतिबंध लगा रहा था।
  - इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, 2025 के पश्चात उसकी परमाणु गतिविधियों को लक्षित नहीं किया गया है।
  - यमन एवं सीरिया के संघर्षों में ईरान की भूमिका।
  - इसके अतिरिक्त, कई विश्लेषकों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेरिस और बर्लिन में तेहरान की बैंकिंग को रेखांकित किया है, जो यूरोप और ईरान को व्यापार, व्यवसाय एवं कूटनीति के संचालन की अनुमति प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इसे **चिंता का एक मुख्य विषय माना** है।
- ईरान ने जवाबी कार्यवाही (प्रतिबंधों का उल्लंघन) करते हुए कहा है कि वह JCPOA का अनुपालन नहीं करेगा। इसके द्वारा तेल एवं बैंकिंग व्यवस्था को पुनर्बहाल करने हेतु EU-3 और परमाणु समझौते के अन्य पक्षकार देशों के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
- इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि ईरान को अधिशेष संवर्द्धित यूरेनियम को देश में ही भंडारित करने की बजाय विदेशों को विक्रय करना था।
- अमेरिका ने ईरान के तेल विक्रय, इसके व्यापक ऊर्जा उद्योग, पोत परिवहन, बैंकिंग, बीमा इत्यादि को लक्षित करते हुए प्रतिबंध आरोपित किए हैं। व्यापार के संदर्भ में इन्हें **"द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions)"** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका उद्देश्य अन्य देशों को ईरान से व्यापार करने से रोकने हेतु उन पर दबाव डालना है।

VISION IAS

- अमेरिका द्वारा **सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सेप्शंस (SREs) नामक** छूटें प्रदान की गईं थी, जिसके तहत **भारत एवं अन्य सात देशों** को 1 मई 2019 को समाप्त होने वाली छह माह की अवधि तक ईरान से तेल की कुछ मात्रा का आयात जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् किए जाने वाले किसी भी प्रकार के आयात पर अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों को आरोपित किया जाएगा।
- इसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधों के लागू किए जाने के पश्चात् भारतीय रिफाइनरियों ने नवंबर माह तक **ईरान से की जाने वाली तेल की खरीद को लगभग आधा कर दिया था।** ध्यातव्य है कि विगत वर्ष की तुलना में अप्रैल, 2019 तक भारत द्वारा ईरान से किए गए तेल आयात में **57 प्रतिशत की गिरावट** दर्ज की गई।

प्रतिबंधों के निहितार्थ

- **भारत के लिए निहितार्थ**
  - **भारत-ईरान संबंधों पर प्रभाव:**
    - **ऊर्जा व्यापार:** 2017 में, **भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में लगभग 11.2 प्रतिशत** भाग की आपूर्ति ईरान द्वारा की गई थी और यह इराक एवं सऊदी अरब के बाद **कच्चे तेल के आयात हेतु तीसरा सबसे बड़ा स्रोत** (आपूर्तिकर्ता देश) रहा है। प्रतिबंधों के लागू होने के पश्चात भारत द्वारा ईरान से किए जाने वाले तेल आयात में प्रतिवर्ष लगभग **57 प्रतिशत की गिरावट आयी** है। भारत-ईरान की तेल आयात व्यवस्था में इस प्रकार का अस्थायित्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है।
    - **ईरान के साथ रणनीतिक पहल:** जैसे- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह का विकास आदि।
  - **अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:**
    - **मुद्रास्फीति में वृद्धि:** पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) में ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान द्वारा की जाने वाली आपूर्तियों में 2,00,000 बैरल/प्रति दिन (BPD) से 1 मिलियन BPD के मध्य की कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर की सीमा को पार कर गयी है।
    - **चालू खाता घाटा (CAD) में वृद्धि:** कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ आयात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण CAD में वृद्धि हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय रुपये के मूल्य पर पड़ता है, अर्थात् रुपये के मूल्य में गिरावट आ सकती है।
    - **पूंजी बाज़ार पर प्रभाव:** भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों (BSE, NSE इत्यादि) में लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण निवेशकों द्वारा तेज़ी से अपने शेयरों का विक्रय किया जाना है। निवेशकों को भय था कि तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, जो पहले से प्रभावित उपभोग दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
    - **तेल आयात की लाभप्रद परिस्थितियों में गिरावट-** सऊदी अरब, कुवैत, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे कच्चे तेल के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता देश, ईरान के समान आकर्षक/बेहतर विकल्प प्रदान नहीं करते हैं। ईरान द्वारा प्रदत्त विकल्पों में 60-दिवसीय क्रेडिट एवं मुफ्त बीमा के साथ-साथ तेल के क्रय हेतु महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार की जगह प्रत्यक्षतः भारतीय रुपये का उपयोग किया जाना शामिल है।
  - **सामरिक स्वायत्तता:** भारत, सामरिक स्वायत्तता का दावा करने तथा अमेरिका एवं ईरान दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की परिकल्पना करता है। हालाँकि, इससे भारत के अमेरिका का पक्ष समर्थक बनने की संभावना परिलक्षित होती है।
- **ईरान पर प्रभाव**
  - वर्ष 2017-18 में जीवाश्म ईंधन ने ईरान के निर्यात में 53% से अधिक का योगदान किया है तथा यह इसके 440 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत था। अमेरिका के आंतरिक अनुमानों के अनुसार अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को 2.7 मिलियन बैरल प्रति माह से 1.6 मिलियन बैरल प्रति माह तक के स्तर पर लाने में सफल हुआ है।
- **चीन के लिए लाभकारी**: केवल चीन ही एक मात्र ऐसा देश है जिसने प्रतिबंधों को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया है। यह पहले से ही ईरान में परिवहन और संचार अवसंरचना का विकास करने में अपनी रूचि प्रदर्शित कर चुका है।

VISION IAS

- अक्टूबर 2018 में चीन ने ईरानी कच्चे तेल का लगभग 44% आयात किया था, जो जनवरी से जून के मध्य 26% आयात की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
- यह विशेष रूप से तेल व्यापार में अपनी मुद्रा का अत्यधिक प्रयोग करते हुए वैश्विक तेल बाजार को पुन: आकार प्रदान करने के चीन के लक्ष्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अमेरिकी डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करके प्रतिबंधों को अप्रभावी करने के ईरान के प्रस्तावित दृष्टिकोण के अनुकूल है।

- **क्षेत्र में तनाव:** ईरान ने **"होर्मुज जलसंधि"** (वैश्विक तेल पोत परिवहन हेतु एक प्रमुख मार्ग) को बंद करने की चेतावनी दी है। उदाहरणार्थ, हाल ही में ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में विदेशी तेल टैंकरों को जब्त कर लिया गया था। इसने यह भय उत्पन्न किया है कि किसी भी प्रकार गलती और जैसे को तैसे जैसी प्रतिक्रिया अंतत: युद्ध में परिणत हो जाएगी।

भारत-ईरान संबंधों के संदर्भ में अन्य चुनौतियां

- **आंतरिक राजनीतिक मुद्दे:** ईरान की वर्तमान सरकार घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव का सामना कर रही है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को विविधिकृत करने में सक्षम नहीं हुआ है। ज्ञातव्य है कि ईरान तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी व मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार की जटिल संरचना, अभिव्यक्ति के अधिकारों पर कठोर नियंत्रण भी विद्रोह को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- **परमाणु समझौते पर अनिश्चितता -** 2015 में पश्चिमी देशों के साथ हस्ताक्षरित परमाणु समझौते के भविष्य पर अनिश्चितता भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समझौते से अमेरिका के बाहर होने से ईरान में भारत का नियोजित निवेश प्रभावित हो सकता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार-** द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग चैनल का अवरुद्ध होना है। दोनों पक्ष वर्तमान में यूको बैंक के माध्यम से रुपये में भुगतान सहित अन्य वैकल्पिक भुगतान तंत्र की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान में भारतीय निर्यात **2013-14 में 4.9 अरब डॉलर से घटकर 2016-17 में 2.379 अरब डॉलर रह गया** है जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है।
- **भारत के इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध-** इस क्षेत्र में अमेरिका के निकटतम सहयोगियों में से एक इज़राइल द्वारा परमाणु समझौते का विरोध किया जाता रहा है और ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध और ईरान के संदर्भ में अमेरिकी चिंताओं ने भारत-ईरान संबंधों को भी प्रभावित किया है।
- **भारत के खाड़ी देशों के साथ संबंध-** सऊदी अरब के साथ ईरान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने खाड़ी के दोनों गुटों के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ किया है। यह भी एक मुद्दा हो सकता है।
- **कश्मीर का मुद्दा-** ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई द्वारा कश्मीर संघर्ष को यमन और बहरीन में चल रहे संघर्ष के समान मानना भी भारत में संदेह की भावना उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- **भारत को क्या करने की आवश्यकता है?**
  - यही उचित समय है जब भारत को एक स्वायत्त और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के आधार पर **दोनों देशों के साथ संतुलित सामरिक संबंध स्थापित करने चाहिए।** इस हेतु भारत को साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है। एक अग्रणी शक्ति के रूप में इसे किसी अन्य देश के दबाव में झुकना नहीं चाहिए।
  - अल्पकालिक उपाय के रूप में ईरान हेतु भुगतान की वैकल्पिक प्रणाली के विकास के साथ ही निवेश प्रणालियों में लोचशीलता को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।
  - चीन के सापेक्ष भारत की सुरक्षा और सामरिक चिंता के संबंध में अमेरिका के साथ **उच्च स्तरीय वार्ताओं का आयोजन** करना।
  - दीर्घावधि में, भारत को परमाणु आतंकवाद को समाप्त करने हेतु एक शांतिपूर्ण समाधान के प्रतिपादन के लिए **ईरान परमाणु समझौते के पक्षकार अन्य सदस्यों के निकट संपर्क** में रहना होगा। ईरान परमाणु समझौता एक उचित समझौता है जिसे अमेरिका द्वारा एकपक्षीय रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

VISION

- **ईरान के साथ संलग्नता** को त्वरित कर ईरान में **विभिन्न भारतीय परियोजनाओं को** गति प्रदान करनी होगी। ईरान के साथ संलग्नता को भागीदारी के स्तर पर ले जाना आवश्यक है, उदाहरणार्थ- फरज़ाद बी (Farzad B) तेल क्षेत्र का विकास।
- भारत को अपनी पश्चिम एशियाई ऊर्जा निर्भरता को कम करने हेतु एक **व्यापक ऊर्जा नीति** का विकास करने की आवश्यकता है।
- चूँकि भारत ने डी-हाइफनेशन (ऐसी विदेश नीति जिसमें दो विपक्षी देशों के साथ एक ही समय में स्वतंत्र वैदेशिक सम्बन्ध रखे जाते हैं) नीति को लागू करने की कला का विकास कर लिया है, अत: आवश्यक है कि अब एक सुसंगत और स्वायत्त ईरान नीति का प्रतिपादन किया जाए।

- **सामूहिक प्रयास**
  - ईरान को पृथक करने के अमेरिकी प्रयासों का सामूहिक रूप से विरोध करने की आवश्यकता है। **सामूहिक सौदेबाजी** अमेरिकी एकपक्षीयता को विफल करने का एक बेहतर साधन सिद्ध हो सकती है।
  - अमेरिका के बिना JCPOA का कार्यान्वयन इन प्रतिबंधों से निपटने हेतु प्रथम पहल सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंध कूटनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी।

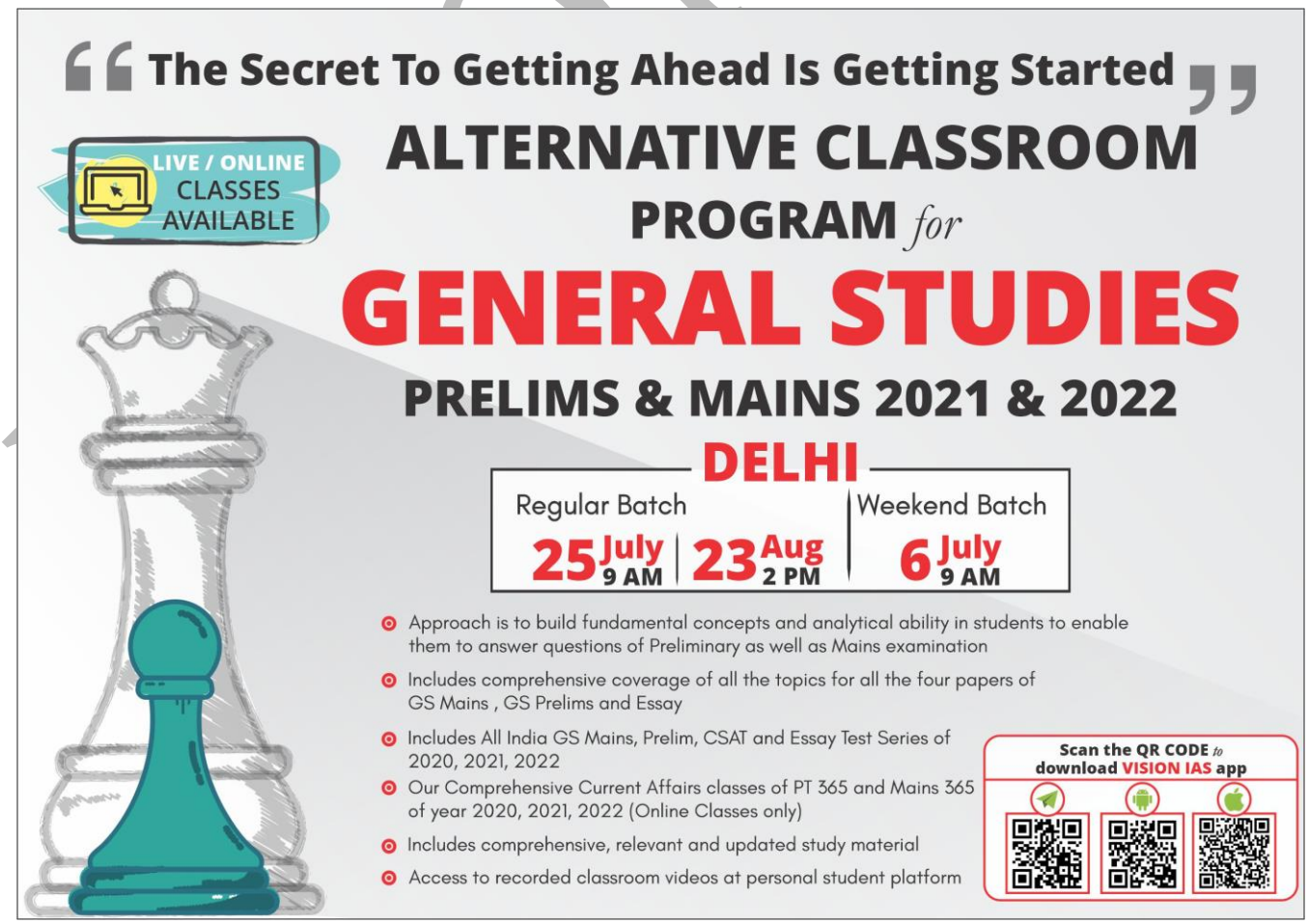

6. अफ्रीका (Africa)

6.1. भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंधों (आर्थिक एवं सांस्कृतिक) की शुरुआत पूर्व-औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी तथा ये संबंध भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान और भी सुदृढ़ हुए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, उपनिवेशवाद व जातिवाद विरोधी दृष्टिकोण तथा गाँधीवादी अहिंसात्मक सिद्धांतों की सफलता, पंथनिरपेक्षता के आधुनिक आदर्शों की स्थापना एवं उत्तरजीविता, विकास इत्यादि जैसे कारकों ने भारत-अफ्रीका के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया।

हालांकि, **भारत की वित्तीय रूप से कमजोर स्थिति और देशोन्मुखी आर्थिक नीतियों** जैसे विविध कारकों के कारण भारत अफ्रीका के साथ व्यापक सामरिक संबंधों का विकास करने में विफल रहा है। वर्ष 2000 के दशक से ही अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के मध्य संबंधों को महत्त्व दिया जाने लगा था।

वर्तमान समय में भारत अफ्रीकी देशों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों की जड़ें **दक्षिण-दक्षिण सहयोग, लोगों के आपसी संपर्कों, और सामान्य विकास चुनौतियों** के सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत एवं साझा इतिहास में निहित है।

अफ्रीका का महत्व

अफ्रीका के साथ संलग्नता में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सामुद्रिक हित अन्तर्निहित हैं।

- **संसाधन सम्पन्न क्षेत्र:** अफ्रीका अत्यंत साधन सम्पन्न क्षेत्र है। यह एक अल्पविकसित महाद्वीप से, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और नए लोकतांत्रिक देशों वाले महाद्वीप में परिवर्तित हो रहा है।
- **आर्थिक विकास:** वर्ष 2018 में अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि दर 3.2% के स्तर पर रहने की संभावना व्यक्त की गयी थी। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार, इस महाद्वीप के 6 देश **विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल** हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अफ्रीकी देश विदेशी निवेशकों तथा भागीदारों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भारत के लिए भी इस महाद्वीप में अनेक आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं।
    - कृषि व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा ऊर्जा सहित सामरिक क्षेत्रों के साथ अनेक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले से ही अफ्रीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित हैं तथा उनके द्वारा इस क्षेत्र में अत्यधिक निवेश किया गया है।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधार:** यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है तो इसे इस महाद्वीप के सभी 54 देशों के साथ संलग्न होना पड़ेगा।
- **हितों का अभिसरण:** दोनों भागीदार **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में प्रमुख मुद्दों पर एकमत हैं तथा साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में हैं। वर्ष 2013 में बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी अफ्रीका और भारत WTO की निर्धारित शुल्क सीमाओं (caps) के विरुद्ध किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा हेतु एक अंतरिम प्रणाली (जब तक कि स्थायी समाधान खोजे और अपनाए नहीं जाते) की स्थापना के प्रयास में एकजुट थे।
    - **आतंकवाद से निपटने हेतु सहयोग:** भारत ने 54 अफ्रीकी देशों के साथ ख़ुफ़िया जानकारी के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का दृढ़ता से समर्थन किया है।
    - वैश्विक तापन में न्यूनतम योगदान देने वाले देशों अर्थात भारत और अफ्रीका के मध्य **जलवायु परिवर्तन पर सहयोग**।
    - **शांति स्थापना अभियान:** भारत अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति स्थापना तथा अन्य अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राष्ट्र है।
    - अफ्रीका के समक्ष भारत **लोकतांत्रिक विकास का एक उपयोगी मॉडल प्रस्तुत** करता है। वस्तुतः विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत अपने लोकतांत्रिक अनुभवों को साझा करने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय शासन तथा विधि के शासन को सुदृढ़ करने हेतु एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अफ्रीकी सरकार के अनुरोधों पर त्वरित रूप से कार्य कर रहा है।

VISION IAS

संबंधित तथ्य : अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (African Continental Free Trade Area: AfCFTA):

- अफ्रीकी देशों द्वारा 'AfCFTA' की शुरुआत की जाएगी। ज्ञातव्य है कि AfCFTA, विश्व व्यापार संगठन के पश्चात् विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है।
- यह अफ्रीकी संघ (AU) के सभी 55 सदस्यों के मध्य किए गए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते का परिणाम है।

भारत-अफ्रीका व्यापार संबंधों को AfCFTA से कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है?

- **वन स्टॉप ट्रेड ब्लॉक-** AfCFTA भारतीय कम्पनियों और निवेशकों को अनेक अवसर प्रदान करेगा ताकि वे एक वृहत, एकीकृत, सरलीकृत और अधिक सुदृढ़ अफ्रीकी बाजार से लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा अनुमान है कि 2022 तक AfCFTA द्वारा अंतर-अफ्रीकी व्यापार में 2010 के स्तर की तुलना में 52.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अफ्रीका को केवल अल्पकालिक लाभ वाले गंतव्य स्थान के रूप में नहीं बल्कि मध्यम एवं दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि हेतु एक भागीदार के रूप में देखे। यदि AfCFTA की स्थापना हो जाती है तो 2022 तक अफ्रीका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात् 10 प्रतिशत) की वृद्धि होगी।
- **भू-रणनीतिक लाभ-** भारत एवं अफ्रीका के मध्य बढ़ते व्यापारिक संबंध, अफ्रीका में चीन की बढ़ती संलग्नता को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं।
- **WTO की घटती भूमिका-** विश्व व्यापार संगठन (WTO) की घटती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का वृहत व्यापार समूह समय की मांग है। भारत इसके साथ सक्रिय रूप से संलग्न हो सकता है तथा विविधीकरण और विकास कर सकता है।
- **बेहतर व्यापार हेतु अन्य कदमों को प्रोत्साहन -** भारत अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र के साथ व्यापार में सुधार करने हेतु **एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** जैसी अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। AfCFTA के साथ संलग्नता इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी तथा दीर्घावधि में दोनों क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी।

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध

- **आर्थिक:** भारत और अफ्रीका के मध्य व्यापार वर्ष 2001 के 7.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 59.9 बिलियन डॉलर (लगभग आठ गुना से अधिक) हो गया है तथा इससे भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
- इसके अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों में इसके तीन गुना बढ़कर 150 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है।
    - महाद्वीप में निवेश करने वाला भारत पांचवां सबसे बड़ा देश है। भारत ने विगत 26 वर्षों में 54 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
- **लोगों के मध्य पारस्परिक सम्पर्क:** लोगों के पारस्परिक संपर्कों में वृद्धि हुई है, अत्यधिक संख्या में अफ्रीकी उद्यमी, चिकित्सा पर्यटक, प्रशिक्षु और छात्र भारत आ रहे हैं तथा यहाँ से भी अनेक भारतीय विशेषज्ञ एवं उद्यमी अफ्रीका की ओर प्रवास कर रहे हैं।
- भारत और विभिन्न अफ्रीकी देशों के मध्य **व्यापारिक सम्पर्क** अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं तथा ये दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर पारस्परिक (सूचनाओं एवं आंकड़ों का डिजिटल लेन-देन) संबंधों को संचालित कर रहे हैं।
    - तुलनात्मक रूप से कम मूल्यों के कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं का अफ्रीका में HIV/एड्स का उपचार करने हेतु अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), अखिल-अफ्रीकी ई-नेटवर्क इत्यादि जैसी विविध विकासात्मक पहलों के माध्यम से **अफ्रीका को भारत द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।**
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर:** यह **भारत और जापान** के मध्य एक आर्थिक सहयोग समझौता है जो "सतत एवं नवाचारी विकास" हेतु एशिया एवं अफ्रीका के मध्य घनिष्ठ सहभागिताओं को अभिकल्पित करता है। इस समझौते के निम्नलिखित चार आधार हैं:
    - स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण, फार्मिंग, विनिर्माण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विकास तथा सहयोग परियोजनाएं;
    - गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनाओं का निर्माण करना तथा संस्थाओं को परस्पर जोड़ना;
    - क्षमता एवं कौशल विकास तथा
    - लोगों के मध्य सहभागिता
- ISA के कुल सदस्यों में से 24 अफ्रीका से हैं। अफ्रीकी महाद्वीप सौर ऊर्जा का विशाल भंडार है।

VISION IAS

- वर्तमान में **उपमहाद्वीप के संगठन तथा राज्य सरकारें** अफ्रीकी समकक्षों के साथ स्वतंत्र संबंधों का भी सृजन कर रही हैं।
  - उदाहरणार्थ केरल अपने प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु अफ्रीकी देशों से काजू के आयात की योजना बना रहा है, जो कच्चे माल की निम्न उपलब्धता के कारण पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।
  - इसी प्रकार इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका एक स्वयं सहायता समूह आन्दोलन कुदुम्बश्री के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि इस मॉडल को वे अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हुए अपने यहाँ लागू कर सकें। ध्यातव्य है कि **केरल सरकार** द्वारा गठित कुदुम्बश्री आन्दोलन का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं महिला सशक्तीकरण है।

अफ्रीका में भारत की विकासात्मक पहलें

- **भारतीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (ITEC),** जिसका उद्देश्य सहभागी देशों के साथ क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा अनुभवों को साझा करने में सहयोग करना है।
- **अखिल-अफ्रीका ई-नेटवर्क:** इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। यह भारत और अफ्रीकी संघ का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को उपग्रह सम्पर्क, टेली-शिक्षा, टेली-औषधि सेवाएं प्रदान कराना है।
- **टेक्नो-इकॉनमी एप्रोच फॉर अफ्रीका-इंडिया मूवमेंट (TEAM-9):** इसे भारत द्वारा आठ पश्चिम अफ्रीकी देशों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य संसाधनों से समृद्ध परन्तु अल्पविकसित देशों की संलग्नता को बढ़ाना है जिन्हें अवसंरचना के विकास हेतु कम लागत वाली प्रौद्योगिकी और निवेश की आवश्यकता है।
- **स्पोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीका (SITA):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा समर्थित परियोजना है, जिसका उद्देश्य नौकरियों के सृजन हेतु चयनित पूर्वी अफ्रीकी देशों और भारत के मध्य व्यावसायिक लेनदेनों के मूल्यों में वृद्धि करना है।
- **अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (AfDB) के साथ सहयोग:** भारत वर्ष 1983 में AfDB का सदस्य बना था तथा इसकी सामान्य पूँजी (general capital) में योगदान किया गया तथा अनुदान एवं ऋणों हेतु पूँजी को भी प्रतिभूत किया है।
- **विकास सहायता:** भारत ने अफ्रीकी देशों में परियोजनाओं को वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में सहायता के लिए 10 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की है।
- **सोलर मामाज (Solar Mamas):** यह अफ्रीका का ग्रामीण महिला सौर अभियंताओं का एक समूह है, जिन्हें अपने गाँव में सौर लालटेनों एवं घरेलू सौर प्रकाश प्रणालियों के निर्माण, अधिष्ठापित, उपयोग, मरम्मत और अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **"लाइट-अप एंड पॉवर अफ्रीका" पहल:** इसके तहत अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की भागीदारी के साथ अफ्रीका में सौर ऊर्जा के स्तर में वृद्धि की जाएगी।

अफ्रीका में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजनीतिक अस्थिरता:** अनेक अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत के दीर्घकालिक निवेश अवसरों को प्रभावित कर सकती है। **उदाहरणार्थ दक्षिण सूडान द्वारा वर्ष 2013 से ही गृह युद्ध का सामना कर रहा है।**
- **अफ्रीका में आतंकवाद:** अफ्रीका में हाल के वर्षों में अल-कायदा तथा ISIS से जुड़े आतंकवादियों के आतंकी हमलों में असाधारण वृद्धि हुई है।
- **भारत में अफ्रीकी लोगों पर हमला:** हाल के महीनों में अफ्रीकियों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाएँ अफ्रीका में भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं तथा महाद्वीप के साथ सदियों पुराने संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **समन्वय का अभाव:** भारतीय राज्य और अफ्रीका में इसके व्यवसायों के बीच समन्वय के अभाव के साथ-साथ नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में इंडिया इंक की भूमिका सीमित है। यह दोनों देशों की उन क्षमताओं को सीमित करता है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
- **वित्तीय सीमाएं: चेक बुक कूटनीति** (कूटनीतिक हितों की पूर्ति हेतु खुले तौर पर आर्थिक सहायता एवं निवेश का उपयोग करने संबंधी विदेश नीति) के संदर्भ में भारत; चीन और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता है। नाइजीरिया जैसे कुछ धनी अफ्रीकी देश भी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अंतर्गत भारत से उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। हालांकि, भारत बेहतर विकास हेतु संयुक्त प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

- **महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने** के बावजूद OECD तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पारम्परिक दाताओं की ओर से उपलब्ध संसाधन भी क्षीण हो रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ये लक्ष्य भारत अफ्रीका भागीदारी को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

- **महाद्वीप में चीन की मजबूत उपस्थिति:** अफ्रीका में चीन, भारत का एक सशक्त प्रतिद्वंदी है। ज्ञातव्य है कि अफ्रीका और चीन के मध्य 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। चीन ने जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे का भी निर्माण किया है।
  - हालाँकि चीन का **आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण** अफ्रीका में अन्य किसी देश की तुलना में अधिक प्रभावित करने वाला कारक बन गया है। तथापि महाद्वीप में भारत की बढ़ती संलग्नता द्वारा चीन के प्रभुत्व को क्रमशः अवरुद्ध किया जा रहा है।
    - **चीन की कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार** देने के स्थान पर चीन के श्रमिकों को ही नियोजित करती हैं।
    - यह भी देखा गया है कि ये कंपनियां **पर्यावरण संरक्षण** की ओर ध्यान नहीं देती हैं।
    - चीनी ऋण **कठोर शर्तों** पर दिए जाते हैं जिसमें केवल चीन की प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य होता है।

ये चिंताएं मुख्य रूप से सिविल सोसाइटी द्वारा व्यक्त की गई हैं; हालाँकि कई सरकारों ने चीन की उपेक्षा करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

6.2. भारत और दक्षिण अफ्रीका

(India & South Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक तीन वर्षीय (2019-21) **रणनीतिक कार्यक्रम** पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस समझौते को भारतीय प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के मध्य सम्पन्न वार्ताओं के पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किया गया था। ध्यातव्य है कि सिरिल रामफोसा **गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे।**
- इस रणनीतिक कार्यक्रम के तहत **रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, संचार प्रौद्योगिकी** और **कृषि** सहित विभिन्न क्षेत्रकों में सहयोग शामिल होगा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा **दक्षिण अफ्रीकी व्यवसाय वीज़ा व्यवस्था** को सरलीकृत करने तथा उसमें सुधार करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। साथ ही दोनों नेताओं ने **भगोड़े आर्थिक आपराधियों** से निपटने हेतु सहयोग को सुदृढ़ करने पर एक साथ कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है।

पृष्ठभूमि

- भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध शताब्दियों पुराने हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के **रंगभेद-विरोधी आन्दोलन** का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक अग्रणी देश था। भारत रंगभेद समर्थक सरकार (वर्ष 1946) के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने वाला प्रथम देश था।
- दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को चार दशकों के अंतराल के पश्चात् **मई 1993** में जोहान्सबर्ग में एक **सांस्कृतिक केंद्र** के आरम्भ के साथ **पुनर्स्थापित** किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के साथ **राजनयिक और कॉन्सुलर संबंध** नवंबर 1993 में पुनर्स्थापित हुए।
- वर्ष 2017 में **वर्ष 1997 में की गयी 'रणनीतिक भागीदारी हेतु लाल किला घोषणा'** के 20 वर्ष पूर्ण हुए। यह अवधि वर्ष दर वर्ष इस भागीदारी के सुदृढ़ीकरण को प्रदर्शित करती रही है।
- इसके अतिरिक्त **त्शवाने घोषणा, 2006** के माध्यम से शिक्षा, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वीज़ा व्यवस्था आदि विविध क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

सहयोग के पारस्परिक क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश:** दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही 10 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। **निवेश** को प्रोत्साहित करने हेतु दोनों देशों द्वारा वर्ष 1998 में **दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंच:** दोनों देश **BRICS (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका), IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका), IORA (इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन), G-20** आदि संगठनों के सदस्य हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता को अधिक

VISION IAS

प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करने हेतु एक **विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के तहत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश **भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश** थे तथा राष्टमंडल गणतंत्रों के रूप में **राष्टमंडल के** पूर्ण सदस्य हैं।

- **वैश्विक आतंकवाद:** दोनों देशों द्वारा **यू.एन. कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म** को सहमति प्रदान करने एवं उसका अंगीकरण करने का समर्थन किया गया है।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्रों** में प्रशिक्षण कौशल विकास प्रयास (भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग), भारतीय फर्मों द्वारा निवेश के माध्यम से औषधीय देखभाल को प्रोत्साहन, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसैन्य संलग्नता आदि को शामिल किया गया है।

चिंताएं

- **व्यापार:** वैश्विक आर्थिक मंदी तथा घरेलू राजनीतिक कारकों द्वारा तीव्र विस्तार को अवरुद्ध किये जाने से पूर्व वर्ष 2012 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1 ट्रिलियन रुपये) के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि दोनों देशों द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को प्रोत्साहित किया गया है, परन्तु इसे अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।
- **चीन से संबंधित चिंताएं:** चीन पहले से ही अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। भारत मौद्रिक संदर्भ में **चीन की चेकबुक कूटनीति** के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता।
- **द्विपक्षीय संबद्धता की तुलना में अधिक बहुपक्षीय संलग्नता:** वर्तमान में भारत अधिकांशतः बहुपक्षीय स्तर पर संलग्न (जैसे अफ्रीकी संघ के साथ) है। इसके कारण भारत की विकास परियोजनाओं की डाउनस्ट्रीम डिलीवरी इन चैनलों के माध्यम से होती है, जिससे इनका अपेक्षित श्रेय भारत को प्राप्त नहीं होता। अतः भारत के प्रयासों को पर्याप्त महत्व प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय संबद्धता में वृद्धि की जानी आवश्यक है।
- **नस्लीय भेदभाव:** दक्षिण अफ्रीका के नागरिक उनके साथ घटित हिंसात्मक तथा आपराधिक घटनाओं के कारण भारत में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते तथा नस्लीय भेदभाव के कारण भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां दोनों देशों के जनसामान्य की परस्पर संबद्धता के प्रति अहितकर होती हैं।

आगे की राह

- दोनों देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे से संबंधित प्रमुख मुद्दों की प्रगति की समीक्षा और उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान हेतु **प्रत्येक वर्ष** कम से कम एक **सम्मेलन का** आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। **भारत-अफ्रीका रणनीतिक वार्ता, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट** जैसे मंचों के माध्यम से अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु भारत के प्रयास वांछनीय हैं तथा उनकी निरंतरता अत्यावश्यक है।
- बहुपक्षीय **संलग्नता** का वर्तमान मार्ग भारत हेतु अपेक्षित परिणामों का सृजन नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में **द्विपक्षीय सहभागिताओं** पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अधिक आवश्यक है। इसके माध्यम से वर्तमान में किए गए प्रयासों के समान प्रयास से भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं ख्याति में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी।
- **निवेश के लिए पूरक क्षेत्रों** की खोज की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका में, विदेशी निवेशकों को ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट्स, टेक्सटाइल, वस्त्र और फुटवियर जैसे पूर्ण विकसित क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। प्रमुख अप्रयुक्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण शामिल हैं। भारत में, दक्षिण अफ्रीका को जैव-प्रौद्योगिकी (यह दक्षिण अफ्रीकी विनिर्माताओं की एक प्रमुख क्षमता है) क्षेत्र में निवेश किया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्राप्त है।
- **कौशल विकास** को निरंतर अधिक वरीयता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि विशाल युवा जनसंख्या को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
- दक्षिण अफ्रीका में **भारतीय डायस्पोरा** की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसे सामाजिक और साथ ही साथ आर्थिक अवसंरचना में भागीदारी के विभिन्न स्तरों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में दक्षिण अफ्रीकी डायस्पोरा के हितों के संरक्षण हेतु प्रयास करने तथा भेदभाव, हिंसक अपराधों इत्यादि जैसे मुद्दों का पूर्ण उन्मूलन करने की भी आवश्यकता है।

VISION IAS

7. यूरोप (Europe)

7.1. भारत और यूरोपीय संघ

(India and European Union)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा एक **'रणनीति पत्र' (strategy paper)** जारी किया गया है जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की पृष्ठभूमि

- 1962 में भारत, यूरोपीय समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश था।
- **यूरोपीय संघ-भारत सहयोग समझौता 1994**, यूरोपीय संघ एवं भारत के संबंधों को एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। हालाँकि भारत और यूरोपीय संघ 2004 से ही रणनीतिक साझेदार देश हैं।
- वर्ष 2000 में संपन्न हुए लिस्बन शिखर सम्मेलन के पश्चात से भारत अमेरिका, चीन, रूस, जापान और कनाडा सहित एक ऐसे समूह में शामिल हैं, जिनके साथ यूरोपीय संघ द्वारा नियमित शिखर सम्मेलनों को आयोजित किया जाता है।

भारत-EU संबंध

- **व्यापार और निवेश:**
  - भारत के कुल व्यापार में 12.9 % भागीदारी के साथ EU भारत के **सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों** में से एक है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं का व्यापार पिछले दशक में बढ़कर लगभग तीन गुना हो चुका है।
  - यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात हेतु सबसे बड़ा गंतव्य स्थल तथा निवेश एवं प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रमुख स्रोत रहा है।
  - भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण तथा रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद शामिल हैं जबकि EU से आयातित वस्तुओं में कपड़े एवं वस्त्र, रसायन एवं संबद्ध उत्पादों तथा इंजीनियरिंग वस्तुएं सम्मिलित हैं।
  - समग्र रूप से, यूरोपीय संघ भारत में **दूसरा सबसे बड़ा निवेशक** है। इसके द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक कुल 70 अरब डॉलर का निवेश किया गया है जो भारत में किए गए सकल निवेश का लगभग 25% है।
- **व्यापक क्षेत्रीय सहयोग:** जिनमे मुख्यतः ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन; पर्यावरण; अनुसंधान एवं नवाचार; औषधियां; जैव प्रौद्योगिकी; कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज; प्रतिस्पर्धा नीति; समष्टि आर्थिक मुद्दे, संधारणीय शहरी विकास; प्रवासन एवं संचरण; एवं उच्च शिक्षा शामिल हैं।
  - EU एवं भारत G-20 में भी घनिष्ट सहयोगी बने हुए हैं और आर्थिक नीतियों एवं संरचनात्मक सुधारों के अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए परस्पर नियमित **व्यापक आर्थिक वार्ता** कर रहे हैं।
  - **ऊर्जा सहयोग:**
    - यूरोपीय संघ-भारत ऊर्जा सहयोग विगत कुछ वर्षों में अत्यधिक सुदृढ़ हुआ है। वर्तमान में **यूरोपीय संघ - भारत स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु के मुद्दे पर साझेदारी** कर रहे हैं।
    - EU एवं भारत पेरिस समझौते तथा UNFCCC के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी उच्चतम राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं अमेरिका इस समझौते से अपना नाम वापस ले रहा है।
  - **अनुसंधान और विकास:**
    - भारत, **ITER (इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर) संलयन परियोजना** में एक सहभागी देश के रूप में शामिल है। इस सहभागिता का उद्देश्य भविष्य में संधारणीय स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय संलयन की वैज्ञानिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोगात्मक सुविधा का विकास एवं संचालन करना है।
    - भारत अनुसंधान एवं नवाचार वित्त पोषण कार्यक्रम **'होराइजन 2020' (Horizon 2020)** में भी भाग ले रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय रिसर्च काउंसिल (ERC) या मैरी स्क्लोडोस्का-क्यूरी एक्शन (MSCA) से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
  - **पर्यावरण एवं जल:** यूरोपीय संघ तथा भारत द्वारा स्वच्छ गंगा पहल पर परस्पर सहयोग करने के साथ-साथ अन्य समेकित विधियों के माध्यम से अन्य जल-संबंधी चुनौतियों से निपटते के लिए सहयोग किया जा रहा है।

VISION IAS

- **सिटी टू सिटी सहयोग:**
  - प्रथम चरण में मुंबई, पुणे एवं चंडीगढ़ जैसे भारतीय शहरों को यूरोपीय **सिटी टू सिटी सहयोग** में सम्मिलित किया गया है एवं निकट भविष्य में 12 अन्य शहर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे।
  - अब इस सहयोग को **स्मार्ट एवं संधारणीय शहरीकरण के लिए भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी** के रूप में माना जा रहा है। यह संयुक्त अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय 'स्मार्ट शहरों' और 'अमृत' मिशन को अपना सहयोग प्रदान करेगा।
- **ICT सहयोग:**
  - यूरोपीय संघ एवं भारत ने **'डिजिटल सिंगल मार्केट'** को **'डिजिटल इंडिया'** से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - वर्ष 2016 में एक नया **"स्टार्ट-अप यूरोप इंडिया नेटवर्क"** प्रारंभ किया गया था।
  - इसके अतिरिक्त, EU-**भारत साइबर सुरक्षा वार्ता** को भी प्रारंभ किया गया है। यह वार्ता साइबर अपराधों से निपटने हेतु सर्वोतम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने एवं साइबर सुरक्षा तथा उसकी सुभेद्यता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- **प्रवास एवं संचरण (Migration and mobility): EU-इंडिया कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM)** भारत तथा EU के मध्य एक आधारभूत सहयोग समझौता है। CAMM संतुलित रूप से चार प्राथमिक क्षेत्रों को संबोधित करता है:
  - बेहतर सुनियोजन नियमित प्रवास एवं बेहतर रूप से प्रबंधित संचरण को प्रोत्साहन प्रदान करना;
  - मानवों के अनियमित प्रवास एवं दुर्व्यपार पर रोक लगाना;
  - प्रवास एवं संचरण के विकास संबंधी प्रभाव को अधिकतम करना; एवं
  - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- **विकासात्मक सहयोग:** वर्तमान में EU द्वारा भारत में € 150 मिलियन से अधिक की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

रणनीति पत्र (स्ट्रेटजी पेपर) किस पर केंद्रित है? (What does the strategy paper focus on?)

- **सामरिक भागीदारी**
  - **यह मिलिट्री-टू-मिलिट्री संबंध** विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके अंतर्गत नई दिल्ली में EU प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संघ के सैन्य सलाहकार को नियुक्त करना और EU में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारत के सैन्य सलाहकार को नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।
  - यह 1994 के यूरोपीय संघ-भारत सहयोग समझौते को प्रतिस्थापित करने वाले एक व्यापक समकालीन सामरिक साझेदारी समझौते सम्बन्धी वार्ता पर फोकस करेगा। साथ ही यह **अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया पर वार्ता** को तीव्र करेगा।
  - इसके साथ ही यह आतंकवाद से लड़ने, कट्टरपंथ का मुकाबला करने, हिंसक अतिवाद तथा आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने का भी समर्थन करता है।
- **समुद्री सहयोग**
  - **समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने** के लिए नीतिगत और परिचालन संबंधी स्तरों पर साझा हितों की पहचान करने के प्रयास किए जाएंगे।
  - यह हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री राष्ट्रों के क्षमता निर्माण में सहायता करने हेतु भारत एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय देशों के साथ कार्य करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- **व्यापार पर नवीनीकृत फोकस**
  - भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अपने असंगत हितों के कारण 2007 से अब तक ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेन्ट (BTIA) नामक मुक्त व्यापार समझौता करने में असमर्थ रहे हैं।
  - ब्रेक्ज़िट परिदृश्य के बाद अब यूरोपीय संघ (EU) भारत के साथ प्रस्तावित BTIA नामक **मुक्त व्यापार समझौते पर पुनः आगे बढ़ने** हेतु विचार कर रहा है।
  - हालांकि रणनीति पत्र में **BTIA का उल्लेख नहीं** किया गया है परन्तु इसके उद्देश्यों में व्यापार और निवेश के संदर्भ में प्रत्येक पक्ष के प्रमुख हितों को पूर्ण करने वाले **"संतुलित, महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी" मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर वार्ता करना शामिल है।
- **राजनीतिक साझेदारी-** इसमें विदेश नीति पर सहयोग को सुदृढ़ करना, प्रभावी बहुपक्षीयता को बढ़ावा देना तथा साझा मूल्यों एवं उद्देश्यों का विकास करना शामिल है।

इसकी तत्काल आवश्यकता क्यों है?

- 2000 के दशक में आशाजनक शुरुआत के पश्चात यूरोपीय संघ एवं भारत के मध्य भागीदारी के विकास की गति में कमी आई, क्योंकि यह भागीदारी व्यापक रणनीतिक और राजनीतिक मुद्दों के बजाय मुख्यतः व्यापार और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित थी।

VISION IAS

- पूर्व में यूरोप का फोकस प्रमुख भागीदार एवं एशिया के एक वृहद बाजार के रूप में मुख्यतः चीन पर था जबकि भारत यूरोप को मुख्य रूप से एक व्यापारिक समूह के रूप में देखता था।
- परंतु वर्तमान में नई **रणनीतिक और शक्ति संतुलन संबंधी वास्तविकताओं** ने दोनों में मध्य आपसी भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
  - **चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौती**
    - यूरेशिया और दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने यूरोप और भारत के लिए एकसमान रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न की हैं। दोनों ही अपनी भागीदारी को विविधतापूर्ण बनाते हुए उसमें एक संतुलन स्थापित करना चाहते हैं।
  - **ब्रेक्जिट - एक नए अवसर के रूप में**
    - EU और भारत दोनों ब्रिटेन के बिना अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ की सदस्यता का त्याग किए जाने के कारण ब्रेक्जिट भारत को यूरोप के लिए के एक नए 'मार्ग (gateways)' की तलाश करने की ओर अग्रेसित कर रहा है। अतः नए सिरे से व्यापार और राजनीतिक सहयोग की शुरुआत करना समय की आवश्यकता है।
  - **पारंपरिक उदार व्यापार व्यवस्था का ह्रास (Fall of the conventional Liberal Trade Order)**
    - व्यापारिक युद्ध, विश्व व्यापार संगठन की कमजोर स्थिति और TPP की विफलता आदि के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के लिए भारत के आर्थिक महत्व में वृद्धि हुई है।

ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेन्ट (BTIA) में गतिरोध

भारत की ओर से

- भारत द्वारा **'डेटा सिक्योर' दर्जा** (जो EU फर्मों के साथ अपेक्षाकृत अधिक व्यवसाय करने हेतु भारत के IT क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण है) प्राप्त करने के प्रयास और साथ ही कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन पर मानदंडों को शिथिल करने के मुद्दों के कारण गतिरोध व्याप्त है।
- भारत के लिए व्यापार में स्वच्छता (सैनिटरी) एवं पादप स्वच्छता (फाइटोसैनिटरी) उपायों जैसी गैर-प्रशुल्क बाधाएं और तकनीकी बाधाएं भी चिंता का एक प्रमुख विषय हैं। यूरोपीय संघ कठोर लेबलिंग आवश्यकताओं और ट्रेडमार्क सम्बन्धी मानदंडों को लागू करता है। जिसने भारत के निर्यात को प्रभावित किया है।
- सेवाओं के व्यापार के सन्दर्भ में, भारत यूरोपीय संघ से सेवाओं के व्यापार को उदार बनाने हेतु एक सुदृढ़ बाध्यकारी आश्वासनों की मांग करता है।

यूरोपीय संघ की ओर से

- यूरोपीय संघ FTA वार्ता के पुन: आरंभ होने से पूर्व भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT) को अंतिम रूप देने का इच्छुक है, जबकि भारत 'निवेश सुरक्षा' को FTA पर प्रस्तावित व्यापक वार्ता का एक भाग बनाना चाहता है।
- ऑटोमोबाइल, वाइन एवं स्पिरिट जैसी वस्तुओं पर आरोपित शुल्क को समाप्त करने, मल्टी ब्रांड रिटेल एवं बीमा क्षेत्रकों के और अधिक उदारीकरण तथा वर्तमान में लेखाकार्य और विधिक सेवाओं जैसे बंद क्षेत्रकों को खोलने इत्यादि से संबंधित EU की माँगों को लेकर दोनों में मतभेद व्याप्त हैं।
- भारत का मॉडल BIT और इसका निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र, कंपनियों को सभी घरेलू विकल्पों का उपयोग किए जाने के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के विकल्प का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। यह भी एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

निष्कर्ष

- EU क्षेत्रीय (एशिया) और वैश्विक सुरक्षा व आर्थिक संरचना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखता है। अतः वह भारत के संबंध में एक नई रणनीति पर कार्य कर रहा है।
- भारतीय बहु-पक्षीय दृष्टिकोण ने भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को पुनर्जीवित करने की संभावना उत्पन्न की है। दूसरी ओर यूरेशिया में शक्ति संबंधों के पुनर्संतुलन ने यूरोप को अपनी एक पृथक एशिया नीति तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। अब तक यूरोप-भारत भागीदारी व्यापार तक सीमित थी, किंतु वर्तमान में यह भागीदारी अंततः एक रणनीतिक आयाम की ओर स्थानांतरित हो रही है।

7.2. ब्रेक्जिट

(Brexit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ब्रिटिश संसद द्वारा प्रधानमंत्री थेरेसा मे (Theresa May) के ब्रेक्जिट समझौते को अस्वीकृत कर दिया गया और तत्पश्चात यूरोपीय संघ द्वारा इस समझौते पर पुनर्वार्ता करने से मना कर दिया गया। इस परिस्थिति ने यूनाइटेड किंगडम (UK) के लिए एक *नो डील डिवोर्स* (no-deal divorce) (बिना किसी समझौते के पृथक होना) को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ज्ञातव्य है कि यह

असमझौतावादी प्रवृत्ति न केवल ब्रिटेन और यूरोप की आर्थिक संभावनाओं को, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है।

यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ (28 देशों के मध्य एक आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी) से बाहर होने से ब्रिटेन की 46 वर्ष की सदस्यता का अंत हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन वर्ष 1973 में छह-राष्ट्रों वाले यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) में शामिल हुआ था।

ब्रिटेन के EU से बाहर होने के लिए उत्तरदायी कारण?

यद्यपि ब्रिटेन के अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल बने हुए थे, परन्तु **यूरोज़ोन आर्थिक संकट** के पश्चात् ब्रिटेन में ब्रेक्जिट से संबंधित चर्चा लोकप्रिय हो गई थी। यूरोपीय संघ के प्रति ब्रिटिश असंतोष निम्नलिखित तीन मुख्य कारकों की परस्पर क्रिया का परिणाम था:

- **आर्थिक असुरक्षा,**
- **लोकलुभावन राष्ट्रवाद (populist nationalism) और**
- **ब्रिटिश एक्सेप्शनलिज्म (British exceptionalism)।**

यूरोज़ोन संकट तथा ब्रिटेन पर इसके परिणाम:

- **बढ़ती बेरोजगारी,**
- **असमानता,**
- **उत्तर-दक्षिण आर्थिक विभाजन और**
- **यूरो से संबंधित दोष भी यूरोपीय संघ हेतु क्षतिकारक सिद्ध हुए।**

वित्तीय संकट के दौरान, यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा न केवल यूरोपीय संस्थानों की कमजोर प्रकृति का अनुभव किया गया, बल्कि वे यूरोपीय संघ के निर्देशन में अपनी अर्थव्यवस्थाओं के भावी विकास के संबंध में भी चिंतित थे। इसने ब्रिटेन जैसे देशों को **यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया।**

अनुच्छेद 50 यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि का एक उपखंड है जिसके तहत स्वेच्छा से इस गुट का परित्याग करने वाले एक देश द्वारा निष्पादित की जाने वाली कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार की गई है। अनुच्छेद 50 की सहायता से औपचारिक रूप से बाहर होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और यह सदस्य देशों को यूरोपीय संघ से बाहर होने के अपने प्रयोजनों की आधिकारिक घोषणा करने का एक तरीका प्रदान करता है।

ब्रेक्जिट (BREXIT): पृष्ठभूमि

- ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए या नहीं इसके निर्धारण हेतु **वर्ष 2016 में संपन्न जनमत संग्रह** ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के पृथक होने के **ऐतिहासिक कदम के पक्ष में निर्णय किया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्रेक्जिट (BREXIT) के नाम से जाना जाता है।**
- ब्रिटेन ने **यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि** के अनुच्छेद 50 का आह्वान करते हुए यूरोपीय संघ की सदस्यता के परित्याग की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। ज्ञातव्य है कि **यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के मध्य विड्रॉल अग्रीमेंट को ब्रिटेन के सांसदों द्वारा तीन बार अस्वीकृत कर दिया गया था।**
- 12 अप्रैल 2019 तक अनुच्छेद 50 की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के पश्चात्, यूरोपीय संघ के नेताओं ने अब **31 अक्टूबर 2019 तक छह माह के विस्तार** का समर्थन किया है। हालांकि, यदि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा विड्रॉल अग्रीमेंट की इस निर्धारित तिथि से पूर्व ही पुष्टि कर दी जाती है तो ब्रिटेन इस तिथि से पूर्व ही बाहर हो जाएगा।

ब्रेक्जिट के पक्ष में तर्क

- **व्यापार लाभ-** ब्रिटेन का मानना है कि इस कदम से वह **अमेरिका, चीन और भारत जैसे** महत्वपूर्ण देशों के साथ बेहतर व्यापार समझौतों को सम्पादित कर सकेगा।
- **अनावश्यक व्यय में कमी-** ब्रिटेन प्रत्येक सप्ताह ब्रसेल्स को भेजी जाने वाली 350 मिलियन पौंड (इंग्लैंड के स्कूल बजट के आधे के बराबर) की राशि के प्रेषण को रोक सकता है। इस राशि को **वैज्ञानिक अनुसंधान और नए उद्योगों पर व्यय** किया जा सकता है।
- **नए आप्रवासन कानून (New Immigration laws-)-** कुछ लोगों का मानना है कि यूरोपीय संघ से अलग होने से ब्रिटेन को अपनी **आप्रवासन नीतियों** में सुधार करने में सहायता मिल सकती है, जो वर्तमान में अत्यंत महंगी और अशासनीय है। इससे ब्रिटेन यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ के उन अप्रवासियों के लिए अपने द्वार खोलने की पेशकश कर सकता है, जो **ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था** में योगदान दे सकते हैं।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय संप्रभुता की पुनःप्राप्ति-** ब्रेक्जिट के पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि यह कदम ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी खोई हुई प्रास्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा जो अब तक यूरोपीय संघ के कारण गौण था।

ब्रेक्जिट के विपक्ष में तर्क

- **व्यापार असंतुलन:** ब्रिटेन निर्यातक प्रशुल्क और नौकरशाही नियमों के अनुपालन से बचा हुआ है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन का लगभग 45% व्यापार यूरोपीय संघ के साथ होता है। एक अन्य लाभ यह है कि एक सदस्य होने तथा यूरोपीय संघ के आकार के कारण ब्रिटेन बेहतर व्यापारिक शर्तें प्राप्त कर सकता है। ब्रेक्जिट, **ब्रिटेन की निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को क्षति पहुंचाएगा।**
- **EU बजट:** लाभ, लागत से अधिक है। ब्रिटिश औद्योगिक परिसंघ (Confederation of British Industries) के अनुसार यूरोपीय संघ में ब्रिटेन का वार्षिक योगदान प्रत्येक परिवार के लिए £ 340 के समतुल्य है परन्तु EU सदस्यता के कारण ब्रिटेन **व्यापार, निवेश, नौकरियों इत्यादि में प्रत्येक परिवार के लिए लगभग £ 3,000 प्रति वर्ष** लाभ प्राप्त करता है।
- **आप्रवासन:** EU की सदस्यता के परित्याग से ब्रिटेन में आप्रवासन अवरुद्ध नहीं होगा। प्रवासन संकट, उसमें भी विशेष रूप से शरणार्थी संकट किसी देश विशिष्ट की समस्या न होकर **वैश्विक मुद्दा** है, जिसके समाधान हेतु वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

ब्रिटेन के विड्रॉल अग्रीमेंट से संबंधित वाद-विवाद एवं चर्चाएं:

- ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के मध्य एक समझौता होने का मुख्य बिंदु यह है कि व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को यथासंभव सुगम बनाया जाए तथा दोनों पक्षों के मध्य स्थायी व्यापारिक संबंध स्थापित करने हेतु समय प्रदान किया जाए।
- अतः महीनों की वार्ता के पश्चात्, **ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ब्रेक्जिट समझौते पर सहमत हुए थे,** जो दो भागों में संपन्न हुआ था:
  - **विड्रॉल अग्रीमेंट:** यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के पृथक होने की शर्तों को निर्धारित करता है।
    - यह इस तथ्य को शामिल करता है कि ब्रिटेन पर यूरोपीय संघ का कितना ऋण बकाया (एक अनुमान के तहत यह 39 बिलियन यूरो है) है तथा ब्रिटेन में रहने वाले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नागरिकों और यूरोपीय संघ में किसी भी स्थान पर निवास करने वाले ब्रिटेन के नागरिकों पर क्या प्रभाव होंगे।
    - यह **उत्तरी आयरलैंड की भौतिक सीमा** के पुनः समावेशन से बचने की एक रीति भी प्रस्तावित करता है।
  - **भावी संबंधों पर एक वक्तव्य:** यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है और ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के मध्य उन विविध प्रकार के दीर्घकालिक संबंधों का उल्लेख करता है, जिन्हें वे **व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा सहित** विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के इच्छुक हैं।
  - **संक्रमण अवधि के लिए एक खंड का प्रावधान:** यह 31 दिसंबर, 2020 तक की ब्रेक्जिट के पश्चात् की अवधि को संदर्भित करता है, ताकि सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जा सके तथा व्यवसायों एवं अन्य गतिविधियों को उस समय के लिए तत्पर रहने की अनुमति प्रदान की जा सके जब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के मध्य ब्रेक्जिट के पश्चात् नए नियमों को लागू किया जायेगा।
- **किसी समझौते को प्रस्तावित किए बिना ही यूरोपीय संघ से बाहर होने का भय: बिना किसी समझौते के ब्रेक्जिट (No Deal BREXIT)** की स्थिति में ब्रिटेन द्वारा बिना किसी संक्रमण अवधि तथा नागरिकों के निवास संबंधी अधिकारों को प्रत्याभूत किए बिना तत्काल प्रभाव से यूरोपीय संघ से अपने संबंधों को समाप्त किया जायेगा। ब्रिटेन की सरकार को यह आशंका है कि इससे व्यवसायों के समक्ष अल्पावधि के लिए गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

ब्रेक्जिट (BREXIT): परिणाम

ब्रेक्जिट का ब्रिटेन और EU दोनों पर राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिप्रभाव होंगे।

- **यूरोपीय संघ पर**
  - **व्यापार उत्प्लावकता (Trade buoyancy)-** सबसे **बड़े एकल बाजार और श्रम बाजार** का विघटन, व्यापार प्रतिरूप और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगा।
  - वर्तमान मूल्यों और विनिमय दर पर वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में **यूरोपीय संघ का हिस्सा** 33.9% से घटकर 30.3 प्रतिशत हो जाएगा।
  - **भू राजनीतिक स्थिति:** ब्रिटेन यूरोपियन संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के भीतर एक प्रमुख कूटनीतिक एवं सैन्य शक्ति है। **जर्मनी और फ्रांस सहित**, ब्रिटेन को दीर्घावधि तक यूरोपीय संघ के "तीन बड़े" देशों में से एक माना जाता था। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की कुछ पहलों विशेष रूप से अत्यधिक **साझी विदेश एवं सुरक्षा नीतियों** के निर्माण के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

VISION IAS

- यूरोपीय संघ की एकता को प्रभावित करने की संभावना है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों द्वारा E.U. से बाहर निकलने हेतु जनमत संग्रह करवाने की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, उदाहरणार्थ ग्रेक्जिट (GREXIT) अर्थात् ग्रीस (Greek) द्वारा सदस्यता का परित्याग करना।
- ब्रिटेन की विदेश नीति की प्रभावशीलता और रक्षा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ब्रेक्जिट एक **अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका को कमजोर कर सकता है।**

- **भूमंडलीकरण-** लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन को प्रतिबंधित करने से **ज़ेनोफोबिया (विदेशी लोगों को नापसंद करना) और विभूमंडलीकरण (डी-ग्लोबलाइजेशन)** में वृद्धि हो सकती है।

ब्रेक्जिट समझौते के तहत आयरिश बैकस्टॉप क्लॉज क्या है?

- आयरिश बैकस्टॉप, **ब्रेक्जिट समझौते** का प्रमुख भाग है।
- जब ब्रिटेन EU से बाहर होगा, तब आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मध्य स्थित 310 मील की सीमा ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के मध्य स्थलीय सीमा बन जाएगी।
- ब्रिटेन और यूरोपीय संघ **"बैकस्टॉप"** पर सहमत हुए हैं - यह एक प्रकार का सुरक्षा जाल है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के मध्य भविष्य की व्यापार वार्ता का परिणाम जो भी हो, किसी भी प्रकार की कठोर सीमाएं आरोपित नहीं की जाएँगी।

महत्व

- दोनों पक्षों के मध्य सहमत बैकस्टॉप के माध्यम से उत्तरी आयरलैंड को **खाद्य उत्पादों और वस्तुओं के मानकों** से संबंधित यूरोपीय संघ के कुछ नियमों के साथ संरेखित किया जायेगा। इससे आयरिश सीमा पर वस्तुओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु ब्रिटेन के शेष भागों से उत्तरी आयरलैंड में लाए जाने वाले कुछ उत्पादों को जाँच एवं नियंत्रण के अधीन लाया जाएगा।
- बैकस्टॉप के तहत **अस्थायी एकल सीमा शुल्क क्षेत्र भी शामिल होगा**, जो संपूर्ण ब्रिटेन को प्रभावी रूप से EU सीमा शुल्क संघ (customs union) में शामिल करता है।
- यदि भविष्य में कोई व्यापार वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाती है, तो बैकस्टॉप को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया जाएगा।

- **ब्रिटेन पर**
  - **आर्थिक प्रभाव:**
    - **तात्कालिक प्रभाव:** वर्ष 2018 में प्रकाशित अध्ययनों के आकलनों के अनुसार ब्रेक्जिट के लिए संपन्न होने वाली वोटिंग की आर्थिक लागत **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2% या 2.5% थी**। ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के पश्चात्, कई कंपनियों ने **अपनी परिसंपत्तियों, कार्यालयों या व्यवसायों के संचालन को ब्रिटेन के बाहर** और यूरोप महाद्वीपीय में स्थानांतरित कर दिया है।
    - **मध्यम और दीर्घकालिक परिणाम:** ब्रेक्जिट के कारण संभवतः **ब्रिटेन की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कमी** आएगी। यूरोपीय संघ की सदस्यता का व्यापार पर एक सुदृढ़ सकारात्मक प्रभाव होता है तथा इसके परिणामस्वरूप यदि यूरोपीय संघ की सदस्यता का त्याग कर दिया जाए तो ब्रिटेन का व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है।
    - संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के अनुसार, वर्तमान विश्व व्यापार संगठन (WTO) नियमों के तहत नए प्रशुल्कों के कारण यूरोपीय संघ को UK द्वारा किए जाने वाला निर्यात **वार्षिक तौर पर 7.6 बिलियन डॉलर** से प्रभावित होगा।
    - **डिवोर्स बिल (Divorce Bill)**: यह विधेयक अनिवार्य रूप से एक वित्तीय समझौता है, जो ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ को अपनी देयताओं का भुगतान करना अपरिहार्य बनाता है। आकलनों में इसे कम से कम 39 बिलियन यूरो दर्शाया गया है जिसमें वर्ष 2022 तक वृद्धि होने की संभावना है।
    - **यूरोपीय संघ में योगदान**: ब्रेक्जिट (BREXIT) समर्थकों ने यह तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ में निवल योगदान को समाप्त करने से करों में कटौती होगी या सरकारी व्ययों में वृद्धि होगी।
  - **आव्रजन पर प्रभाव**: ब्रिटेन के नागरिकों का भविष्य व्यक्तिगत सदस्य देशों के नियमों और विनियमों पर निर्भर हो जाएगा।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर प्रभाव**: बाहर हो जाने के पश्चात्, ब्रिटेन को न्यूक्लीयर गुड्स का व्यापार, सीमा शुल्क, मत्स्यन, व्यापार और परिवहन को शामिल करते हुए 759 संधियों के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

ब्रेक्जिट: भारत के लिए संभावनाएँ और चुनौतियाँ

- **व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों को सुगम बनाना:** भारत ब्रेक्जिट को ब्रिटेन के साथ अपने **व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार** के एक अवसर के रूप में देखता है।

VISION IAS

- ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ब्रेक्जिट **द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते** के निष्कर्ष को अधिक सुगम बना देगा।
- **कॉमनवेल्थ की एक रिपोर्ट** में यह उल्लेख किया गया है कि "यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर वार्ताओं की मंद गति को देखते हुए, ब्रेक्जिट **भारत को ब्रिटेन-भारत व्यापार और निवेश समझौते** के माध्यम से ब्रिटेन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने का एक नया अवसर प्रदान करेगा।"
- ब्रेक्जिट एक ऐसी स्थिति का सृजन करेगा, जहां **ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार करने** के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा व्यापार की वृद्धि के साथ दीर्घकालिक संबंधों की स्थापना करेंगे।

- **आव्रजन पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने से **भारत के छात्रों और पेशेवरों को लाभ प्राप्त हो सकता है** क्योंकि ब्रेक्जिट के पश्चात्, यूरोपीय संघ और भारत के छात्रों पर एक समान नियम लागू होंगें तथा इस प्रकार यह अवसरों का सृजन करेगा। ब्रेक्जिट के पश्चात्, भारतीय पेशेवर राष्ट्रीयता की बजाय योग्यता के आधार प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि **ब्रिटेन को अब यूरोपीय संघ के नागरिकों का पक्ष समर्थन नहीं करना पड़ेगा।**
- **व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** ब्रेक्जिट और इससे उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता से भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से और विशेष रूप से ब्रिटेन में भारतीय व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। उदाहरणार्थ- वर्तमान में ब्रिटेन में **लगभग 800 भारतीय कंपनियां संचालित हैं।** इसके अतिरिक्त ब्रिटेन अनेक भारतीय कंपनियों हेतु यूरोपीय बाजार में एक प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। यदि ब्रिटिश व्यवस्थित तरीके से EU से बाहर नहीं होता है तो इन कंपनियों की यूरोपीय संघ के बाजार में प्रत्यक्ष पहुंच अवरुद्ध हो सकती है। यह कुछ कंपनियों को अपने व्यवसायों को अन्यत्र स्थानांतरित करने या बंद करने हेतु बाध्य कर सकता है।
  - हार्ड ब्रेक्जिट (बिना किसी समझौते की स्थिति में) के संबंध में अनिश्चितता तथा बाजारों में जोखिम विरोधी प्रवृत्तियां **पहले से ही कमजोर रुपये का और अधिक अवमूल्यन** कर सकती हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं**: ब्रेक्जिट (समझौते के साथ या बिना किसी समझौते के) **ब्रिटेन-भारत और यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौतों** में विलंब जैसे विवादास्पद मुद्दों को प्रभावित नहीं करेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार हार्ड ब्रेक्जिट का अल्पकालिक प्रतिकूल प्रभाव होगा, भले ही दीर्घकालिक रूप में ब्रेक्जिट भारत के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को पुनर्निर्धारित करने का एक अवसर प्रदान करता हो।

यूरोपीय संघ: अन्तर्निहित कमियां और चुनौतियां

यूरोपीय संघ (EU) एक विशिष्ट साझेदारी है, जिसमें सदस्य देशों द्वारा कुछ नीतिगत क्षेत्रों में संप्रभुता को साझा किया गया है और आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सामंजस्यपूर्ण विधि का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ को व्यापक रूप से यूरोपीय स्थिरता और समृद्धि की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, यूरोपीय संघ वर्तमान में विभिन्न मोर्चों पर विविध चुनौतियों का सामना कर रहा है यथा:

- **यूरोपीय संघ विरोधी/यूरोसैप्टिक भावनाओं में वृद्धि:** यूरोपीय संघ में वर्ष 2017 के बाद से बेहतर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, आर्थिक दबावों और सामाजिक परिवर्तनों ने लोकलुभावन एवं प्रचलित व्यवस्था विरोधी राजनीतिक दलों के उदय में योगदान दिया है, जिनमें से कुछ **यूरोपीय संघ विरोधी या "यूरोसैप्टिक" भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं।** यूरोजोन संकट का ब्रुसेल्स द्वारा अपनाई गई समाधान प्रक्रिया ने कुछ मतदाताओं के लिए यूरोपीय संघ के "लोकतांत्रिक घाटे (democratic deficit)" के संबंध में दीर्घ काल से व्याप्त चिंताओं को उजागर कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार की प्रवृतियों ने यूरोपीय संघ की विविध आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से निपटने की क्षमता को जटिल बना दिया है।
  - फ्रांस, नीदरलैंड, इटली और स्वीडन सहित यूरोसैप्टिक पार्टियों को ब्रिटिश निर्णय द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है तथा इन पार्टियों ने यूरोपीय संघ एवं / या यूरोज़ोन सदस्यता पर इसी प्रकार के जनमत संग्रह का आह्वान किया है।
- **आर्थिक अस्थिरता (Fragility)**: यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका आर्थिक मॉडल इसकी जनसंख्या के सापेक्ष अधिक पुराना है। यूरोज़ोन देशों का प्रदर्शन बेहतर होने की बजाय ख़राब हो गया है, परन्तु मौद्रिक संघ परियोजना में इतनी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया गया है कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। विगत दो दशकों में इटली में पांचवीं बार मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जर्मनी की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावित हुई है।
  - यूरोप के बैंक भी एक अन्य आर्थिक मंदी के कारण कमजोर और अत्यधिक सुभेद्य बने हुए हैं।
- **सुदृढ़ नेतृत्व एवं समन्वय का अभाव:** यूरोपीय संघ में अत्यधिक शक्ति केवल जर्मनी में ही सकेंद्रित रही है, क्योंकि अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता घरेलू राजनीति और आर्थिक चिंताओं के कारण नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं।

VISION IAS

- **लोकतंत्र और विधि के शासन संबंधी चिंताएं**: ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों में इस चिंता में वृद्धि हुई है कि यूरोपीय संघ के विभिन्न पर्यवेक्षक कुछ सदस्य राज्यों, विशेष रूप से पोलैंड और हंगरी में लोकतांत्रिक पुन:पतन के विषय में किस प्रकार का मत रखते हैं। नागरिक समाज संगठनों ने यूरोपीय संघ के आधारभूत मूल्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कानून को पारित करने और नीतियों को अपनाने हेतु दोनों देशों की आलोचना की है।
- **प्रवासी दबाव और सामाजिक एकीकरण की चुनौतियां**: विगत कुछ वर्षों में यूरोप में महत्वपूर्ण प्रवासी और शरणार्थी प्रवाह का अनुभव किया गया है, क्योंकि लोगों ने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान तथा अन्य देशों में संघर्ष की स्थिति एवं गरीबी के कारण वहां से पलायन किया है। यूरोपीय संघ द्वारा एक सुसंगत, प्रभावी प्रवासन एवं शरण नीतियों को प्रस्तावित न किए जाने के कारण कटु आलोचना का सामना करना पड़ा है। ज्ञातव्य है कि इन नीतियों को राष्ट्रीय संप्रभुता संबंधी चिंताओं और अल्पसंख्यकों, एकीकरण तथा पहचान के संबंध में संवेदनशीलता के कारण निर्माण न किया जाना दीर्घकाल से ही एक समस्या बनी हुई है।
- **यूरोपीय सुरक्षा चिंताएं और आतंकवाद:** सर्वप्रमुख सुरक्षा चिंताएं सैन्य शक्ति के संदर्भ में अधिक शक्तिशाली रूस और यूरोप में इस्लामिक स्टेट संगठन से संबद्ध आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित हैं। इस प्रकार के मुद्दों ने यूरोपीय संघ की साझी विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के निर्माण की क्षमता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न की है।

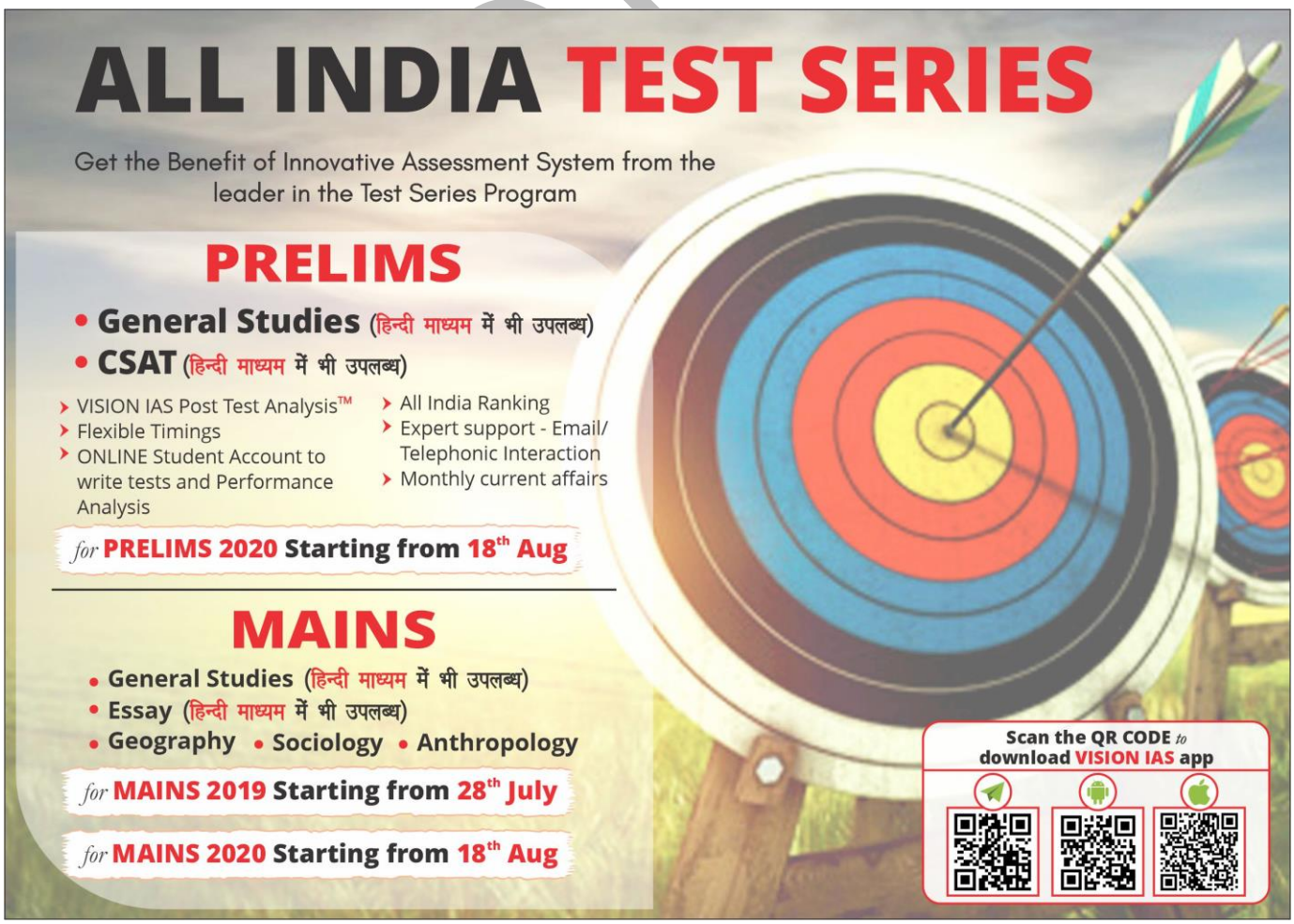

8. रूस (Russia)

8.1. भारत-रूस संबंध

(India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत की यात्रा की।

भारत-रूस संबंधों की पृष्ठभूमि:

- भारत और रूस के मध्य 1947 से ही बेहतर संबंध रहे हैं। रूस ने भारी मशीन-निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में **भारत को सहायता प्रदान** की थी।
- अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने **शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर किए थे। यह दोनों देशों के साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) भी थी।
- **सोवियत संघ के विघटन के बाद** दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में **शांति, मैत्री एवं सहयोग की एक नई संधि** को अपनाया गया था। तत्पश्चात 1994 में द्विपक्षीय सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक **रणनीतिक साझेदारी** आरम्भ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा वर्ष 2017 को राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है।

भारत-रूस संबंधों का आधार:

- **रक्षा साझेदारी**- रूस भारत की सुरक्षा नीति का **मुख्य आधार रहा** है। रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख पहलू है जो **तीन विशेषताओं** यथा - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; संयुक्त विकास; उपकरणों की मार्केटिंग एवं बिक्री तथा निर्यात पर निर्भर करता है। भारत का **किसी भी अन्य देश के साथ ऐसा समझौता नहीं है**। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
  - **प्रमुख रक्षा सहयोग कार्यक्रम:** ब्रह्मोस (BrahMos) क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, सुखोई एसयू-30 एवं सामरिक परिवहन विमान।
- **आर्थिक संबंध -** यद्यपि यह संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है किन्तु अभी भी इसमें सुधार की अत्यधिक संभावना है। भारत एवं रूस द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक संभव प्रयास करने में संलग्न हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा-** ऊर्जा क्षेत्रक के अंतर्गत रूस ने भारत में परमाणु रिएक्टरों (कुडनकुलम रिएक्टर) का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, रूस द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाकर तेल और गैस का निर्यात किया गया है। इसके साथ ही रूस द्वारा अपने ईंधन क्षेत्रक में निवेश संबंधी अवसर प्रदान करना जैसे - सखालिन-I इत्यादि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी-** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विगत चार दशकों से भारत एवं रूस के मध्य सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। पूर्व सोवियत संघ द्वारा भारत के दो उपग्रहों यथा आर्यभट्ट एवं भास्कर का प्रक्षेपण किया गया था। रूस ने भारत को भारी रॉकेटों के निर्माण हेतु क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भी प्रदान की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन-** रूस ने भारत की UNSC की स्थायी सदस्यता की दावेदारी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की प्रविष्टि का समर्थन किया है। दोनों देश BRICS, SCO, G-20 आदि सहित विभिन्न मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध-** यह दोनों देश के मध्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों के मध्य परस्पर (पीपल-टू-पीपल) संबंधों ('नमस्ते रूस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से) से लेकर शैक्षणिक प्रतिभाओं के साझाकरण (जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से) द्वारा दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं।

भारत-रूस संबंध घनिष्ठ रहे हैं, परन्तु अब इन संबंधों में भारत-सोवियत संबंधों जैसी गहनता समाप्त हो चुकी है। हाल ही में भारत-रूस संबंधों में एक स्पष्ट शिथिलता आई है।

VISION IAS

संबंधों में शिथिलता के कारण

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता:** भारत और अमेरिका के मध्य विस्तृत होते संबंध एवं बढ़ता रक्षा सहयोग तथा भारत के अमरीकी नेतृत्व वाले चतुष्पक्षीय समूह (quadrilateral group) में शामिल होने के कारण रूस ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति में रणनीतिक परिवर्तन किये हैं। रूस हेतु यह पश्चिम के साथ अत्यधिक शत्रुतापूर्ण संबंधों का काल रहा है, इस प्रकार यह रूस को चीन के साथ संबंध स्थापित करने हेतु प्रेरित करता है।
- **रक्षा साझेदारी-**
  - हाल ही में भारत ने अमेरिका, इजराइल इत्यादि देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को विस्तारित किया है। भारतीय रक्षा आयातों में रूस का भाग **2008-2012 के 79 प्रतिशत से घटकर 2013-2017 की अवधि में 62 प्रतिशत रह गया है।**
  - इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकियों, कीमत को लेकर होने वाले मतभेदों तथा विलम्ब एवं भविष्य में होने वाले तकनीकी उन्नयन (अपग्रेड) के लचीलेपन इत्यादि मामलों के कारण **भारत ने रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संबंधी परियोजना से स्वयं को हटा लिया** है।
  - भारत ने **अमेरिका के साथ LEMOA, LSA जैसे लॉजिस्टिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए** हैं। भारत-अमेरिका के मध्य समझौतों एवं सैन्य अभ्यासों के फलस्वरूप दोनों देशो की सेनाओं के मध्य अंत:क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है। भारत-रूस संबंधों में इस पहलू का अभाव रहा है।
- **एक-आयामी व्यापार-**
  - दोनों देशों के मध्य होने वाला व्यापार एक-आयामी अर्थात् रक्षा आधारित ही रहा है। विगत वर्ष में 42 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, 2017-18 में व्यापार की मात्रा केवल 10.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर ही पहुँच सकी। जबकि इसकी तुलना में भारत द्वारा चीन (89.7 बिलियन डॉलर), संयुक्त राज्य अमेरिका (74.5 बिलियन डॉलर) तथा जर्मनी (22 बिलियन डॉलर) आदि देशों के साथ किए गए व्यापार की मात्रा अधिक है।
  - भारत-रूस **व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक** - दोनों के मध्य कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे, दूरी, कमजोर बैंकिंग संबंध, दोनों ओर जटिल और समयसाध्य विनियम तथा रूस की प्रतिबंधात्मक वीज़ा प्रणाली।

रूस की विदेश नीति की परिवर्तित दिशा:

- **पाकिस्तान की ओर:** वर्ष 2014 में रूस ने पाकिस्तान के ऊपर से हथियारों के विक्रय संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया था। रूस और पाकिस्तान ने सितंबर 2016 में एक सैन्य अभ्यास का संचालन किया था। वर्ष 2017 में, एक **सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जो हथियारों की आपूर्ति एवं हथियारों के विकास से संबंधित था। ज्ञातव्य है कि इन सभी कारकों ने भारत की चिंताओं में वृद्धि की है।
- **चीन की ओर:** रूस एवं चीन के मध्य सामरिक सैन्य संबंधों में वृद्धि ने भारत-रूस संबंधों को प्रभावित किया है। रूस ने बीजिंग को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का विक्रय किया है, चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल का समर्थन किया है तथा भारत से इस पहल से संबंधित अपनी आपत्तियों को समाप्त करने का आग्रह भी किया है। BRICS जैसे मंचों पर बीजिंग की ओर मास्को के झुकाव के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई है।
- **तालिबान की ओर:** रूस, अफगानिस्तान में तालिबान के प्रति भी अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहा है, जबकि भारत ने इस समूह के संबंध में निरंतर अपनी चिंताएं प्रकट की हैं।

संबंधों में व्याप्त कटुता के निवारण हेतु किए गए उपाय:

- **सोची (Sochi) अनौपचारिक शिखर सम्मेलन**: दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी को **"विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी"** के रूप में प्रमुखता प्रदान की गई है।
- **रक्षा संबंध को पुन:सुदृढ़ करना**: रक्षा संबंधों को पुनर्स्थापित करने हेतु हाल ही में किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट** (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act: CAATSA) के तहत अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद **S-400 वायु रक्षा प्रणाली और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी (चक्र III)** खरीद समझौता संपादित करना।
  - रूस, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में **Ka-226 हेलीकॉप्टरों** के निर्माण हेतु भी सहमत हुआ है।

VISION IAS

- रक्षा क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाने हेतु **सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए अंतर-सरकारी आयोग** की भी स्थापना की गई थी। हाल ही में, इसे **सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग (IGC-MMTC)** के रूप में संशोधित किया गया। यह इस तथ्य पर बल देता है कि परस्पर सैन्य संबंध (military-to-military) भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हथियारों एवं प्रणालियों से संबंधित सैन्य तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण हैं।
- **भारत और रूस के सशस्त्र बलों के मध्य प्रथम ट्राइ-सर्विसेज एक्सरसाइज (त्रयी-सेवा अभ्यास) इंद्र-2017 (INDRA-2017)** का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत संयुक्त रूप से त्रयी-सेवा अभ्यास का आयोजन करता है।

व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना:

- वर्ष 2017 में **दोनों देशों के मध्य व्यापार** में 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दोनो देशों ने अपने निवेश को वर्ष 2025 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देश अन्य देशों में रेलवे, ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने हेतु सहमत हुए हैं।
- भारत एवं रूस के मध्य **नियमित रणनीतिक आर्थिक संवाद** की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। द्वितीय **भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद** में परिवहन, कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योगों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, वित्त, पर्यटन एवं कनेक्टिविटी को शामिल करते हुए 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई।
- लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा रूस के स्माल एंड मीडियम बिज़नस कॉर्पोरेशन के मध्य एक **समझौता ज्ञापन** (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** के विकास का आह्वान किया।
- भारत और रूस के मध्य परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क परिचालन के सरलीकरण के उद्देश्य से ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही, **भारत एवं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU)** के मध्य एक **मुक्त व्यापार समझौते** (FTA) पर हस्ताक्षर करने पर भी वार्ता की जा रही है।
- दिसंबर 2018 में पहली बार **भारत-रूस स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन** आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने ऑनलाइन पोर्टल लांच करने के विचार का स्वागत किया था, जिससे दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता प्राप्त होगी और इससे स्टार्ट-अप को सम्पूर्ण विश्व में विस्तारित करने की दृष्टि से प्रासंगिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करना

- हालिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए **ऊर्जा संबंधों को व्यापकता** प्रदान करने पर बल दिया तथा साथ ही इसे जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति, द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG), तेल आदि क्षेत्रों में विविधिकृत करने पर भी बल दिया।
- आर्कटिक मग्नतट सहित **रूस में तेल के विकास में सहयोग करना** तथा पेचोरा और ओखोटस्क समुद्रों के मग्नतटों पर परियोजनाओं का संयुक्त विकास करना। उदाहरणार्थ रूस में वानकॉर्नेफ्ट और तास-युर्याख तथा एस्सार आयल कैपिटल में PJSC रोजनेफ्ट तेल कंपनी की भागीदारी।
- शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के मध्य शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया गया है। रूस, भारत के प्रथम मानव मिशन अर्थात गगनयान में सहायता करेगा।

आगे की राह

हाल के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यापार के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया तथा एक **न्यायसंगत, समान एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया। रूस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु **पुनः अपने समर्थन को दोहराया है।** दोनों देश निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था का समर्थन करने तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने हेतु वचनबद्ध हैं। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना स्थापित करने का निर्णय लिया जो एशिया और प्रशांत तथा हिन्द महासागर के क्षेत्रों में सभी देशों को समान एवं अविभाज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), G-20 आदि को सुदृढ़ बनाने का भी आह्वान किया गया है। यह दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों को लेकर अभिसरण को प्रदर्शित करता है।

VISION IAS

8.1.1. RIC ट्राईलैटरल

(RIC Trilateral)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस, भारत एवं चीन के मध्य अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक (लगातार दूसरे वर्ष) संपन्न हुई। जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मलेन के दौरान इन तीनों देशों के नेताओं ने बैठक की।

RIC ट्राईलैटरल (त्रिपक्षीय समूह)

- 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री द्वारा परिकल्पित इस त्रिपक्षीय समूह की बैठक का आयोजन 2002 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
- RIC समूह के देश कुल वैश्विक भूभाग के 19 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 33 प्रतिशत है। तीनों ही सदस्य देश परमाणु संपन्न हैं और इनमें से दो देश यथा रूस और चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य हैं और भारत UNSC का सदस्य बनने का आकांक्षी है।

RIC का महत्त्व

- **सामरिक:**
  - मतभेदों के बावजूद भारत, चीन और रूस के यूरेशिया क्षेत्र में एक समान हित हैं, जैसे- एक शांत व स्थिर अफगानिस्तान की स्थापना। इसलिए वे **अफगानिस्तान** के साथ-साथ मध्य एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने हेतु RIC के अधीन एक साथ कार्य कर सकते हैं।
  - नियमित RIC वार्ताओं के संचालन से तीनों देशों को अन्य मुद्दों (जिन पर तीनों देशों का समान दृष्टिकोण है) की पहचान करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, **पश्चिमी एशिया में अस्थिर स्थिति, विशेष रूप से ईरान पर प्रतिबंध आरोपित करना।**
  - **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और BRICS** दोनों ही समूहों में RIC के सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रूस, भारत और चीन के मध्य एक सेतु की भूमिका निभा सकता है क्योंकि रूस के दोनों ही देशों के साथ सुदृढ़ संबंध हैं।
- **आर्थिक**
  - वैश्विक आर्थिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, यह त्रिगुट संघ **एक नई वैश्विक आर्थिक सरंचना** के निर्माण में योगदान कर सकता है।
  - रूस के ऊर्जा का प्रमुख निर्यातक देश होने और भारत एवं चीन के प्रमुख उपभोक्ता होने के कारण, तीनों देशों द्वारा **एशिया एनर्जी ग्रिड के निर्माण** पर विचार किया जा सकता है। यह **इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित** करने के साथ-साथ इन देशों को अपने अनुकूल मूल्य निर्धारित करने में सहायता कर सकता है।
- **सभी हितधारकों के लिए प्रासंगिक:**
  - उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों द्वारा रूस की उपेक्षा की जाती रही है, अत: RIC (जिसमें भारत और चीन जैसे भागीदार देश शामिल हैं) रूस के लिए पश्चिमी देशों को अपना प्रभाव दर्शाने का एक माध्यम हो सकता है।
  - चीन के लिए RIC एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ से वह यूरेशियाई क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है। इस त्रिपक्षीय समूह के माध्यम से रूस और चीन द्वारा अमेरिका के एशिया-प्रशांत के प्रति अपनाए जा रहे गुटवादी दृष्टिकोण (bloc-like approach) के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है।
  - भारत के लिए RIC शिखर सम्मेलन, वर्तमान में भारत की भू-राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थिति के साथ-साथ इसकी नव-निर्मित भूमिका को प्रतिबिम्ब करता है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के भू-राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई है।
- **वैश्विक मुद्दों पर RIC का रुख:**
  - **RIC देशों** द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सुधार, वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति की स्थापना, ड्रग्स की वैश्विक समस्या के समाधान करने की प्रतिबद्धता और अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने इत्यादि जैसे वैश्विक मुद्दों पर बल दिया जा रहा है।
  - **आपदा राहत और मानवीय सहायता** जैसे मुद्दों पर RIC देश संगठित होकर कार्य कर सकते हैं।

VISION IAS

- जलवायु परिवर्तन के कारण **उत्तरी सागर मार्ग** प्रारंभ हो गया है। अत: RIC देश यह सुनिश्चित करने के संबंध में एकमत हैं कि इसका उपयोग केवल पश्चिमी देशों और रूस द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, **आर्कटिक मार्ग** को नियंत्रित करने में भारत और चीन की भूमिका अब केवल नियमों का अनुपालनकर्ता तक सीमित न होकर नियमों के निर्माता की होगी।

निष्कर्ष

रूस-भारत-चीन (RIC) त्रयी, एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह हैं क्योंकि यह **तीन सबसे बड़े यूरेशियाई देशों** को एकसाथ एक मंच पर लाता है, जो संयोगवश भौगोलिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। भारत का क्वाड (जापान-अमेरिका-भारत-आस्ट्रेलिया), जापान-अमेरिका-भारत और RIC जैसे विभिन्न समूहों का सदस्य होना, इसकी **सामरिक स्वायत्तता और बढ़ती वैश्विक प्रस्थिति का प्रतीक है।**

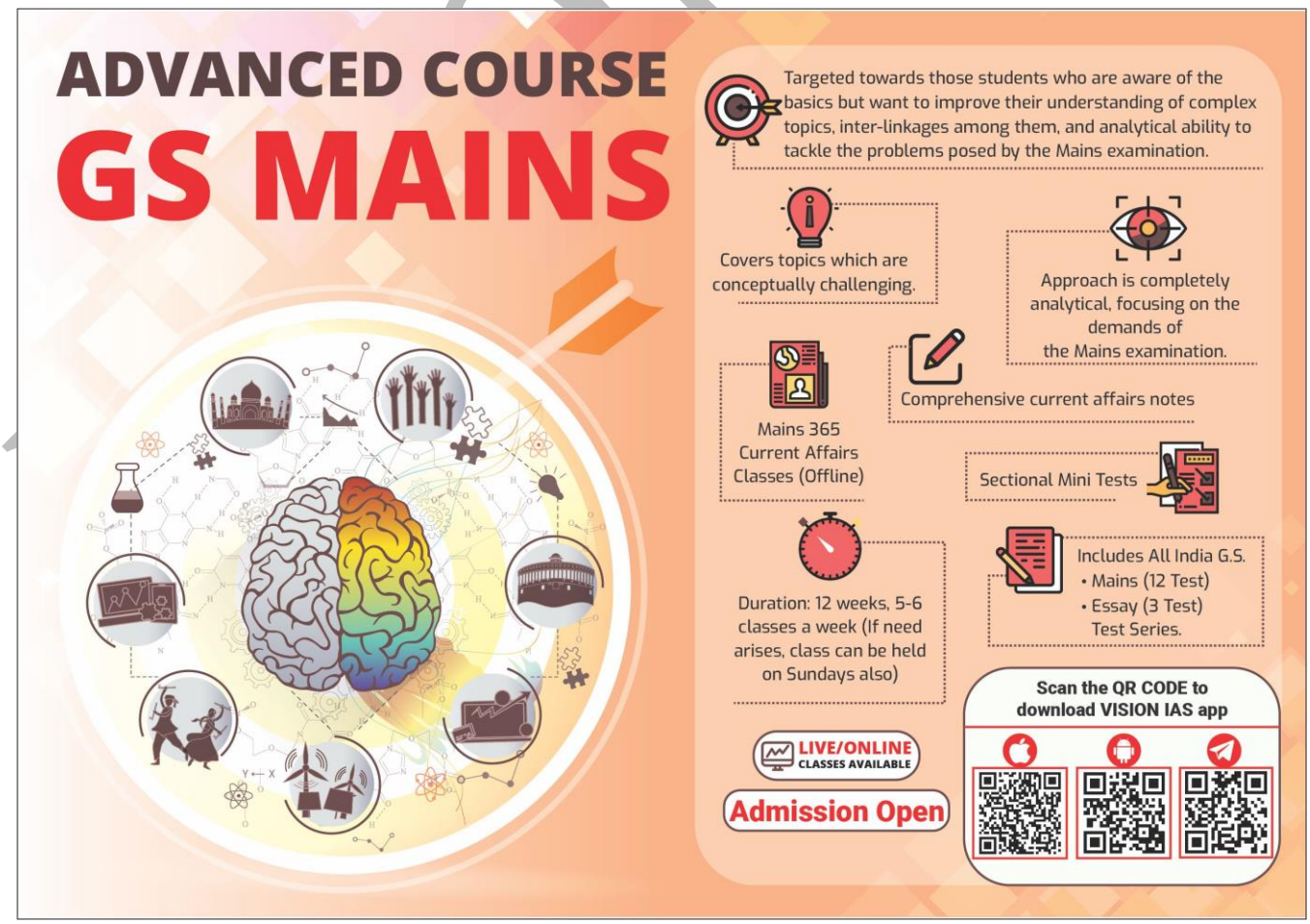

9. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

9.1. भारत-अमेरिका सम्बन्ध: एक अवलोकन

(India-U.S. Relations: An Overview)

वर्तमान समय में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग **व्यापक और बहु-क्षेत्रक है, जिसमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य सम्मिलित हैं।** भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बढ़ते साझा हितों के कारण, **"वैश्विक सामरिक भागीदारी"** के रूप में विकसित हो गए हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों का रुझान: एक समकालीन विश्लेषण

विगत दो दशकों में भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में कई मुद्दों पर समान दृष्टिकोणों के समेकन के साथ अत्यधिक सुधार हुआ है।

- **साझा आदर्श:** भारत-अमेरिका भागीदारी की नींव एक समान मूल्यों पर आधारित है, जिनमें विधि का शासन और लोकतांत्रिक सिद्धांत सम्मलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों ही देश व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं।
- **अमेरिका एक "प्राकृतिक सहयोगी" के रूप में:** अमेरिका भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का प्रबल समर्थक है ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। दोनों देशों के मध्य साझा मूल्यों पर आधारित पीपल-टू-पीपल संबंध इस भागीदारी को सुदृढ़ करने का महत्त्वपूर्ण आधार है। साझा मूल्य इन मजबूत संबंधों का आधार है।
- **रक्षा संबंध:** विगत एक दशक में, भारत और अमेरिका के मध्य घनिष्ठ साझेदारी का विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारत की रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता में निरंतर कमी आयी है और वर्तमान में भारत द्वारा अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक सैन्य अभ्यास का संचालन अमेरिका के साथ किया जा रहा है।
  - भारत-अमेरिका सहयोग ने भारत के लिए संवेदनशील रक्षा वस्तुओं के बिना लाइसेंस निर्यात के लिए **"सामरिक व्यापार प्राधिकृति" (STA)** के टियर-1 में भारत को स्थानांतरित करने के साथ एक नए चरण में प्रवेश किया है। यह ओबामा प्रशासन की तुलना में एक अधिक प्रगतिशील प्रयास है, जिसने भारत को **"प्रमुख रक्षा भागीदार"** के रूप में नामित किया था। उल्लेखनीय है कि **STA का दर्जा प्रायः पश्चिमी देशों और प्रमुख सहयोगियों के लिए ही आरक्षित है।**
  - इसके अतिरिक्त:
    - **आतंकवाद-प्रतिरोध पर भारत-अमेरिकी संयुक्त कार्य दल** (2000) प्रारंभिक प्रयासों में से एक है।
    - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)** पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गये थे, जो भारतीय और अमेरिकी सेनाओं को एक दूसरे की रक्षा सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - भारत द्वारा दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में नई दिल्ली में **प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता** की मेजबानी की गयी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत की अमेरिका के एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में पुष्टि की है।
    - **संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)** पर 2018 में हस्ताक्षर किये गए थे। यह अमेरिका को डेटा और रियल टाइम सूचनाओं के सुरक्षित संचरण हेतु संचार उपकरणों को भारत को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - हाल ही में, **अमेरिका** ने **भारत को सशस्त्र सी गार्डियन ड्रोन की आपूर्ति करने हेतु** स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व इसकी आपूर्ति केवल NATO देशों तक ही सीमित थी।
- **आर्थिक संबंध:** संयुक्त राज्य अमेरिका विस्तारित व्यापारिक संबंधों (पारस्परिक और निष्पक्ष) को स्थापित करना चाहता है। इन बढ़ते व्यापारिक संबंधों को निम्नलिखित के माध्यम से समझा जा सकता है:
  - 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 142 बिलियन डॉलर था। इसमें 2017 की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
  - **ऊर्जा निर्यात:** 2018 में भारत ने अमेरिका से 48.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया था। यह 2017 के 9.6 मिलियन की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

VISION IAS

- **सेवा विनिमय:** अप्रवासन के तहत, उच्च-कुशल वीजा श्रेणी में अधिकांशत: भारतीयों का ही वर्चस्व रहा है। ज्ञातव्य है कि अधिकांश समय H1-B वीजाधारकों में लगभग 70% से अधिक भारतीयों का योगदान रहता हैं।
  - विगत वर्ष, अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 7 बिलियन डॉलर का योगदान किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत और अमेरिका द्वारा सयुक्त राष्ट्र, G-20, आसियान, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों में घनिष्ठ रूप से सहयोग किया जाता रहा है। भारत, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य भी है तथा अमेरिका एक संवाद भागीदार देश के रूप में शामिल है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थक है, जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता संबंधी मुद्दा भी सम्मिलित है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष:** जैश-ए-मोहम्मद के नेता **मसूद अजहर** को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जाना, भारत के लिए **अमेरिका के निर्विवाद समर्थन** का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ट्रम्प प्रशासन ने पाकिस्तान पर FATF की मांगों को अपना समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पर दबाव बनाया है।
- **रणनीतिक अभिसरण:** अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन के उदय को संतुलित करना और विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में, यह भारत-अमेरिका के मध्य एक स्पष्ट रणनीतिक अभिसरण को दर्शाता है।
  - भारत और अमेरिका, समुद्री क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसे चीन द्वारा हिन्द और प्रशांत महासागरों में उनके व्यापार मार्गों के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में देखा जाता है।
  - भारत-प्रशांत और एशियाई भू-राजनीति में बढ़ते चीनी विस्तार का सामना करने हेतु क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया) जैसे मंचों पर सहयोग करना।
- **भारत-प्रशांत क्षेत्र को मान्यता:** अमेरिकी सामरिक शब्दावली में अब "भारत-प्रशांत क्षेत्र" को "एशिया-प्रशांत क्षेत्र" से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
  - ट्रम्प प्रशासन द्वारा निरंतर भारत को भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रमुख सहयोगियों में से एक के रूप में माना जाता रहा है;
  - इसने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित कर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह कमांड हिन्द और प्रशांत महासागरों के मध्य सामरिक समबन्धों पर बल देता है।

भारत और अमेरिका के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन के कारण:

- भू-राजनीतिक हितों का विकास और चीन को लेकर अमेरिका में बढ़ती अशांति।
- वैश्विक मंच पर भारत का **बढ़ता प्रभाव।**

भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता 2018

- भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य शिखर स्तरीय वार्ता के पश्चात् दोनों देशों के मध्य दूसरी सर्वाधिक उच्चस्तरीय वार्ता के रूप में जाना जाता है।
- दोनों देशों ने वार्ता के दौरान भारत **विशिष्ट संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA)** पर हस्ताक्षर किए।

भारत-अमेरिका संबंधों के मध्य चिंताएं:

वर्तमान में, व्यापार और आप्रवासन मामलों में अमेरिका का सरंक्षणवादी रुख भारत के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे इस प्रकार हैं:

- **ईरान और रूस के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने संबंधी चुनौतियां:**
  - **भारत-रूस सम्बन्ध:** भारत द्वारा "काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)" के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरों के बावजूद, रूसी निर्मित S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का निर्णय किया जाना एक ऐसा मामला है, जहां अमेरिका की प्राथमिकताओं और भारत के हितों के मध्य टकराव उत्पन्न होता है।
  - **भारत-ईरान सम्बन्ध :** ईरान, भारत के कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।

VISION IAS

- ज्ञातव्य है कि भारत द्वारा आयातित कुल कच्चे तेल का लगभग 15 प्रतिशत ईरान से आयात किया जाता है। यह हमारे महत्त्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दा है। भारत को ईरान से रियायती कीमतों पर तेल आयात करने को रोकने के लिए विवश किया गया है और अमेरिका की इस कठोर नीति से भारत के तेल आयात के बिलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- अमेरिका द्वारा ईरान के साथ भारत के सामरिक सम्बन्धों को कमजोर करने संबंधी प्रयासों ने भारतीय विदेश नीति के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। पाकिस्तान के भू-क्षेत्र से समर्थित आतंकवाद का संकट भारत और ईरान दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और यह तथ्य ईरान को भारत का महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक भागीदार बनाता है।

- **अमेरिका-पाकिस्तान संबंध:** वाशिंगटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को परस्पर न जोड़ने के दावों के बावजूद, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने जटिल संबंधों के उत्तरदायित्वों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। इसलिए भविष्य में जब कभी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने का प्रश्न उठेगा तो यह भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों को अवरुद्ध करेगा।
- **व्यापार संबंध:** व्यापार संबंध भी तनाव का कारण होते हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका की GSP (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली) का बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है, जिसे हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने समाप्त कर दिया है। {इसके लिए इससे संबंधित विशेष लेख को देखें}
  - वर्तमान में, अमेरिका प्रायः भारत की इस संबंध में शिकायत करता है कि वह उन शीर्ष 10 देशों में सम्मलित है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा बना हुआ है। वह भारत पर पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के बदले अरबों की मांग करने का आरोप भी लगाता है।
  - वर्तमान में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों के साथ संतुलन स्थापित करने हेतु स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर आयात शुल्क आरोपित किया जाता है, जिससे भारतीय उत्पादों पर संभवतः 245 मिलियन डॉलर की हानि हो सकती है।
  - इस व्यापार घाटे से निपटने के लिए भारत, अमेरिकी आयातों पर समान रूप से आयात शुल्क आरोपित करने पर विचार कर रहा है जैसे छोले (chickpeas), बंगाल चना और मसूर की दाल (lentils) आदि।

निष्कर्ष: अमेरिका, भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक अभिसरण हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और यह आकांक्षा रखता है कि दोनों देश न केवल परस्पर लाभ के लिए, अपितु वैश्विक शांति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें।

9.2. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

(India-US Trade Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका द्वारा सभी देशों के लिए 94 उत्पादों पर सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली **(Generalized System of Preferences: GSP)** के अंतर्गत प्रदत्त लाभ समाप्त कर दिए गए हैं।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली क्या है?

- यह एक गैर-पारस्परिक अधिमान्य प्रशुल्क प्रणाली है जो **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत** से छूट का प्रावधान करती है।
- इसमें **प्रदाता देशों (विकसित देशों) के बाजारों में लाभार्थी देशों (विकासशील देशों)** द्वारा निर्यात किए जाने वाले पात्र उत्पादों पर MFN टैरिफ के अंतर्गत निम्न टैरिफ युक्त या पूर्णतया शुल्क मुक्त प्रवेश शामिल है।
- GSP मापदंडों को 1968 में आयोजित **UNCTAD सम्मेलन में अंगीकृत** किया गया था। इसे 1971 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (वर्तमान WTO) द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- GSP का **उद्देश्य क्षमता विकास और व्यापार को बढ़ावा** देकर निर्धन देशों को विकास हेतु समर्थन प्रदान करना था।
- अमेरिका, EU, UK, जापान इत्यादि सहित 11 विकसित देशों ने विकासशील देशों से आयात करने के लिए GSPs लागू किए हैं।
- व्यापार अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अमेरिका द्वारा विशेष रूप से सुदृढ़ GSP सम्बन्धी व्यवस्था लागू की गयी है। भारत, GSP से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। 2017 में, GSP के अंतर्गत अमेरिका को भारत का शुल्क-मुक्त निर्यात 5.6 बिलियन डॉलर से अधिक था।
- वर्तमान में, भारत के 50 उत्पादों (कुल 94 उत्पादों में से) को GSP से हटा दिया गया है, जो विशेष रूप से हथकरघा (handloom) और कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है।

मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा (Most Favored Nation Status)

- WTO के MFN नियम के अंतर्गत यदि कोई देश किसी व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी अन्य देश को किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करता है, तो उसके द्वारा ये सभी छूटें WTO के समस्त सदस्य देशों को प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- यह गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार नीति को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह समस्त WTO सदस्यों के साथ समान व्यापार सुनिश्चित करता है।
- हालांकि, जिन मामलों में मुक्त व्यापार समझौतों के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं (जैसा कि उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में निर्धारित किया गया है), वे तब तक MFN नियमों के अधीन नहीं होंगे, जब तक कि केवल भागीदार देशों के मध्य आपस में वस्तुओं का व्यापार किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत-अमेरिका सौर पैनल विवाद: WTO में सौर पैनल संबंधी मामले में अमेरिका के विरुद्ध भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया:

- हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन में एक प्रमुख व्यापार विवाद में अमेरिका के विरुद्ध भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया था। इसमें एक विवाद निपटान पैनल द्वारा स्पष्ट किया है कि आठ अमेरिकी राज्यों द्वारा स्थापित सब्सिडी एवं अनिवार्य स्थानीय सामग्री की अनिवार्यताओं ने ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (TRIMs) समझौते तथा सब्सिडी और सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स अग्रीमेंट (Subsidies and Countervailing Measures Agreement) का उल्लंघन किया है।

GSP की समाप्ति का भारत पर प्रभाव

- **चालू खाता घाटा (CAD) और रुपए पर प्रभाव:** GSP से प्राप्त रियायतों को समाप्त किए जाने से भारत को शुल्क वृद्धि के रूप में 70 मिलियन डॉलर व्यय करने होंगे। यह अमेरिका के साथ किए जाने वाले व्यापार में भारत के व्यापार अधिशेष को कम करके CAD में वृद्धि करेगा, इसके परिणामस्वरूप रुपये के अधिक कमजोर होने के जोखिम में भी वृद्धि होगी।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) और कृषि पर प्रभाव:** यह छोटे और मध्यम आकार वाले व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से हथकरघों से निर्मित घरेलू वस्त्र उत्पादों के निर्यात के प्रभावित होने की संभावना अधिक है।

भारत - अमेरिका व्यापार संबंध

व्यापार संबंधों में प्रमुख बाधाएं

- **प्रशुल्क संबंधी मुद्दे:** ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका ने व्यापार वार्ताओं में पूर्व की तुलना में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को "टैरिफ किंग" (Tariff King) के रूप में वर्णित करते हुए भारत के समक्ष निम्न मुद्दों को उठाया:
  - अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिलों के आयात पर कोई प्रशुल्क आरोपित नहीं किया गया है, जबकि भारत में आयातित अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर उच्च प्रशुल्क आरोपित किए जाते हैं।
  - बौद्धिक संपदा अधिकार: भारत को यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (USTR) की 'स्पेशल 301' की प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है।
- **सब्सिडी संबंधी मुद्दे :**
  - **कुछ अमेरिकी राज्यों द्वारा स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को प्रदत्त सब्सिडी।**
  - अमेरिका, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के विरुद्ध है। अमेरिका द्वारा भारत पर WTO के सब्सिडी मानदंडों एवं सीमाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है।
- **वीज़ा संबंधित तनाव:** भारत अमेरिका की H1-B वीजा योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राष्ट्र है, किन्तु हाल के दिनों में अमेरिका ने H1-B आवेदकों के लिए वीजा शुल्क में वृद्धि करने के साथ उनके लिए निर्धारित हिस्सेदारी में कमी की है। इस कदम ने भारतीय IT कंपनियों के हितों को प्रभावित किया है। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।
- **भारत-अमेरिका ने एक-दूसरे के विरुद्ध WTO विवाद निपटान तंत्र में भी कई विवादों को उठाया है:** भारत द्वारा WTO के विवाद निपटान तंत्र में अमेरिका के विरुद्ध इस्पात और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क आरोपित करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और अमेरिका के मध्य अपने-अपने देशों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी एवं घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) संबंधी प्रावधानों पर भी मतभेद बने हुए हैं।

VISION IAS

आगे की राह

हालांकि, अमेरिका-चीन के विपरीत भारत और अमेरिका के मध्य किसी प्रकार का ट्रेड वार नहीं चल रहा है, किन्तु दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं।

- **भारत, चीन की भांति शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर 'जैसे को तैसा (tit-for-tat)' वाले दृष्टिकोण को अपनाने की स्थिति में नहीं है।** रक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षेत्रीय सुरक्षा (सामरिक संबंध) जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भारत को अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता है।
- हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा भारत को कुछ राहत प्रदान की गई है। अमेरिका ने नाटो सदस्यों की भांति नवीनतम तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित कराते हुए **भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन (STA-1) का दर्जा प्रदान किया है।** ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के विरुद्ध "अब तक के सबसे कड़े" प्रतिबंध आरोपित किए जाने के बावजूद **भारत ईरान से तेल खरीद के मामले में अमेरिका से छूट प्राप्त करने वाले आठ देशों में शामिल है।** यह अमेरिका के भारत के साथ सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास को प्रदर्शित करता है।
- भारत को व्यापारिक संबंधों के साथ परस्पर संबंधों के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष उत्पन्न होने से बचने, विवादों में वृद्धि को रोकने, अमेरिका की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया न देने और **व्यापार संबंधी वार्ताओं से संलग्न रहने के अपने वर्तमान दृष्टिकोण पर स्थिर रहना चाहिए।**
- **भारत को अमेरिका के साथ एक व्यापार पैकेज के लिए वार्ता जारी रखनी चाहिए** तथा अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण कोरिया को शुल्क वृद्धि पर प्रदत्त छूट के समान रियायतों की मांग करनी चाहिए।
- भारत को **निर्यात को बढ़ावा देने** और 2.4% के स्तर तक पहुँच चुके चालू खाता घाटे (CAD) को ध्यान में रखते हुए **गैर-अनिवार्य आयात में कटौती** करने की आवश्यकता है।

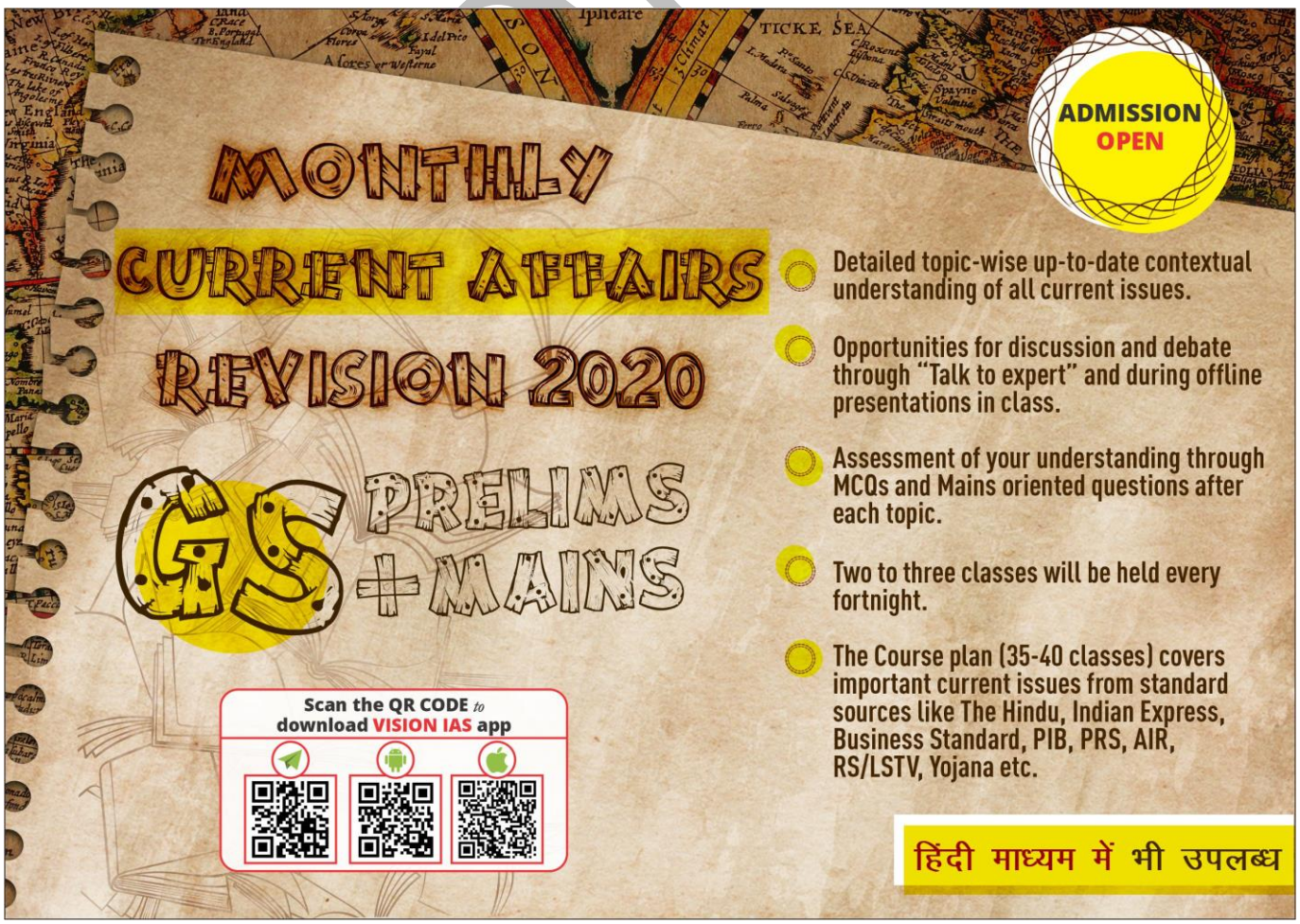

10. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठन और सम्मेलन (Important International/Regional Groups and Summits)

10.1. विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बढ़ते संरक्षणवाद से संबंधित चिंताओं को देखते हुए WTO में सुधार की मांग की गई है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और इसका विकास

- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** की स्थापना, उरुग्वे दौर (1986-1994) के परिणामस्वरूप **मराकेश संधि (1994)** के तहत की गई थी।
- एक संगठन के रूप में WTO से **बेहतर जीवनस्तर, रोजगार सृजन, विकासशील देशों की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ व्यापार विस्तार और समग्र संधारणीय विकास** में बड़ी भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की गई थी। व्यापार उदारीकरण को उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया था।
- व्यापार उदारीकरण के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे:
  - **भेदभाव रहित-** देश एक-दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे अर्थात् निष्पक्ष व्यापार संबंध तथा गैर-घरेलू उत्पादकों से राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।
  - **पारस्परिकता-** देशों द्वारा प्रदत्त रियायतें पारस्परिक होनी चाहिए।
- ये सिद्धांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं। इन सम्मेलनों में **'एक देश एक मत' (जो WTO की लोकतांत्रिक संरचना और प्रक्रियाओं** को प्रदर्शित करता है) पर आधारित **सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के** द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त एक **विवाद निवारण** तंत्र स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। WTO का प्रयोजन उसकी नियम आधारित बाध्यकारी प्रतिबद्धता में निहित है जिसका अनुपालन न करने से अत्यधिक जोखिम उत्पन्न होते हैं तथा सदस्य देशों के लिए एक प्रतिकूल परिदृश्य का सृजन होता है।

WTO का संगठनात्मक ढांचा

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस)-** इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं तथा इसकी **बैठक दो वर्षो में एक बार** होती है। **11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना** में आयोजित हुआ था।
- **सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) -** यह **विवाद निपटान निकाय तथा व्यापार नीति समीक्षा निकाय** के रूप में कार्य करती है।

असंतोष का प्रकटीकरण

- लोकतांत्रिक समावेशी WTO में असंतोष के संकेत प्रकट होने प्रारम्भ हो चुके हैं। सर्वप्रथम, इसके प्रथम सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (1996) में कुछ विवादास्पद मुद्दे दृष्टिगोचर हुए थे।
- सिंगापुर सम्मेलन के मुद्दे सीएटल, कानकुन और अंततः दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक में परिलक्षित हुए। अमेरिका और चीन के मध्य हालिया ट्रेड वॉर, जिसमें अमेरिका द्वारा आयात शुल्कों में वृद्धि की जा रही है, व्यापक क्षति का द्योतक है।

WTO के कमजोर पड़ने के कारण

- **परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था:** WTO जैसे संगठनों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एकध्रुवीय विश्व का प्रतिनिधित्व किया जाता था। इस चरण के दौरान व्यापार की प्रकृति नियम आधारित हो गई थी तथा यह पश्चिम को पक्षपोषित करता था, परन्तु यह एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था विकासशील देशों के उत्थान तथा विश्व व्यापार में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों का सामना कर रही है। इन परिवर्तनों को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिकूल माना गया है तथा उन्होंने इसके विरोध में संरक्षणवाद की नीतियों का आश्रय लिया है। उदाहरणार्थ- व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) के माध्यम से चीन पर हमला, विवाद निपटान निकाय में भारत के विरुद्ध सौर पैनल मामला आदि।
- **प्रक्रिया संबंधी कमियाँ:** यद्यपि वार्ता प्रक्रिया प्रथम दृष्टया लोकतांत्रिक प्रतीत होती है, परन्तु मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों पर अपारदर्शी तथा अत्यधिक तकनीकी होने का आरोप लगाया जाता है। ग्रीन रूम मीटिंग्स अधिकांश देशों की सहभागिता को निषिद्ध करती हैं।

VISION IAS

यह विकसित देशों के लिए विषमतापूर्ण ढंग से लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति आधारित निर्णय निर्माण, सुधारों में रुकावट का एक मूल कारक बन गया है।

- **समझौतों की प्रकृति:** WTO के तहत हस्ताक्षरित समझौतों पर कार्यपद्धति में भेदभावपरक और अपवर्जनात्मक होने का आरोप लगाया जाता है। दोहा विकास एजेंडा (DDA) भी घरेलू समर्थन के तहत सब्सिडियों हेतु स्थाई समाधान उपलब्ध करवाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। इसके साथ ही WTO के पास डिजिटल इनेबल्ड ट्रेड अर्थात् ई-कॉमर्स के सन्दर्भ में कोई समझौता नहीं है।
    - विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि विकसित देश जेनेरिक औषधियों, अनिवार्य लाइसेंस और आयात प्रतिस्थापन का विरोध करते हैं। दूसरी ओर विकासशील देश लोक स्वास्थ्य चिंताओं को उद्धृत करते हैं तथा औषधि कंपनियों के विरुद्ध एवर-ग्रीनिंग का आरोप लगाते हैं।
- **विवाद समाधान:** विवाद निवारण तंत्र महंगा और अधिक समय लेने वाला है। इसका आश्रय प्रमुख रूप से विकसित देशों द्वारा लिया जाता है तथा विकासशील देश इस तंत्र में प्रायः पीड़ित होते रहते हैं। अपीलीय निकाय में नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्रक्रियाओं का राजनीतिकरण किया गया है।

WTO प्रासंगिक क्यों बना हुआ है?

- WTO के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी विश्व व्यापार को एकीकृत करने और विस्तार देने में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।
- WTO वैश्विक व्यापार प्रवाहों के 98% हिस्से का विनियमन करता है। इसके अतिरिक्त 1942 के बाद से प्रशुल्कों का औसत मूल्य 85% तक कम हुआ है। साथ ही प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ प्रशुल्क कटौती ने वैश्विक व्यापार के असाधारण विस्तार का संचालन किया है।
- GDP के एक भाग के रूप में व्यापार, वर्ष 1960 के 24% से बढ़कर वर्ष 2015 में 60% हो गया है। व्यापार के विस्तार ने सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक विकास को गति प्रदान की है, रोजगारों का सृजन किया है तथा परिवारों की आय में वृद्धि की है।
- GATT और WTO के तहत एक अत्यधिक सशक्त नियम आधारित व्यवस्था ने अधिक खुलापन, पारदर्शिता तथा स्थिरता की स्थापना की है।
- व्यापार ने निर्धनता को कम करते हुए तथा छोटे उद्यमों, महिलाओं, किसानों और साथ ही मछुआरों के लिए अवसरों के सृजन के द्वारा समावेशी विकास के एक शक्तिशाली बल के रूप में कार्य किया है।
- चूँकि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं परस्पर अत्यधिक निर्भर हो गई हैं अत: एक व्यापार संगठन का विघटन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था हेतु क्षतिकारक सिद्ध हो सकता है।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं-** चूँकि WTO एक सदस्य आधारित संगठन है अत: सभी देशों अर्थात् विकसित एवं विकासशील देशों को इसकी संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार हेतु आपस में सहयोग करना चाहिए। WTO को बहुपक्षीय वार्ताओं का आयोजन करना चाहिए जहाँ समान विचारधारा वाले देश उनसे संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने तथा सामान्य मुद्दों के संबंध में नियम बनाने हेतु भागीदारी कर सकें।
- वर्तमान में **सेवाएं** व्यापार के एक वृहद भाग अर्थात् वैश्विक GDP के दो तिहाई भाग का सृजन करती हैं। इसके बाद भी वस्तु व्यापार की तुलना में अत्यधिक अवरोधों का सामना करने के कारण सेवाओं से संबंधित वैश्विक व्यापार नीतियाँ पिछड़ी हुई हैं। इनमें सुधार करने हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) को और अधिक खुला एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकाधिकारवादी प्रथाओं, वित्तीय विनियमों तथा अनियमित आप्रवास नीतियों का समाधान करना होगा।
- **समावेशिता हेतु व्यापार संबंधी नीतियाँ-**
    - सभी सदस्य देशों को विभिन्न देशों के विकास के विविध स्तरों को समझने की आवश्यकता है। इस आधार पर एक परामर्श समिति का गठन किया जाना चाहिए। वार्ता बैठकें अत्यधिक खुली, पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए।
    - विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंताओं के समाधान हेतु कृषि संबंधी समझौतों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
    - सामाजिक सुरक्षा कानून, कौशल उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन श्रमिकों की आवाजाही को सुगम बनाना, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अधिक स्थिरता तथा धारणीयता प्रदान करेगा।
- **सामूहिक सौदेबाजी-** G-33, अफ्रीकन कम्युनिटी जैसे समान विचारधारा वाले समूहों को कृषि, सेवाओं, बौद्धिक संपदा इत्यादि पर समझौतों में अपने अनुकूल प्रावधानों की मांग हेतु अपनी सामूहिक सौदेबाजी में वृद्धि करनी चाहिए। **विवाद समाधान तंत्र** को अधिक शक्तिशाली तथा सदस्यों द्वारा संचालित होना चाहिए।

VISION IAS

- **विकसित देशों की मानसिकता में परिवर्तन-** यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को उनके विकास तथा खुली व्यापार व्यवस्था बनाए रखने में WTO द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। वस्तुतः समय आ गया है जब बहुपक्षवाद और इसके संस्थानों को आकार प्रदान करने के सन्दर्भ में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील विश्व की भूमिका में वृद्धि की जाए। अतः विकसित देशों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा।

10.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित सुधार

(UNSC Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया की धीमी गति तथा अपारदर्शी कार्यपद्धति, सदस्य राष्ट्रों की अपने दृष्टिकोण के संदर्भ में अस्पष्टता एवं अभिकथनों के अप्रभावी कार्यान्वयन (जिनके कारण UN के प्रारंभिक सुधार अवरुद्ध हुए हैं) की आलोचना की गयी है।

अन्य संबंधित तथ्य

वर्ष 1993 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNSC सुधारों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की जा रही है, परन्तु यह मुख्य रूप से "संस्थागत निष्क्रियता" के कारण किसी समझौते तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पायी है।

UNSC सुधार एजेंडे में क्या शामिल है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित पांच मुद्दों की पहचान की गई है:

1. सदस्यता की श्रेणियाँ;
2. वीटो का प्रश्न;
3. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व;
4. विस्तारित परिषद का आकार और इसकी कार्य-पद्धति; तथा
5. सुरक्षा परिषद - महासभा संबंध।

सुधारों की आवश्यकता क्यों?

- **परिवर्तित होती भू-राजनीति:** सुरक्षा परिषद की (वर्तमान) सदस्यता एवं कार्य-पद्धति एक बीते हुए युग को प्रतिबिंबित करते हैं। जहाँ एक ओर 1945 से अब तक भू-राजनीति में अत्यधिक बदलाव आया है, वहीं दूसरी ओर परिषद में काफी कम परिवर्तन हुए हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों द्वारा UN के चार्टर का निर्माण अपने हितों के अनुरूप किया गया। उन्होंने स्वयं के लिए वीटो-विशेषाधिकार युक्त स्थायी सीट की व्यवस्था की है।
- **दीर्घकालिक विलंबित सुधार:** इसका एकमात्र विस्तार वर्ष 1963 में चार अस्थायी सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। जबकि UN की कुल सदस्यता 113 से बढ़कर 193 हो गई है, फिर भी UNSC की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
- **असमान आर्थिक एवं भौगोलिक प्रतिनिधित्व:** इसमें जहां यूरोप का प्रतिनिधित्व आवश्यकता से अधिक है, वहीं एशिया को आवश्यकता से कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को UNSC की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
- **वैधता और विश्वसनीयता का संकट:** अवरुद्ध सुधार के एजेंडे तथा उत्तरदायित्व के नाम पर लीबिया और सीरिया में इसके हस्तक्षेप सहित विभिन्न मुद्दों के कारण संस्था की विश्वसनीयता को लेकर संशय उत्पन्न हो गया है।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन:** UNSC की स्थायी सदस्यता का सुरक्षा मामलों पर निर्णयन में वृहद् उत्तर-दक्षिण विभाजन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि इसका 75% कार्य अफ्रीका पर केंद्रित है, UNSC में अफ्रीका से कोई भी स्थायी सदस्य नहीं है।
- **उभरते हुए मुद्दे:** अंतर्राष्ट्रीय खतरे, आर्थिक अंतरनिर्भरता का बढ़ना, पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण आदि मुद्दों के समाधान हेतु आम सहमति पर आधारित प्रभावी बहुपक्षीय वार्ताओं की आवश्यकता है, तथापि सभी महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद के वीटो-अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्यों द्वारा ही लिए जा रहे हैं।

सदस्यता हेतु भारत के दावे के पक्ष में प्रबल तर्क

- यह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनसांख्यिकीय एवं भौगोलिक, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

VISION IAS

- विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। इस उद्देश्य हेतु गत वर्षों में भारत के सर्वाधिक सैनिक शहीद हुए हैं, जिसे बार-बार स्वीकार भी किया जाता रहा है।
- भारत को विधि के शासन और वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करने वाले एक उत्तरदायी शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत को स्थायी सदस्य बनाना UNSC को अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधित्वपूर्ण बना देगा।

भारत और UNSC सुधार

- भारत ने सुरक्षा परिषद में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी सीट को प्राप्त करने हेतु दो घटकों से युक्त एक **बहुस्तरीय रणनीति** अपनाई है। इसका प्रथम घटक - संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिकतम समर्थन प्राप्त करना है और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिरोध कम करना है।
- भारत आशा करता है कि G-77, NAM, अफ्रीकी संघ जैसे **दक्षिण** के विभिन्न **वैश्विक मंचों** पर इसकी निरंतर भागीदारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी स्थायी सदस्यता हेतु आवश्यक मतों की संख्या जुटाने में सहायक सिद्ध होगी। यह भारत द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत की सशक्त पैरवी करने और "सुरक्षा के उत्तरदायित्व" की निरंतर मुखर आलोचना में परिलक्षित होता है।
- P-5 के साथ भारत की बढ़ती **रणनीतिक साझेदारी**, अमेरिका और रूस के साथ परमाणु समझौते, इसकी सशक्त होती आर्थिक स्थिति तथा चीन के साथ पुनः बेहतर संबंधों की शुरुआत वस्तुतः UNSC में एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले सुस्पष्ट आधिकारिक भारतीय दावों के लिए एक अनुकूल स्थिति प्रस्तुत करते हैं। फ्रांस एवं ब्रिटेन जैसे देशों द्वारा भी ऐसे दावों का समर्थन किया गया है।
- **भारत** ने **ब्राजील, जर्मनी** और **जापान** के साथ मिलकर **G-4** का भी गठन किया है। यह एक 'कोएलिशन ऑफ़ द विलिंग (इच्छुक पक्षों का गठबंधन)' तथा परिषद के सुधारों पर वार्ता करने के लिए एक 'कॉलेबोरेटिव स्ट्रेटेजी (सहयोगपूर्ण रणनीति)' है। ये चारों राष्ट्र एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं।

सुधारों में विलंब क्यों?

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** P-5 की संरचना में परिवर्तन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए वर्तमान P-5 सहित महासभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। राजनीतिक इच्छाशक्ति और उपर्युक्त पक्षों के मध्य सहमति के अभाव के कारण इस स्थिति को प्राप्त कर पाना कठिन है।
- सदस्य राज्यों और G-4, L-69, अफ्रीकी संघ, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस संगठन तथा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कांफ्रेंस जैसे क्षेत्रीय समूहों के मध्य **आम सहमति का अभाव** एवं विभिन्न समूहों की भिन्न-भिन्न मांगें।
- **वीटो पॉवर का उपयोग:** विभिन्न देशों और समूहों द्वारा स्थायी सदस्यता और वीटो पॉवर की मांग की जा रही है, जिसे P-5 स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

आगे की राह

वर्तमान परिस्थितियों में UNSC के लिए स्वयं में सुधार करना तथा विश्व में अपनी वैधता और प्रतिनिधिकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है। हालाँकि, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति (विशेष रूप से P-5 राष्ट्रों की) और सभी देशों के मध्य सुदृढ़ सहमति की आवश्यकता है।

10.3. संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल (UN Peacekeeping)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने लीबिया में उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होने पर त्रिपोली में शांति रक्षक दल के रूप में तैनात CRPF के सभी जवानों को वापस बुला लिया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल के संबंध में

- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित एक अद्वितीय व महत्त्वपूर्ण दल है, जो संघर्षरत देशों में स्थायी शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में सहायता करता है।
- **उत्पत्ति:** संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल का गठन शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदी शक्तियों द्वारा सुरक्षा परिषद को निरंतर प्रभावहीन एवं निष्क्रिय बना दिए जाने की परिस्थितियों में किया गया था। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती हेतु स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात **प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रथम मिशन** को मई 1948 में प्रारम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य इजरायल तथा उसके अरब पड़ोसी देशों के मध्य युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए **संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO)** का गठन करना था।

- पिछले 70 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र के तहत 1 मिलियन से अधिक पुरुष व महिलाएं, 70 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। वर्तमान में 125 देशों के 1 लाख से अधिक सैन्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा नागरिक-कर्मी 14 शांति अभियानों में सेवारत हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों हेतु **वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन** संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। शांति अभियानों के प्रारंभ, अनुरक्षण अथवा इसके विस्तार के संबंध में सभी निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं।
- इससे पूर्व, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का **उद्देश्य मुख्य रूप से युद्धविराम को जारी रखने तथा परिस्थितियों को सामान्य बनाने तक सीमित** था ताकि युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जा सकें। इन अभियानों में सैन्य पर्यवेक्षक तथा कम घातक हथियारों से लैस सैनिक शामिल होते थे, जो निगरानी, रिपोर्टिंग एवं विश्वास निर्माण प्रक्रिया द्वारा युद्धविराम और शांति समझौते को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते थे।
- वर्तमान के बहुआयामी शांति अभियानों में **नागरिक, सैन्यकर्मी तथा पुलिसकर्मी सभी एक साथ कार्य करते** हैं और उन्हें शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए परिनियोजित किया जाता है। इसके साथ-साथ इन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने, संघर्ष को समाप्त करने, चुनावों में सहायता प्रदान करने हेतु परिनियोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका परिनियोजन मानवाधिकारों की रक्षा करने एवं उन्हें बढ़ावा देने तथा कानूनी नियमों को लागू करने के लिए भी किया जाता है।

भारत तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारतीय योगदान 1950 के दशक में इसकी स्थापना के साथ आरंभ हुआ था। भारतीय सेना द्वारा सैन्य दलों तथा चिकित्सा दलों द्वारा **1950 से 1954 तक कोरियाई युद्ध के दौरान** व्यापक सहयोग प्रदान किया गया था। इस प्रथम अभियान के बाद से, भारत ने अब तक **50 से अधिक अभियानों** में भाग लिया है।
- 70 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत की ओर से लगभग **2 लाख से अधिक सैन्य व पुलिस अधिकारी** शामिल हुए हैं। वर्तमान में भारत **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता** है और साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान, मध्य पूर्व, दक्षिण सूडान तथा पश्चिमी सहारा में तैनात 6 हज़ार से अधिक भारतीय सैन्य कर्मी लोगों के जीवन की रक्षा, संरक्षण तथा स्थायी शांति के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहें हैं।
- पिछले 70 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान भारत के **सबसे अधिक शांति सैनिक शहीद हुए है**, जिसमें 168 सैन्यकर्मी, पुलिसकर्मी व नागरिक कर्मी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के सिद्धांत:

ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त ये अंतर्संबंधित होने के साथ एक-दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं:

- **पक्षों की सहमति**: संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को संघर्षरत पक्षों की सहमति के आधार पर परिनियोजित किया जाता है। संबंधित पक्षों द्वारा एक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से शांति अभियानों के लिए प्रतिबद्धता तथा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र को शांति स्थापना के लिए आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु कार्रवाई (राजनीतिक व भौतिक दोनों प्रकार की) स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
- **निष्पक्षता:** शांति रक्षकों को संघर्षरत दलों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आदेशों के निष्पादन में तटस्थ नहीं होना चाहिए।
- **आत्म-रक्षा तथा जनादेश की पूर्ति को छोड़कर बल का अनुपयोग:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान प्रवर्तनात्मक साधन नहीं हैं। ये आत्म-रक्षा तथा जनादेश की पूर्ति हेतु, सुरक्षा परिषद की अनुमति से ही, नीतिगत स्तर पर बल का उपयोग कर सकते हैं।

संबंधित समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में शांति स्थापना अभियानों के लिए पारिस्परिक राजनीतिक प्रतिबद्धता का नवीनीकरण करने हेतु **एक्शन फॉर पीसकीपिंग (A4P)** आरंभ की हैं। इसके माध्यम से महासचिव ने सदस्य राष्ट्रों, सुरक्षा परिषद, मेजबान देशों, सैन्य व पुलिस के रूप में योगदान करने वाले देशों, क्षेत्रीय भागीदारों तथा वित्तीय योगदानकर्ताओं से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के साथ अपनी सामूहिक संलग्नता को नवीकृत करने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से प्रतिबद्ध होने की मांग की है।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का रिकॉर्ड

प्रमुख सफलताएँ:

- **संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** सिएरा लियोन (1999 से 2005), बुरुंडी (2006), कंबोडिया, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, नमीबिया तथा ताजिकिस्तान में शांति समझौतों को लागू करने में सफल रहा है। शांति स्थापना उपलब्धियों के इन प्रभावशाली रिकॉर्डों के कारण इसे **1998 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।
- **महिला शांति रक्षक** एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं तथा अभियानों के अधिदेश के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे पुलिस अधिकारियों, सैनिकों, पायलटों, सैन्य पर्यवेक्षकों तथा कमांड पदों सहित अन्य आधिकारिक व असैनिक पदों पर कार्यरत हैं।

शांति स्थापना की विफलताएं:

- संयुक्त राष्ट्र के एक आंतरिक अध्ययन में पाया गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में **आमतौर पर युद्ध में फंसे नागरिकों का संरक्षण करने के लिए बलों का उपयोग करने से बचते** हैं, UNSC द्वारा मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत होने के बावजूद भी केवल 20% मामलों में हस्तक्षेप किया।
- **स्रेब्रेनिका (1995):** 1992-1995 के बोस्निया युद्ध की समाप्ति तक बोस्नियाई सर्ब बलों ने 8000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी, जिसने इसे यूरोप के इतिहास में शांति सेना दलों के उपस्थित होने के बावजूद भी **दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार** बना दिया।
- **रवांडा जनसंहार (1994)**: संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन साक्ष्यों को निरंतर अस्वीकार किया है जो बताते है कि जनसंहार पूर्वनियोजित था और जब यह शुरू हुआ को शांति सेना ने इसे रोकने से इनकार कर दिया था।
- **सोमालिया (1995)**: संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में अनेक अमेरिकी सैनिकों की हत्या होने के बाद सभी शांति अभियानों को वापस ले लिया, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारियों ने इसे इसके(शांति रक्षा मिशन) इतिहास की सबसे बड़ी विफलता के रूप में वर्णित किया।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आवश्यक सुधार

- शांति अभियानों की रूप-रेखा तथा कार्यान्वयन का संचालन **सहयोग आधारित राजनीति** के माध्यम से करना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने हेतु इसे परिवर्तित आवश्यकताओं पर और अधिक लचीले ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए:** मिशनों के विभिन्न चरणों के बीच निरंतर प्रतिक्रियाओं व निर्विघ्न परिवर्तन हेतु शांति अभियानों तथा विशेष राजनीतिक मिशनों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र को "**शांति अभियान**" शब्द के तहत आवश्यक प्रतिक्रियाओं की पूर्ण क्षमताओं को शामिल किया जाना चाहिए और उन अंतर्निहित विश्लेषणों, रणनीतियों एवं नियोजनों को सुदृढ़ बनाने पर बल देना चाहिए जो मिशनों के अधिक सफल प्रारूपों के निर्माण में सहायक हो। इन्हें क्रमबद्ध व प्राथमिक तरीके से त्वरित स्थिति-विशिष्ट प्रतिक्रिया के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को अधिक क्षेत्र-केंद्रित तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को अधिक जन-केंद्रित बनाया जाना चाहिए:** संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय मिशनों की विशिष्ट व महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाना चाहिए, तथा अधिदेशित लोगों के साथ जुड़ने, उनकी सहायता करने व उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कार्यकर्ताओं की सहायता हेतु एक नवीन संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए।
- **संघर्षों की रोकथाम तथा मध्यस्थता के प्रयासों को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए**: वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्षों को रोकने तथा राजनीतिक समाधानों का समर्थन करने वाली भागीदारियों को एक साथ संघटित करने हेतु एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को जारी करना चाहिए। इसे ऐसे तरीकों की खोज करनी होगी जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य ज्ञान व संसाधनों के आधार पर बनाए गए हों, तथा इन्हें नागरिक समाज, समुदायों, धार्मिक समुदायों, युवाओं एवं महिला समूहों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार समुदायों के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश तथा सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण:** सुरक्षा परिषद, सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्श के माध्यम से साध्य जनादेशों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रक्षक बलों की आवश्यकता की स्थिति में सैन्य व पुलिस सहयोग देने वाले देशों के साथ भी परामर्श किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **इन बलों के कर्मियों क्षमता व कार्य-निष्पादन में सुधार**: संयुक्त राष्ट्र व उसके भागीदारों देशों को संकटकालीन स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में तीव्र परिनियोजन के मार्ग में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं को समाप्त करना चाहिए।
- **मेज़बान देशों तथा स्थानीय समुदायों के साथ संलग्नता:** स्थानीय लोग से केवल परामर्श करने के बजाय उन्हें उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयासों में सक्रीय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इससे शांति अभियानों के प्रभावों के प्रति जनसामान्य के अनुभवों की निगरानी एवं उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **दुर्व्यवहार की समाप्ति तथा जवाबदेही को बढ़ाना:** सैन्य-योगदान देने वाले देशों को सशक्त रूप से यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार में लिप्त कर्मियों की सख्ती से जांच करनी चाहिए और उन पर मुक़द्दमा चलाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ती प्रदान की जाए।

10.4. शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization: SCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 19वें शिखर सम्मेलन में SCO के सदस्य देशों द्वारा **बिश्केक घोषणा-पत्र** को अंगीकृत किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य - "शंघाई फाइव"

- शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात्, चीन ने मध्य एशिया और शिनजियांग प्रांत के उइगरों को नियंत्रित करने हेतु **मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ सुरक्षा सहयोग** स्थापित करने की मांग की है।
- इसलिए, विश्वास बहाली उपायों को अपनाने और सीमा संबंधी बाधाओं की समाप्ति हेतु वर्ष 1996 में **शंघाई-5 (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस एवं ताजिकिस्तान)** नामक एक समूह की स्थापना की गई थी।
- **वर्ष 2001** में, उज्बेकिस्तान इस समूह में शामिल हो गया और इसका नाम परिवर्तित कर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) कर दिया गया।

बिश्केक घोषणा-पत्र की प्रमुख विशेषताएं

- आतंकवाद के सभी रुपों और अभिव्यक्तियों की निंदा;
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन;
- ईरान के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना के **'सुसंगत कार्यान्वयन'** की मांग;
- संवाद प्रक्रिया के माध्यम से **सीरिया के लिए एक राजनीतिक समझौते का समर्थन** और विभिन्न राज्यों द्वारा सीरिया में 'संघर्ष की समाप्ति के पश्चात् पुनर्बहाली कार्य';
- **'SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह की भविष्य की कार्यवाही के लिए रोडमैप'** पर हस्ताक्षर, जो 'स्वयं अफगानों द्वारा संचालित और उनके नेतृत्व वाली समावेशी शांति प्रक्रिया' का समर्थन करता है।

SCO के बारे में

- SCO, यूरेशियाई क्षेत्र का एक **राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन** है। ब्रिक्स (BRICS) के साथ-साथ, SCO को चीन और रुस द्वारा **पश्चिमी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) को चुनौती देने** तथा **मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो (NATO) की गतिविधियों के प्रति-संतुलक** के रुप में देखा जाता है।
- वर्तमान में, SCO के **सदस्य देशों की संख्या 8** है। ये देश हैं - चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त, इसमें **4 पर्यवेक्षक देश (Observer States)** - अफगानिस्तान, बेलारुस, ईरान और मंगोलिया तथा **6 वार्ता भागीदार (Dialogue Partners)** - अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका शामिल हैं।
- इसके **दो स्थायी निकाय** हैं, यथा- बीजिंग स्थित **SCO सचिवालय** और ताशकंद स्थित **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर: RATS) की कार्यकारी समिति।**
- SCO सचिवालय शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय है, जबकि **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद** SCO की शीर्ष निर्णय निर्माणकारी संस्था है।

VISION IAS

- इसके प्रेरक दर्शन को **"शंघाई स्पिरिट"** के नाम से जाना जाता है। यह सद्भाव, सर्वसम्मति, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और गुटनिरपेक्षता पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि **समावेशी यूरेशियाई पहचान** पर बल देने हेतु **SCO ने संस्कृति संबंधी पक्ष** को अपने एक महत्वपूर्ण तत्व के रुप में स्थापित किया है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने बिश्केक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान SCO के लिए **HEALTH** (हेल्थकेयर सहयोग, आर्थिक सहयोग, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य एवं संस्कृति, आतंकवाद-मुक्त समाज और मानवीय सहयोग) के रुप में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण, SCO के घोषणा-पत्र के अनुरुप है।

भारत की SCO में सदस्यता का महत्व

- **सुरक्षा:** उल्लेखनीय है कि SCO का मुख्य उद्देश्य "तीन बुराइयों" (three evils) (आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद) के विरुद्ध सहयोगात्मक रुप से कार्य करना है। यह भारत के हितों के अनुरुप भी है।
  - **क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)** और संयुक्त सैन्य अभ्यास (भारत ने वर्ष 2018 में भाग लिया) में नियमित भागीदारी **युद्धक क्षमताओं और आसूचना साझाकरण में वृद्धि** करने में सहायता करेगी।
  - यह द्विपक्षीय विवादों को शामिल किए बिना आपसी हितों से संबंधित मुद्दों पर **पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु एक मंच** के रुप में कार्य कर सकता है। इसके साथ ही यह इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे अन्य बहु-राष्ट्रीय मंचों पर **पाकिस्तान द्वारा (भारत के विरुद्ध) किए जाने वाले दुष्प्रचार का विरोध करने में भारत को सहायता** प्रदान कर सकता है।
  - मध्य एशियाई क्षेत्र के देश और भारत अफीम उत्पादन (ईरान-पाकिस्तान-अफगानिस्तान) से संबंधित **'गोल्डन क्रीसेंट'** से होने वाले अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार के गंभीर खतरे का सामना कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त ये अवैध हथियार व्यापार की समस्या से भी प्रभावित हैं। ऐसे में SCO बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **कनेक्टिविटी: भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति** को, व्यापार एवं लोगों के मध्य आपसी संपर्क तथा सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ाने हेतु SCO एक संभावित मंच है।
  - यह स्पष्ट रुप से कनेक्टिविटी संबंधी भारत के प्रयासों को उचित दिशा प्रदान करने के अनुरुप है। इसे हम **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और अश्गाबात समझौता, चाबहार बंदरगाह के निर्माण एवं काबुल, कंधार तथा नई दिल्ली के मध्य एक हवाई माल-भाड़े गलियारे की स्थापना** के संदर्भ में समझ सकते हैं।
- **आर्थिक हित:**
  - SCO के देश **विश्व की आबादी में लगभग 42% और GDP में 20%** योगदान करते हैं। ऐसे में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) **भारत** को अपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त और फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए एक **व्यापक बाजार आधार प्रदान** कर सकता है।
  - सांस्कृतिक संपर्क और साझा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इसमें देश के **पर्यटन क्षेत्र** (वर्तमान में भारत के कुल पर्यटकों में SCO देशों का योगदान केवल 6%) **को बढ़ावा देने की क्षमता** विद्यमान है।
- **ऊर्जा और खनिज:** चूँकि मध्य एशिया भौगोलिक रुप से भारत के निकट अवस्थित है। अतः मध्य एशिया के साथ खनिज व्यापार से लागत में कमी आ सकती है। बढ़ती मांगों के साथ-साथ एक ऊर्जा न्यून देश होने के कारण, भारत मध्य एशियाई देशों और रुस के लिए एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करता है।
  - ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के साथ-साथ SCO देशों में विश्व के **कुछ सबसे बड़े तेल** (~ 25%) और **प्राकृतिक गैस भंडार** (~ 50%) अवस्थित हैं। कजाकिस्तान **यूरेनियम** का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान स्वर्ण के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक हैं।

VISION IAS

- **SCO एनर्जी क्लब** वस्तुतः उत्पादकों (रुस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान) तथा उपभोक्ताओं (चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और मंगोलिया) के मध्य व्यापक वार्ता की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- SCO की सदस्यता **TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन) और IPI (ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन) जैसी अवरुद्ध (पाइपलाइन) परियोजनाओं के निर्माण पर अग्रिम वार्ता में सहायक** हो सकती है।

- **राजनीतिक महत्व:** SCO भारत को इसकी विदेश नीति के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है।
  - यह भारत को अपने **विस्तारित पड़ोस में सक्रिय भूमिका का निर्वहन** करने में सहायता करेगा।
  - पर्यवेक्षकों के रुप में **ईरान और अफगानिस्तान की उपस्थिति** भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संगठन के रुप में स्थापित करती है। चीन, रुस एवं पाकिस्तान के साथ यूरेशियाई शक्तियां, अफगानिस्तान के सुरक्षा मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाने हेतु बाध्य हैं। SCO की सदस्यता भारत को निरंतर शांति प्रक्रिया में शामिल रहने में सहायता कर सकती है।

भारत के समावेश से SCO और यूरेशियन क्षेत्र किस प्रकार सहायक होगा?

- भारत का समावेश SCO को यूरेशियाई क्षेत्र की वैश्विक शक्तियों- चीन, भारत और रुस की सदस्यता के साथ **सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक के रुप में स्थापित** करता है।
- लोकतांत्रिक **भारत का समावेश SCO** (जिसे प्रारंभ में चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राजनीतिक रुप से प्रेरित धुरी के रुप में देखा गया है) **को अधिक वैश्विक स्वीकृति प्रदान करेगा।**
- **बहु-सांस्कृतिक समूहों और तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता** की दिशा में कार्य करने का भारत का अनुभव SCO की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा।

SCO में भारत के लिए चुनौतियां

- भारत और पाकिस्तान तथा भारत एवं चीन जैसे सदस्यों के मध्य **विश्वास की कमी** SCO की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रुप से प्रभावित कर सकती है।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** BRI पर भारत की स्थिति अन्य सदस्यों के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि SCO के अन्य सभी देशों ने इस पहल का समर्थन किया है। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) द्वारा BRI परियोजनाओं के लिए धन आबंटित किया जा रहा है। भारत इन बैंकों का एक सक्रिय सदस्य है। यह एक संभावित गतिरोध का विषय हो सकता है।
- **वैश्विक भू-राजनीति:** रुस और चीन के मध्य आपसी निकटता तथा अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना हेतु भारत के प्रयास वस्तुतः SCO को प्रतिस्पर्धी भू-राजनीति के प्रति सुभेद्य बनाती है। उदाहरण के लिए,
  - SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त और भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार राष्ट्र **ईरान**, अमेरिका के साथ संघर्ष की स्थिति में है। इस कारण अमेरिकी प्रतिबंधों ने **भारत को ईरान से तेल नहीं खरीदने के लिए बाध्य** कर दिया है।
  - सीरिया के मुद्दे पर भारत की स्थिति अमेरिका और इसके क्षेत्रीय सहयोगियों (जैसे- सऊदी अरब एवं इज़राइल) से भिन्न है। इसने वर्तमान संघर्ष के दौरान **मौजूदा शासन का समर्थन** किया है तथा **पुनर्निर्माण प्रक्रिया में और अधिक भागीदारी** हेतु सहमति व्यक्त की है।
- **आतंकवाद की परिभाषा:** भारत की आतंकवाद की परिभाषा RATS के तहत SCO की परिभाषा से भिन्न है। SCO के अनुसार, आतंकवाद शासन को अस्थिर करने से संबंधित है; जबकि भारत के लिए आतंकवाद राज्य द्वारा प्रायोजित सीमापारीय आतंकवाद से संबंधित है।
  - SCO द्वारा जिन आतंकी समूहों को लक्षित किया गया है उनमें ईस्ट-तुर्केस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) और अल-कायदा शामिल हैं, जबकि भारत में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद तथा हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूह SCO की आतंकवाद विरोधी संरचना के दायरे में शामिल नहीं हैं।
- **मौजूदा आर्थिक फुटप्रिंट का सीमित होना:** वर्ष 2017 में भारत का द्विपक्षीय व्यापार मध्य एशिया के साथ 2 बिलियन डॉलर और रुस के साथ 10 बिलियन डॉलर का था। इसके विपरीत, वर्ष 2018 में चीन का द्विपक्षीय व्यापार रुस के साथ 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक और मध्य एशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है।
- **अन्य क्षेत्रीय संगठन:** अन्य क्षेत्रीय संगठनों, जैसे- यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU), बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CSTO), कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (CICA) आदि का प्रसार भी SCO के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

एक सफल क्षेत्रीय फोरम के रुप में SCO की सफलता इसके अपने सदस्यों के मध्य और उनके संबंधित भू-राजनीतिक परिवेश में द्विपक्षीय मतभेदों का समाधान करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

- इस स्थिति में, भारत को अपनी स्वयं की स्थिति में सुधार करने और यूरेशियाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है। INSTC के संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ चाबहार बंदरगाह को खोलने तथा अश्गाबात समझौते में सम्मिलित होने का उपयोग यूरेशिया में अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
- SCO के सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, भारत की 'संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता' के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं का चीन द्वारा संतोषप्रद रुप से समाधान किया जाना चाहिए।
- आतंकवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर सर्वसम्मति निर्मित की जानी चाहिए तथा SCO क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख आतंकवादी समूहों की उपस्थिति के मूल्यांकन एवं उनकी पहचान करने का कार्य RATS-SCO को सौंपा जाना चाहिए।

10.5. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

(Belt and Road Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मई 2017 में प्रथम फोरम के आयोजन के दो वर्ष पश्चात् हाल ही में द्वितीय **बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF)** का बीजिंग में आयोजन किया गया।

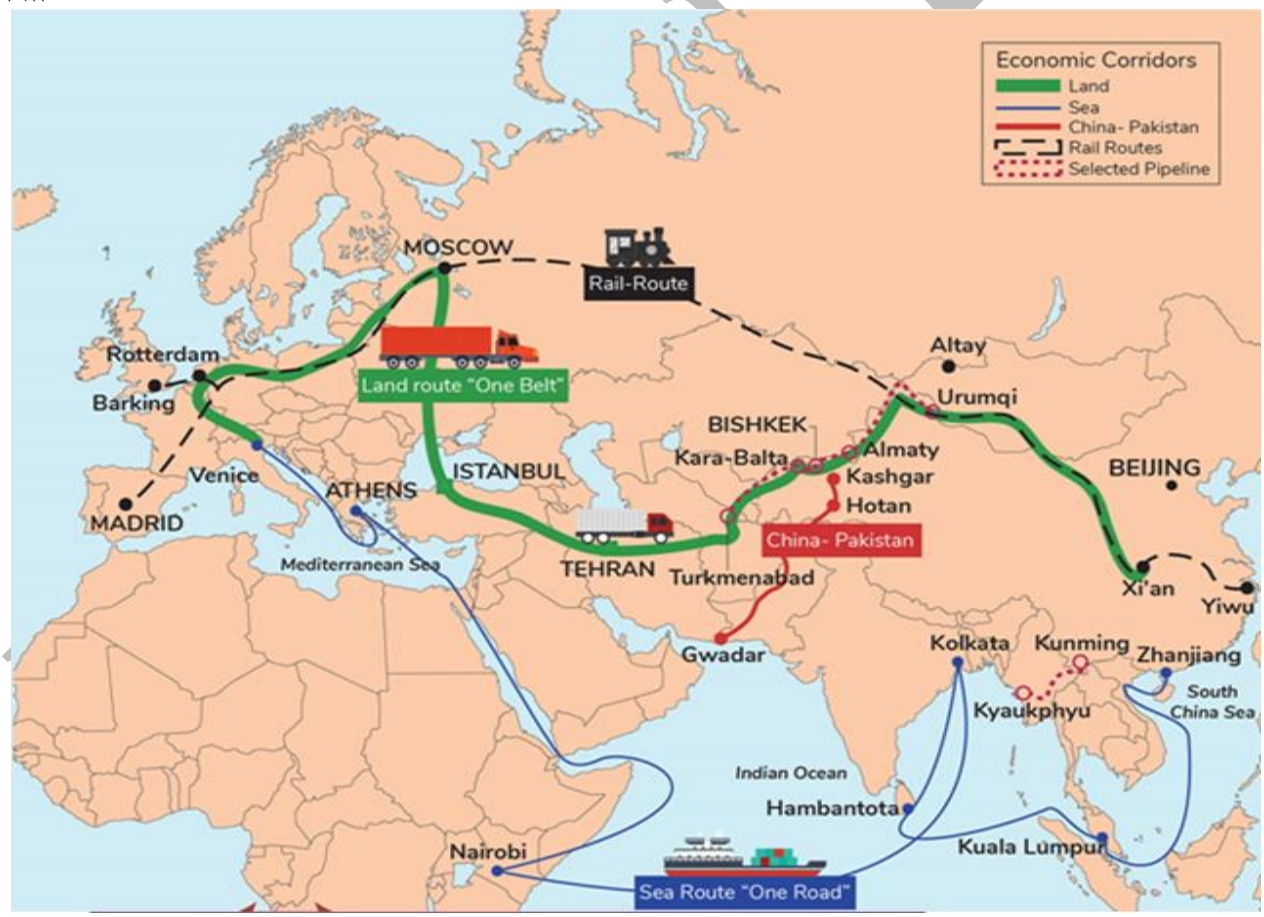

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2013 में घोषित BRI वस्तुतः **"बेल्ट"** (स्थल मार्गों के लिए) और **"रोड"** (समुद्री मार्गों के लिए) से मिलकर बना है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है।
- **'बेल्ट'** शब्द **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट** को संदर्भित करता है जिसमें स्थल मार्गों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य चीन, मध्य एशिया, रूस और यूरोप को परस्पर जोड़ना है।

- **'रोड'** शब्द **21 वीं सदी के समुद्री रेशम मार्ग** को संदर्भित करता है। इसे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के माध्यम से चीन से यूरोप तक व्यापार करने के लिए तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को सुगमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

BRI का महत्व

- वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में, BRI चीन को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु विकास का एक नया मॉडल प्रदान करता है। वन बेल्ट वन रोड (OBOR) चीनी अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करने वाले क्षेत्रों, जैसे- **सड़क, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों, विद्युत ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइनों एवं संबद्ध अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के नेटवर्क के निर्माण से सम्बंधित है।**
- **BRI के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं:** इसमें पश्चिम के विकसित बाजारों से एशिया, अफ्रीका की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर विस्थापन तथा साथ ही चीन की विकास रणनीति (जो विकसित पूर्वी तट क्षेत्र के बजाय मध्य और पश्चिमी चीन के प्रांतों पर केंद्रित हो रही है) में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।
- **BRI रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण** है, क्योंकि चीन सॉफ्ट पावर के रूप में स्वयं को स्थापित करने हेतु अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है।

आलोचना और BRI से संबंधित मुद्दे

- BRI परियोजनाओं द्वारा कौशल या प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित नहीं किया जाता है, साथ ही ये प्राप्तकर्ता देशों को ऋणग्रस्तता की ओर अग्रसरित करते हुए चीन की **ऋण-जाल कूटनीति** को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, **हंबनटोटा बंदरगाह के विकास संबंधी परियोजना**, जिसके तहत श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए बंदरगाह, चीन को पट्टे पर देने हेतु बाध्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, मलेशिया, मालदीव, इथियोपिया और यहां तक कि पाकिस्तान में संचालित परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु द्वितीय बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF) का महत्व

- यह चीन द्वारा **BRI के धीमी प्रगति संबंधी मुद्दों एवं चुनौतियों के समाधान** के संदर्भ में किए जाने वाले पुनः समीक्षा संबंधी प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा न केवल इस पहल के तहत की गई प्रगति का उल्लेख किया गया, बल्कि BRI से संबंधित कुछ चिंताओं को भी संबोधित किया गया, जिसमें **विशिष्टता, स्थिरता और मानक** शामिल हैं।
- यह नई पहलों (चीनी वित्त मंत्रालय के **नए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क**) के प्रारंभ के साथ संबंधित चिंताओं का समाधान करने हेतु चीन के प्रयासों को दर्शाता है।
- हालांकि, भारत ने क्षेत्रीय संप्रभुता और अन्य कारणों के आलोक में दोनों BRFs का बहिष्कार किया है।

- **BRI चीन की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।** हालांकि, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों पर चीन के कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों के विषय में असंतोष व्यक्त किया गया है।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)**, BRI का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत द्वारा BRI पर अपने असंतोष को प्रकट करने और दोनों BRFs में भाग नहीं लेने का मुख्य कारण है।
- अन्य चिंताओं में शामिल हैं:
  - परिचालन संबंधी समस्याएं।
  - सूचना के संदर्भ में पारदर्शिता का अभाव।
  - क्षेत्रीय सामाजिक संस्कृति के प्रभाव पर इसके मूल्यांकन का अभाव।
  - BRI परियोजनाओं के विभिन्न प्रकारों के दायरे का अतिविस्तार।
  - चीन के अवसंरचनात्मक निर्माण से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी चिंताएँ।

भारत को BRI में क्यों शामिल होना चाहिए?

- **एशियाई युग में मुख्य भागीदार के रूप में भारत: 21वीं शताब्दी की परियोजना के रूप में परिकल्पित** BRI वस्तुतः उस पुरानी व्यवस्था के राजनीतिक अंत को इंगित करता है जिसमें G-7 राष्ट्रों ने अपने आर्थिक एजेंडे को आकार प्रदान किया था। BRI में विश्व की आधी जनसंख्या को कवर करने वाले 126 देश और 29 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं तथा इसमें शामिल न होने के कारण **भारत इस नई आर्थिक व्यवस्था में लाभ प्राप्त करने से वंचित हो सकता है।**

VISION IAS

- **वैश्विक आर्थिक नियमों को निर्धारित करना:** BRI द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDGs के अनुरूप बहुपक्षवाद के मानकों को विकसित किया जा रहा है। **IMF** ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए **"अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता"** के रूप में वर्णित किया है। साथ ही यह वित्तीय स्थिरता और क्षमता निर्माण से संबंधित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को साझा करने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें शामिल होकर भारत नए आर्थिक वैश्विक नियमों के निर्माण में सहभागिता कर सकता है।
- **भारतीय चिंताओं की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच:** G-7 का एक सदस्य **इटली** भी BRI में शामिल है और जापान द्वारा परियोजना पर मतभेद के बावजूद विशेष प्रतिनिधियों को भेजा गया है। **BRF में शामिल होकर भारत भी संबंधित चुनौतियों की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है।**
- भारत को परियोजना की आलोचना करने के बजाय **समस्याओं के विकल्प और समाधान उपलब्ध कराने चाहिए।** भारत को अपने कार्यान्वयन संबंधी प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए ताकि अन्य देशों को एक व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

भारत द्वारा BRI का बहिष्कार किए जाने के क्या कारण हैं?

- **CPEC भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है,** क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो भारत का क्षेत्र है। कोई भी देश एक ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता, जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबद्ध प्रमुख चिंताओं की उपेक्षा करती है।
- भारत द्वारा **दीर्घकालिक ऋण जाल**, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और परियोजना लागतों के मूल्यांकन में पारदर्शिता एवं स्थानीय समुदायों द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक संचालन तथा रखरखाव में सहायता प्रदान करने के लिए कौशल व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी चिंताओं को भी व्यक्त किया गया है।
- **भारत एक विशाल** देश है, अतः इसे इस नवनिर्मित व्यवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता है और साथ ही भारत का निरंतर विरोध चीन को इन प्रमुख चिंताओं पर विचार करने के लिए विवश करेगा।

आगे की राह

- भारत द्वारा चीन को अपनी क्षेत्रीय चिंताओं के संदर्भ में सुदृढ़ता के साथ अवगत कराया जाना चाहिए और **भारत की संप्रभुता को मान्यता देते हुए उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।**
- भारत द्वारा इसके पश्चिमी और पूर्वी भागों में संचालित दो BRI गलियारों को आसियान और सार्क क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी योजनाओं के साथ संबद्ध करके इन्हें **दक्षिण एशियाई स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।**
- भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे **समान विचारधारा वाले देशों** के साथ सहयोग के द्वारा BRI का विकल्प प्रदान कर सकता है, उदाहरण- एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि।

10.6. विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधी सुधार (WHO Reforms)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अपने संगठन के **आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण** हेतु व्यापक सुधारों की घोषणा की गई। WHO द्वारा अपने **ट्रिपल बिलियन टारगेट (triple billion targets)** को प्राप्त करने के उद्देश्य से **सात सूत्री एजेंडा** प्रस्तुत किया गया है।

WHO के बारे में

- WHO, अंतर्राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक **विशेषीकृत एजेंसी** है। इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय **जेनेवा**, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है।
- WHO, **संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (UNDG)** का एक सदस्य है।
- **194 देश** WHO के **सदस्य हैं**: संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश {कुक आइलैंड्स एवं नीयू (Niue) को छोड़कर}।
- **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA),** WHO का विधायी और सर्वोच्च अंग है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और यह WHO के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करता है। इसके द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों में महानिदेशक की नियुक्ति भी की जाती है।
- WHO को सदस्य राष्ट्रों और बाहरी दानदाताओं के **योगदानों से वित्तपोषित** किया जाता है।
- WHO **प्रतिरक्षण पर विस्तारित कार्यक्रम** के माध्यम से सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों, औषधीय नैदानिकी और दवाओं के विकास एवं वितरण का समर्थन करता है।

VISION IAS

WHO की प्रासंगिकता

- विश्व स्वास्थ्य संबंधी पहलों को नेतृत्व प्रदान करने में;
- शोध एजेंडे को दिशा-निर्देशित करने में;
- विश्व स्वास्थ्य से संबंधित मानक निर्धारित करने में;
- साक्ष्य आधारित और नैतिक नीति को समर्थन प्रदान करने में; तथा
- स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियों और चिंताओं पर निरंतर निगरानी रखने और उनका आंकलन करने में।

सुधारों की आवश्यकता

- **मौजूदा और प्रत्याशित वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थ:** उदाहरण के लिए, 2014 के इबोला प्रकोप के प्रति दोषपूर्ण प्रतिक्रिया।
- **एजेंसी के अधिदेश (मैंडेट) और क्षमताओं के मध्य व्यापक अंतर:** स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि WHO में पूर्ण आपातकालीन लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को संचालित करने की क्षमता का अभाव है। WHO को अपनी संरचना और कार्यों का एक सम्पूर्ण व्यवस्थित निरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षमता का निर्माण किया जा सके।
- **दानदाताओं पर निर्भरता:** WHO का इसके बजट के केवल 30 प्रतिशत भाग पर ही नियंत्रण है। इसलिए इस संगठन के अधिकांश एजेंडे दानकर्ताओं की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होते हैं। यह निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसे सभी देशों की आवश्यकताओं को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए।
- **कर्मचारियों के कौशल में संतुलन की कमी:** WHO के लगभग आधे कर्मचारी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं जबकि केवल 1.6% सामाजिक वैज्ञानिक और केवल 1.4% अधिवक्ता हैं। यद्यपि चिकित्सा विशेषज्ञ तकनीकी विशेषज्ञता के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को समझने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करने और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नियम एवं सिद्धांतों का निर्माण करने जैसे कुछ प्रमुख कार्य करने के लिए अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।
- **नए वैश्विक संस्थानों का उद्भव:** ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, GAVI एलायंस और यूनिटऐड (Unitaid) आदि जैसे नए वैश्विक संस्थानों ने वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO के नेतृत्व को चुनौती दी है।

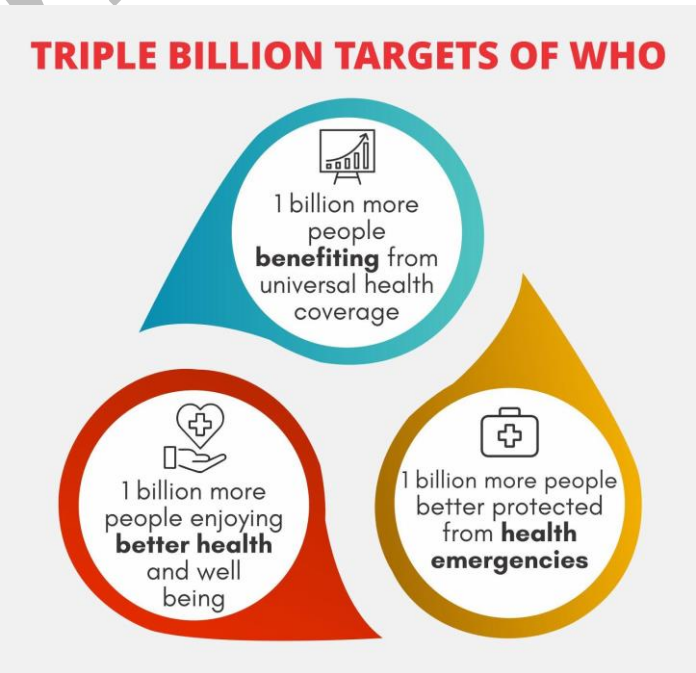

WHO संबंधी सुधार के सात सूत्री एजेंडे में अंतर्निहित हैं:

- **WHO की प्रक्रियाओं और संरचनाओं को "ट्रिपल बिलियन" लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना:** इसके मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न देशों में स्थित कार्यालयों की गतिविधियों को संरेखित करने एवं दोहराव तथा विखंडन को समाप्त करने के लिए एक नई संरचना और संचालन मॉडल को अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार का लाभ उठाना: डिजिटल स्वास्थ्य के एक नए विभाग** की सहायता से देशों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अवसरों का आंकलन, एकीकरण, विनियमन करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहयोग करना।
- **WHO को सभी देशों में प्रासंगिक बनाना:** रणनीतिक नीति संवाद में संलग्नता के लिए संगठन की क्षमताओं का निरीक्षण करना।
    - यह कार्य देशों में नीतिगत परिवर्तन को संचालित करने के लिए डेटा संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और उपयोग को उल्लेखनीय रूप से प्रभावी बनाने हेतु **डेटा, एनालिटिक्स और डिलीवरी के एक नए प्रभाग** द्वारा समर्थित होगा।
    - यह प्रभाग "ट्रिपल बिलियन" लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करके और बाधाओं व समाधानों की पहचान करके सुदृढ़ता से WHO की पहलों को संचालित करेगा।

VISION IAS

- **नई पहलों के माध्यम से एक गतिशील और विविधतापूर्ण कार्यबल के निर्माण हेतु निवेश करना:** इसमें सम्मिलित हैं - WHO एकेडेमी, नियुक्ति के समय को आधा करने हेतु सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया, प्रबंधन प्रशिक्षण आदि।
- **विभिन्न स्वास्थ्य प्रकोपों और अन्य स्वास्थ्य संकटों के प्रभाव को रोकने तथा कम करने में देशों का सहयोग करने हेतु WHO के कार्यों को सुदृढ़ता प्रदान करना:** आपातकालीन प्रतिक्रिया पर WHO की मौजूदा कार्यप्रणाली के एक पूरक के रूप में **आपातकालीन तत्परता के एक नए प्रभाग का गठन कर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है।**
- **रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित संसाधन संग्रहण के लिए एक कॉर्पोरेट दृष्टिकोण को पुनः लागू करना।** इसके अतिरिक्त, WHO के वित्तपोषण आधार को विविधता प्रदान करने, केवल कुछ बड़े दानदाताओं पर इसकी निर्भरता को कम करने और इसकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए वित्त संग्रहण की नई पहलों को प्रोत्साहित करना।

इन सुधारों का महत्व

- पश्चिम अफ्रीका में उत्पन्न इबोला के प्रकोप जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु **WHO कर्मचारी स्थानीय मुद्दों के प्रति अधिक सतर्क हो सकेंगे।** उल्लेखनीय है कि यह स्थिति जेनेवा स्थित इसके मुख्यालय और अफ्रीका में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विभिन्न देशों में स्थित कार्यालयों के मध्य निम्न स्तरीय संचार एवं संबंध के कारण **"अप्रभावी कार्यान्वयन"** के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।
- **इससे WHO की तकनीकी क्षमताओं और कुशलताओं में वृद्धि होगी:** विज्ञान, प्रतिजैविक प्रतिरोध और डिजिटल स्वास्थ्य पर केंद्रित नए विभागों का सृजन भी WHO की विशेषज्ञता की सीमा को व्यापक करेगा तथा नवीनतम लोक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और अवसरों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।
- **इससे WHO के अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी:** उल्लेखनीय है कि अभी तक WHO सभी कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न करने में सक्षम नहीं है और यह प्रायः अपना एजेंडा निर्धारित नहीं कर पाता है। इसके स्थान पर यह परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करने वाली भूमिका का अधिक निर्वहन करता रहा है। यह सदस्य राज्यों को धन के व्यय संबंधी स्पष्ट जानकारी प्रदान कर उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।

आगे की राह

- **अन्य वैश्विक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता:** इन सुधारों के तहत संगठन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के संबंध में स्पष्ट रूपरेखा प्रदान नहीं की गयी है।
- **अधिक संसाधनों के संग्रहण की आवश्यकता:** WHO का वर्तमान द्विवार्षिक बजट 4.42 बिलियन डॉलर है, जिसमें दानदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है, परिणामतः इस पर दानदाताओं की प्राथमिकताएं हावी रहती हैं। इसके कारण इसके बजट पर संगठन का नियंत्रण सीमित हो जाता है।

10.7. आर्कटिक काउंसिल

(Arctic Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को आर्कटिक काउंसिल के पर्यवेक्षक सदस्य (प्रथम बार 2013 में) के रूप में पुनःनिर्वाचित किया गया है।

आर्कटिक काउंसिल के बारे में

- इसकी स्थापना **आठ आर्कटिक राष्ट्रों,** यथा- कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड एवं फरो द्वीपसमूह सहित), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष **1996** के **ओटावा घोषणा-पत्र** के माध्यम से की गई थी।
- यह कोई **औपचारिक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय विधिक इकाई नहीं है,** और न ही संसाधनों का आबंटन करती है।
- **आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह संगठनों** को भी परिषद में स्थायी प्रतिभागियों का दर्जा प्रदान किया गया है।
- यह एक प्रमुख अंतरसरकारी मंचों में से एक है, जिसका उद्देश्य **वैज्ञानिक अनुसंधान** तथा क्षेत्र में **संसाधनों के शांतिपूर्ण एवं सतत उपयोग** सहित आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है।
- सभी निर्णय-निर्माण स्थायी सदस्यों के मध्य **सर्वसम्मति** से लिए जाते हैं।
- यह काउंसिल **आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन को प्रतिबंधित नहीं** करती है।

आर्कटिक क्षेत्र: विशेषताएं एवं मुद्दे

- **संसाधन संपन्न आर्कटिक:**
  - विविध अनुमानों के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में विश्व की 30% अज्ञात प्राकृतिक गैस तथा 13% अज्ञात तेल का भण्डार विद्यमान है।

- हालांकि, **कठोर मौसमी परिस्थितियों तथा जटिल भू-भाग** द्वारा निर्मित प्राकृतिक अवरोधों के कारण संसाधनों का दोहन करना कठिन हो जाता है।
- इसके **अतिरिक्त** क्षेत्र में संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, उदाहरणार्थ: **रूसी क्षेत्र गैस भंडार में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है, जबकि नॉर्वे क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक तेल संसाधन** मौजूद हैं।

- **आर्कटिक को लेकर संघर्ष:** विभिन्न देशों द्वारा इस क्षेत्र में विद्यमान संसाधनों के एक बड़े भाग को लेकर संघर्ष जारी है, जो कि टकराव एवं तनाव में वृद्धि कर सकता है।
  - हाल ही में, चीन ने **आर्कटिक पॉलिसी** पर अपना प्रथम आधिकारिक **व्हाइट पेपर** (श्वेत पत्र) जारी किया है, जिसमें उसने अपने महत्वाकांक्षी **पोलर सिल्क रोड** का उल्लेख किया है।
  - इस क्षेत्र के तटीय राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय दावों से संबंधित विवाद मौजूद हैं, जैसे कि **कनाडा एवं ग्रीनलैंड, रूस और अमेरिका** इत्यादि के मध्य ।
- **पर्यावरणीय खतरे:** निष्कर्षण गतिविधियों के खतरे के कारण आर्कटिक के पारिस्थितिकी तंत्र पर ऑयल स्पिल (तेल का फैलाव) **(उदाहरणार्थ: 1989 में अलास्का के निकट सागर में घटित एक्सन वाल्डेज ऑयल स्पिल)** जैसे नकारात्मक परिणामों में वृद्धि होती है। यह तथाकथित **'आर्कटिक-पैराडॉक्स'** का निर्माण करेगा। चूंकि जलवायु परिवर्तन (अर्थात् हिम के पिघलने) के कारण अवरुद्ध मार्ग खुल रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम अब तक अगम्य (पहुँच से बाहर) रहे गैर-नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप ये गतिविधियां आगे चलकर **वैश्विक तापन** में अपना योगदान देंगी।
- **आर्कटिक कोई ग्लोबल कॉमन नहीं है:** 1959 की अंटार्कटिक संधि के विपरीत आर्कटिक क्षेत्र हेतु इस बात को लेकर कोई व्यापक दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है कि किस प्रकार हितधारक आर्कटिक के संसाधनों में स्वयं को संलग्न कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष **1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी** अंटार्कटिक के उपयोग को केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु सीमित करती है और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। इस प्रकार यह विशेषता **अंटार्कटिक को एक ग्लोबल कॉमन बनाती है।**
- **हिम पिघलने के कारण नौवहन में सुगमता के परिणामस्वरूप शिपिंग हेतु नए मार्गों का विकास:** संभावित विवादों का अन्य क्षेत्र, आर्कटिक हिम (बर्फ) के पिघलने के कारण **खुले नए शिपिंग मार्गों** (कनाडा, अमेरिका, रूस के माध्यम से) से संबंधित है। निम्नलिखित कारकों के माध्यम से व्यापक आर्थिक प्रतिफल (देशों के लिए लाभ) प्राप्त होंगे:
  - यात्रा की समयावधि में कमी (यूरोप एवं पूर्वी एशिया के मध्य दूरी में 40 प्रतिशत की कटौती)।
  - लागत में कमी।
  - समुद्री डकैती (पायरेसी) एवं आतंकवाद से मुक्त-क्षेत्र, अतः इस प्रकार पारंपरिक समुद्री मार्गों से अधिक सुरक्षित।
  - कुछ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक **कोयला और LNG सहित 60 मिलियन टन से अधिक ऊर्जा संसाधनों का उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से परिवहन किया जाएगा।**

आर्कटिक में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं निवेश के संदर्भ में भारत के जारी प्रयास

- एक आधिकारिक आर्कटिक नीति की अनुपस्थिति में, भारत के आर्कटिक अनुसंधान संबंधी उद्देश्य **पारिस्थितिक और पर्यावरणीय पहलुओं** पर केंद्रित हैं, जिनका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करना है। हालांकि, हाल ही में इसे रणनीतिक महत्व भी प्राप्त हो गया है।
- आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - आर्कटिक ग्लेशियर और आर्कटिक महासागर से तलछट एवं हिम संबंधी कोर रिकॉर्ड का विश्लेषण करके **आर्कटिक जलवायु तथा भारतीय मानसून** के मध्य परिकल्पित टेली-कनेक्शन का अध्ययन करना।
  - उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में वैश्विक तापन के प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए **आर्कटिक में समुद्री हिम को चिन्हित** करना।
  - **आर्कटिक ग्लेशियरों की गतिशीलता एवं विशाल खण्डों** पर शोध करके समुद्र-स्तर परिवर्तन पर ग्लेशियरों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस क्षेत्र में **हिमाद्री** नामक भारत के एकमात्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी।
- वर्ष 2018 में नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च का नाम परिवर्तित कर **नेशनल सेंटर फ़ॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च (NCPOR)** कर दिया गया।
- **नोर्वेजियन प्रोग्राम फॉर रिसर्च कोऑपरेशन विद इंडिया (INDNOR):** यह भारत एवं नॉर्वे के मध्य द्विपक्षीय अनुसंधान सहयोग है।
- **NCPOR ने आइसब्रेकर पोत तक पहुंच स्थापित करने हेतु FESCO ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है,** जिसका उपयोग अंटार्कटिक स्टेशनों में सामान्य कार्गो की डिलीवरी तथा आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियों, दोनों के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत के पास ध्रुवीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त पोत का अभाव है।

VISION IAS

- **आर्थिक प्रयास:**
  - ऊर्जा क्षेत्र में, भारत और रूस की शीर्ष तेल एवं गैस कंपनियों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा साझा उत्पादन परियोजनाओं और अपतटीय अन्वेषण हेतु एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।
  - **भारत की ONGC (Videsh)** के पास रूस की वैनकोर्नेफ्ट परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भावी भूमिका एवं योगदान

- **अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों में संलग्नता:** यह विभिन्न **व्यवसायों एवं निजी पक्षकारों** को विभिन्न अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी करेगा।
- **सतत विकास तथा संवर्धित सहयोग:** भारत को सुविधाओं और विशेषज्ञता के साझाकरण हेतु इन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए, इससे भारत के अनुभव में वृद्धि होगी। उदाहरणार्थ: हिमालय में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग करने से दोनों देशों हेतु लाभदायक (win-win) स्थिति उत्पन्न होगी तथा भारत की सकारात्मक धारणा को बढ़ावा मिलेगा।
- **भारत के प्रभुत्व में वृद्धि करने हेतु एक प्लेटफॉर्म:** भारत सापेक्षिक रूप से विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स में अनुपस्थित है, जबकि अन्य पर्यवेक्षक सदस्य इनमें सक्रियता के साथ संलग्न हैं। यह स्थिति आर्कटिक क्षेत्र के अभिशासन में भारत की अल्पदोहित संभावनाओं को प्रदर्शित करती हैं।
- **स्रोतों में विविधता लाने हेतु सहयोग:** चूँकि भारत में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है, अतः देशों के साथ सहयोग कर आर्कटिक क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की खरीद या **मीथेन हाइड्रेट्स** जैसे नए संसाधनों की खरीद से देश के ऊर्जा आयात में विविधता लाई जा सकेगी।

10.8. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी

(G-20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **G-20 के 14वें शिखर सम्मेलन** का आयोजन **जापान** के **ओसाका** शहर में हुआ।

पृष्ठभूमि

- प्रतिवर्ष वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- ओसाका में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन (2019) में वैश्विक सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण **आठ विषयों** पर चर्चा की गई। ये आठ विषय अग्रलिखित हैं: **वैश्विक अर्थव्यवस्था; व्यापार और निवेश; नवाचार; पर्यावरण और ऊर्जा; रोजगार; महिला सशक्तीकरण; विकास एवं स्वास्थ्य।**

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20)

- यह 19 राष्ट्रों एवं यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** है।
- **प्रथम G-20 शिखर सम्मेलन** दिसंबर 1999 में बर्लिन में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी और कनाडा के वित्त मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- **वित्तीय स्थिरता से संबंधित नीतियों पर चर्चा** करने के लिए **वर्ष 1999** में इसका गठन किया गया था।
- वर्ष 2008 के उपरांत इसके एजेंडे को विस्तारित कर, सरकार प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों के साथ-साथ वित्त और विदेश मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

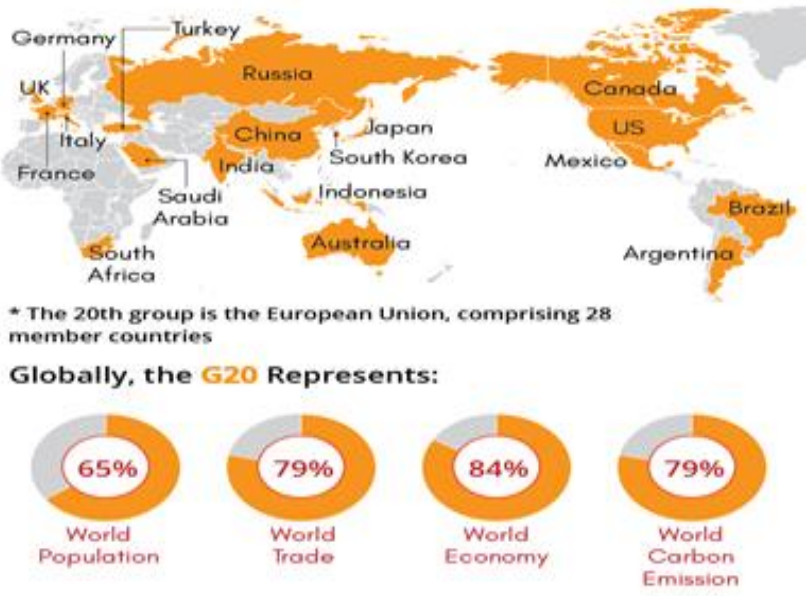

- इस प्रकार, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख औद्योगिक और विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है।

VISION IAS

- **भारत द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार G-20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी।**

G-20 शिखर सम्मेलन में भारत के पक्ष में महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** भारत ने वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर आरोपित करने के लिए **"महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" (significant economic presence)** की अवधारणा को अपनाने के पक्ष में सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत किए हैं।
  - भारत में उपस्थित **गैर-निवासियों या वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने हेतु** भारत ने इस अवधारणा को आयकर अधिनियम में शामिल किया है।
- **ओसाका ट्रैक का बहिष्कार:** भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने **"डिजिटल अर्थव्यवस्था"** से संबद्ध **"ओसाका ट्रैक"** का बहिष्कार किया है। ज्ञातव्य है कि **ओसाका ट्रैक** वैश्विक व्यापार वार्ता के संबंध में सर्वसम्मति-आधारित निर्णयन के "बहुपक्षीय" सिद्धांतों के महत्व को क्षीण करता है। साथ ही यह विकासशील देशों में डिजिटल-औद्योगिकीकरण के लिए "पॉलिसी स्पेस" (अर्थात् राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप मिश्रित नीति निर्माण) की उपेक्षा भी करता है।
  - इस पहल की शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई है। इसमें **डेटा स्थानीयकरण पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया गया है।** साथ ही, इसमें राष्ट्रों से डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि से संबंधित नियमों पर वार्ता आरंभ करने का भी आग्रह किया गया है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इसका समर्थन किया है।
- भारत ने **भगोड़े आर्थिक अपराधियों** से निपटने, **विश्व व्यापार संगठन** में सुधार की आवश्यकता और **वैश्विक चालू खाता असंतुलन** पर निगरानी रखने का समर्थन किया है।

G-20 की प्रासंगिकता

- **विभिन्न देशों की नीतियों पर प्रभाव:** यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को पारस्परिक रुप से सहायक तरीकों के माध्यम से संवृद्धि को तीव्र करने की स्वीकृति प्रदान करता है। साथ ही, यह घरेलू नीतियों को G-20 की मंत्रीस्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के साथ संरेखित करने की अनुमति भी प्रदान करता है।
  - **उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर मंच:** विकासशील राष्ट्रों को उनकी संरचनात्मक घरेलू समस्याओं (यथा- मंद होती औद्योगिक उत्पादकता, रोजगार सृजन और निर्यात की कीमतों का कम होना) के समाधान के लिए अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय देशों के साथ अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह **भारत, चीन, ब्राजील या तुर्की जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर मंच** प्रदान करता है।
- **वैश्विक वित्तीय अभिशासन को सुदृढ़ करने में सहायक:** "टू बिग टू फेल" समस्या के संदर्भ में कठोर नियमों के निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि और शैडो बैंकिंग सिस्टम पर व्यापक सूचनाएं एकत्रित कर यह मंच वैश्विक वित्तीय अभिशासन को सुदृढ़ करने में सहायता करता है।
- **राष्ट्रों के मध्य रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सहायक:** यह JAI (जापान-अमेरिका-भारत), RIC (रुस-भारत-चीन) जैसी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। इससे एक ही मंच पर विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी हितों के निवारण में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

प्रमुख आर्थिक शक्तियों के मध्य व्यापार तनाव में वृद्धि और वैश्विक संवृद्धि दर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, G-20 राष्ट्रों द्वारा **वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा फ्रेमवर्क** की स्थापना की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

10.9. इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक (OIC Meet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद (CFM) के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

पृष्ठभूमि

- भारत को 1969 (अर्थात् 50 वर्ष पूर्व) में मोरक्को में आयोजित OIC के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था; परन्तु पाकिस्तान द्वारा आपत्ति व्यक्त करने के कारण आमंत्रण को वापस लेना पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सम्मेलन में भाग लिए बिना ही स्वदेश वापस लौटना पड़ा। इसे भारतीय कूटनीति की एक बड़ी असफलता माना गया था।
- वर्ष 2002 में आयोजित OIC की विदेश मंत्रियों की बैठक में क़तर द्वारा भारत को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु पाकिस्तान द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस प्रस्ताव को भी निरस्त कर दिया गया।

- वर्ष 2018 में, तुर्की सहित बांग्लादेश ने इस्लामी सहयोग संगठन के चार्टर में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि भारत जैसे गैर-मुस्लिम देशों को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में संगठन में शामिल किया जा सके।
- इस आमंत्रण को कूटनीति के स्तर पर भारत की जीत, जबकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी असफलता माना जाता है। यह पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों में हालिया सुदृढ़ीकरण को परिलक्षित करता है।

OIC में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **पाकिस्तान की उपस्थिति:** इस संगठन में भारत के प्रवेश को लेकर पाकिस्तान द्वारा सदैव आपत्ति व्यक्त की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के इच्छुक देश को OIC सदस्य राज्य के साथ किसी भी विवाद में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- **OIC का जम्मू एवं कश्मीर के प्रति रुख:** सामान्यतः यह जम्मू एवं कश्मीर पर पाकिस्तान की चिंताओं का समर्थन करता रहा है। इस संबंध में, OIC द्वारा राज्य में कथित अत्याचारों तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करते हुए वक्तव्य जारी किए गए हैं।
- **इज़राइल के प्रति रुख:** OIC इज़राइल द्वारा उठाए गए स्वेच्छाचारी कदम की निंदा करता है, जो **टू-स्टेट सोल्यूशन** को प्राप्त करने तथा शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को हतोत्साहित करता है। हालांकि परंपरागत रूप से, भारत टू-स्टेट सोल्यूशन का समर्थक रहा है, अतः इज़राइल के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के पश्चात् **दूसरा सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी और इसके अंतर्गत **चार महाद्वीपों** में अवस्थित 57 सदस्य-देश शामिल हैं।
- यह संगठन मुस्लिम जगत के सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रशासनिक **मुख्यालय जेद्दा,** सऊदी अरब में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ में इसके स्थायी प्रतिनिधिमंडल विद्यमान हैं।
- यह विश्व के विभिन्न लोगों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा तथा संरक्षण का प्रयास करता है।

OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद (CFM) का 46वां सत्र

- **सम्मेलन की थीम:** "50 इयर्स ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन: द रोडमैप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट"।
- सत्र के दौरान **"अबू धाबी घोषणा-पत्र"** को अंगीकृत किया गया।

अबू धाबी घोषणा-पत्र

- इसे **"डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन फ्रेटरनिटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर"** नाम से जारी किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के मध्य सुदृढ़ संबंधों को बढ़ावा देना और सह-अस्तित्व की भावना में वृद्धि करना तथा उग्रवाद एवं इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने का प्रयास करना है।
- OIC ने अपने इस घोषणा-पत्र में कश्मीर के मुद्दे को शामिल करने हेतु पाकिस्तान की मांगों को अस्वीकार कर दिया है।

OIC की सदस्यता हेतु भारत के पक्ष में तर्क

- **दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति:** हालांकि भारत न तो मुस्लिम जगत का भाग है और न ही सांख्यिकीय दृष्टि से एक मुस्लिम बहुल राज्य है, परंतु भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम संप्रदाय निवास करता है। उल्लेखनीय रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या की मौजूदगी के कारण थाईलैंड एवं रूस जैसे देशों को भी संगठन में पर्यवेक्षक सदस्यों का दर्जा प्रदान किया गया है।
- **पश्चिम एशियाई डायस्पोरा:** पश्चिम एशिया में लगभग आठ मिलियन भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **सामरिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग:** भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या होने के अतिरिक्त भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा गैस एवं तेल जैसे हाइड्रोकार्बन के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। पश्चिम एशिया और भारत की आर्थिक व ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती परस्पर निर्भरता के कारण, पश्चिम एशिया द्वारा भारत की उपेक्षा करना कठिन है।
- **पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित करना:** इस्लामी जगत के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंध, पाकिस्तान को अपने हितों की पूर्ति हेतु OIC के सचिवालय एवं फोरम का उपयोग करने के मार्ग को अवरोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

- भारत के पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु, अन्य मुस्लिम-अल्पसंख्यक देशों (जो OIC सदस्य बन चुके हैं) के समान ही विशेष **रियायत** प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, **भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संबंधों की वर्तमान स्थिति** और घरेलू स्तर पर लोकमत के प्रबंधन की संवेदनशीलता को देखते हुए, OIC के सदस्यों द्वारा **भारत को पूर्ण सदस्यता प्रदान करने की संभावना नहीं है।**
- दूसरी ओर, पर्यवेक्षक के **दर्जे के तहत मत देने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है** तथा भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होने पर भी, पाकिस्तान OIC में जम्मू-कश्मीर संबंधी विवाद को उठाते हुए भारत के लिए बाधा उत्पन्न करता रहेगा। इसलिए, उपर्युक्त परिस्थितियों में, भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प यह होगा कि वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु **OIC के प्रत्येक सदस्य के साथ निरंतर कार्य करना** चाहिए तथा साथ ही OIC रैंक के भीतर **पाकिस्तान के उद्देश्यों को निष्फल बनाने हेतु** कार्य करना चाहिए।

10.10. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

(International Criminal Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मलेशिया ने रोम संविधि से संबद्ध इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय आपराध न्यायालय (International Criminal Court) का 123वां सदस्य देश बन गया है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

- यह संधि-आधारित प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसमें जनसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमकता के अपराधों जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की अधिकारिता (क्षेत्राधिकार) अंतर्निहित हैं।
- इसे 2002 में स्थापित किया गया था और 1998 में अंगीकृत रोम संविधि द्वारा शासित किया जाता है।
- इसे उन राष्ट्रों पर प्रादेशिक अधिकारिता प्राप्त है जो रोम संविधि के पक्षकार हैं या न्यायालय की अधिकारिता को स्वीकार करते हैं।
- यह संयुक्त राष्ट्र से पृथक एक **स्वतंत्र न्यायिक निकाय** है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कार्य करता है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) को रिपोर्ट करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा संदर्भित मामलों की सुनवाई करता है।
- यह **हेग, नीदरलैंड** में स्थित है।
- **भारत ICC का सदस्य नहीं है** (भारत द्वारा इस संविधि पर न तो हस्ताक्षर किया गया है और न ही इसकी अभिपुष्टि की गई है)।

ICC की प्रासंगिकता

- यह नृशंसता और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए न्याय और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु **घरेलू विधिक कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए एक उत्प्रेरक निकाय के रूप में कार्य करता है।**
- यह नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की क्षमता के साथ-साथ **अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जब किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं।**
- **इसने बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों** के संबंध में अपराधियों के सजा से बच निकलने की प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने में **विशेष रूप से प्रगति की है।** अब तक के ICC मामलों में लैंगिक अपराधों को अत्यधिक प्रमुखता प्रदान की गई है।
- **इसने पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड की स्थापना करके न्याय और विकास के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास है,** जिसके माध्यम से पीड़ितों और उनके परिवारों को स्थायी आजीविका के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

ICC की आलोचना

- ICC के पास **संदिग्ध अपराधियों की निगरानी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वयं का कोई पुलिस बल उपलब्ध नहीं है।** यह अपराधियों की गिरफ्तारी और हेग में उनके स्थानांतरण के प्रयास के लिए राष्ट्रीय पुलिस सेवाओं पर निर्भर है। **सदस्य देशों द्वारा गिरफ्तारी में सहयोग करने से मना करने पर इसकी क्षमता और कम हो जाती है।**
- **दोषपूर्ण संरचना:** ICC वस्तुतः UNSC के परामर्श पर किसी विषय पर सुनवाई कर सकता है। यह देखते हुए कि **UNSC के पांच स्थायी सदस्यों में से तीन (अमेरिका, चीन और रूस) ICC के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें अन्य देशों से संबंधित मामलों को इस संस्था में सुनवाई हेतु संदर्भित करने की शक्ति प्राप्त है,** जो दोहरे मापदंड को दर्शाता है। साथ ही, **तीनों शक्तियां अपने राष्ट्र से संबंधित एजेंडे के विरोधाभासी किसी अभियोग को वीटो कर सकती हैं,** जो अपराध और अपराधी दोनों को संरक्षण प्रदान करता है।

VISION IAS

- **वित्तीय बाध्यताएं:** हालांकि विगत कुछ वर्षों में न्यायालय के बजट में वृद्धि हुई है, फिर भी यह वृद्धि **इसके कार्यभार में वृद्धि की अपेक्षा कम है, जो इसकी दक्षता को प्रभावित करती है।** विशेष रूप से अमेरिका की अनुपस्थिति, अन्य देशों के लिए न्यायालय के वित्त पोषण को अधिक बोझिल बना देती है।
- **सीमित सदस्यता: आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, संप्रभुता के लिए खतरा और राजनीतिक रूप से प्रेरित या फर्जी अभियोजन जैसी** चिंताओं का उल्लेख करते हुए अमेरिका, रूस, चीन, भारत और अन्य महत्वपूर्ण देश ICC में शामिल नहीं हुए हैं।
- **ICC के नस्लवादी एजेंडे और अफ्रीकी महाद्वीप के विरुद्ध पूर्वाग्रह के कारण अफ्रीकी संघ द्वारा इसकी आलोचना की गई है।** उल्लेखनीय है कि 2002 में इसके संचालन के प्रारंभ होने के पश्चात् से अब तक इसके अभियोजन कार्यालय द्वारा 31 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और उनमें से सभी अफ्रीकी हैं।

निष्कर्ष

न्यायालय को अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए इसे **स्पष्ट मानकों और लक्ष्यों के साथ-साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में क्रूरतम युद्ध अपराधियों के विरुद्ध सफल अभियोग, अभियोजन और दोष सिद्धि की कार्यवाहियों को संचालित करना चाहिए।** इस संबंध में कुछ निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- राज्यों का पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करने हेतु ICC और रोम संविधि के पक्षकारों द्वारा नियम निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि संधि के उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध आदि आरोपित किए जा सकें।
- ICC के प्रत्यक्ष अधीक्षण में एक स्थायी पुलिस बल की स्थापना करना।
- ICC को अधिक समर्थन और शक्ति प्रदान करने हेतु UNSC के स्थायी सदस्यों से हस्ताक्षर कराने और संधि की पुष्टि करने का प्रयास करना, जिससे न्यायालय प्रभावी रूप से कार्य कर सके।
- विश्व के अन्य हिस्सों में युद्ध अपराधियों के अभियोजन को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय पर आरोपित तथाकथित अफ्रीकी महाद्वीप के प्रति पूर्वाग्रह के आक्षेपों को समाप्त किया जा सके।

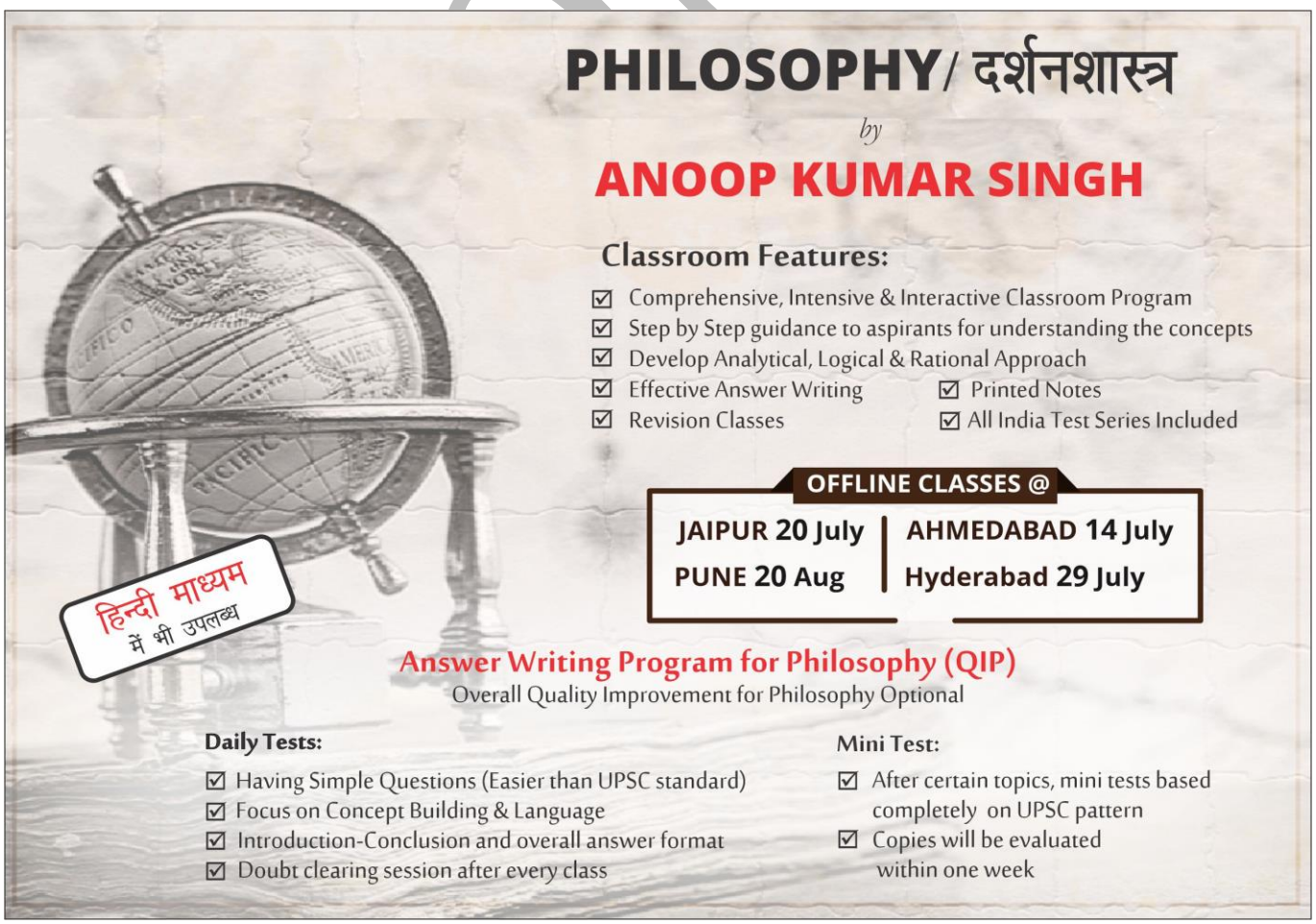

11. विविध (Miscellaneous)

11.1. दक्षिण-दक्षिण सहयोग

(South-South Cooperation)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक "मूल्यवान समर्थक (valued supporter)" रहा है। महासचिव ने **'भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष'** की भी प्रशंसा की है। उल्लेखनीय है कि इस कोष के माध्यम से भारत ने अल्प विकसित, भू-आबद्ध और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को लाभ पंहुचाया है। भारत ने अपनी असंख्य परियोजनाओं के माध्यम से सभी के लिए "व्यापक समृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु" दृष्टिकोण अपनाया है।

2017 में स्थापित **इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड (UNDPF), यूनाइटेड नेशन फण्ड फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन** के तहत एक समर्पित सुविधा है।
यह सुविधा अल्प विकसित देशों एवं छोटे विकासशील द्वीपीय देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व में, मांग-चालित एवं परिवर्तनकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करती है।
यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (UNOSSC) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गयी। **वर्ष 1974 से UNDP** द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। इसे वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आधार पर दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग (दक्षिण-दक्षिण-उत्तरी देशों के मध्य सहयोग एवं साझेदारी) के लिए समर्थन और समन्वय का अधिदेश प्राप्त है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) की पृष्ठभूमि

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) को ग्लोबल साउथ के देशों के मध्य विकासात्मक समाधानों के आदान-प्रदान तथा साझाकरण के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह विकास की एक पद्धति है जो समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दक्षिणी देशों के मध्य ज्ञान, अनुभव, प्रौद्योगिकी, निवेश, सूचना एवं क्षमताओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- SSC का गठन **1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन** (जिसे **बांडुंग सम्मेलन** भी कहा जाता है) में किया गया था।
- यह दक्षिण और उत्तर के मध्य विद्यमान अनिश्चितताओं के लिए सहयोग की बढ़ती आवश्यकताओं सहित विश्व भर में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने हेतु एक समानांतर तंत्र के रूप में विकसित हुआ है।
- हाल के समय में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते सतत आर्थिक विकास ने शक्ति के वैश्विक केंद्र के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही दक्षिणी क्षेत्र उत्तर-दक्षिण सहयोग (NSC) तथा त्रिकोणीय विकास सहयोग (TDC) से परे अपने संबंधों को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है।

SSC का महत्व

- विगत दशक में, उत्तर-दक्षिण व्यापार की तुलना में दक्षिण-दक्षिण व्यापार एवं निवेश अधिक तेज़ी से विकसित हुआ है।
- दक्षिण के निवेशकों के पास प्राय: महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जानकारियां होती हैं, जो उचित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं और कठिन राजनीतिक माहौल में भी व्यावसायिक जोखिम उठाने में तत्पर होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, दक्षिण के देश आधिकारिक विकास सहायता (ODA) का एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में उभरे हैं, अर्थात् उत्तर के देशों पर उनकी निर्भरता में कमी आई है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **कमजोर संस्थागत व्यवस्था और ढांचा:** SSC के समक्ष कमजोर संस्थागत ढांचा एक चुनौती बना हुआ है। कई देशों में SSC हेतु कोई औपचारिक संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है तथा ये समन्वय एवं सामंजस्य संबंधी व्यापक समस्याओं से ग्रसित हैं।
- **परियोजना प्रबंधन हेतु क्षमता का अभाव या अपर्याप्त क्षमता**
- **अत्यधिक विविधता:** विकास के विविध चरणों और विभिन्न मुद्दों को देखते हुए, दक्षिण क्षेत्र लम्बे समय तक संगठित नहीं रह सकता। इस क्षेत्र के संदर्भ में सभी देशों के प्रति एक समान (One size fits all) दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है और इसके स्थान पर राष्ट्र विशिष्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

विगत वर्ष, **दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित IBSA की मंत्रिस्तरीय बैठक में** भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के विदेश मंत्रियों के द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) एवं विकास की समझ को बेहतर बनाने में योगदान हेतु एक घोषणापत्र को स्वीकृत किया गया। यह घोषणा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों एवं आधारों की मांग करती हैं:

- **SSC दक्षिण के लोगों एवं देशों का एक साझा प्रयास है।** यह ग्लोबल साउथ के साझा इतिहास, समझ और मान्यताओं तथा विकास के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **विकासशील भागीदारों के रूप में विकासशील देश:** SSC से संबद्ध विकासशील देश दाता और प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि विकासशील भागीदार हैं।
- **एकात्मकता और साझा करने की भावना** SSC की प्राथमिक प्रेरणा है।
- **स्वैच्छिक प्रकृति:** SSC प्रकृति में आधिकारिक विकास सहायता (ODA) की तरह अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक है।
- **मांग संचालित प्रक्रिया:** SSC परियोजनाओं की प्राथमिकताओं को भागीदार देश द्वारा निर्धारित किया जाता हैं। विकास के प्रति प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्यों में ही (उनके स्वामित्व और नेतृत्व के तहत) निहित होता है।
- **राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान** करना SSC का मूल तत्व है।
- **उत्तर-दक्षिण सहयोग के पूरक के रूप में:** दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकास एजेंडे को गति प्रदान करने के लिए उत्तर-दक्षिण सहयोग के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि पूरक के रूप में कार्य करता है। यह ग्लोबल नार्थ से अपनी ODA प्रतिबद्धताओं का पूर्ण रूप से पालन करने, मौजूदा संसाधनों में वृद्धि करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह करता है। साथ ही साथ यह ग्लोबल नार्थ से SDG को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक साधन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करने का आग्रह भी करता है।

संबंधित तथ्य

हाल ही में, विकासशील देशों के मध्य तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए **'ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ़ एक्शन' (BAPA+40) के 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर द्वितीय उच्च-स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था।**

BAPA क्या है?

- यह योजना विकासशील देशों के मध्य तकनीकी सहयोग (Technical Cooperation among Developing Countries: TCDC) के लिए एक रणनीतिक और परिचालन ढांचे का निर्माण करती है।
- शामिल देशों के नेतृत्व में एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, यह विभिन्न प्रकार सहयोगों (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय, अंतरक्षेत्रीय और बहुपक्षीय) को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न अभिकर्ताओं (विकसित देशों और क्षेत्रीय संस्थानों, निजी क्षेत्रक और व्यक्तियों) के नेतृत्व में भागीदारी और समर्थन की परिकल्पना करता है।
- निम्नलिखित सिफारिशों में SSC को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख किया गया है:
  - अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने हेतु राष्ट्रीय आवश्यकताओं और क्षमताओं के विश्लेषण पर आधारित अपनी TCDC क्षमता की पहचान करने के लिए देशों के ज्ञान और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना;
  - विकास के अनुकूल नीतियों, विधिक एवं प्रशासनिक ढाँचों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देना;
  - राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा मानव संसाधनों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना;
  - सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक एवं व्यक्तियों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण;
  - द्विपक्षीय व्यवस्थाओं का विस्तार करना तथा दीर्घकालिक समझौतों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से SSC में तेजी लाना;
  - TCDC गतिविधियों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और अंतर-सरकारी संगठनों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना;
  - TCDC की मूल भावना के साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (UNS) का अनुपालन, जिससे कि इसके सभी संगठन प्रवर्तक के रूप में मुख्य भूमिका निभा सकें; तथा
  - इस प्रकार के सहयोग हेतु विकसित देशों द्वारा समर्थन को बढ़ावा देना।

VISION IAS

11.2. भारत की विकास भागीदारी

(India's Development Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रियायती ऋणों के माध्यम से विभिन्न देशों को प्रदान की जाने वाली भारत की विकास भागीदारी सहायता विगत पाँच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की विदेश नीति **पंचशील** एवं **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हुई है। सीमित संसाधनों वाला एक निर्धन देश होने के बावजूद भारत द्वारा अपने अल्प संसाधनों एवं क्षमताओं को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है।
- ऐसा विश्वास किया गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव को साझा करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों के अनुभवों से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। यद्यपि भारत द्वारा स्वयं प्रमुख बहुपक्षीय संगठनों से विदेशी विकास सहायता (Overseas Development Assistance) प्राप्त की जाती रही है, लेकिन भारत ने सहायता प्राप्त करने और अपनी क्षमता के अनुसार अन्य देशों के साथ सहायता साझा करने में कभी भी विरोधाभास का सामना नहीं किया है।
- इस प्रकार भारत ने विश्व के विभिन्न भागों में विकास, मानवीय एवं तकनीकी सहायता विस्तारित करते हुए अन्य देशों के साथ अपनी **विकास भागीदारी** को प्रारंभ किया है।
- अग्रणी मंत्रालय के रूप में विदेश मंत्रालय (MEA) की भूमिका के साथ इसे विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत की विकास भागीदारी का क्रमिक विकास

वर्ष	कार्यक्रम
1949	सांस्कृतिक फ़ेलोशिप का गठन
1954	इंडियन ऐड मिशन (IAM)
1964	विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा हेतु प्रथम समझौता
1961	विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक एवं समन्वय विभाग (ECD) की स्थापना
1964	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम
1994	स्पेशल वॉलंटियर प्रोग्राम (SPV)
2003	इंडिया डेवलपमेंट इनीशिएटिव (IDI)
2004	इंडिया डेवलपमेंट एंड इकॉनोमिक असिस्टेंस स्कीम (IDEAS)
2005	विकास भागीदारी प्रभाग
2007	इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी (IIDCA)
2012	विकास भागीदारी प्रशासन (DPA)

भारत की विकास सहायता की विशिष्टताएं

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** 2017-18 के दौरान, **भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC)** कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, खाद्य, उर्वरक, बैंकिंग, वित्त, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में 161 भागीदार देशों को 10,918 नागरिक (असैन्य) प्रशिक्षण स्लॉट्स उपलब्ध करवाए गए थे, उदाहरणार्थ: इथियोपिया के 150 नौकरशाहों को भारत द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

VISION IAS

- **लाइन ऑफ़ क्रेडिट:** 2005-06 से जनवरी 2019 तक, 63 देशों को विभिन्न क्षेत्रों में **26.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की 274 लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LOCs) प्रदान की गई हैं।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** इससे संबंधित कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
  - **अफगानिस्तान:** अफगानी संसद, सलमा बांध, ज़रांज-डेलाराम हाईवे परियोजना;
  - **श्रीलंका:** कोलोंबो-मटारा रेल लिंक और दक्षिणी रेलवे का नवीनीकरण;
  - **भूटान:** जलविद्युत परियोजनाएं जैसे- पुनतसांगछु-I, खोलोंगछु का विकास; और
  - **म्यांमार:** इंडिया-म्यांमार फ्रेंडशिप रोड का निर्माण, सित्तवे पत्तन का उन्नयन।
- **भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति:** नवंबर 2017 तक, विभिन्न क्षेत्रों {जैसे- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (I&CT) का क्षेत्र, नारियल कृषि संबंधी विशेषज्ञ, अंग्रेजी शिक्षक एवं आयुर्वेद का क्षेत्र} में 49 विशेषज्ञों को भागीदार देशों में प्रतिनियुक्त किया गया था।
- **स्टडी टूर:** ITEC भागीदार देशों के विशेष अनुरोध पर संचालित किए जाते हैं।
- **उपकरण प्रदान करना:** जैसे सेशेल्स को डॉर्नियर विमान एवं मालदीव को हेलिकॉप्टर प्रदान करना।
- **मानवीय सहायता:** जैसे- लेसोथो एवं नामीबिया को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति; जाम्बिया एवं सीरिया को चिकित्सा आपूर्ति; नेपाल एवं श्रीलंका में आवास निर्माण; तंजानिया में NCERT पुस्तकों की आपूर्ति करना इत्यादि।
- **आपदा राहत हेतु सहायता:** 2015 में आए भूकंप के पश्चात् नेपाल एवं वर्ष 2010 में आई बाढ़ के पश्चात् पाकिस्तान को सहायता प्रदान की गई।
- **लघु विकास परियोजनाएं:** ये निम्न बजट वाली मांग-आधारित परियोजनाएं होती हैं जिनमें संबंधित देश की स्थानीय जनसंख्या द्वारा भी भागीदारी की जाती है। भारत सरकार अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सूरीनाम, पापुआ न्यू गिनी आदि देशों में विभिन्न परियोजनाओं के परिचालन हेतु प्रतिबद्ध है।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation: ITEC) कार्यक्रम

- इसे भारतीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा 15 सितंबर 1964 को भारत सरकार के सहायता संबंधी द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह एक मांग-आधारित, प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत एवं भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- ITEC एवं इसके साथी कार्यक्रम SCAAP (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत छह दशकों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत द्वारा प्राप्त किए गए विकास संबंधी अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से 161 देशों को आमंत्रित किया गया है।

विकास भागीदारी प्रशासन (Development Partnership Administration: DPA)

- इसकी स्थापना विदेश मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और यह भारत की विकास साझेदारियों के समग्र प्रबंधन, समन्वय तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

भारत की विकास भागीदारी की सफलताएँ

- **विदेशी सहायता प्रदाता राष्ट्र के रूप में रूपांतरण:** वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा 7719.65 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जबकि इसे अन्य देशों एवं वैश्विक बैंकों से 2,144.77 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के 28 सहायता प्रदाताओं में भारत की रैंक 11 प्रदाताओं से ऊपर है और कुछ क्षेत्रों में यह सबसे बड़े विकास भागीदारों में से एक है।
- **नेबरहुड फर्स्ट पालिसी संबंधी प्रतिबद्धता:** विगत एक दशक में भारत द्वारा अधिकांश विदेशी सहायता, अपने पड़ोसियों को प्रदान की गई है। एक विश्लेषण के अनुसार 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय विदेशी सहायता का 84% भाग दक्षिण एशियाई देशों को दिया गया है, जिसका सर्वाधिक भाग, जो कि 63% (981 मिलियन डॉलर) है, भूटान को आबंटित किया गया है। यह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।
- **अफ्रीका में विस्तारित सहायता:** अफ्रीका में भारत द्वारा **पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट, TEAM-9 पहल** आदि अनेक तरीकों से योगदान किया गया है।

VISION IAS

- **भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि:** ऐडडाटा (AidData) की **लिसनिंग टू लीडर्स 2018 रिपोर्ट** में सबसे प्रभावशाली विकास भागीदारों की रैंकिंग में भारत को 24वां स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 की हेल्पफुलनेस रैंकिंग में भी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था।

सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **विदेश मंत्रालय के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव:** संसदीय पैनल समेत विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विदेश मंत्रालय (MEA) को किए गए बजटीय आबंटन की आलोचना की गयी है। मंत्रालय की कुल निधि सिंगापुर के समकक्ष मंत्रालय की कुल निधि से भी कम है। ज्ञातव्य है कि 2016-17 के केंद्रीय बजट में इस मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में कम धन आबंटित किया गया था।
- **साझेदार देश से सम्बंधित समस्याएं:** वैधानिक अनुमोदन एवं भूमि अधिग्रहण में विलंब, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध-प्रदर्शन करना (पर्यावरणविदों द्वारा अथवा निहित स्वार्थों या अन्य कारणों से) आवश्यक अवसंरचना का अभाव और कार्य संबंधी दायरे में परिवर्तन इत्यादि।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** चीन ने **क्षमता, वित्त** एवं सैन्य सहायता के संदर्भ में भारत की तुलना में महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त कर ली है (उदाहरणार्थ- अफ्रीका में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण)। इसके अतिरिक्त, भारत **परियोजना की पूर्ति एवं निर्धारित समयसीमा के अनुपालन** के संबंध में भी चीन से काफी पीछे है। इस तथ्य को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रतिभागी देशों द्वारा रेखांकित किया गया है।
- चीन एवं अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य भागीदार देशों के साथ **वैश्विक संबद्धता का अभाव।**

महत्व

- **भारत ऐसी सहायता को "विकास सहयोग" के रूप में बताता है, न कि विदेशी सहायता के रूप में:** आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के विपरीत, भारत एक दाता-प्राप्तकर्ता संबंध प्रस्तुत नहीं करता है; यह प्रदत्त सहायता को परस्पर लाभकारी साझेदारी के रूप में प्रतिबिंबित करता है। यह उल्लेखनीय है कि हालिया वर्षों के दौरान इस प्रकार के विकास सहयोग के स्तर में वृद्धि हुई है जबकि ODA का स्तर या तो स्थिर रहा है अथवा इसमें गिरावट दर्ज की गई है।
- भारत का विकास सहयोग **भागीदार देश द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर आधारित होता है**, जिसमें परियोजनाओं को मैत्रीपूर्ण परामर्शों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- **दायित्व को स्वीकार करना:** अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, अन्य विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत को स्वेच्छा से वृहत्तर दायित्व को स्वीकार करना चाहिए।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति एवं वर्चस्व की स्थापना के लिए निरंतर किए जाने वाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासों को भारत द्वारा प्रति संतुलित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत द्वारा अपने सामरिक हितों की पूर्ति और सतत वैश्विक विकास एजेंडे में अपने योगदान के अनुरूप, अपनी नई भूमिका के निर्वहन और अपनी विकास सहायता एवं वैश्विक संस्थानों में अपनी भूमिका के निर्देशन व निर्वहन हेतु आवश्यक सशक्त संस्थानों तथा नेटवर्क का विकास करना अभी शेष है।
- **जर्मन डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम** से भी एक सीख प्राप्त की जा सकती है, जिसने अपनी **कोएलिशन ट्रीटी - 'शेपिंग जर्मनी फ्यूचर'** के अंतर्गत उद्देश्यों की एक व्यापक सूची तैयार की थी।
- भारत इस नए वैश्विक विकास परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्ता है, न केवल उस वित्तीय सहायता के कारण जो यह प्रदान करेगा, बल्कि इसके उस प्रभाव के कारण भी जो भविष्य की वैश्विक विकास वार्ताओं को आकार प्रदान कर सकता है और दक्षिणी विश्व के नए गठबंधनों का निर्माण कर सकता है।

11.3. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (CTBTO) में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- यह **एक बहुपक्षीय संधि है जोकि सैन्य एवं नागरिक उद्देश्यों, दोनों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध** लगाती है।
- जब से CTBTO को हस्ताक्षर हेतु रखा गया है तभी से भारत द्वारा इस संधि का इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति के आधार पर विरोध किया गया है।
- इस संधि का समर्थक संगठन अर्थात CTBTO भारत के साथ विश्वास को बनाए रखने तथा इसकी चिंताओं का समाधान करने हेतु प्रयासरत है, जिनके कारण भारत इस संधि में शामिल नहीं हुआ है।

- इस परिप्रेक्ष्य में, CTBTO ने भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे भारत को यह ज्ञात हो सकेगा कि इस संधि के अंतर्गत क्या प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही भारत वास्तविक तौर पर स्वयं को संधि के तहत बाध्य किए बिना प्राप्त सूचनाओं से लाभान्वित हो सकेगा।

CTBT पर भारत का पक्ष

- **1996 में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) का समर्थन नहीं किया था** और अभी तक नहीं करने के निम्नलिखित कारण हैं:
- **संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण:** भारत सैद्धांतिक रूप से समयबद्ध चरणों में सार्वभौमिक एवं पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल देता है। CTBT संपूर्ण निरस्त्रीकरण का समाधान प्रस्तुत नहीं करती है।
- **पक्षपातपूर्ण प्रकृति:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को भावी परीक्षण करने की शायद ही कोई आवश्यकता हो। इन देशों ने पहले ही पर्याप्त परमाणु परीक्षण किए हुए हैं और परमाणु हथियारों को संगृहीत भी कर रखा है। CTBT भारत के लिए परमाणु परीक्षण करने एवं इसकी प्रौद्योगिकी का विकास करने में केवल एक अवरोधक का कार्य करेगी।
- **एंट्री इंटू फोर्स क्लॉज़:** चिंता का एक अन्य विषय अनुच्छेद XIV एंट्री इंटू फोर्स क्लॉज़ (EIF) था, जिसे भारत उसके द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में स्वेच्छा से भागीदारी न करने के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानता था। संधि ने प्रारंभ में इसके EIF हेतु उन देशों के लिए अनुसमर्थन को अनिवार्य कर दिया था जिन्हें CTBT की अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रणाली (इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम; IMS) के भाग के रूप में इस संधि में शामिल होना था। इसी के परिणामस्वरूप भारत ने IMS से अपनी भागीदारी वापस ले ली थी।
- **तकनीकी मतभेद:** ऐसी संभावना है कि जिन देशों के पास पूर्व से ही परमाणु हथियार मौजूद हैं, वे अपने शस्त्रागार को सब-क्रिटिकल एवं प्रयोगशाला संचालित परीक्षणों के माध्यम से उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें CTBT के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- इस संधि में मौजूदा परमाणु हथियारों की समाप्ति हेतु किसी भी **समय सीमा का उल्लेख नहीं** किया गया है तथा पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर, भारत एक ऐसी "कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) की दिशा में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है जो पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्रोत्साहित करेगी"।
- **भारत की सुरक्षा चिंताओं का समाधान नहीं करती है-** भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों द्वारा उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, CTBT के एक पक्षकार देश होने पर, भारत को अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण और उनके विकास की संभावनाओं से वंचित होना पड़ेगा, जबकि NPT के आधार पर चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने में सक्षम होगा। उल्लेखनीय है कि यह चिंता, चीन और पाकिस्तान के मध्य परमाणु हथियारों के लिए गठजोड़ होने के भय के कारण और अधिक बढ़ गयी है।
- यह वैज्ञानिक विकास एवं भारत की बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों तथा स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं के संदर्भ में **भारत के रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।**

अन्य संधियों पर भारत का पक्ष

- भारत ने **1963 की लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी** हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ था। यद्यपि इस संधि से वैश्विक संघर्षों में कमी आई थी, परंतु इसने परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने में अल्प भूमिका ही निभाई थी।
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने अमेरिकी प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया था और नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाया था। भारत ने भी इसके प्रत्युत्तर में अपनी नागरिक तथा सैन्य सुविधाओं को पृथक करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसके तहत **अपनी सम्पूर्ण नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना,** फिसाइल मटेरियल कट-ऑफ़ ट्रीटी (FMCT) की समाप्ति हेतु अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करना और परमाणु परीक्षण पर अपने स्वैच्छिक स्थगन को जारी रखना शामिल था।
- भारत ने गैर-परमाणु हथियार राष्ट्र के रूप में **अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty)** को हस्ताक्षरित करने की किसी भी संभावना से इंकार किया है। परन्तु भारत **परमाणु विस्फोट परीक्षण करने के अपने स्वैछिक स्थगन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध** रहेगा।
- भारत ने 7 जुलाई 2017 को न्यूयॉर्क में संपन्न हुई **परमाणु हथियार निषेध संधि** पर आयोजित वार्ताओं में यह कहते हुए भाग नहीं लिया था कि भारत जेनेवा आधारित **निरस्त्रीकरण सम्मेलन या कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेण्ट (CD)** को एक एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में मानता है।

VISION IAS

CTBT में सम्मिलित होने से भारत को क्या लाभ होंगे?

- **सामरिक हित-** CTBT में सम्मिलित होने से, भारत सरलता से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य बन सकता है साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी दावेदारी भी बल मिलेगा।
- **यह एशिया में परमाणु प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने में सहायता कर सकता है-** विशेषतः भारत के पड़ोसी देशों में, क्योंकि पाकिस्तान (पाकिस्तान पहले ही पर्यवेक्षक के रूप में CTBT में सम्मिलित हो चुका है) द्वारा भी परमाणु हथियारों को कम करने के प्रयास किये जा सकते हैं।
- **इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS) के माध्यम से डेटा तक पहुँच-** उल्लेखनीय है कि IMS के तहत हायड्रोएकॉस्टिक्स, इंफ्रासाउण्ड, रेडियोन्यूक्लाइड जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है तथा यह आपदा प्रबंधन, विमान दुर्घटनाग्रस्त स्थलों, खनन एवं अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में भारत की सहायता कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा अन सकता है**- भारत CTBTO के तत्वावधान में, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा बन सकेगा, जिससे इसे विश्व के साथ विभिन्न वैज्ञानिक सहयोग को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

CTBT एवं इसकी संरचना से सम्बंधित अन्य तथ्य

- इसे वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया एवं देशों को हस्ताक्षर करने हेतु आमंत्रित किया गया। अब तक **184 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से 168 ने इसकी अभिपुष्टि (अनुसमर्थन) भी कर दी है**। इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश घाना है (14 जून 2011)।
- यह संधि तब अस्तित्व में आएगी जब परमाणु क्षमता एवं अनुसंधान रिएक्टर वाले सभी **44 देशों** द्वारा इस पर हस्ताक्षर एवं इसका अनुसमर्थन कर दिया जाएगा। वर्ष **1996** में देशों को इस पर हस्ताक्षर करने हेतु आमंत्रित किया गया था, परंतु अभी तक **8 देशों** द्वारा हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन नहीं करने के कारण यह अस्तित्व में नहीं आ सकी है। **भारत, उत्तर कोरिया** और **पाकिस्तान** ने इस संधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसका अनुसमर्थन; जबकि चीन, मिस्र, ईरान, इजरायल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं किन्तु अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- इस संधि को परिचालित करने हेतु, कुछ उपाय किए गए हैं ताकि देशों के मध्य विश्वास बहाली हो सके, जैसे-
  - **CTBTO हेतु प्रिपेरटॉरी कमीशन** की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। यह इस संधि को अस्तित्व में लाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। इस हेतु इसने एक सत्यापन व्यवस्था की शुरुआत की है तथा इसके अंतर्गत यह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS) का भी संचालन करता है।
  - **CTBT सत्यापन व्यवस्था (CTBT verification regime):** इसका उद्देश्य इस ग्रह पर होने वाले परमाणु परीक्षणों की नियमित निगरानी करना तथा प्राप्त निष्कर्षों को सदस्य देशों के साथ साझा करना है। इसमें **इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS), इंटरनेशनल डेटा सेंटर (IDC)** और **ऑन-साइट निरीक्षण (OSI)** शामिल हैं।
    - **इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम:** संभावित परमाणु परीक्षणों का पता लगाने हेतु यह सेंसरों का एक वैश्विक नेटवर्क है।

भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण

परमाणु निरस्त्रीकरण से तात्पर्य परमाणु हथियारों में कटौती या उनके प्रसार को समाप्त करना है। भारत सदैव ही परमाणु निरस्त्रीकरण का **समर्थक** रहा है, हालांकि राष्ट्रों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के **भेदभाव** का भारत द्वारा विरोध किया गया है। इस प्रकार, भारत **परमाणु अप्रसार संधि** (NPT) में अब तक शामिल नहीं हुआ है, किन्तु इसने निम्नलिखित को अपना समर्थन प्रदान किया है:

- **1954-** भारतीय प्रधानमंत्री परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध आरोपित करने के उद्देश्य से एक **स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट** को प्रस्तावित करने वाले प्रथम राष्ट्र प्रमुख थे।
- **1965-** भारत द्वारा परमाणु प्रसार पर प्रतिबंध आरोपित करने वाली एक कठोर गैर-भेदभावपूर्ण संधि का समर्थन किया गया था। साथ ही भारत, **एटीन नेशनल डिसआर्मामेंट कमिटी (ENDC)** के **आठ गुटनिरपेक्ष देशों** में से एक था।
- **1988-** भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष **"पूर्ण एवं सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण"** हेतु एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- **1996- "ग्रुप ऑफ़ 21"** का एक सदस्य होने के कारण भारत द्वारा **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** में "परमाणु हथियारों के चरणबद्ध

VISION IAS

उन्मूलन" हेतु **प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन** प्रस्तुत किया था।

- **1998-** भारत द्वारा अपने द्वितीय परमाणु परीक्षण, पोखरण-II के पश्चात पहली बार **परमाणु हथियार के "पहले प्रयोग नहीं (No first use)"** करने की नीति को अपनाया गया था। भारत ने यह भी स्वीकार किया कि वह गैर-परमाणु हथियार वाले राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा।
- **1999-** अपने **परमाणु सिद्धांत के मसौदे में,** भारत ने उल्लेख किया कि **राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य** में "वैश्विक, सत्यापनी और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण शामिल हैं।"
- **2015- कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (जिनेवा)** में भारत द्वारा स्पष्ट किया गया कि परमाणु हथियारों के उपयोग पर अंकूश आरोपत करने संबंधी गैर-भेदभावपूर्ण, बहुपक्षीय समझौतों द्वारा ही इनका पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- भारत का मानना है कि **परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व** की स्थापना से देश की सुरक्षा में कमी होने के स्थान पर वृद्धि होगी। परिवर्तित होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, **CTBTO के तहत बहुपक्षीय सत्यापन व्यवस्था** में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, भारत स्वयं को वर्तमान समय की वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध व्यवस्था से पुनः जोड़ सकता है।
- पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने जैसे प्रारंभिक प्रयासों के माध्यम से, भारत को एक CTBT को विकसित करने हेतु अन्य देशों के साथ वार्ता करने के साथ-साथ शामिल होने के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सकती है, जो सभी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर समान दायित्वों और जिम्मेदारियों को लागू करेगा।
- साथ ही, भारत द्वारा CTBT के मूलभूत दायित्वों का अनुपालन किया गया है। भारत की **स्वैच्छिक प्रतिबद्धता और इस संधि से बाहर रहने का** तात्पर्य यह था कि भारत अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत CTBT को लागू करने औरवैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में दृढ़ रहने के लिए सार्थक वार्ताओं की आवश्यकता के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पक्ष समर्थन प्राप्त करना था।

11.4. प्रत्यर्पण

(Extradition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय ने भारत को भगोड़े विजय माल्या का **प्रत्यर्पण करने** का आदेश दिया है, ताकि उस पर उसके निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस की समाप्ति के परिणामस्वरूप लगे धोखाधड़ी के आरोप पर कार्यवाही की जा सके।

पृष्ठभूमि

- **फरार दोषियों की संख्या में वृद्धि:** वैश्वीकरण तथा बढ़ी हुई इंटरकनेक्टिविटी ने हाई प्रोफ़ाइल मामलों में न्याय प्रदान करने में उल्लेखनीय अवरोध उत्पन्न किए हैं। इससे भारत के अपराधी विदेशों में शरण प्राप्त करते हैं तथा इससे उनके लिए अपने देश में गिरफ्तारी एवं अभियोजन से बच पाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।
- **प्रत्यर्पण में न्यूनतम सफलता:** भगोड़ों के प्रत्यर्पण में भारत की सफलता दर अत्यधिक निम्न रही है, अर्थात प्रत्येक तीन भगोड़ों में से केवल एक को सफलतापूर्वक भारत में प्रत्यर्पित किया गया है।

प्रत्यर्पण का महत्व

- **न्याय प्रदान करने हेतु:** समय पर न्याय प्रदान करने तथा शिकायतों का निवारण करने के लिए विदेशों से अपराधियों का प्रत्यर्पण आवश्यक है।
- **भविष्य में अपराधियों के फरार होने की घटनाओं के निवारण हेतु:** यह अपराधियों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जो भारत की न्याय प्रणाली से बचने के लिए पलायन को एक सरल एवं बेहतर विधि मानते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा:** आतंकवाद एवं आपराधिक गतिविधि में संलग्न व्यक्ति का प्रत्यर्पण, देश में जनसामान्य के मध्य न्याय के परिवेश तथा न्याय के प्रति विश्वास को उत्पन्न करेगा।
- **आर्थिक विकास:** देश में आर्थिक भगोड़ों को वापस लाने से भारत के वित्तीय संस्थानों की स्थिति में सुधार करने एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non-Performing Assests: NPA) के संकट से निपटने में सहायता प्राप्त होगी।

प्रत्यर्पण क्या है?

- प्रत्यर्पण एक देश की ओर से किसी अन्य देश को आरोपी व्यक्तियों को वापस सौंपने की व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो मूल देश को ऐसे अपराधों जिनमें वे दोषी या आरोपी हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, से निपटने में सहायता प्रदान करती है।

- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 भारत हेतु प्रत्यर्पण संबंधी वैधानिक आधार प्रदान करता है।

प्रत्यर्पण संधियाँ: प्रत्यर्पण संधियाँ देशों के मध्य भगोड़े लोगों की वापसी हेतु एक परिभाषित वैधानिक संरचना प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

- **प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2(d)** एक 'प्रत्यर्पण संधि को संधि, समझौता या व्यवस्था के रूप में संदर्भित करती है, जो भारत द्वारा किसी विदेशी राज्य के साथ किया जाता है। इसका संबंध भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से है तथा इसके अंतर्गत भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रत्येक संधि, समझौता या व्यवस्था सम्मिलित है।

प्रत्यर्पण हेतु सामान्य शर्तें:

- **प्रत्यर्पण योग्य अपराधों के सिद्धांत** के अनुसार संधि में स्पष्ट रूप से उल्लेखित अपराधों के संबंध में ही प्रत्यर्पण लागू हो सकता है।
- **दोहरे अपराध के सिद्धांत** के अनुसार जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, वह अपराध अनुरोध करने एवं अनुरोध प्राप्त करने वाले देशों के प्रत्यर्पण संबंधी राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए।
- **विशिष्टता का नियम:** प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध केवल उसी अपराध के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था।
- **मुक्त एवं पारदर्शी न्यायिक कार्यवाही:** दोषी व्यक्ति की पारदर्शी सुनवाई (वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के भाग के रूप में स्थापित है) की जानी चाहिए। यह अपेक्षित है कि न्यायपालिका एवं अन्य वैधानिक प्राधिकरण इन सिद्धांतों को ऐसी स्थितियों में भी समान रूप से कार्यान्वित करेंगे, जहां कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है।
- **भारत में प्रत्यर्पण हेतु नोडल प्राधिकरण:** विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करने वाला केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है, यह प्रत्यर्पण से संबंधित प्राप्त होने वाले तथा बहिर्गामी अनुरोधों को प्रशासित करता है।

प्रत्यर्पण तथा अन्य प्रक्रिया के मध्य अंतर:

- **निर्वासन** के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को देश को छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा उसे देश में पुनःवापसी की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।
- **बहिष्करण** के तहत किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राज्य के किसी विशिष्ट भाग में निवास करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- निर्वासन एवं बहिष्करण ऐसे **गैर-सहमति वाले आदेश** हैं जिन्हें किसी प्रकार के संधि-उपबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वासन **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946** द्वारा प्रशासित होता है।

भारत के लिए चुनौतियां

- **संधियों का अभाव (No treaty):** अन्य देशों की तुलना में भारत द्वारा की गयी **द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों की संख्या कम** है। विशेष रूप से चिंतनीय विषय यह है कि भारत की चीन, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे कई पड़ोसी राज्यों के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं हैं। उदाहरणार्थ: भारत द्वारा एंटीगुआ एवं बारबुडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं की गई है, जिसके कारण मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में विलंब हो रहा है।
- **संधि में सम्मिलित अपराध:** सामान्यतः प्रत्यर्पण संधि इसके अंतर्गत सम्मिलित अपराधों तक ही सीमित होती है, जो कि एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकता है।
- **CBI पर अतिभार आरोपित करना:** मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद तथा आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रत्यर्पण के मामलों की जांच या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जाती है या ये मामले राज्य पुलिस द्वारा जांच हेतु CBI को भेज दिए जाते हैं। CBI का गठन भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु किया गया था और वर्तमान में एक बड़ी संख्या में उत्पन्न प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों की जांच हेतु इसके पास कार्यबल की कमी है।
- **दोहरे अभियोजन संबंधी प्रावधान:** यह एक ही अपराध हेतु दो बार सजा देने का निषेध करता है। यह डेविड हेडली को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने में भारत की विफलता का प्राथमिक कारण था।
- **मानवाधिकार संबंधी मुद्दे:** यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य यूरोपीय देशों ने प्रायः इस संभावना पर भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को अस्वीकार किया है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति भारत की जेलों में निम्नस्तरीय परिस्थितियों अथवा कारावास में होने वाली हिंसा से ग्रसित हो सकता है। अत्यधिक भीड़भाड़, निम्नस्तरीय अवसंरचना, निम्नस्तरीय स्वच्छता तथा अन्य कारक भारतीय कारावासों को पुनर्वास तथा सजा हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं।
- **यातना-विरोधी कानून की अनुपस्थिति:** इससे प्रत्यर्पणों को सुनिश्चित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मध्य यह भय व्याप्त है कि दोषी व्यक्ति को भारत में कठोर यातना दी जाएगी। उदाहरणार्थ: डेनमार्क ने पुरुलिया हथियार कांड में किम डेवी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को भारत में "यातना या अन्य अमानवीय व्यवहार" के जोखिम के कारण अस्वीकार कर दिया।

VISION IAS

- **कूटनीति, द्विपक्षीय संबंध और घरेलू राजनीति:** प्रत्यर्पण प्रक्रिया द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित होती है तथा अनुरोध प्राप्तकर्ता देश द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु कूटनीति एवं वार्ता का अवसरवादितापूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना:** देशों को अनुरोधों पर तीव्रता से कार्यवाही करने हेतु तैयार करने के लिए राजनयिक एवं द्विपक्षीय वार्ता का लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी पारस्परिकता तथा सौहार्द्पूर्ण प्रक्रिया के आधार पर, विदेशी राज्यों से प्राप्त प्रत्यर्पण अनुरोधों पर तीव्र एवं प्रभावी रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।
- **प्रत्यर्पण संधियों की संख्या में वृद्धि करना:** भारत ने 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु वर्तमान में केवल 62 अभियुक्तों को प्रत्यर्पित करने में सफलता प्राप्त हो सकी है।
- **प्रभावी निवारक कानून और नीतिगत उपाय:** यह अपराधियों के देश से बाहर फरार होने को रोक सकता है, जैसे- भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018, सरकार के निवारक एवं प्रत्याशित वैधानिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों की ओर संकेत करता है।
- **कारावास संबंधी सुधारों को तीव्रता** से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, ताकि कारावासों की निम्नस्तरीय स्थितियों एवं अनुरोधित व्यक्ति के मानव अधिकारों के संभावित उल्लंघन से संबंधित चिंताओं को दूर किया जा सके।
    - भारत अत्याचार एवं हिरासत के दौरान हिंसा के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता को स्थापित करने के लिए **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर (1984)** (भारत द्वारा पहले ही हस्ताक्षरित) की अभिपुष्टि कर सकता है।
- **जांच में विलंबता संबंधी समस्या का समाधान करना:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता एवं संगठनात्मक कार्यक्षमताओं में सुधार करना ताकि प्रत्यर्पण के मामलों की शीघ्र जांच की जा सके।
- **उत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाना:** इस संदर्भ में संधि में शामिल देशों के कानूनों एवं नियमों के अनुरूप उपयुक्त संगठनात्मक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। यह विदेश मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य सामंजस्य को बेहतर बनाने में भी सहायता करेगा।
- **एक पृथक सेल की स्थापना:** यह साक्ष्यों का प्रारूपण, प्रमाणीकरण और अनुवाद करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा वैधानिक परामर्श एवं सहायता प्रदान करने में सहायक होगा, जिससे अनुरोधों की अस्वीकृति की संभावना को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

11.5. प्रारूप उत्प्रवास विधेयक - 2019

(Draft Emigration Bill - 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में उत्प्रवास विधेयक, 2019 लाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करेगा।

पृष्ठभूमि

- भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से संबंधित सभी मामलों हेतु मौजूदा विधायी ढाँचे का निर्धारण **उत्प्रवास अधिनियम 1983 द्वारा** किया जाता है।
- इसे **खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कामगारों के बड़े पैमाने पर होने वाले उत्प्रवास** के विशिष्ट संदर्भ में क्रियान्वित किया गया था। इस अधिनियम के समकालीन प्रवास प्रवृत्तियों का समाधान करने संबंधी प्रावधान कुछ सन्दर्भों में सीमित ही हैं।

भारतीय प्रवासी श्रमिकों के समक्ष व्याप्त चुनौतियां:

- **प्रवास संबंधित नीति एवं डाटा का अभाव:** यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में भारतीयों की संभावित क्षमता का उपयोग करने की भारत की क्षमता को प्रभावित करता है।
- **भर्ती चरण में विद्यमान समस्याएं:** कामगारों को भेजने वाले और प्राप्तकर्ता देशों की भर्ती एजेंसियों द्वारा वीजा के लिए अत्यधिक कीमत वसूलने, अनुबंध अवधि, वेतन, ओवरटाइम तथा अन्य संबंधित विवरणों की अपूर्ण जानकारी के माध्यम से प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। अनधिकृत भर्ती एजेंटों की समस्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
- **कौशल विकास का अभाव:** यह विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के समक्ष सबसे बड़ी बाधा है। वैश्विक मोबिलिटी के लिए उपयुक्त कार्यबल तैयार करने में पांच मुख्य तत्व शामिल हैं: (i) वैश्विक मानकों के साथ योग्यताओं का संरेखण (ii) अवसंरचना का विकास

VISION IAS

(iii) प्रामाणिक मूल्यांकन एवं प्रमाणन फ्रेमवर्क (iv) प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और (v) रोजगार संबद्धता (जॉब लिंकेज)।

- **न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी (Minimum Referral wages):** सरकार द्वारा एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) देशों (ऐसे देश जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट्स के कार्यालय द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति की आवश्यकता होती है) में कार्यरत भारतीय कामगारों के वेतन को विनियमित करने हेतु न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह मजदूरी गंतव्य देशों में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के साथ संरेखित नहीं हो पाई है।
- **संकट/आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान समस्याएं:** अभी तक भारत सरकार द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भारतीय कामगारों की सुरक्षित निकासी हेतु मेजबान देशों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के स्थायी तंत्र को संस्थागत नहीं बनाया गया है।
- **कामगारों का दुरुपयोग:** भारतीय प्रवासियों में से अधिकांश अशिक्षित एवं ब्लू कॉलर कामगार हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के साथ, वे चरमपंथी समूहों की ओर अभिप्रेत हो सकते हैं।
- **पुनर्वास नीति का अभाव:** वर्तमान में देश के पास गंतव्य स्थान पर वापस लौटने वाले प्रवासियों के संवर्द्धित कौशल का उपयोग करने में सहायता करने संबंधी कोई पुनर्वास नीति विद्यमान नहीं है।
- **अमानवीय जीवनयापन परिस्थितियां:** खाड़ी क्षेत्र में अनियमित श्रमिक प्रायः जोखिमपूर्ण जीवन तथा कामकाजी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण वे न्याय एवं मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।
- **लैंगिक परिप्रेक्ष्य एवं प्रवास:** एक लैंगिक-संवेदनशील प्रवासन नीति की तत्काल आवश्यकता है, जो न केवल सुरक्षा, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण के व्यापक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए।

इस नए विधेयक की आवश्यकता

- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में निहित सीमाएं** कई बार मौजूदा संसाधनों के उप-इष्टतम उपयोग, अवैध एजेंटों पर मुकदमा दायर करने में विलंब, प्रवासी कामगारों के कल्याण और संरक्षण के उद्देश्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रभावी रूपरेखा निर्मित करने में विधायी प्रावधानों की कमी द्वारा परिलक्षित होती है।
- इसके अतिरिक्त, विगत कुछ वर्षों में **प्रवास की प्रकृति, पैटर्न, दिशा तथा मात्रा में व्यापक परिवर्तन आया है।** इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अंतर्गत विकसित देशों में देश के कुशल पेशेवरों द्वारा किया जाने वाला प्रवास, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रवास इत्यादि शामिल है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण (Emigration Management Authority: EMA):** इस विधेयक में उत्प्रवासियों के समग्र कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक बहु-मंत्रालय EMA का गठन करने का प्रस्ताव है।
- **प्रवास एवं आयोजन ब्यूरो तथा प्रवास प्रशासन ब्यूरो (Bureau of Emigration Policy and Planning & Bureau of Emigration Administration):** ये ब्यूरो दैनिक संचालनीय मामलों के अतिरिक्त प्रवास से संबंधित सभी मुद्दों एवं विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- **पंजीकरण/सूचना (Registration/Intimation):** यह विधेयक प्रवासी रोजगार हेतु जाने वाले **सभी श्रेणियों के भारतीय कामगारों एवं विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अनिवार्य पंजीकरण / सम्बंधित सूचना प्रदान करने का प्रावधान करता** है। मंत्रालय द्वारा प्रवास की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
- **भर्ती एजेंसियों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों** के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। भर्ती एजेंसियों के साथ कार्यरत उप-एजेंटों को भी प्रस्तावित विधेयक के दायरे में लाया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत **भर्ती एजेंटों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों की रेटिंग** के संबंध में प्रावधान को भी शामिल किया गया है।
- **कल्याण एवं सुरक्षा:** इस विधेयक में व्यापक प्रावधान किए गए हैं जिनमें बीमा, प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश, कौशल उन्नयन, क़ानूनी सहायता, प्रवासी सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क, प्रवास एवं मोबिलिटी साझेदारियां, श्रमिक एवं मानवशक्ति सहयोग करार/समझौता ज्ञापन इत्यादि शामिल हैं।
- **अपराध एवं दंड:** इस विधेयक में **मानव तस्करी, अवैध भर्ती, ड्रग्स की अवैध तस्करी,** भर्ती की आड़ में अपराधियों को प्रश्रय देने तथा बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह **महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों** के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।

VISION IAS

प्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु सरकारी पहलें:

- **मदद पोर्टल (MADAD Portal):** यह 2015 में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आरंभ की गई एक ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली है। यह ई-पोर्टल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को एक ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे भारत सरकार के पास कॉन्सुलर (दूतावास) सेवाओं संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- **प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र:** दिल्ली में 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन की स्थापना की गई है, जो प्रवासियों/संभावित प्रवासियों को सूचना प्राप्त करने तथा भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाती है।
- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2017:** यह एक **अनिवार्य बीमा योजना** है जिसका उद्देश्य ECR देशों में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रवास करने वाले एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) श्रेणी में आने वाले भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना है।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF):** इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अत्यंत संकट एवं आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना है।
- प्रवासियों को जानकारी और सहायता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन स्टॉप सर्विस आउटलेट के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु, मेजबान देशों में **भारतीय कामगार संसाधन केंद्रों** की स्थापना की गई है।
- **महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना (MGPSY)**- यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण करने के साथ-साथ ECR देशों में उनके सामाजिक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है।

11.6. स्पेस डिप्लोमेसी

(Space Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों

अपनी स्पेस डिप्लोमेसी के एक भाग के रूप में, भारत द्वारा अपने पांच पड़ोसी देशों - भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में पांच ग्राउंड स्टेशन और 500 से अधिक टर्मिनलों की स्थापना की जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसंरचना का निर्माण 2017 में लॉन्च किए गए **दक्षिण एशिया उपग्रह (South Asia Satellite)** के विस्तार के रूप में किया जा रहा है।
- यह टेलीविज़न प्रसारण से लेकर टेलीफोनी और इंटरनेट, आपदा प्रबंधन और टेली-मेडिसिन तक के **अनुप्रयोगों** में सहायता करेगी।
- यह कदम पड़ोसी देशों में हमारी **रणनीतिक** परिसम्पत्तियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है।

स्पेस डिप्लोमेसी क्या है?

- **स्पेस डिप्लोमेसी** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने की एक कला और अभ्यास है।
- अंतरिक्ष, प्रतिस्पर्द्धा और वर्चस्व स्थापित करने के लिए वैश्विक शक्तियों के मध्य **प्रतिस्पर्द्धा और सहयोग के एक नए क्षेत्र के रूप** में उभरा है। अत्यधिक जटिल होने के कारण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, प्रस्थिति के साथ-साथ उसकी सॉफ्ट-पावर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है।

भारतीय विदेश नीति में एक साधन के रूप में अन्तरिक्ष

- **नेबरहुड फर्स्ट नीति का विस्तार:** दक्षिण एशिया उपग्रह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है।
- **भारत की सॉफ्ट-पावर को प्रोत्साहित करना:** भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो ने विकासशील देशों को अमेरिकी या यूरोपीय समकक्षों की तुलना में उपग्रहों को लॉन्च करने का एक सस्ता विकल्प प्रदान किया है। यह कदम पड़ोसी देशों और भारत के संबंध को ओर अधिक प्रगाढ़ बनाएगा।
- **सहयोग का एक नवीन क्षेत्र:** अंतरिक्ष भारत और अन्य देशों के मध्य सहयोग के एक नवीन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जो इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक सुधार करेगा।

स्पेस डिप्लोमेसी की दिशा में भारतीय पहल

- भारत ने SAARC देशों को अपने रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम **NAVIC** का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।
- भारत ने **अन्य देशों के साथ भी सहयोग स्थापित किया है**, उदाहरण- NISAR।
- भारत के **चंद्रयान मिशन** (जिसने चंद्रमा पर जल की खोज की) में नासा के साथ मिलकर कार्य किया गया था।
- प्रायः खगोलीय अनुसंधान के लिए भारतीय उपग्रहों के डाटा को मित्र देशों के साथ साझा किया जाता है, जो भारत की साख में वृद्धि करने के साथ-साथ संबंधों को भी सुदृढ़ बनाता है।
- इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) द्वारा **ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मॉरीशस** में तीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों का

VISION IAS

संचालन किया जाता है।

- इसरो ने 2001 में **इंडिया-म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग** की स्थापना की थी।
- दक्षिण एशिया उपग्रह या GSAT-9 दक्षिण एशियाई देशों में विभिन्न संचार अनुप्रयोग प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक भू-स्थैतिक संचार उपग्रह (Geostationary Communication satellite) है। कुछ अन्य अनुप्रयोगों के अंतर्गत टेली-मेडिसिन, आपदा प्रबंधन, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस इत्यादि शामिल हैं।
- **भारत - जापान अंतरिक्ष संवाद** का आयोजन 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में किया गया था।

स्पेस डिप्लोमेसी से संबंधित मुद्दे

- **वैधानिक समझौतों का अभाव:** अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि मौजूद नहीं हैं। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में **यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर स्पेस अफेयर्स** द्वारा कार्य किया जाता है, किन्तु अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए NPT या CTBT जैसी कोई बाध्यकारी संधि विद्यमान नहीं है।
- **राष्ट्रों के मध्य वैश्विक असमानता को बनाए रखता है:** चूँकि कुछ ही देशों के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विद्यमान है, अत: यह अन्य अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों की विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता में वृद्धि करता है।
- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:** अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण, भविष्य में उनकी स्पेस डिप्लोमेसी के भाग के रूप में राष्ट्रों के हाथों का एक नया उपकरण बन सकता है। अंतरिक्ष में स्थित हथियार मौजूदा हथियारों की तुलना में 100 गुना घातक हो सकते हैं और मानवता को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं।

संबंधित निकाय

यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन दी पीसफुल यूज़ ऑफ़ आउटर स्पेस (COPUOS) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के निर्माण हेतु एक मंच है। इसके द्वारा पाँच अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ सम्पन्न की गई हैं:

- **'आउटर स्पेस ट्रीटी (Outer Space Treaty)',** जो वाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
- **"रेस्क्यू अग्रीमेंट (Rescue Agreement)":** अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की वापसी से संबंधित।
- **"लायबिलिटी कन्वेंशन (Liability Convention)":** कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज़ बाई स्पेस ऑब्जेक्ट्स।
- **"रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन (Registration Convention)":** कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इन टू आउटर स्पेस।
- **"मून एग्रीमेंट (Moon Agreement)":** यह चन्द्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों पर राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (UNOOSA)

- यह कमेटी ऑन दी पीसफुल यूज़ ऑफ़ आउटर स्पेस (COPUOS) के एक सचिवालय के रूप में कार्य करती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत महासचिव की जिम्मेदारियों को लागू करने तथा कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इन टू आउटर स्पेस को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।

एशिया-पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (APSCO)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक स्थिति के साथ एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र निकाय के रूप में संचालित है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग (**चीन**) में स्थित है।
- इसमें शामिल अंतरिक्ष एजेंसियां हैं: **बांग्लादेश, चीन, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू, थाईलैंड एवं तुर्की।**
- **इंडोनेशिया इसका एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, जबकि मेक्सिको एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है।**
- इसमें डाटा साझाकरण, एक अंतरिक्ष संचार नेटवर्क स्थापित करना और स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना शामिल है।
- भारत को भी इस प्रकार के संगठन के गठन पर विचार करना चाहिए।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS